C O N T E N T S

Fifteenth Series, Vol. XVI, Seventh Session, 2011/1932 (Saka)
No. 14, Friday, March 11, 2011/Phalguna 20, 1932(Saka)

S U B J E C T	**P A G E S**
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos 221 to 224	3-42
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 225 to 240	43-91
Unstarred Question Nos. 2531 to 2760	92-568

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 569-592

STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION 592
11th Report

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE 592
167th Report

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the Recommendations contained in the 204th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2010-11), pertaining to the Ministry of Earth Scinece 593
Shri Ashwani Kumar

(ii) Conduct of anti-piracy operations in the Gulf of aden and off the coast of Somalia
Shri S.M. Krishna 594-595

BUSINESS OF THE HOUSE 596-600

GENERAL BUDGET (2011-2012)- GENERAL DISCUSSIONS AND DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL), 2010-2011 601-706

Shri Jagdambika Pal 602-605

Shri Bhishma Shankar Alias Kushal Tiwari 606-612

Shri Harish Chaudhary 613-618

Shri Shripad Yesso Naik 619-620

Shri Ijyaraj Singh 621-627

Shri Raghuvir Singh Meena 628-637

Shri M. Anandan 638

Dr. Kirit Premjibhai Solanki 639-643

Shri Khagen Das 644-649
Shri Sukhdev Singh 650-652
Shri Premdas 653-654
Shri Gorakh Prasad Jaiswal 655-660
Shri Laxman Tudu 661-664
Shri Yashwant Laguri 665-669
Shri Datta Meghe 670-673
Shri Prem Dass Rai 674
Shri Rakesh Sachen 675-679
Shri Ravindra Kumar Pandey 680-681
Shri Kaushalendra Kumar 682-684
Shri Pranab Mukherjee 685-703

APPROPRIATION BILL, 2011 707-708
Motion to Consider 707
Clauses 3, 2 and 1 708
Motion to Pass 708

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i) Re: Need to adhere to the modalities set out by the Sarkaria Commission for releasing funds to State Governments 712-724

(ii) Re: Need to review the Land Acquistion Act, 1894 to protect the interest of land oustees due to setting up of SEZ in the industrial, mining and coal sectors 727-738

Motion Re: Fourteenth and Fifteenth Reports of Committee on Private Members' Bills and Resolutions 739

PRIVATE MEMBERS' BILLS- Introduced 740-745

(i) Constitution (Amendment) Bill, 2010 740
(Amendment of article 51A)
By Kumari Saroj Pandey

(ii) Constitution (Amendment) Bill, 2010 740
(Amendment of articles 84 and 173)
By Kumari Saroj Pandey

(iii) Sculptors, Artists and Artisans of 741
Rural Areas Welfare Bill, 2010
By Shri Hansraj G. Ahir

(iv) Constitution (Scheduled Tribes) Order 741
(Amendment) Bill, 2010 (Amendment of the Schedule)
By Shri Hansraj G. Ahir

(v) Mahatma Gandhi National Rural Employment 742
Guarantee (Amendment) Bill, 2010
(Amendment of section 2, etc.)
By Shri Hansraj G. Ahir

(vi) Constitution (Scheduled Castes) Order 742
(Amendment) Bill, 2010 (Amendment of the Schedule)
By Shri Hansraj G. Ahir

(vii) Empowerment of Women Bill, 2010 743
By Kumari Saroj Pandey

(viii) National Agricultural Produce Price 743
Commission Bill, 2011
By Shri Raju Shetti

(ix) Representation of People (Amendment) Bill, 2011 744
(Amendment of section 7, etc.)
By Shri L. Rajagopal

(x) Constitution (Amendment) Bill, 2011 744
(Amendment of articles 124 and 216)
By Shri Arjun Ram Meghwal

(xi) Constitution (Amendment) Bill, 2011 (Insertion of new article 330A, etc.) By Shri Arjun Ram Meghwal 745

(xii) National Commission for Youth Bill, 2011 By Shri Adhir Chowdhury 757

ILLEGAL IMMIGRANTS AND OVERSTAYING FOREIGN NATIONALS (IDENTIFICATION AND DEPORTATION) BILL, 2009 - WITHDRAWN 746

Shri Baijayant Panda 755

796-797

Motion to Consider 758-760

Shri Shailendra Kumar 758-760

Shri Nishikant Dubey 761-766

Shri Adhir Chowdhury 767-770

Shri Vijay Bahadur Singh 771-773

Shri Bhartruhari Mahtab 774-780

Shri Hukumdeo Narayan Yadav 781-783

Shri Jai Prakash Agarwal 784-786

Shri Arjun Ram Meghwal 787-788

Dr. Thokchom Meinya 789-791

Shri Mullapally Ramachandran 792-795

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2009 (Insertion of New articles 275A and 371J) 798-799

Motion to Consider 798-799

Prof. Ranjan Prasad Yadav 798-800

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 801
Member-wise Index to Unstarred Questions 802-807

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 808
Ministry-wise Index to Unstarred Questions 809

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, March 11, 2011/Phalguna 20, 1932(Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

MADAM SPEAKER: Now, we proceed with Question Hour. Q. No. 221 – Shri Jagdish Thakor.

… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam Speaker, a large number of farmers have come to Delhi.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, you can raise it during the 'Zero Hour'. You are such a senior Member. Please take it up in the 'Zero Hour'. Let us now proceed with the Question Hour.

… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam, please allow me to raise it in the 'Zero Hour'.

MADAM SPEAKER: Yes, I will. Thank you so much for the cooperation.

(Q. No. 221)

श्री जगदीश ठाकोर : माननीय अध्यक्ष महोदया, गुजरात में पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में स्थापित ऊर्जा स्रोत उत्पादन क्षमता काफी बताई गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि गुजरात में जो प्रोजेक्ट लगे हैं, कहां लगे हैं? इसमें भारत सरकार और राज्य का कितना हिस्सा है?

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वर्ष 2007-08 से लेकर तीन वर्ष और इस चालू वर्ष, 30 जनवरी तक पूरा मिलाकर तकरीबन 1437 मेगावाट की इंस्टाल्ड कैपिसिटी हुई है। माननीय सदस्य ने एक और सवाल पूछा है, इसमें दो फैक्ट्स हैं, एक यह है कि विंड पावर में अब तक जो अचीवमेंट हुई है, वह 2035 मेगावाट है लेकिन वहां केंद्र की तरफ से सोलर में कम है क्योंकि गुजरात प्रांत की अपनी एक स्कीम है जिसमें 958.5 मेगावाट के लिए नीति के तहत पावर परचेज एग्रीमेंट किए हुए हैं। इसके साथ जवाहर लाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन में 20 मेगावाट कैपिसिटी के लिए केंद्र के पास प्रावधान भेजा है, इसे माना गया है और इसका फाइनेंशियल क्लोजर मिड जुलाई 2011 में हो जाएगा। इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरूआत मार्च 2013 तक हो जाएगी। माननीय सदस्य ने पूछा है कि कहां- कहां है, गुजरात में राजकोट, जामनगर और भावनगर, सभी मिलाकर जैसा मैंने पहले कहा है कि 2036 मेगावाट हुआ है।

श्री जगदीश ठाकोर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने चार जगह के बारे में बताया। अभी कुछ महीने पहले मेरे निर्वाचन क्षेत्र पाटन के चारणका गांव में मुख्य मंत्री जी ने 1000 सोलर मेगा पार्क की ओपनिंग की। वहां 400 से शुरू करना है और तीन साल में 1000 मेगावाट उत्पादन करने की बात कही और हजारों की संख्या में लोगों को बुलाया गया। गूढ़खड़ अभयारण्य में यह प्रोजेक्ट नहीं होते हुए भी वहां प्रोजेक्ट लगा। आजादी से पहले पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग चारणका गांव में रहते थे, उन किसानों को खदेड़ा गया, पुलिस के बल पर भगाया गया। वहां पूरा गांव खाली करवाया गया। इस तरह से प्रोजेक्ट लगते हैं, किसानों पर लाठियां चलती हैं, मारा जाता है, अगर ऐसी फरियादें भारत सरकार के सामने आती हैं तो क्या सरकार कुछ करना चाहती है? इसके साथ मैं जानना चाहता हूं कि चारणका के लिए 1000 मेगावाट प्लानिंग की गई है, उसमें भारत सरकार के पास अभी क्या प्लानिंग है?

श्री पवन कुमार बंसल : महोदया, जैसे मैंने गुजारिश की थी कि जो गुजरात का केन्द्र की तरफ से है, वह अलग हटकर है। उसमें गुजरात की तरफ से ज्यादा इंटरैस्ट इस कारण नहीं दिखाया गया, क्योंकि उन्होंने अपनी नीति के तहत वहां काफी रखा हुआ है। उसकी इंफॉर्मेशन मैं इस वक्त नहीं दे सकूंगा। लेकिन उन्होंने अपनी नीति के तहत काफी पावर परचेज एग्रीमैन्ट्स किये हुए हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसमें आप जब रीन्यूएबल इनर्जी का शुरू करते हैं तो जो जैस्टेशन पीरियड है, वह काफी लम्बा होता है। जब आप एक प्रोजैक्ट को टेक अप करते हैं, उसके बाद काफी देर तक अल्टीमेटली उसकी कमीशनिंग वहां से शुरू होती है। लेकिन वहां जो एरियाज ऑफ कंसर्न हैं, वे सभी जगह हैं। लेकिन हमें पता लगा है कि उनके यहां कम होने का कारण यह है कि जो गुजरात की 'गेटको' है, उन्होंने फाइनेन्शियल असिस्टैन्स बहुत चीजों में जो कंस्ट्रक्शन ऑफ इवेकुएशन लाइंस अपटू ए 100 किलोमीटर्स है, उनके लिए वहां से फाइनेन्शियल असिस्टैन्स नहीं है और जो बैंक गारंटी का मामला है, वह एक एडिशनल बर्डन हो जाता है। इसके अलावा जमीन का जो कम्पैनसेशन, मुआवजा वगैरह होता है, वह हमेशा एक इश्यु रहता है और उसके अलावा गुजरात में प्राइवेट जमीन पर बनने के कारण उसमें भी कई दिक्कतें आती हैं। इस कारण समय लग जाता है। लेकिन हमें पूरी आशा है कि सब जगह जल्दी से जल्दी से जो प्रोजैक्ट्स टेक अप हुए हैं, वे हो जाने चाहिए। लेकिन मैं माननीय सदस्य को यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो केन्द्र की तरफ से यहां के प्रोग्राम्स के तहत है, उनमें यहां से किसी बात में देरी नहीं होगी और इस वर्ष और पिछले तीन वर्षों को मिलाकर चालीस करोड़ रुपये से ज्यादा वहां केन्द्र की तरफ से पैसा दिया जा चुका है।

SHRI N.S.V. CHITTHAN : Madam Speaker, it is a known fact that there is a large scope for solar power generation as the sun light is abundant all through the year in our country. To meet the increasing demand of power, our Government has set a target of 20,000 MW of solar energy by 2022 and I hope by that time the demand will be much higher. Instead of allotting the power allocation through reverse bidding, will the Government have a transparent, quality-based policy in solar energy because the Chinese technology is said to be cheap, but not long lasting? Then, in what way our Government will extend further incentives to those who go in for putting up solar power plants in future?

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Madam, motivated by the fact that the Government wishes to encourage renewable energy sources essentially because it is an environment friendly source and this would, in a large way, help in our efforts for energy conservation and energy independence, keeping that in mind, as the hon. Member himself has acknowledged, the Government has launched, a year and two months back, last year on the 11th of January, the National Solar Mission which is, indeed, a very ambitious programme where we do intend to generate 20,000 MW by the year 2022. Under that, there are different phases. Under the first phase, the target till March, 2013 is to set up 1,100 MW Grid connected solar plants as also about 200 MW capacity equivalent Off-Grid solar plants. Today, the projects are actually taken up on BOT mode and thereafter it is, in fact, the States which get into other nitty-gritty of that.

The role of the Government of India under this scheme is to encourage this and we do hope that the process followed would be a transparent one as the hon. Member has said. But I must really compliment the State of Tamil Nadu in this connection as Tamil Nadu is one of the fast moving States as far as tapping renewable sources of energy is concerned.

SHRIMATI MANEKA GANDHI : Madam Speaker, the entire Solar Energy Programme is misdirected. The Government is thinking of raising 20,000 MW of solar power here and there which will never be done. Instead, it takes a simple solution to bring light to India. If you just give me a minute, Madam, I will explain. In Indonesia, all that they did was, they made separate solar lamps with renewable batteries and they gave them to each house. In this country, in a poor man's house, one solar energy lamp will make the difference between a child's home work and illiteracy and between longer hours and will change their whole life. TERI started a programme which they have taken up in 7 villages and the economic wellbeing of those people has gone up almost immediately.

Some State Governments have distributed cycles and that one cycle to a girl child as made the difference between no literacy and literacy. In the same way, instead of talking about 20,000 MW generation, which will never be done in solar energy, let us take non-grid solutions why not simply give one lamp to each poor person's house bring them light and allowing them to grow technologically and materially.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Madam, I agree with part of her suggestion which she said that this is what the Government should do. We note that. That is an important suggestion. I would also say that the Government is already engaged in doing that. I could read out the details as to what are the programmes which are off-grid of these solar energy projects.

But, I would beg to differ with all humility and respect to the hon. Member as far as she says that this 20,000 MW would never come about. We have got to be optimistic. Our programme is realistic and based on that it has been worked out for different phases… (*Interruptions*) If I were to be permitted to say, Phase I is operationalised. Of course, as I said the gestation period takes time. But I can give the details, of that 1,100 MW has been put in place. If the hon. Member, the House and you permit me, Madam, I can even read that out. The 2,000 MW would be by the year 2022; 200 MW by 2013; and here there is a long list. For solar photovoltaic cells, solar street lighting system the Government has the target. The Government is giving subsidy as much as 30 per cent.

Also, in certain cases in rural lighting, etc. the loan from the banks, which is actually refinanced through NABARD, is at an interest rate of up to five per cent. Besides the street lighting system, it is the home lighting system; it is solar lantern; it is SPW power plant; it is solar PV pump, and there are host of those things. You think of what can be done, the Government is at it and to cover the remotest villages, which, of course, you cannot connect to a grid system the only thing necessary is that you take the renewable sources of energy to them and the Government is at it.

DR. SANJEEV GANESH NAIK : Madam, they want to develop the solar power projects, but the banks are providing the finance at a high rate of interest, that is, at

10 per cent to 12 per cent. Is the Government going to give any direction to banks to reduce the interest rate on loan so that people will invest more money in these projects?

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Madam, as I said, in certain cases for rural electrification through these sources, we have alternative sources – the renewable sources – where the loan is granted at a concessional rate of five per cent. But otherwise, the incentives are in the form of fiscal as well as tariffs, which the Government of India is entitled to do from its side. The rest is with the banks because those are commercial ventures also.

We cannot deny the fact that the industrial houses which come into it, those are industrial ventures and there the banks extend that loan on some interest. After all, the money in the banks is not their own money, the banks do not print that money, the banks take the deposits from the people, they pay them the interest on that and therefore, they extend that loan on some interest, which I would not be really very competent to comment upon. But I can certainly say that the Government does wish to promote the renewable sources of energy.

There are a host of incentives again which are: about 90 per cent of the cost of electricity generation system, subject to a pre-specified maximum amount for each technology that is relating to the remotest village electrification at an overall ceiling of Rs.18,000 per household, this is the subsidy given; 100 per cent cost of a single solar PV home lighting system for BPL household; family-type bio-gas plant between Rs.11,700 to Rs. 14,700 per plant for the North-Eastern States, for the plain areas of Assam, up to Rs.10,000, for Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, etc., up to Rs.10,000, and for all other States, up to Rs.8,000. Similarly, in the case of biomass gasifiers, in the case of biomass co-generation plants, urban waste to energy, industrial waste to energy, solar energy systems, there is a subsidy of up to Rs.30, 000 given by the Government of India.

SHRI PREM DAS RAI : Madam Speaker, the Minister has in his reply, and rightly so, said that a mix of financial and fiscal incentives, which include capital

and interest subsidies, of which he had already alluded to, is given for solar technologies which are imported.

My specific question to the hon. Minister through you, Madam, is this. Solar concentrating PV technology has a very high efficiency of 35 per cent to 40 per cent as compared to ordinary PV which is about 17 per cent or even solar thermal which is from 19 per cent to 21 per cent. So the land requirement is actually halved if we use solar concentrating PV technology. But the incentive that is given is the same in both these cases. If we are trying to incentivise technology then why would we not want to give more fiscal incentive or financial incentive for better technology?

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: I would note the recommendation, the suggestion of the hon. Member thankfully.

(Q. No. 222)

श्रीमती ज्योति धुर्वे : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के जवाब में उत्तर दिया है कि आज भी अस्सी प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और कमज़ोर तबका ग्रामीण सुदूर अंचल में रहता है। निश्चित तौर पर उनको ऊपर उठाने के लिए, जो सरकार की योजनाएं हैं, यदि हम देखें तो वे आज भी उन तक नहीं पहुंच पाई हैं। उस का जो लक्ष्य है वर्ष 2008 से लेकर वर्ष 2010 तक, उसमें मैंने जो अंतर देखा है, चाहे वह गैर सरकारी बैंक हों या सरकारी बैंक हों, मैंने दोनों के बीच में अंतर देखा है। उससे निश्चित रूप में ऐसा लगता है कि इन योजनाओं का लाभ आज भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमज़ोर सामान्य वर्ग को नहीं मिल रहा है। इसका क्या कारण है जिसके तहत आज भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भी लोग पिछड़े हुए हैं? चाहे स्वरोजग़ार योजना हो या चाहे प्रधानमंत्री स्वरोज़गार योजना हो, आज भी उससे वे उतने लाभान्वित नहीं हुए हैं, जितना कि उन्हें होना चाहिए।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि विगत तीन वर्षों में जो उनको दिया है उस अंतर को दूर करने में वह कहां तक सक्षम होंगे?

श्री नमो नारायन मीणा: मैडम, मैंने रिप्लाई में माननीय सदस्य को अवगत कराया है कि वर्ष 2008 में एससी, एसटी को दिया गया कुल बकाया ऋण सरकारी क्षेत्र के बैंकों का 33426 करोड़ रुपये था। जैसा कि वीकर सैक्शंस के प्रॉयोरिटी सैक्टर में दस परर्सेंट का टार्गेट है, उसमें 27 परर्सेंट पब्लिक सैक्टर बैंक्स ने दिया है और 13 पर्सेंट प्राईवेट बैंक्स ने दिया है। इसी प्रकार वर्ष 2009 में 29 हजार करोड़ रूपए एसटी, एसटी को दिए गए और 1,755 करोड़ रूपए प्राइवेट सैक्टर बैंक्स ने दिए। डीआरआई स्कीम के तहत वर्ष 2009 में 803 करोड़ रूपए दिए गए। चालीस पर्सेंट का टार्गेट एससी, एसटी के लिए है। उसमें पब्लिक सैक्टर बैंक्स ने 39 पर्सेंट अचीव किया है। इसी प्रकार से जिन दो योजनाओं के बारे में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार और स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना के बारे में माननीय सदस्य ने जो अवगत कराया है, उसमें रिज़र्व बैंक के मास्टर सर्क्युलर के माध्यम से ग्रामीण स्वरोज़गार योजना के लिए हाल ही में उसका 50 पर्सेंट टार्गेट दिया है। अभी तक 14 लाख बेनिफिशरीज़ को उसमें लाभ मिला है, जिसमें से 3 लाख 13 हज़ार एससी, एसटी के बैनीफिशरीज़ थे। शहरी योजना के लिए उसमें 327 करोड़ रुपये दिये गए और उसमें 31 परसेंट एस.सी. और एस.टी. को दिया गया। मैं माननीय सदस्य से इत्तफ़ाक करता हूँ कि जहाँ कहीं भी कुछ कमी रही है, उसके लिए मैंने अपने रिप्लाइ में बताया है कि किस-किस स्टेज पर हम लोगों ने मॉनीटरिंग के लिए प्रीकॉशन्स लिये हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस.सी. और एस.टी. को बैंकों से विभिन्न योजनाओं में कर्ज़ा मिले। प्रधान मंत्री इंप्लॉयमैंट जनरेशन प्रोग्राम में भी सबसिडी का प्रावधान रखा गया है

जिसमें एससी और एसटी शामिल हैं। अर्बन में 25 और रूरल में 35 परसेंट सबसिडी दी गई है और मारजिन मनी भी जनरल कैटागरी से कम रखा गया है। विभिन्न योजनाओं में एस.सी. और एस.टी. को ज्यादा से ज्यादा पैसे दिये जाने का प्रावधान किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदया : दूसरा पूरक प्रश्न पूछिये।

श्रीमती ज्योति धुर्वे : माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे प्रश्न का जवाब मुझे पूरा नहीं मिला। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे दूसरा पूरक प्रश्न पूछने के लिए कहा। माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि आज भी जो आदिवासी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, कमज़ोर तबका है, वे गरीब जब ऋण लेने के लिए बैंक में जाते हैं तो निश्चित ही वह बिचौलियों का शिकार होते हैं। बिचौलियों का शिकार होने के बाद, बैंक में जाने के बाद किसी प्रकार के ऋण की सुविधा उन्हें मिलती भी है, तब बैंक द्वारा जो छूट उस हितग्राही को मिलनी चाहिए, वह बैंक के अधिकारियों और बिचौलियों के बीच बँट जाती है। निश्चित तौर पर यहाँ भी वह अनुसूचित जाति, जनजाति और कमज़ोर वर्ग फिर भी आगे नहीं आ सकता और योजना का लाभ वह जिस हद तक लेना चाहता है, वह लाभ उसे नहीं मिलता है, जो अधिकार उसे मिलना चाहिए। जब बैंक के द्वारा बैंक गारंटी की डिमांड होती है, तो आदिवासी और अनुसूचित जाति, दलितों के पास या कमज़ोर तबके के पास ऐसे बैंक गारंटी के लिए कोई चल या अचल संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं होती है, क्योंकि यदि वह आदिवासी है और दलित है तो उसके पास पट्टे होते हैं जो स्वीकार नहीं किये जाते हैं। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वह पट्टे के माध्यम से योजना का लाभ ले सकता है या यदि भारत सरकार उस योजना का लाभ उन्हें देना चाहती है तो क्या उसे वह बैंक की गारंटी के रूप में लेगी, ताकि उन अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा कमज़ोर वर्गों के लिए हमने जो योजना बनाई है, उस योजना का सीधा-सीधा लाभ उन तक पहुँचे? इसके लिए कोई ठोस कदम यदि माननीय मंत्री जी उठाना चाहते हैं तो मैं उनको धन्यवाद दूँगी कि निश्चित तौर पर उन लोगों के विकास के लिए आज भारत सरकार काम कर रही है और मैं निश्चित ही आपका दिल की गहराई से धन्यवाद दूँगी। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपने प्रश्न पूछ लिया है, अब आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): I appreciate and also encourage the enthusiasm with which the hon. Member put these questions. Her concern is genuine because she feels that the benefits which are intended for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should reach there and there should not be any pilferage or leakage.

She has three questions. First question she raised, why there is difference between public and private sector's lending percentage?

This is simply because; in India more than 75 per cent of the total banking business is controlled by the public sectors. Therefore, in the share of the total disbursement, the public sector must come more as compared to that of the private sector.

The second question which she raised is about the 'collateral security'. In most of these cases, there is no need of collateral security but if there is … (*Interruptions*). Please let me answer. If you know more than me, you can answer in my place! It is not necessary for me to answer. Let me complete my answer.

Yes, there may be some complaints but instead of making any sweeping complaint, if there be any specific complaint, it can be brought to our notice. There are various levels.

At the District level, there a District level Coordination Committee, where the Members of Parliament or their representative can participate in it. At the State level, there is a State level Coordination Committee, State level Bankers' Committee. Even I am myself taking the meetings along with the Chief Ministers and the Finance Ministers and all the banks who are operating in different Zones. Last year I have completed five such meetings. This year also I am going to do this.

Sometimes the complaint comes but it would not be proper to say that there is sweeping complaint. As and when the complaint comes, we shall have to address it.

As regards the third aspect, which is about collateral security, there is no need of collateral security in respect of these cases but if such instances have been brought to our notice, we will take appropriate action.

MADAM SPEAKER: Shrimati Paramjit Kaur Gulshan.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

...(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदयाः बैठ जाइए। गुलशन जी को प्रश्न पूछने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। जो प्रश्न मैंने पूछा था उसका जवाब मुझे नहीं मिला, क्योंकि हमारे मंत्री जी गोल-मोल जवाब देने के लिए इंटेलीजेंट हैं। मैंने पूछा था डिसबर्समेंट, तो जवाब मिला आउटस्टैंडिंग। ...(व्यवधान)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Outstanding means disbursement. … (*Interruptions*)

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन : आउटस्टैंडिंग कब की है, आउटस्टैंडिंग तो तभी होता जब उनको लोन मिले। जब लोन ही नहीं मिलता तब आउटस्टैंडिंग कहां की होगी।

स्पीकर मैडम, एक पंजाबी की कहावत है ''जिसके घर दाने, उसके कमले भी सयाने।'' जो अमीर लोग होते हैं, उनके पास दाने होते हैं, वे बहुत समझदार होते हैं। इन लोगों ने हमारे लोगों को कमले बना दिया, क्योंकि देश को आजाद हुए 64 वर्ष बीत चुके हैं।

अध्यक्ष महोदया : गुलशन जी, आप प्रश्न पूछिए।

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन : हमारे एससी और एसटी लोगों की दशा आज भी वैसी की वैसी है। इसकी जिम्मेवारी किसकी है? इसकी जिम्मेवारी सरकार पर आती है क्योंकि ऐसी कोई विशेष स्कीम इन लोगों के लिए बनायी ही नहीं गई, जिसके चलते इन लोगों की दशा और दिशा बदल जाती या कोई सुधार आ जाता। ।

अध्यक्ष महोदयाः आप प्रश्न पूछिए।

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन : मैडम मैं सवाल ही पूछने जा रही हूं, मुझे सात साल में एक बार प्रश्न पूछने के लिए समय मिला है।

अध्यक्ष महोदयाः आप नोटिस देकर इस विषय पर लंबी चर्चा करवा लीजिए। अभी आप प्रश्न पूछिए।

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन : मैडम, अब तो हमें दिल खोल कर बोलने दो, क्योंकि सात साल में एक बार प्रश्न पूछने की हमारी बारी आई है।

अध्यक्ष महोदयाः गुलशन जी आप नोटिस देकर इस विषय पर लंबी चर्चा करवा लीजिए। अभी आप प्रश्न पूछिए।

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन : यह भी हमारे साथ बेइंसाफी है। हमारे साथ यहां भी वितकरा किया जाता है।..... व्यवधान। जो स्कीमें बनाई जाती हैं, वे इन लोगों तक पहुंचती ही नहीं हैं या फिर इन स्कीम्स के रास्ते बदल दिए जाते हैं जैसे कॉमन वेल्थ गेम्स में एससी, एसटी की जो ग्रांट थी, वह बदल दी, इसलिए ये लोग गरीब रह जाते हैं। भूखे पेट कोई इंसान समझदार नहीं हो सकता। मैडम, एससी-एसटी को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए अगर सरकार ब्याज रहित और बिना कोलेट्रल सिक्यूरिटी निर्विघन ऋण दे, तब इन्हें सरकार की स्कीमों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैंने 8 मार्च का ट्रिब्यून पढ़ा है, उसमें एक रिपोर्ट छपी है। चूंकि यहां पूरा पढ़ कर सुनाने का समय नहीं है, फिर भी उसकी दो लाइनें पढ़ रही हूं - "Small and medium business can get loans up to Rs. 10 lakh without collateral security. However, most banks have failed to abide by this guideline. "

कारपोरेट हाउसेज़ के लिए लाखों करोड़ रूपए क ऋण दिया जाता है, सब्सीडी दी जाती है। उनका ऋण भी माफ कर दिया जाता है, लेकिन एक गरीब को सिर्फ 15 हजार रुपए चार परसेंट ब्याज पर मिलते हैं। मंत्री जी ने कहा है कोलेट्रल सिक्योरिटी मांगते ही नहीं हैं। मैडम, उन्हें बैंक में एंटर ही नहीं करने दिया जाता है, बाकी बातें तो बाद की हैं। हम ज़मीनी लोग हैं, हम ज़मीन की रिएलिटी जानते हैं। जो लोग बिल बनाते हैं, स्कीम्स बनाते हैं, ये ए.सी. कमरों में बैठ कर बनाते हैं। हम उन लोगों में बैठते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी रिएलिटी जानते हैं। वे लोग चक्कर काट-काट कर थक जाते हैं।

अध्यक्ष महोदया : आपने अभी तक अपना प्रश्न नहीं पूछा है। कृपया प्रश्न पूछिए।

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन : महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि तीन सालों में सरकारी बैंकों ने कारपोरेट हाउसेज़ को कितना ऋण दिया है, कितनी सब्सीडी दी है और कितना लोन राइट आफ किया है तथा किन-किन को ईयर वाइज और कम्पनी वाइज दिया है, इसका ब्योरा दिया जाए।

MADAM SPEKER: Mr. Minister, you may reply only one part of her question.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, I do not blame her because she is claiming that for the last seven years, she is speaking for the first time. So, instead

of Question Hour, she could have chosen any debate where she could make her speech fully.

But in respect of last part of her question, which she wanted to know, a separate notice is needed. The question relates to the outstanding. So far as the outstanding is concerned, the loan which has been given to them and which has not been paid back is treated as outstanding. Therefore, it is not that 'the loan has not been paid and how could it be outstanding.'

Out of all the rhetorics, two substantive parts have emerged. First is, whether there is any requirement of the collateral security. Then, the question, which comes more than often is that because of being the tribals, they do not enjoy the individual property rights. Therefore, the second part is, even if they have property, whether that can be treated as a collateral security.

All these issues have been addressed. The question is of compliance. If there is no compliance, as I already stated in response to the earlier Supplementary that specific complaints will be addressed; and about the companies as to how many they are, how much they have given as loans and what the outstanding is, the hon. Member can give a separate notice; and I would give the answers.

DR. K.S. RAO : It is known to everyone of us that the banks can play a vital role in changing the living standards of the people, more particularly the poorer sections of the society. It is possible only if they identify the right borrowers, provide them the loans and recycle it frequently.

I am happy that Rs. 2,12,000 crore have been disbursed only to the weaker sections of the society. But I am of the opinion that if the Schedule Castes, the Scheduled Tribes and other weaker sections of the people were to be provided skill, then all this money could be put to better use; and they can also improve their income and living standards.

Therefore, I wish to know from the hon. Minister whether he would instruct the banks or make it mandatory for all the banks to run more training institutes to provide skills, depending upon the local area needs, to all those weaker sections of the society and then link them up to the bank loans so that they can really change

their living standards without which all this money might go waste. I also wish to know from the hon. Minister whether he is thinking in terms of increasing the percentage of loans to these weaker sections of the society?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: So far as the current percentage is concerned, it is 10 per cent of the Priority Sector Lending.

So far as the question of providing training is concerned, there is a massive skill development training programme being conducted through the NSDC. I will give some details just after an hour or so, when I will be replying to the debate on the General Budget because this issue was raised extensively by some Members and I will respond to that. So, the hon. Member can wait for that. I will explain what has been done to develop the scheme.

One point I would like to emphasize is regarding whether the benefits are reaching or not, please look at the development of the Self-Help Groups which are formed substantially by the women, and with the help of bank finances, how in a small way without having any high technological applications, they are improving their conditions. Regarding the scheme of providing assistance, we shall have to keep in mind the total amount which we get. The banks' monies do not come from the Plan. It comes from the depositors. Of that, they have to maintain certain percentage for the statutory requirement, SLR and CRR. After that, of the amount available, which is being provided for providing loans and advances, 40 per cent of them have been earmarked for priority sector lending. Of that 40 per cent, 10 per cent goes to the weaker sections of the society and 18 per cent is provided to the agricultural sector.

There is a provision for the small and medium enterprises. The Scheduled Caste and Scheduled Tribe people are coming within the component of the weaker sections. One per cent of the total advance of the banks is provided under Differential Interest Rate (DRI). The DRI loan is substantially going to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people. I know there is a shortfall. Many of the banks have not reached the target of one per cent and we are asking the banks to fulfil that target.

श्री दारा सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। मैंने इस महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर को देखा है, मैं माननीय मंत्री जी से इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने एससी, एसटी और कमजोर वर्गों को रियायत देने की बात कही है। मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूं कि 63 सालों से एससी, एसटी और कमजोर वर्गों की बेहतरी के लिए, उनके ऋण के लिए आपने व्यवस्था की है, लेकिन आज भी उनकी हालत वैसी ही है। वे कमजोर इसलिए हैं, क्योंकि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। आपने इसमें दर्शाया है कि हम उनकी मदद करेंगे।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में जो गरीब एससी, एसटी के बच्चे हैं, कमजोर वर्ग के जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, आज जब वे बैंक में शिक्षा ऋण लेने जाते हैं तो उन्हें बहुत परेशान किया जाता है। उनसे इतनी गारंटी मांगी जाती है, इतनी फोरमेलिटी कराई जाती है कि वे बेचारे हताश हो जाता हैं। वे शिक्षा की इच्छा रखते हुए भी पढ़ नहीं पाते हैं। बैंक से वे लोन नहीं ले पाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैंने एक बार सिफारिश की थी, क्योंकि एक गरीब बच्चा उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता था। वह बैंक में अपना घर, अपनी पूरी प्रोपर्टी रखना चाहता था। उसने कहा कि मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो मैं बैंक को कैसे रिटर्न दूंगा। बैंक चाहता है कि उसे पैसा वापस चाहिए, मैं घर लेकर क्या करूंगा। मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके हस्तक्षेप के बाद उस बच्चे को लोन मिला।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एससी, एसटी या कमजोर वर्ग के जो बच्चे हैं, जो उच्च शिक्षा ग्रहण करके आगे जाना चाहते हैं, क्या आप उन्हें जीरो परसैंट ब्याज पर जीरो गारंटी पर एवं बिना किसी गारंटी के उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोन की व्यवस्था करेंगे?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, up to Rs.2 lakh there is no question of charging any collateral security. … (*Interruptions*)

I know somewhere sometimes some aberrations take place but aberrations are not the rule. The practice is that there should not be any aberration and whenever the aberrations are brought to their notice-- that is why I said that there are different levels where the interaction can take place between the common people, the State Governments and bank authorities-- these issues are to be addressed through them. There are 87600 branches all over the country – I am talking of the public sector bank branches alone. If I take private sector and foreign banks also, the number would be nearly one lakh. It is not possible for anybody sitting in Delhi, howsoever powerful he may be, to control to these 87600

bank branches all over the country. That is why, at different levels like State level, district level and ultimately at the Reserve Bank level, which monitors these things, this has been worked out.

The Ministry of Finance, Department of Financial Services and Banking is also looking into it. The provision is that up to Rs.2 lakh, they should not be charged. For the meritorious students' mere admission for higher education – technical and others – on the basis of admission certificate to the course in which they are admitted, they are getting the loan. The outstanding loan amount right now is more than Rs.25,000 crore. This amount has gone to the students. I would also say that there is a gap between what we require and what we are in a position to give. That is the reality.

अध्यक्ष महोदया : ऑनरेबल मैम्बर्स, चूंकि यह विषय बहुत गम्भीर है,

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा कराई जाए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। आप बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। आप बैठ जाइए।

मैं यही कह रही हूं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए, स्वरोजगार के लिए और अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए जो ऋण दिया जाता है, वह ठीक से मिलना चाहिए ।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप जरा शान्त रहिए।

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया बैठ जाइए।

इसलिए सबको चिन्ता है। पूरे सदन को चिन्ता है। अगर आप इस पर नोटिस देंगे, तो हम इस पर विस्तार से चर्चा करा लेंगे।

* Not recorded

(Q. No. 223)

SHRI MANICKA TAGORE : What are the steps taken by the Government of India to improve the service and functioning of the Central Government Health Scheme?

SHRI GHULAM NABI AZAD: The Government of India, Ministry of Health has taken a number of steps during the past two or three years to improve the service and functioning of the CGHS dispensaries in Delhi and across the country. I would like to mention a few of them. The most important is the computerization of CGHS dispensaries. It has been completed recently, as a result of which, it has brought transparency and accountability. Now it is possible to monitor demand, supply and consumption and also inventory management of the drugs has also improved.

Accreditation of private hospitals and dispensaries, because we do not have enough of dispensaries across the country, is taking place. It is a must, so that the beneficiaries can have access to these private hospitals and dispensaries.

CGHS has written to all these private hospitals and dispensaries to obtain NABH and NABL accreditation, which is important for authenticity and also ensures that it is at par with the best of the institutes. We have also started holding of Claim Adalats and regular holding of Advisory Committees, setting up helplines, simplyfing our referral system and reimbursement. We have also started health check-ups of above 40 years in Delhi, outsourcing of dental services, decentralisation and delegation of powers and engagement of a bill clearing agency through UTI. This was one of the most troublesome problems. It was very difficult. Once the people would go to the private institutions and if the private institutions were not paid on time by the CGHS, they would refuse to be empanelled next time. So, now the Government is depositing money with UTI in advance and UTI will transfer money to these private institutions and dispensaries through e-claim settlement. We have also started outsourcing of sanitation services in dispensaries, appointment of authorised local chemists and, as I said in the beginning, empanelment of hospitals and diagnostic centres. We have also started,

to overcome shortage of doctors, the appointment of General Duty Medical Officers on contractual basis and also removal of provision of Essentiality Certificate for claiming medical reimbursement. So, these are, I have mentioned few of them, the steps which have been taken by the Government of India to streamline CGHS.

SHRI MANICKA TAGORE : Madam Speaker, as we know, dispensaries are limited in number, as a result of which most of the Central Government serving and retired employees are suffering. At present, only 23 CGHS Centres are operational. So, I would like to know from the hon. Minister whether there is any proposal before the Government for opening more centres of CGHS in the country. Even in the State of Tamil Nadu, there is only one such centre in Chennai. Is there any proposal to start one in Madurai also?

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, we have these centres only in 25 cities across the country. In these 25 cities, there are 244 allopathic dispensaries, 85 AYUSH dispensaries, 369 hospitals and 147 diagnostic centres.

As the hon. Member said in the beginning, not many beneficiaries, be it the serving Central Government employees or the retired Central Government employees, are getting the benefit. This is true. Except for the Railways and the Defence Forces, the total number of serving Central Government employees is about 17 lakh and only 5.5 lakh, which comes to about 32 per cent, are getting benefit out of the CGHS dispensaries. Even in so far as the retired Central Government employees are concerned, pensioners are concerned, they are about eight lakh and only 2.9 lakh, which comes to about 37 per cent, are getting benefit through the CGHS dispensaries. So, I realize that the problem is there, but the Central Government employees also have Central Services (Medical Attendance) Rules under which the private hospitals are recognized for in-patient treatment and private doctors are appointed as Medical Attendants for OPD treatment, but this scheme is only for the serving Central Government employees So, it is not possible for us to overstretch. We have already overstretched during the past 57 years. As a matter of fact, initially, in 1954, this scheme was envisaged only for

Delhi, but over a period of time, in these past 57 years, almost every third or fourth year one city has been added and the last city was added in 2007. Now, we have decided not to add any more cities. It is not possible to open any new centre because of overstretching as a result of which we are not able to provide good facilities, and there is also non-availability of doctors.

MADAM SPEAKER: Shrimati Sushila Saroj -- not present.

Shri Hukmadeo Narayan Yadav.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : महोदया, इस देश के गांवों में गरीब मजदूर, पिछड़े, दलित ऐसे हजारों लोग हैं, जो डॉक्टर को देखने के लिए तरसते रहते हैं। भगवान मिलना सुलभ है, लेकिन डॉक्टर मिलना दुर्लभ है। जब डॉक्टर ही नहीं मिलता तो दवा कहां से मिलेगी और जब दवा नहीं मिलेगी तो वह क्या करेगा? आप यह समझ लीजिये कि मौत भी मिलेगी तो कफन नहीं मिलेगा। इस देश में जो आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज हैं या आयुर्वेद का इलाज है, यूनानी इलाज है या देसी पद्धति से इलाज है, जो गांव में सहज-सुलभ तरीके से उपलब्ध होता था आप उस देसी पद्धति से इलाज करने वाले लोगों को शिक्षित करने के लिए, उन्हें रोजगार देने के लिए, उन्हें नियुक्त करने के लिए और उन्हें अधिक से अधिक संख्या में डिस्पेंसरीज और औषधालयों में नियुक्ति दिलाइये। इससे गांव के असली लोगों को, परम्परागत वैद्य शास्त्र के जो पंडित लोग हैं, उनके परिवार के लोगों को रोजगार मिल सकेगा और गांव के लोगों को इलाज सरल-सुलभ हो सकेगा, क्या आप इस बारे में सोचेंगे?

श्री गुलाम नबी आज़ाद : मैडम, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और हम सोचेंगे नहीं, हम सोच लिए हैं और कर रहे हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में केन्द्रीय सरकार की तरफ से हर साल 15 हजार करोड़ रूपए राज्य सरकारों को इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सब-डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, सब सेंटर पर, जहां केंद्रीय सरकार की तरफ से ज्यादा डाक्टर्स, जिसे राज्य सरकारें नहीं दे पाती हैं, जहां कमी है, वहां कांट्रैक्चुअल एप्वाइंट पर रखने का प्रावधान है। उसके साथ-साथ ही आयुष के डाक्टर्स, चाहे वह आयुर्वेद के हों, यूनानी के हों, सिद्धा के हों, इन डाक्टर्स को लगाने का भी प्रावधान है। सबसे बड़ी चीज यह हुयी है कि जहां-जहां भी ये नयी डिस्पेंसरीज, जिनके लिए केंद्रीय सरकार पैसा देती है, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट, सब-डिस्ट्रिक्ट्स, सीएचसी या प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, वहां उसी बिल्डिंग के अंदर, नयी बिल्डिंग के अंदर, आयुष, आयुर्वेद, यूनानी या सिद्धा, क्योंकि अलग-अलग जगहों पर ये डिस्पेंसरीज हैं, उसका प्रावधान भी रखा गया है, जिसको हम को-एलोकेशन कहते हैं। हमारी तरफ से राज्य सरकारों को सख्त हिदायत है कि जो नयी बिल्डिंग्स बनीं और जो बन रही हैं, उनमें को-

एलोकेशन जरूर होना चाहिए, ताकि जब डिस्पेंसरी में कोई भी मरीज जाए, उसके पास दोनों किस्म की दवाइयां उसी एक छत के नीचे मौजूद होनी चाहिए, आयुर्वेद भी और यूनानी भी। पिछले पांच सालों में एक लाख से ज्यादा कांट्रैक्चुअल एप्वाइंटमेंट्स केंद्रीय सरकार के पैसे के द्वारा इन डिस्ट्रिक्ट्स और सब-डिस्ट्रिक्ट्स में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हुयी हैं। इसमें तकरीबन एक तिहाई यूनानी और आयुर्वेद के डाक्टर्स भी है।

(Q. No. 224)

SHRI P.C. GADDIGOUDAR : Madam Speaker, in our Karnataka State, the World Kannada Conference is going on. Therefore, I requested you to permit me to speak in Kannada. I have been given that opportunity and I extend my hearty thanks to you for the same.

*Madam Speaker, in Karnataka right now we are having World Kannada Meet at Belagavi, therefore I have requested you to allow me to speak in Kannada. I extend my thanks to you for allowing me. Madam, it is a matter of great concern that the number of children with diabetes, particularly school going children, is on the rise at a fast pace. Hon'ble Minister in his reply said that it was due to changing food habits as our children are eating junk food, fatty food and also due to lack of physical activity.

Madam Speaker, on the one hand we are saying that we are very much concerned about the health of our children as they are the future of our country.

MADAM SPEAKER: Please ask your question. Since there is little time left, you should give the Minister time to reply to your question.

*SHRI P.C. GADDIGOUDAR : Hon'ble Minister in his reply has mentioned that the process of registering the persons with diabetes among all age groups including children is still on as carried out by the Indian Council of Medical Research. At the same time the National Rural Health Mission has initiated a health care programme for school going children.

Madam, through you I would like to know from the Hon'ble Minister whether the Government is going to introduce a uniform programme or enact a law involving the ministries of Health, Human Resources Development and Law to take care of health and the well being of our children as it is the need of the hour.

---

* English translation of the speech originally delivered in Kannada

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, insofar as diabetes is concerned, most unfortunately, our country is going to be the diabetes capital of the world. That is why I said, 'most unfortunately'. We have been getting warnings from WHO from time to time. They are giving us the numbers. But notwithstanding that, when we got the last warning last year, I thought that we should not depend on foreign countries for monitoring and surveillance and that we should start on our own in our country. So, we have got a scheme approved by the Cabinet. Under this scheme, under a pilot project, 100 districts in 21 States across the country have been chosen where the screening of general public above the age of 30, and pregnant women of all age groups, will be screened. They have also selected about 33 cities with a population of above one million across the country. Of course, in the cities, people in slum areas only will be screened. In both these 100 districts and 33 cities, we will be screening about 15-crore people in one year. This will be the largest scheme that any country across the globe has ever started. In the Twelfth Five-Year Plan, we would like to screen the people in the entire country.

In the meanwhile, it has come to our notice that diabetes has also started increasing among the children. So, we would like to start a pilot project and complete it in another six months time. We have chosen six districts – one from Southern India, one from Northern India, one from Eastern India, and one from Central India. We would like to know the profile of the entire country. And we would like to screen all school-going students. So, I think within six months we will come to know the profile of the children with regard to prevalence of diabetes among the children; and within one year we will come to know the profile of the entire country, about the pregnant women of all age groups, and men and women above the age of 30 years.

12.00 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now, papers to be laid on the Table of the House.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants of the Parliament, Secretariats of the President and Vice-President for the year 2011-2012.

(2) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Finance for the year 2011-2012.

(3) Outcome Budget of the Ministry of Finance for the year 2011-2012.

[Placed in Library, see No. LT 4074/15/11]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): On behalf of Shri P. Chidambaram, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants (Vol. I) of the Ministry of Home Affairs for the year 2011-2012.

(2) Detailed Demands for Grants (Vol. II) of the Ministry of Home Affairs (Union Territories without Legislature) for the year 2011-2012.

[Placed in Library, see No. LT 4075/15/11]

(3) Outcome Budget of the Ministry of Home Affairs for the year 2011-2012.

[Placed in Library, see No. LT 4076/15/11]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI PRADEEP JAIN): On behalf of Shri Vilasrao Deshmukh, I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Rural Development for the year 2011-2012.

[Placed in Library, see No. LT 4077/15/11]

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Health and Family Welfare for the year 2011-2012.

[Placed in Library, see No. LT 4078/15/11]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Regional Institute of Medical Science, Imphal, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

[Placed in Library, see No. LT 4079/15/11]

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) of the Regional Institute of Medical Science, Imphal, for the year 2009-2010.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI M. VEERAPPA MOILY): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 28 of the Representation of People Act, 1950:-

(i) The Registration of Electors (Second Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. S.O. 426(E) in Gazette of India dated the 23rd February, 2011.

(ii) The Registration of Electors (Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. S.O. 244(E) in Gazette of India dated the 3rd February, 2011, together with a corrigendum thereto published in Notification No. S.O. 306(E) dated the 9th February, 2011.

[Placed in Library, see No. LT 4080/15/11]

(2) A copy of the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 2011 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O. 425(E) in Gazette of India dated the 23rd February, 2011, under sub-section (3) of Section 169 of the Representation of the People Act, 1951.

[Placed in Library, see No. LT 4081/15/11]

(3) A copy of the Notification No. H-11019/12/2010-Leg. II (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 21st January, 2011, regarding declaration of 25th January of every year as "National Voters' Day".

[Placed in Library, see No. LT 4082/15/11]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies, New Delhi, for the year 2008-2009.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

[Placed in Library, see No. LT 4083/15/11]

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies, New Delhi, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies, New Delhi, for the year 2009-2010.

(7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

[Placed in Library, see No. LT 4084/15/11]

(8) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Law and Justice for the year 2011-2012.

[Placed in Library, see No. LT 4085/15/11]

(ii) Outcome Budget of the Ministry of Law and Justice for the year 2011-2012.

[Placed in Library, see No. LT 4086/15/11]

THE MINISTER OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI SUBODH KANT SAHAY): I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Tourism for the year 2011-2012.

[Placed in Library, see No. LT 4087/15/11]

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया): अध्यक्ष महोदया, मैं वर्ष 2011-2012 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, see No. LT 4090/15/11]

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of New and Renewable Energy for the year 2011-2012.

[Placed in Library, see No. LT 4088/15/11]

(2) Outcome Budget of the Ministry of New and Renewable Energy for the year 2011-2012.

[Placed in Library, see No. LT 4089/15/11]

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): On behalf of Shri Salman Khursheed, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Notification No. G.S.R. 53(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 28th January, 2010, adding new clauses in the Inter-State River Water Dispute Rules, 1959 regarding retirement age of Assessors in the Inter-State River Water Dispute Tribunals issued under Section 13 of the Inter State Water Disputes Act, 1956.

[Placed in Library, see No. LT 4091/15/11]

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Minority Affairs for the year 2011-2012.

[Placed in Library, see No. LT 4092/15/11]

(ii) Outcome Budget of the Ministry of Minority Affairs for the year 2011-2012.

[Placed in Library, see No. LT 4093/15/11]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SHRI DINSHA PATEL): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Miners' Health, Nagpur, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) of the National Institute of Miners' Health, Nagpur, for the year 2009-2010.

[Placed in Library, see No. LT 4094/15/11]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Rock Mechanics, Kolar Gold Fields, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) of the National Institute of Rock Mechanics, Kolar Gold Fields, for the year 2009-2010.

[Placed in Library, see No. LT 4095/15/11]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SRIKANT JENA): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Brahmaputra Cracker and Polymer Limited, Dibrugarh, for the year 2009-2010.

(ii) Annual Report of the Brahmaputra Cracker and Polymer Limited, Dibrugarh, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, see No. LT 4096/15/11]

(b) (i) Review by the Government of the working of the Hindustan Fertilizer Corporation Limited, New Delhi, for the year 2009-2010.

(ii) Annual Report of the Hindustan Fertilizer Corporation Limited, New Delhi, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, see No. LT 4097/15/11]

(2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, S.A.S. Nagar, for the year 2009-2010, together with Audit Report thereon.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, see No. LT 4098/15/11]

(5) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Chemicals and Fertilizers for the year 2011-2012.

[Placed in Library, see No. LT 4099/15/11]

(ii) Outcome Budget of the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers for the year 2011-2012.

[Placed in Library, see No. LT 4100/15/11]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sardar Vallabhbhai Patel Institute of Textile Management, Coimbatore, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) of the Sardar Vallabhbhai Patel Institute of Textile Management, Coimbatore, for the year 2009-2010.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, see No. LT 4101/15/11]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Synthetic and Art Silk Mills' Research Association, Mumbai, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) of the Synthetic and Art Silk Mills' Research Association, Mumbai, for the year 2009-2010.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, see No. LT 4102/15/11]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Silk Board, Bangalore, for the year 2009-2010.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Silk Board, Bangalore, for the year 2009-2010, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) of the Central Silk Board, Bangalore, for the year 2009-2010.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, see No. LT 4103/15/11]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Wool and Woollens Export Promotion Council, Jodhpur, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) of the Wool and Woollens Export Promotion Council, Jodhpur, for the year 2009-2010.

[Placed in Library, see No. LT 4104/15/11]

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Wool Research Association, Thane, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) of the Wool Research Association, Thane, for the year 2009-2010.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

[Placed in Library, see No. LT 4105/15/11]

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Carpet Export Promotion Council, Noida, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) of the Carpet Export Promotion Council, Noida, for the year 2009-2010.

(12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

[Placed in Library, see No. LT 4106/15/11]

(13) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the Birds Jute and Exports Limited, Kolkata, for the year 2009-2010.

(ii) Annual Report of the Birds Jute and Exports Limited, Kolkata, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(14) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

[Placed in Library, see No. LT 4107/15/11]

(15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Wool Development Board, Jodhpur, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) of the Central Wool Development Board, Jodhpur, for the year 2009-2010.

(16) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (15) above.

[Placed in Library, see No. LT 4108/15/11]

(17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Man-Made Textiles Research Association, Surat, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) of the Man-Made Textiles Research Association, Surat, for the year 2009-2010.

(18) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (17) above.

[Placed in Library, see No. LT 4109/15/11]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI): On behalf of Shri S.S. Palanimanickam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Notification No. S.O. 2978(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 20th December, 2010, regarding call in from circulation the coins of the denomination of 25 paise and below, issued from time to time, with effect from June 30, 2011, and from this date, these coins shall cease to be a legal tender for payment as well as on account. The procedure for call in shall be notified separately by the Reserve bank of India, issued under Section 15A of the Coinage Act, 1906.

[Placed in Library, see No. LT 4110/15/11]

(2) A copy of the Coinage of the One Hundred Fifty Rupees and Five Rupees coined to Commemorate the occasion of "INCOME TAX-150 YEARS OF BUILDING INDIA' Rules, 2011 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 94(E) in Gazette of India 15th February, 2011, under sub-section (3) of Section 21 of the Coinage Act, 1906.

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962:-

[Placed in Library, see No. LT 4111/15/11]

(i) The Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback (Amendment) Rules, 2011, published in Notification No. G.S.R. 80(E) in Gazette of India 10th February, 2011, together with an explanatory memorandum.

(ii) G.S.R. 81(E) published in Gazette of India dated the 10th February, 2011, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 84/2010-Cus., (N.T.) dated 17th September, 2010.

(iii) G.S.R. 977(E) published in Gazette of India dated the 15th December, 2010, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 97/2009-Cus., dated 11th September, 2009.

(iv) S.O. 2850(E) published in Gazette of India dated the 26th November, 2010, together with an explanatory memorandum regarding rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* of the purpose of assessment of imported and export goods.

(v) S.O. 2784(E) published in Gazette of India dated the 15th November, 2010, together with an explanatory memorandum regarding revision of Tariff Value on Crude Palm Oil, RBD Palm Oil, Others-Palm Oil, Crude Palmolein, Brass Crap (all grades) and Poppy Seeds, based on international prices.

(vi) S.O. 2870(E) published in Gazette of India dated the 30th November, 2010, together with an explanatory memorandum regarding revision of Tariff Value on Crude Palm Oil, RBD Palm Oil, Others-Palm Oil, Crude Palmolein, Brass Crap (all grades) and Poppy Seeds, based on international prices.

(vii) S.O. 2940(E) published in Gazette of India dated the 15th December, 2010, together with an explanatory memorandum regarding revision of Tariff Value on Crude Palm Oil, RBD Palm Oil, Others-Palm Oil, Crude Palmolein, Brass Crap (all grades) and Poppy Seeds, based on international prices,.

(viii) S.O. 3054(E) published in Gazette of India dated the 29th December, 2010, together with an explanatory memorandum regarding rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* of the purpose of assessment of imported and export goods.

[Placed in Library, see No. LT 4112/15/11]

(ix) S.O. 3078(E) published in Gazette of India dated the 31st December, 2010, together with an explanatory memorandum regarding revision of Tariff Value on Crude Palm Oil, RBD Palm Oil, Others-Palm Oil, Crude Palmolein, Brass Crap (all grades) and Poppy Seeds, based on international prices.

(x) S.O. 77(E) published in Gazette of India dated the 14th January, 2011, together with an explanatory memorandum regarding revision of Tariff Value on Crude Palm Oil, RBD Palm Oil, Others-Palm Oil, Crude Palmolein, Brass Crap (all grades) and Poppy Seeds, based on international prices.

(xi) S.O. 176(E) published in Gazette of India dated the 27th January, 2011, together with an explanatory memorandum regarding rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian

currency or *vice-versa* of the purpose of assessment of imported and export goods..

(xii) S.O. 197(E) published in Gazette of India dated the 31st January, 2011, together with an explanatory memorandum regarding revision of Tariff Value on Crude Palm Oil, RBD Palm Oil, Others-Palm Oil, Crude Palmolein, Brass Crap (all grades) and Poppy Seeds, based on international prices.

(xiii) S.O. 108(E) published in Gazette of India dated the 24th February, 2011, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 208/1977-Cus., dated 1st October, 1977.

(xiv) G.S.R. 742(E) published in Gazette of India dated the 9th September, 2010, together with an explanatory memorandum declaring customs airports at Delhi and Sahar, Mumbai (Bombay) to be the "customs airports".

(xv) G.S.R. 743(E) published in Gazette of India dated the 9th September, 2010, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2009-Cus., (N.T.) dated 17th March, 2009,.

(xvi) G.S.R. 908(E) published in Gazette of India dated the 9th September, 2010, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 15/2002-Cus., (N.T.) dated 7th March, 2002.

(xvii) The Handling of Cargo in Customs Areas Amendment Regulations, 2010 published in Notification No. G.S.R. 909(E) in Gazette of India dated the 12th November, 2010, together with an explanatory memorandum.

[Placed in Library, see No. LT 4113/15/11]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 29 of Regional Rural Bank Act, 1976:-

(i) The Shreyas Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. PMH-30/3065/2010 in Gazette of India dated 1st November, 2010.

(ii) The Saurashtra Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. F. No. S.G.B.H.O. Per. 38 in Gazette of India dated 13th September, 2010.

(iii) The Surguja Kshetriya Grameena Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. 264 in Gazette of India dated 21st October, 2010.

(iv) The Punjab Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. HO:HRD/2010/2852 in Gazette of India dated 6th October, 2010.

(v) The Wainganga Krishna Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. 260 in Gazette of India dated 16th October, 2010.

(vi) The Pragathi Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. BPGB 10 in Gazette of India dated 6th October, 2010.

(vii) The Andhra Pradesh Grameena Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. 241 in Gazette of India dated 22nd September, 2010.

(viii) The Vidharbha Kshetriya Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. F. No. V.K.G.B. 10 in Gazette of India dated 24th September, 2010.

(ix) The Maharashtra Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. 40 in weekly Gazette of India dated 8th October, 2010.

(x) The Rajasthan Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. 304 in Gazette of India dated 15th November, 2010.

(xi) The Baroda Gujarat Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. BGGB/10 in Gazette of India dated 26th October, 2010.

(xii) The Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. 45 in weekly Gazette of India dated 12th November, 2010.

(xiii) The Cauvery Kalpatharu Grameena Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. C.K.G.B/2010 in Gazette of India dated 29th October, 2010.

(xiv) The Chikmagalur Kodagu Grameena Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. 46 in weekly Gazette of India dated 19th November, 2010.

(xv) The Jharkhand Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. 46 in Gazette of India dated 19th November, 2010.

(xvi) The Neelachal Gramya Bank (Officers and Employees) Service Regulation, 2010 published in Notification No. 46 in Gazette of India dated 19th November, 2010.

(xvii) The Paschim Banga Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. 255 in Gazette of India dated 11th October, 2010.

(xviii) The Visveshvaraya Grameena Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. V.G.B./2010 in Gazette of India dated 29th October, 2010.

(xix) The Deccan Grameena Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. 261 in Gazette of India dated 16th October, 2010.

(xx) The Saptagiri Grameena Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. 268 in Gazette of India dated 21st October, 2010.

(xxi) The Pallavan Grama Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. 266 in Gazette of India dated 21st October, 2010.

(xxii) The Ellaquai Dehati Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. 292 in Gazette of India dated 6th November, 2010.

(xxiii) The Durg Rajnandgaon Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. 290 in Gazette of India dated 6th November, 2010.

(xxiv) The Dena Gujarat Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. 262 in Gazette of India dated 16th October, 2010.

(xxv) The Jhabua Dhar Kshetriya Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulation, 2010 published in Notification No. 45 in weekly Gazette of India dated 12th November, 2010.

(xxvi) The Puduvai Bharathiar Grama Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. 265 in Gazette of India dated 21st October, 2010.

(xxvii) The Chaitanya Godavari Grameena Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. Lr. No. 099/3/G/27/62 in Gazette of India dated 30th October, 2010.

(xxviii) The Bihar Kshetriya Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. 281 in Gazette of India dated 30th October, 2010.

(xxix) The Mahakaushal Kshetriya Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. 267 in Gazette of India dated 21st October, 2010.

(xxx) The Samsatipur Kshetriya Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. 44 in weekly Gazette of India dated 5th November, 2010.

(xxxi) The Allahabad UP Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. 330in Gazette of India dated 20th December, 2010.

[Placed in Library, see No. LT 4114/15/11]

(5) A copy of the Debts Recovery Tribunal (Procedure for Appointment as Presiding Officer of the Tribunal) Amendment Rules, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 3(E) in Gazette of India dated 5th January, 2011, under sub-section (3) of Section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, together with an explanatory memorandum.

[Placed in Library, see No. LT 4115/15/11]

(6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 38 of the Central Excise Act, 1944:-

(i) G.S.R. 102(E) published in Gazette of India dated 18th February, 2011, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 45/2001-C.E. (N.T.) dated 26th June, 2001.

(ii) G.S.R. 96(E) published in Gazette of India dated 17th February, 2011, together with an explanatory memorandum exempting goods manufactured at the site of construction for use in construction work at such site during the period 1st March, 2006 to 6th July, 2009 from the duty of Excise leviable thereon, subject to certain conditions.

[Placed in Library, see No. LT 4116/15/11]

(7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 77 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985:-

(i) S.O. 2799(E) published in Gazette of India dated the 18th November, 2010, together with an explanatory memorandum notifying eight manufacturers, mentioned therein, to import morphine, codeine, thebaine and their salts for of products to be exported, or importing small quantities of morphine, codeine and thebaine and their salts not exceeding a total of 1 kilogram during a financial year for analytical purposes.

(ii) S.O. 2800(E) published in Gazette of India dated the 18th November, 2010, together with an explanatory memorandum appointing Director General, Narcotics Control Bureau to exercise powers specified in rule 67D and sub-rule (1) of rule 67E of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985.

(iii) S.O. 2801(E) published in Gazette of India dated the 18th November, 2010, together with an explanatory memorandum appointing the Narcotics Commissioner, Central Bureau of Narcotics to exercise powers specified in sub-rule (2) of rule 67E of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985.

[Placed in Library, see No. LT 4117/15/11]

(8) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under sub-section (5) of Section 5 of the Central Sales Tax Act, 1956:-

(i) S.O. 2977(E) published in Gazette of India dated the 20th December, 2010, together with an explanatory memorandum specifying M/s Aryan Cargo Express (P) and Deccan Cargo and Express Logistics Pvt. Ltd. as “Designated Indian carrier”.

(ii) S.O. 2710(E) published in Gazette of India dated the 4th November, 2010, specifying Spicejet for declaration as "designated Indian carrier" for the purpose of the said sub-section of Section 5.

[Placed in Library, see No. LT 4118/15/11]

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Empowered Committee of State Finance Ministers, New Delhi, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Annual Review (Hindi and English versions) of the Empowered Committee of State Finance Ministers, New Delhi, for the year 2009-2010.

[Placed in Library, see No. LT 4119/15/11]

(10) A copy of the Report (Hindi and English versions) on the Trend and Progress of Housing in India, for the year ended 30th June, 2009, under Section 42 of the National Housing Bank Act, 1987.

[Placed in Library, see No. LT 4120/15/11]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL (SHRI A. SAI PRATHAP): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Hindustan Cables Limited, Kolkata, for the year 2009-2010.

(ii) Annual Report of the Hindustan Cables Limited, Kolkata, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, see No. LT 4121/15/11]

(b) (i) Review by the Government of the working of the Bharat Bhari Udyog Nigam Limited, Kolkata, for the year 2009-2010.

(ii) Annual Report of the Bharat Bhari Udyog Nigam Limited, Kolkata, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, see No. LT 4122/15/11]

(c) (i) Review by the Government of the working of the Sambhar Salts Limited, Jaipur, for the year 2009-2010.

(ii) Annual Report of the Sambhar Salts Limited, Jaipur, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, see No. LT 4123/15/11]

(d) (i) Review by the Government of the working of the Hindustan Salts Limited, Jaipur, for the year 2009-2010.

(ii) Annual Report of the Hindustan Salts Limited, Jaipur, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, see No. LT 4124/15/11]

(e) (i) Review by the Government of the working of the Hindustan Photo Films Manufacturing Company Limited, Ootacamund, for the year 2009-2010.

(ii) Annual Report of the Hindustan Photo Films Manufacturing Company Limited, Ootacamund, for the year 2009-2010, alongwith

Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, see No. LT 4125/15/11]

(2) Five statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI PRENEET KAUR): I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of External Affairs for the year 2011-2012.

[Placed in Library, see No. LT 4126/15/11]

THE MINISTER OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI SUBODH KANT SAHAY): On behalf of Shri Sultan Ahmed, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the India Tourism Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2009-2010.

(ii) Annual Report of the India Tourism Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, see No. LT 4127/15/11]

(b) (i) Review by the Government of the working of the Donyi Polo Ashok Hotel Corporation Limited, Itanagar , for the year 2009-2010.

(ii) Annual Report of the Donyi Polo Ashok Hotel Corporation Limited, Itanagar, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, see No. LT 4128/15/11]

(c) (i) Review by the Government of the working of the Utkal Ashok Hotel Corporation Limited, Puri , for the year 2009-2010.

(ii) Annual Report of the Utkal Ashok Hotel Corporation Limited, Puri, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, see No. LT 4129/15/11]

(d) (i) Review by the Government of the working of the Pondicherry Ashok Hotel Corporation Limited, Pondicherry, for the year 2009-2010.

(ii) Annual Report of the Pondicherry Ashok Hotel Corporation Limited, Pondicherry, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, see No. LT 4130/15/11]

(e) (i) Review by the Government of the working of the Madhya Pradesh Ashok Hotel Corporation Limited, Bhopal, for the year 2009-2010.

(ii) Annual Report of the Madhya Pradesh Ashok Hotel Corporation Limited, Bhopal, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, see No. LT 4131/15/11]

(f) (i) Review by the Government of the working of the Punjab Ashok Hotel Company Limited, Chandigarh, for the year 2009-2010.

(ii) Annual Report of the Punjab Ashok Hotel Company Limited, Chandigarh, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, see No. LT 4132/15/11]

(2) Six statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD): On behalf of Shri S. Gandhiselvan, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Drugs and Cosmetics (2nd Amendment) Rules, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 337(E) in Gazette of India dated 20th April, 2010, under Section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940.

[Placed in Library, see No. LT 4133/15/11]

(2) A copy of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Amendment Rules, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 985(E) in Gazette of India dated 20th December, 2010, under sub-section (1) of Section 31 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003.

[Placed in Library, see No. LT 4134/15/11]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Homoeopathy, New Delhi, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Homoeopathy, New Delhi, for the year 2009-2010.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, see No. LT 4135/15/11]

(5) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Limited, Almora, for the year 2009-2010.

(ii) Annual Report of the Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Limited, Almora, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, see No. LT 4136/15/11]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pharmacy Council of India, New Delhi, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) of the Pharmacy Council of India, New Delhi, for the year 2009-2010.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, see No. LT 4137/15/11]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (KUNWAR R.P.N. SINGH): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 30B of the Chartered Accountants Act, 1949:-

(i) G.S.R. 38(E) published in Gazette of India dated 19th January, 2011, constituting a Quality Review Board consisting of 11 persons, mentioned therein.

(ii) Notification No. 1-CA(5)/61/2010 published in Gazette of India dated 29th September, 2010, containing Audited Accounts and Reports of Institute of Chartered Accountants of India under sub-section (5B) of Section 18 of the Chartered Accountants Act, 1949.

[Placed in Library, see No. LT 4138/15/11]

(2) A copy of the Annual Report on the Working and Administration of the Companies Act, 1956 (Hindi and English versions) for the year ended March 31, 2010.

[Placed in Library, see No. LT 4139/15/11]

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2011-2012.

[Placed in Library, see No. LT 4140/15/11]

(ii) Outcome Budget of the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2011-2012.

[Placed in Library, see No. LT 4141/15/11]

(iii) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Corporate Affairs for the year 2011-2012.

[Placed in Library, see No. LT 4142/15/11]

(iv) Outcome Budget of the Ministry of Corporate Affairs for the year 2011-2012.

[Placed in Library, see No. LT 4143/15/11]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES (SHRI ASHWANI KUMAR): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Allotment of Government Residences in the Survey of India Estate Rules, 2011 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 576(E) in Gazette of India dated the 2nd July, 2010, issued under Rule 45 of the Fundamental Rules and in supersession of the Allotment of Government Residence in Survey of India Estate Rules, 1999.

[Placed in Library, see No. LT 4144/15/11]

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the Central Electronics Limited, New Delhi, for the year 2009-2010.

(ii) Annual Report of the Central Electronics Limited, New Delhi, for the year 2009-2010, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, see No. LT 4145/15/11]

(4) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Earth Sciences for the year 2011-2012.

[Placed in Library, see No. LT 4146/15/11]

(ii) Outcome Budget of the Ministry of Earth Sciences for the year 2011-2012.

[Placed in Library, see No. LT 4147/15/11]

(iii) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Science and Technology for the year 2011-2012.

[Placed in Library, see No. LT 4148/15/11]

(iv) Outcome Budget of the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology for the year 2011-2012.

[Placed in Library, see No. LT 4149/15/11]

(v) Outcome Budget of the Department of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science and Technology for the year 2011-2012.

[Placed in Library, see No. LT 4150/15/11]

(vi) Outcome Budget of the Department of Bio-Technology, Ministry of Science and Technology for the year 2011-2012.

[Placed in Library, see No. LT 4151/15/11]

(vii) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Planning for the year 2011-2012.

[Placed in Library, see No. LT 4152/15/11]

(viii) Outcome Budget of the Planning Commission for the year 2011-2012.

[Placed in Library, see No. LT 4153/15/11]

12.05 hrs.

STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

11th Report

SHRI VILAS MUTTEMWAR (NAGPUR): I beg to present the Eleventh Report (Hindi and English versions) on Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in the Fourth Report (15th Lok Sabha) of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution pertaining to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution).

12.05½ hrs

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE

167th Report

SHRI MAHESH JOSHI (JAIPUR): I beg to lay on the Table the One Hundred Sixty-seventh Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on the Functioning of National Museum.

12.06 hrs.

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 204th report of Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demand for Grants (2010-11) pertaining to the ministry of Earth Sciences *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES (SHRI ASHWANI KUMAR): I beg to lay the statement in pursuance of Direction No. 73 A of the hon. Speaker, Lok Sabha issued vide Lok Sabha Bulletin, Part II, dated 1st September, 2004 to inform the esteemed House about the status of implementation of recommendations contained in the Two Hundred Four Report (204th) Report of Department Related Parliamentary Standing Committee on Science & Technology, Environment & Forests. This report relates to the consideration of the Demands for Grants of Ministry of Earth Sciences (MoES) for the year 2010-11. The Committee reviewed the progress made by MoES during the reporting period and considered the Demands for Grants (2010-11) in detail.

2. The Committee, while reviewing the working and considering the detailed Demands for Grants of MoES, analyzed the Demands for Grants with reference to the aims, objectives and achievements of the Ministry and presented the 204th Report thereon to the House on the 22nd April, 2010. The 204th report contains Twenty Three recommendations.

3. All the recommendations of the committee have been considered in the Ministry of Earth Sciences. The Ministry has furnished a detailed Action Taken Report on these recommendations to the Committee in 23rd July, 2010. The

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4154/15/11

current status on the action taken is detailed in the appended Annexure which is laid on the Table.

12.06¼ hrs.

(ii) Conduct of anti-piracy operations in the gulf of Aden and off the coast of Somalia

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S.M. KRISHNA): The Cabinet Committee on Security met today and considered proposals with regard to conduct of anti-piracy operations in the Gulf of Aden and off the Coast of Somalia.

The Committee approved a series of measures which will be taken by the Government of India to address the legal, administrative and operational aspects of combating piracy. A broad policy framework covering all these aspects was approved. This would involve actions that would be taken in the medium and long term by the Ministries of Shipping, External Affairs and Defence

The Committee also specifically considered the immediate situation arising out from holding of Indian hostages by pirates. It noted that as of now 53 Indian seafarers remain in captivity on five different ships. The Committee expressed its sympathy with the families of the hostages, and decided that the Government would take all appropriate action to safeguard their welfare. It approved the following immediate steps :-

Intensify diplomatic efforts through consultations with the Governments of Egypt and the UAE where the owners of concerned vessels reside, as well as with the Governments of other nationalities who are also being held as hostages and intensifying diplomatic efforts both at the multilateral level and within the framework of the United Nations.

Stepping up of contacts with the owners of the vessels concerned.

Establishing of Inter-ministerial Group under the chairmanship of the Cabinet Secretary. The Group will act as an apex forum at the Government of India level to monitor the early release of Indian ships or cargo or crew. The

Group will also consider welfare measures necessitated after the release of hijacked Indian nationals.

Formulation of suitable standard operating procedures for the Indian Navy and coordination of the Indian Navy's activities with the Navies of friendly foreign countries in the Gulf of Aden. Thank you.

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने समुद्री डकैती से संबंधित एक प्रस्ताव सदन में रखा है। भारतीय बंधकों के परिवारजन कल आपको मिलने आए थे, आपने उनकी कहानी सुनी और उनकी कहानी इतनी दर्दनाक थी कि आप सुनकर स्वयं व्यथित हो गयीं। उसके बाद हम प्रधानमंत्री जी से मिलने गए, उन्होंने भी उनकी पीड़ा से स्वयं को संबद्ध करते हुए यह आश्वासन दिया था कि सरकार हर वह संभव प्रयत्न करेगी जिससे भारतीय बंधक सुरक्षित घर वापस लौट आएं। मैं धन्यवादी हूं कि उसके 24 घंटे से भी पहले विदेश मंत्री ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक मीटिंग करके जो उपाय बताए गए, उनको सदन के सामने रखा है। मैं विदेश मंत्री से केवल एक बात कहना चाहती हूं कि जो उपाय यहां होने हैं, उनका आपने जिक्र किया है।

लेकिन यूएन सिक्योरिटी कौंसिल में एंटी पायरेसी पर रिजोल्यूशन पर रिजोल्यूशन पास हुए हैं, वहां मेकेनिज्म्स बने हुए हैं। इंटरनेट पर देखने से पता चला कि वहां पर मेकेनिज्म्स हैं। वहां एक इंटरनेशनल फंड भी है, इंटरनेशनल ट्रस्ट भी है। आपने जो यहां बातें कही हैं, वे तो आप करेंगे, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी आप करिए, ओनर्स से भी आपने कहा है कि सम्बन्ध स्थापित करेंगे। लेकिन हमें इस रिजोल्यूशन के सम्बन्ध में बने हुए जो मेकेनिज्म्स हैं, उनका भी सहारा लेना चाहिए, ताकि जैसे अभी आप सात महीने के बाद एक शिप के बारे में कर रहे हैं, एक साल के बाद दूसरे शिप के बारे में कर रहे हैं, बाकी शिप्स ढाई-ढाई साल से पड़े हैं, वह इंटरनेशनल मेकेनिज्म तुरंत उसमें कार्यरत हो जाए और इतने-इतने वर्षों तक हमारे बच्चों को वहां न रहना पड़े। मेरा यह सुझाव है, अगर आप इस सुझाव को मान लेंगे तो साल-साल तक, दो-दो साल तक लोगों को अपने बच्चों के आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपने कल और आज में इतना किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूं।

12.07 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): With your permission Madam, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 14th of March, 2011, will consist of:-

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order paper.

2. Discussion and Voting on the Demands for Grants for 2011-12 under the control of the Ministry of:-

    1. Rural Development
    2. External Affairs
    3. Mines
    4. Road Transport and Highways

3. Submission to the Vote of the House of outstanding Demands for Grants in respect of Budget (General) for 2011-12 at 6.00 p.m. on 17.3.2011.

4. Introduction, consideration and passing of the Appropriation (No.2) Bill, 2011.

Consideration and passing of the Coinage Bill, 2009.

***श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली):** अध्यक्ष महोदया, मैं अनुरोध करता हूं कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नांकित विषयों को सम्मिलित किया जाए:-

(1) देश के विभिन्न न्यायालयों में चल रहे ऐसे वाद, जो धरना, प्रदर्शन से संबंधित हैं, जिनके फैसले एक समय सीमा के अंतर्गत नहीं आते हैं, को समाप्त किए जाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया में सुधार किए जाने से संबंधित विषय।

(2) देश के विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन ऐसे वाद, जिनमें सभी एक्यूज़ एक साथ उपस्थित नहीं होते अथवा उनमें से कुछेक अनुपस्थित रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय का समय बर्बाद होने के साथ-साथ वाद के निपटान में भी अनावश्यक विलम्ब होता है, को दूर किए जाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया में सुधार किए जाने से संबंधित विषय।

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे (गडचिरोली-चिमूर): अध्यक्ष महोदया, आपसे निवेदन है कि निम्नलिखित दो विषयों को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किए जाने हेतु अनुमति प्रदान की जाए :-

(1) महाराष्ट्र राज्य के गड़चिरोली चिमुर आदिवासी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत नागभीड़ से नागपुर छोटी रेल लाइन, जो चन्द्रपुर व नागपुर जिलों से होकर गुजरती है, को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित किए जाने के बारे में।

(2) महाराष्ट्र राज्य के गड़चिरोली आदिवासी बाहुल्य जिले की तालुका धानोरा में कारवापा और तालुका मूलचेरा में चन्ना लघु सिंचाई प्रोजेक्ट को वन संरक्षण अधिनियम के अधीन शीघ्र स्वीकृति प्रदान किए जाने के बारे में।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): अध्यक्ष महोदया, आपकी अनुमति से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाए :-

(1) बिहार के नवादा जिले को क्रोनिक सुखाड़ जिला घोषित कर आम जनगण को सामाजिक, आर्थिक जीवन की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार विशिष्ट व्यवस्था करे।

(2) बिहार में 90,000 करोड़ रुपए की विद्युत परियोजना केन्द्र सरकार के विद्युत मंत्रालय के सामने कार्यान्वयन के लिए बिहार सरकार ने जो प्रस्ताव रखा है, उसकी स्वीकृति पर केन्द्र सरकार विचार करे।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): महोदया, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय जोड़ें, जो कि इस प्रकार हैं -

---

* Speech was laid on the Table

1. बिहार राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बकाया स्वीकृत राशि का भुगतान दिए जाने की आवश्यकता।
2. बिहार राज्य में विद्युत उत्पादन बढ़ाए जाने एवं केंद्रीय पूल से 500 मेगावाट की विद्युत आपूर्ति दिए जाने की आवश्यकता।

श्री यशवंत लागुरी (क्योंझर): महोदया, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय जोड़ें, जो कि इस प्रकार हैं -

1. उड़ीसा के क्योझर जिले के जोडा ब्लाक अंतर्गत कालीमाटी से डेकानाल जिले के कांकडा हाड वाया बासपाल तेलबोई तक पिछड़े इलाकों से निकलने वाले मार्ग को जो रेल मार्ग की सुविधा से वंचित है, को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए।
2. चक्रधरपुर रेलवे डिविजन अंतर्गत बादाम पहाड़ से बांगरीपोसी ब्राडगेज रेलवे लाइन को क्योझर तक जोड़ने का कार्य।

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): Madam, I would request to include the below mentioned subjects in the agenda for next week's business of Lok Sabha.

1 The serious issues faced by the abroad Indian workers registered as *huroobs* (those who do not have required work documents) in the Kingdom of Saudi Arabia.

2 The increasing incidents of atrocities on the women and children in the country.

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया): महोदया, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय जोड़ें, जो कि इस प्रकार हैं -

1. उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में इन्फालसिस बीमारी से संबंधित अनुसंधान केंद्र की स्थापना का।
2. उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बरहज के पास पड़ी बेकार भूमि पर रेलवे यार्ड या रैक बनाने का कार्य।

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Madam, I want to submit that the following items may be included in the next week's agenda.

1 One bye-pass at Panagarh at National Highway No.2, in West Bengal has not been constructed. Widening NH-2 at that place is not possible because a number of structures are to be dismantled. There happens serious traffic congestion. Hence I demand that one bye-pass at NH-2, be immediately undertaken.

2 There is a Railway over bridge at Burdwan – Katwa road at Burdwan in West Bengal. The over bridge is in a dilapidated condition. It causes much traffic congestion. So, the Railway Board should come forward to build a four-lane over bridge there immediately.

श्री रामकिशुन (चन्दौली): महोदया, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय जोड़ें, जो कि इस प्रकार हैं -

1. देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित वित्त विहिन माध्यमिक विद्यालय को भारत सरकार से यथाशीघ्र वित्त पोषण कर धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के संबंध में।
2. देश के तीन महत्वपूर्ण राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश के सिंचाई से संबंधित करीब 25 वर्षों से लम्बित पड़े बाण सागर परियोजना को भारत सरकार के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम योजना के अंतर्गत यथाशीघ्र धनराशि उपलब्ध करा कर कार्य कराए जाने की आवश्यकता।

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया): महोदया, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय जोड़ें, जो कि इस प्रकार हैं -

1. पूर्व-मध्य रेलवे अंतर्गत बरौनी जंक्शन तक आने वाली दिल्ली-बरौनी, वैशाली एक्सप्रेस का विस्तार बरौनी से सहरसा तक किया जाए।
2. पूर्व-मध्य रेलवे अंतर्गत सहरसा जंक्शन तक आने वाली दिल्ली-सहरसा, पूरवीया एक्सप्रेस को सप्ताह में एक दिन के बदले तीन दिन किया जाए।

12.20 hrs.

GENERAL BUDGET(2011-12)– GENERAL DISCUSSION AND DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (2010-11) – (GENERAL)— (2010-11)Contd.

MADAM SPEAKER: Item Nos. 25 and 26 to be taken up together.

जो भी माननीय सदस्य अपना लिखित भाषण देना चाहते हैं, वे कृपया सभा पटल पर दे दें।

...(व्यवधान)

*__श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):__ लोक सभा में वर्ष 2011-12 के सामान्य बजट पर चर्चा करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इस बार का बजट आम आदमी एवं किसानोन्मुखी है। इस बार के बजट में वित्तीय प्रबंधन, विकास दर, कृषि में अधिक समावेश तथा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने का उपाय वित्त मंत्री प्रणव दादा ने किया है। वित्त मंत्री जी बजट में बिना खर्च को बढ़ाये राजकोषीय घाटे को 5.5% से 5.1% तक लाने में सफल रहे हैं। वास्तव में यह वित्त मंत्री के वित्तीय प्रबंधन का कौशल है। आगामी महीनों में मुद्रास्फीति को और कम करने के लिए मौद्रिक नीतिगत उपाय किये जायेंगे। वर्ष 2010-11 में सकल घरेलू उत्पाद में वस्तुतः 8.6% की वृद्धि का अनुमान है। मुद्रास्फीति प्रबंधन संबंधी ढांचागत चिंताओं का समाधान बढ़ती घरेलू मांग के अनुसार कृषि संबंधी आपूर्ति बढ़ाकर तथा सुदृढ़ राजकोषीय समेकन के माध्यम से किया जायेगा। अप्रैल जनवरी 2010-11 के दौरान विगत वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 29.4% और आयात में 17.6% वृद्धि हुई है।

वित्त मंत्री ने कर सुधार के लिए प्रत्यक्ष कर संहिता डी.टी.सी पहली अप्रैल 2012 से लागू करने का प्रस्ताव किया है। पहली बार बजट में कांग्रेस यूपीए की सरकार सब्सिडी का लाभ गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को सीधे नकद पैसा देने का प्रस्ताव किया है। भविष्य में मिट्टी का तेल, एलपीजी और उर्वरक की सब्सिडी का लाभ कंपनियों के बजाय आम आदमी को नकद के रूप में मिलेगा। इसके लिए सरकार वर्ष 2011-12 में विनिवेश के जरिये 40,000 करोड़ रूपये जुटाने का उपाय करेगी। किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती मुद्रास्फीति को कम करके महंगाई पर अंकुश लगाना तथा विकास दर (जीडीपी) बढ़ा करके नये रोजगार ज्यादा से ज्यादा पैदा करना। इसीलिए बजट में कृषि के हितों के लिए अधिक से अधिक समावेश करने की व्यवस्था की गई है। इस बार का बजट कृषि के हितों के लिए समर्पित किया गया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 6,755 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 7860 करोड़ रूपये किया गया है। सरकार का कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश का उद्देश्य दूसरी हरित क्रांति लाना है। इसके लिए देश के किसानों के ऋण प्रवाह को बढ़ाकर वर्ष 2011-12 में किसानों के लिए 3,75,000 करोड़ रूपये से 4,75,000 करोड़ रूपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इन किसानों को जो अपना फसल ऋण समय पर अदा करते हैं उन्हें 4% पर अल्पावधि फसल ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। आर्थिक सहायता को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रकार किसानों को 7% ऋण अब 4 प्रतिशत पर मिलेगा। कृषि निवेश से उत्पादन में वृद्धि होगी। उससे उत्पादन एवं आपूर्ति में संतुलन कायम होगा। तभी महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। विगत दिनों खाद्य पदार्थों, खासकर सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के कारण ही मुद्रास्फीति 18% तक पहुंच गई थी, पर पाबंदी लगाई गई। प्याज के आयात के

* Speech was laid on the Table

लिए जीरो इंपोर्ट डयूटी की गई तथा प्याज मंडियों में आयकर विभागों के द्वारा छापे भी मारे गये लेकिन महंगाई को रोकना मुख्यतयाः राज्य सरकार का काम है। क्योंकि वितरण प्रणाली (पीडीएस) राज्य सरकारों के हाथों में है। धारा 3/7 आवश्यक खाद्य वस्तु अधिनियम में भी जमाखोरों एवं कालाबाजारों के खिलाफ कार्यवाही की शक्ति राज्य सरकार में निहित है। आज राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से पंगु हो गई है। चीनी, मिट्टी का तेल खुले आम ब्लैक हो रहा है। आज केन्द्र सरकार द्वारा जितना गेहूं एवं चावल की मांग राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है उसकी आपूर्ति भारत सरकार केन्द्रीय पूल से करती है। इसीलिए गेहूं एवं चावल के दामों में काफी स्थिरता है। पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति के लिए चावल आधारित फसल प्रणाली में सुधार करने के लिए 400 करोड़ रूपये का आबंटन किया गया है। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 60,000 दलहन ग्रामों को प्रोत्साहित करने के लिए 300 करोड़ रूपये का आबंटन किया गया है। इसी तरह आयल पाम के पौधों के रोपण के लिए 60,000 हैक्टेयर के लिए 300 करोड़ रूपये की व्यवस्था बजट में की गई है। पहली बार भारत सरकार के 2012 के बजट में शहरों के किनारे सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए सब्जी कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 300 करोड़ रूपये का आबंटन किया गया है।

भारत में पोषक अनाज समाप्ति के कगार पर था। उसके पुनःद्धार के लिए बाजरा, ज्वार, रागी और अन्य मोटे अनाज, जो पौष्टिक तथा औषधीय गुणों वाले होते हैं, उसके उत्पादन बढ़ाने के लिए 300 करोड़ रूपये का आबंटन किया गया है। इसी तरह पशुधन विकास को बढ़ावा देने के लिए 300 करोड़ रूपये का आबंटन किया गया है। 25,000 गांवों के लिए त्वरित चारा विकास कार्यक्रम के तहत 300 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। भारत निर्माण कार्यक्रम के लिए मौजूदा वर्ष में 10,000 करोड़ रूपये की वृद्धि करके वर्ष 2011-12 के लिए 58,000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। देश में 3 वर्ष में सभी 2,50,000 पंचायतों को ग्रामीण ब्राडबैंड कनैक्विटी मुहैया कराने की योजना है। देश के ग्रामों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत 18 वर्ष के युवकों अथवा युवतियों को 100 दिन के रोजगार के लिए 100 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से व्यवस्था देने के लिए 40,000 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। देश की 22 लाख आंगनबाड़ी कार्यक्रत्री एवं सहायिकाओं का मेहनताना बढ़ाकर 1500 रूपये प्रतिमाह और 750 रूपये प्रतिमाह से क्रमशः 3000 और 1500 रूपया देने का निर्णय लिया गया है। इस बार के वित्तीय वर्ष के बजट में शिक्षा के परिव्यय में 21,000 करोड़ रूपये आबंटित किये गये हैं, जो बजट 2010-11 में 40 प्रतिशत अधिक है। स्वास्थ्य के लिए आयोजना आबंटन में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। वर्ष 2011-12 में देश में 15 मेगा फूड पार्कों की स्थापना होगी।

भारत का बजट केवल प्राप्तियों एवं खर्चों का लेखा-जोखा मात्र नहीं है बल्कि देश के विकास एवं ग्रोथ दर बढ़ाने के लिए योजनाओं में पूंजी निवेश का योजनाबद्ध ढंग से दिया गया ब्यौरा है। बजट के

वित्तीय प्रबंधन में साफतौर से परिलक्षित है कि वर्ष 2011-12 में अवसरंचना (infrastructure)के लिए 2,14,000 करोड़ रूपये का आबंटन किया गया है। इसमें 2010-11 के मुकाबले 23.3 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई है। साथ ही यह कुल आयोजना आबंटन की 48.5 प्रतिशत है। सरकार बाजार से पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए परियोजनाओं को लागू करने के लिए एक व्यापक नीति निर्धारित की गई है। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा देश में आम आदमियों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का कानून बना करके खाद्यान्न की गारंटी दी जायेगी। इस के लिए खाद्यान्न के भंडारण क्षमता में निजी उद्यमियों द्वारा एवं भंडारण निगमों के माध्यम से वृद्धि की जायेगी। देश के करोड़ों बुनकरों के ऋण वापस न करने के कारण उनके समक्ष भयंकर आर्थिक संकट पैदा हो गया है। फलस्वरूप, हथकरघा, बुनकर समितियां अलाभकारी हो गई हैं।

वित्त मंत्री जी ने किसानों की तरह बुनकरों की सहायता के लिए नावार्ड को 3000 करोड़ रूपये की सहायता करने की व्यवस्था की है। सावर्जनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्रगत ऋण के अंतर्गत बकाया ऋणों के रूप में 15 प्रतिशत ऋण अल्पसंख्यक समुदायों के बीच बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार देश के रिहायशी इकाइयों के लिए आवास ऋण की मौजूदा सीमा को बढा करके 25 लाख रूपये कर दिया गया है तथा आवास ऋण पर ब्याज की मौजूदा स्कीम को उदार बनाने के लिए एक प्रतिशत की ब्याज में छूट देने का निर्णय लिया गया है। इस बार बजट में महंगाई को रोकने के लिए एवं आम आदमी के सुविधा हेतु टैक्स में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। केवल दायरा बढ़ाकरके संसाधनों को वृद्धि करने का प्रयास होगा।

हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके, इसके रोकने हेतु ठोस उपाय तैयार करने के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया है। पहली बार सरकार ने देश के बाहर गये काले धन को वापस लाने हेतु पांच सूत्री कार्य योजना लागू की गई है। काले धन के विरूद्ध लड़ने के लिए दूसरे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सूचना के आदान प्रदान के लिए समझौता किया गया है। हमारी सरकार ने आम आदमी के बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम के अधिकार, रोजगार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार लागू करने के बाद खाद्यान्न के अधिकार के लिए विधेयक लाने का निर्णय किया गया है। कांग्रेस एवं यूपीए सरकार ने आम आदमी की सभी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानून बनाया है। इसके बावजूद विपक्ष कहता हे कि सरकार ने बजट में क्या किया है। इसके लिए हम उन्हें दो पंक्तियां समर्पित करना चाहेंगे।

"समय की शिला पर मधुर चित्र किसी ने बनाये, किसी ने बिगाड़ें"

इसी के साथ माननीय वित्त मंत्री प्रणवदा के द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी (संत कबीर नगर): वित्त मंत्री ने अपने बजट में कुछ घोषणाएं की हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, परंतु अभी भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं और परियोजनाएं हैं जिन पर अमली जामा पहनाने के लिए बहुत कुछ किया जाना जरूरी है ।

वित्त मंत्री के ऊपर देश के विकास की गति को बरकरार रखने की जिम्मेदारी और साथ ही आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने की संकल्पना की है । पर आज हम देख रहे हैं कि देश का आम आदमी चाहे वह मेहनतकश किसान हो, मजदूर हो, नौकरीपेशा हो या गृहणी सभी मंहगाई से परेशान है ।

आने वाले दिनों में जैसाकि सुन रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं, कोई शुभ संकेत मंहगाई रोकने के प्रयास में नहीं दे रहे हैं ।

आज essential commodities जिनमें खाद्य पदार्थ शामिल हैं, के दामों में कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है । दूध के दाम तो अलग से ही बढ़ रहे हैं ।

आपने अपने बजट में स्वयं यह माना है कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार के सामने कृषि उत्पादों की सप्लाई को घरेलू मांग के चलते पूरा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है । योजनाओं का क्रियान्वयन और उनकी गुणवत्ता पर नजर रखना एक अलग ही समस्या पैदा कर रहा है । घोटालों का जिस तरह से ग्राफ बढ़ता जा रहा है वह सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उसकी उदासीनता का द्योतक है । राष्ट्र संपत्ति का इस तरह से दोहन मैं समझता हूं हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है जिन पर वित्त मंत्री को कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे । सिर्फ पुलिसिया कार्यवाही से बात नहीं बनेगी बल्कि दोषी व्यक्तियों से देश की संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई करवानी पड़ेगी । इसी तरह से देश तथा देश से बाहर काले धन की राष्ट्रीय कोष में वापसी के लिए ठोस उपाय करने पड़ेंगे तभी हम राष्ट्र के समक्ष खड़ी हुई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर पायेंगे ।

वित्त मंत्री ने साल 2010-11 में जीडीपी का ग्रोथ 8.6 प्रतिशत होने का दावा किया है । हम लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि यह विकास दो अंकों में हो जायेगा परंतु अभी तक इंतजार ही है।

कृषि की बात करते हैं तो इस साल बजट में उसमें सुधार लाने के लिए बहुत से प्रस्ताव किए गए हैं । कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों के लिए बजट अनुपान वर्ष 2011-12 के लिए 14744

* Speech was laid on the Table

करोड़ रूपये है । इन पैसों को कुछ नई योजनाओं पर भी खर्च करने का प्रस्ताव है जिससे कि कृषि पैदावार में बढ़ोत्तरी हो जिससे हम खाद्य पदार्थों की कमी की समस्या से निजात पा सके । पूर्वोत्तर भारत में हरित क्रांति लाने की मुहिम भी एक स्वागत योग्य कदम है ।

इस संदर्भ में सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिधनियम का भी लोग इंतजार कर रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश और खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ा है। इस संदर्भ में बीपीएल सूची में रिवीजन की आवश्यकता है जिससे वंचित वर्गों के ज्यादा से ज्यादा लोग लाभांवित हो सके ।

यह प्रदेश बिजली की भी भारी कमी से जूझ रहा है । आपने इस वर्ष 6000 करोड़ रूपये राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को आवंटित किए हैं परंतु राज्यों को इसका समय से आबंटन हो सके यह देखना होगा । उत्तर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की बढ़ोततरी से उसका औद्योगिक विकास होगा तथा आर्थिक पिछड़ापन समाप्त होने के आसार पैदा होंगे ।

इस तरह से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के 20,000 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है परंतु यह देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को मिलने वाली हिस्सेदारी से उसे वंचित रखा जा रहा है । फलस्वरूप वहां पर प्रस्तावित विकास कार्य बाधित हो रहे हैं जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। मैं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि यह योजना धन के अभाव में सुस्त गति से चल रहा है । इस योजना के ऊपर टिप्पणी करते हुए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां तक कहा था कि राज्यों को जो ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया जा रहा है वह सब स्टैन्डर्ड का है । अतः मैं सरकार से यह मांग करता हें कि इस बजट में इस योजना के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराया जाए जिससे कि सरकार का यह महत्वाकांक्षी योजना सफल हो सके एवं ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को इस योजना से लाभ प्राप्त हो सके ।

इसी तरह से सेन्ट्रल रोड फंड के माध्यम से जो प्रदेश सरकार के प्रस्ताव, वह भी अभी लंबित है ।

इसी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश को बाढ़ की विभीषिका से भी जूझना पड़ता है । इस संदर्भ में भी हमें केन्द्र सरकार से मदद की आवश्यकता है परंतु बजट में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । इन सबको देखते हुए मेरी वित्त मंत्री से मांग है कि वह देश तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों

को सस्ते बीज, कीटनाशक, सिंचाई की सुविधा तथा उनके उत्पादों की लागत मूल्य के अनुसार लाभकारी मूल्य दे ताकि वहां समृद्धि आ सके । इसके लिए मैं वित्त मंत्री से पूर्व उत्तर प्रदेश के लिए विशेष पैकेज की मांग करता हूं ।

वित्त मंत्री ने 21000 करोड़ रूपये सर्व शिक्षा अभियान के लिए आवंटित किए हैं । यह पिछले आवंटन से 40% ज्यादा है । शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद राज्यों से इस मद की मांग में वृद्धि होना अवश्यभावी है । मेरी मांग है कि स्तरीय शिक्षा हेतु इस राशि में आवंटित राशि को राज्यों के विकास इन्डैक्स को देखते हुए उसके अनुरूप आवंटित करने की आवश्यकता है जिससे शिक्षा के क्षेत्र में समग्र विकास हो सके ।

बजट में आंगनबाड़ियों में कार्यरत कर्मियों के वेतन में वृद्धि की गई है । मैं इसका स्वागत करता हूं ।

इसी तरह जो वित्त मंत्री ने जो कर सीमा में इजाफा किया है । सीनियर सिटीजन और 80 के ऊपर के व्यक्तियों के लिए मैं उसका स्वागत करता हूं तथा उन्हें बधाई भी देता हूं कि वह उनकी सीनियर सिटीजन के प्रति संवेदनशीलता को प्रकट करता है । परंतु मैं साथ ही यह कहना चाहूंगा कि आम वेतनभोगी की कर सीमा को 1,80,000/- से बढ़ाकर दो लाख पच्चीस हजार किया जाए ।

इसके साथ ही वित्त मंत्री ने सर्विस टैक्स का दायरा बढ़ाया है और जो उसमें वृद्धि की है, वह आम आदमी पर बोझ बढ़ाएगी खासकर 25 बैड या उससे अधिक बढ़े, अस्पतालों पर रोगियों द्वारा ली जा रही सेवाओं पर सर्विस टैक्स तो बिल्कुल ही बेतुका है, इसे वापस लिया जाना चाहिए ।

गत वर्ष अल्पसंख्यक मंत्रालय का कुल बजट 2514.50 करोड़ का था । परंतु खेद के साथ यहां कहना पड़ रहा है कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना में जितने शिक्षकों की नियुक्तियां हुई थीं उनको गत दो वर्षों से वेतन का भुगतान सरकार करने में असमर्थ रही है । यह सिर्फ एक उदाहरण है । मेरा मानना है कि सरकार इस मंत्रालय का बजट और बढ़ाए ताकि इन शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जा सके तथा पूर्ण रूप से अल्पसंख्यक समाज का विकास किया जा सके ।

आज देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे इनफ्लाटिस इत्यादि बीमारी होने से तथा उचित इलाज नहीं होने के कारण काफी लोगों की मौत प्रतिवर्ष होती रहती है। मेरा सरकार से आग्रह है कि प्रत्येक प्रखंड (ब्लॉक) में एक एवं तथा प्रत्येक जिला में पूर्ण प्रयोगशाला

सहित इस बजट में खोलने का प्रावधान किया जाए । एवं स्वच्छता अभियान के तहत प्रत्येक गांव में प्रत्येक घर के अलावा एक सामूहिक सुलभ शौचालय का प्रावधान भीइस बजट में किया जाए ताकि ग्रामीण पुरूष एवं महिलाओं को शौच के लिए जंगल या खुले मैदान में जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़े । अभी सरकार द्वारा जो स्वच्छता अभियान योजना चलाई जा रही है वह पूर्णतया सफल नहीं है । अतः इसमें उपरोक्त सुझाव सम्मिलित कर इस अभियान को सही दिशा देने का इसी बजट में प्रावधान किया जाए ।

उत्तर प्रदेश में केन्द्र सरकार के विद्युत प्रतिष्ठानों से 8,753 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है, परंतु सरकार सिर्फ 38 प्रतिशत की उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराती है । विद्युत की कमी के कारण उत्तर प्रदेश के किसान तथा उद्योग धंधे करने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरा सरकार से आग्रह है कि उत्तर प्रदेश में उत्पादित विद्युत का 75 प्रतिशत विद्युत उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराया जाए जिससे यहां के किसानों को तथा उद्योग से जुड़े लोगों को किसी प्रकार की विद्युत की कमी नहीं हो सके ।

विगत वित्त वर्ष में पीएमजीएसवाई को कुल 14898.50 करोड़ का निधि सरकार ने आवंटित की थी लेकिन सभी को पता है आज शहरों की सड़कें तो ठीक है परंतु गांवों की सड़कों की हालत एकदम विपरीत है । उसमें भी इस वित्त वर्ष के निधि में कटौती की गई है तथा कुल निधि 12667.10 करोड़ का ही प्रावधान किया गया है । मेरा सरकार से आग्रह है कि जहां 80 प्रतिशत देश की जनता रहती है उस ग्रामीण सड़कों को चुस्त-दुरूस्त किया जाए तथा पीएमजीएसवाई को और निधि आवंटित की जाए जिससे गांव की सड़कों को चुस्त-दुरूस्त किया जा सके तथा सरकार का यह महत्वाकांक्षी योजना सफल हो सके ।

जैसे कि मा0 वित्त मंत्री जी ने अपने 2010-11 के घोषणाओं कार्यान्वयन में उल्लेख किया है कि कृषि हमारे अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है तथा 60 प्रतिशत जनसंख्या का आहार इसी से प्राप्त होता है । चूंकि गत वित्त वर्ष में मा0 मंत्री जी ने 3,75,000 करोड़ रूपया कृषि ऋण प्रवाह में निर्धारित किया था । 7 प्रतिशत ब्याज की दर से तथा समय पर अदायगी करने वाले किसानों को 2 प्रतिशत का सहायता देने का घोषणा किया था । इस वित्तीय वर्ष में इस राशि को बढ़ाया जो 4,75,000/- करोड़ कर दिया तथा सहायता प्रतिशत 3 प्रतिशत कर दिया । महोदया जी मेरा आग्रह हे कि इस राशि को बढ़ाकर 10,0000 करोड़ रूपया कर दिया जाए तथा ब्याज से किसानों को

मुक्त कर दिया जाए । आज देश के किसान इसी ब्याज को चुकता नहीं कर पाने के कारण आत्महत्या तक कर लेते हैं । अतः किसानों को ब्याज मुक्त ऋण उपलपब्ध कराया जाए ।

मैं देश में एक अत्यंत पिछड़ा जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं । जहां बाढ़ से किसानों का खरीफ का फसल प्रतिवर्ष बर्बाद हो जाता है तथा किसान शहरों के तरफ मजदूरी करने के लिए पलायन कर जाता है । महोदया जी, आपके द्वारा सरकार से मेरा आग्रह कि पूर्वांचल के किसानों के लिए एक आर्थिक पैकेज की घोषणा इसी बजट सत्र में किया जाए । जिस प्रकार बुंदेलखंड तथा देश के और प्रदेशों के लिए किया गया था तथा इस क्षेत्र के किसानों के फसलों का बीमा सरकार अपने खर्चों से करें अगर किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा में नष्ट होती है । पूर्वांचल में प्रत्येक वर्ष घाघरा, राप्ती, कुआनों, आमी, बढ़ी राप्ती तथा गंडक नदी के बाढ़ से फसल तो फसल किसानों के घर, मवेशी यहां तक की जान भी नष्ट हो जाती है और कुछ बचता है तो वह सिर्फ उनके आंखों में आंसू और घोर निराशा । अतः मेरा एक यह भी आग्रह है सरकार कोई एक ऐसा प्रयत्न करे कि इस क्षेत्र के जनता को इस आपदा से बचाया जा सके ।

पूर्वांचल के किसानों को उनके खेती के लिए खाद बीज तथा सिंचाई के लिए इस बजट में अलग से प्रावधान किया जाए तथा इस क्षेत्र में प्रत्येक प्रखंड के स्तर पर एक-एक कृषि ट्रेनिंग संस्थान बनाया जाए जिससे कि इस क्षेत्र के किसानों को उन्नत कृषि (खेती) करने के लिए शिक्षा मिल सके ।

इस क्षेत्र में एक भी औद्योगिक कारखाने नहीं है तथा इस क्षेत्र के बेरोजगार युवक पलायन करने पर मजबूर है तथा मुंबई जैसे शहरों में राज ठाकरे जैसे लोगों का प्रताड़ना सहने को मजबूर है। अतः सरकार से मेरा आग्रह है कि इस क्षेत्र में औद्योगिक कारखाने लगाने के लिए इस बजट में प्रावधान करे ।

इस क्षेत्र में बुनकरों, कासा तथा फुल के बर्तन बनाने वाले कारीगरों तथा टेराकोटा बनाने वाले कारीगरों की बहुत जनसंख्या है । आज देश में खास तौर से गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे प्रदेशों में बड़े-बड़े कपड़े बनाने की मिलें, बर्तन बनाने की कारखाने बन जाने से इन बुनकरों तथा कारीगरों की रोजी-रोटी बंद हो गया है तथा ये भुखमरी के कागार पर खडे हैं ।

मेरा आपसे आग्रह है कि इन गरीब बुनकरों तथा बर्तन बनाने वाले कारीगरों को सरकार एक पैकेज की घोषणा इसी वित्तीय बजट में करे । जिससे इन गरीब लोगों को रोजी-रोटी का साधन उपलब्ध हो ।

यह क्षेत्र लघु कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए विश्व विख्यात था । परंतु दुख के साथ कहना पड़ता है कि केन्द्रीय सरकार के उदासीन रवैये के कारण ये लघु हथकरघा उद्योग खत्म हो गया है । मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का शासन आजादी के बाद सबसे ज्यादा कांग्रेस के हाथ में रहा । आपको बताना चाहूंगा कि ये बुनकर/कारीगर सभी अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम) से आते हैं। कांग्रेस हमेशा ही इन समुदाय के लोगों के हित का दम भरती है और ये बहुत ही दयनीय हालात में हैं । अतः आपसे मेरा पुनः आग्रह है कि इनके तथा इनके बच्चों के रोजगार के लिए पैकेज का इसी बजट में प्रावधान किया जाए ।

हमारे इस संसदीय क्षेत्र का नाम महान सूफी संत कबीर के नाम पर है । अतः इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित कर पर्यटन के हिसाब से जितनी सुविधाएं हो वह उपलब्ध कराया जाए । यह एक महान सूफी संत कबीर को श्रद्धांजलि भी होगी । देश में चीनी उत्पादन के संदर्भ में उत्तरप्रदेश एक अग्रणी प्रदेश है । परंतु यहां का ईख उत्पादक किसान की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है । अतः मेरा आग्रह है कि ईख उत्पादक किसान को सरकार एक आर्थिक पैकेज का प्रावधान इसी वित्तीय वर्ष में दे कि यहां के किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके ।

इस जिले में एक भी राष्ट्रीय स्तर का प्रौद्योगिकी तथा व्यावसायिक शिक्षा केन्द्र नहीं है । यहां के गरीब किसान, मजदूर, बुनकर, कारीगर के बच्चे आर्थिक तंगी के कारण ये शिक्षा से वंचित रह जाते हैं । इन लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि इनको गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली, बंगलौर या अन्य जगहों पर भेजकर पढ़ा सके । मेरा आपसे आग्रह है कि इस जनपद में उपरोक्त शिक्षा संस्थान खोला जाए जिससे कि इस जनपद की गरीब जनता भी ऐसी शिक्षा ग्रहण कर सके । क्रीड़ा-खेल के क्षेत्र में भी यह जनपद बहुत पिछड़ा हुआ है । मेरा आपसे आग्रह है कि खेलों से संबंधित संस्थान तथा राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान (स्टेडियम) का निर्माण कराया जाए । जिससे इस क्षेत्र के युवक खेल (क्रीडा) के क्षेत्र में भी देश तथा प्रदेश का नाम गौर्वान्वित कर सके ।

*श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): माननीय प्रधान मंत्री जी डा0 मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एवं आदरणीय श्रीमती सोनिया गांणी जी की अगुवाई में आदरणीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने जो बेहद संतुलित बजट पेश किया है जो आर्थिक विकास की दिशा के मार्ग को सुगम बनाएगा एवं समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचाएगा । भारतीय अर्थव्यवस्थाविश्व की उन चंद बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है जो विश्व व्यापी आर्थिक मंदी के असर को सफलतापूर्वक झेल गई और हमने रह सह कर आर्थिक विकास की दर 8.6% को हासिल किया है ।

ग्रामीण एवं कृषि विकास को मद्देनजर इस बजट में कृषि निवेश को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में कर्ज के लिए 4.75 लाख करोड़ की व्यवस्था की है एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का बजट 7860 करोड़ किया है । नाबार्ड के लिए 30 अरब का प्रावधान किया है, खाद की समस्या से निजात पाने के लिए नई फर्टीलाईजर नीति लाई जाने का प्रस्ताव किया है एवं ग्रामीण विकास के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 180 अरब रूपये की व्यवस्था की है । यह सभी कदम निसंदेह भारतीय कृषि व्यवस्था को विकास गति को तेज करेंगे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं मिलने के अवसर प्राप्त होंगे ।

भारत में कच्चे माल की कमी नहीं है आवश्यकता है कि इस कच्चे माल का समुचित उपयोग करके उसका उत्पादन करने की जिससे रोजगार में वृद्धि हो और घरेलू उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो इसके लिए सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिए जाने हेतु प्रयास किए हैं । हमारे देश में हर साल 3 अरब की सब्जी एवं फल भंडारण एवं परिवहन के अभाव में खराब हो जाते हैं । इस बजट में सब्जियों, खाद्यान्न एवं फलों के भंडारण एवं उनके प्रसंस्करण किए जाने हेतु इस बजट में प्राथमिकता दी है जिसकी नितांत आवश्यकता थी ।

इस बजट में उत्तरी पूर्वी राज्य अपनी भौगोलिक कारणों से अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी पिछड़े है उनके विकास के लिए सरकार ने विशेष पैकेज की व्यवस्था इस बजट में की है । सदन के माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध हे कि उत्तरी पूर्वी राज्यों की तरह राजस्थान के मरूस्थल इलाका भी भौगोलिक कारणों से अन्य क्षेत्रों से काफी पिछड़े है । मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर एवं जैसलमेर में उद्योगों की काफी कमी है जिसके कारण यहां के लोगों को पलायन करके दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है । बाड़मेर में आज देश के कुल पेट्रोलियम पदार्थों का 25 प्रतिशत के करीब

* Speech was laid on the Table

उत्पादित हो रहा है और बाड़मेर में सरकारी क्षेत्र में एक रिफाईनरी स्थापित करने की अति आवश्यकता है साथ ही इस क्षेत्र में जो पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोलियम पदार्थों को निकाल रही है उनके द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से यहां के लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए बुनियादी सुविधाएं दिलवाई जाए ।

हमारा देश के 65 प्रतिशत लोग खेतीबाड़ी पर निर्भर है और देश के लिए अनाज पैदा कर रहा है परंतु उनकी जमीनों को अधिग्रहित करने के लिए पुराने कानूनों का सहारा लिया जाता है जिसके कारण उनको उनकी भूमि का बाजार मूल्य नहीं मिलता है और न ही उनको रोजगार । इसलिए भूमि अधिग्रहण में व्याप्त कानूनों में संशोधन किया जाए जो सरकार ला रही है परंतु इसमें देरी करने से किसानों के साथ अन्याय होगा । भूमि अधिग्रहण तभी किया जाए तो जब अति आवश्यक हो देखा गया है कि चाहे सेना हो, चाहे रेलवे हो, या राज्य सरकार को या केन्द्र सरकार हो यह किसानों से भूमि लेकर छोड़ देती है जहां पर परियोजनाएं नहीं लगी है और जिस कार्यों के लिए जमीन ली गई है वह कार्य नहीं किए जा रहे हैं तो किसानों की जमीन को वापिस कर देना चाहिए । इससे खाद्यान्न के उत्पादन में सहायता मिलेगी । इस बजट में किसान के लिए 7 प्रतिशत पर ब्याज को जारी रखा है और जो किसान समय पर कर्ज को अदा कर देंगे तो उनको 3 प्रतिशत की राहत मिलेगी इससे किसान में ऋण लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और कर्ज अदा करने की भी । किसानों का शोषण करने वाले साहूकारों से मुक्ति भी ।

देश के लिए गरीबी एक अभिशाप है यूपीए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने हेतु कई कार्यक्रम दिए हैं जैसे ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा, इन्दिरा आवास, ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल एवं स्वच्छता हेतु कार्य किए जा रहे हैं । ग्रामीण क्षेत्र में किसानों का खुशहाल करने के लिए डेयरी, मत्स्य पालन, मुर्गी पाल, मधुमक्खी पालन जैसे कार्य शुरू किए है जिससे गांव के लोगों को रोजार की तलाश करने के लिए शहरों की तरफ न दौड़ना पड़े । इन सबका परिणाम यह हुआ है कि देश में 1993-94 में 32 करोड़ थे जो घटकर 30 करोड़ से कम रह गए हैं जिस गति से विकास हो रहा है उससे गरीबी का पूरी तरह से उन्मूलन हो जाएगा । इस दस सालों के दौरान साढ़े पांच करोड़ गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है जो दर्शाता है कि देश में 8.23 प्रतिशत गरीबी हटी है । शहरों में सुविधा दिलाने एवं स्लम मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए कई सुविधाएं दी हैं और राजीव

आवास योजना में शहरों के गरीब लोगों को मकानों का मालिकाना हक दिलाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं ।

विदेशों में हमारे नवयुवकों को उनकी योग्यता एवं तकनीकी शिक्षा के आधार पर अच्छी-अच्छी नौकरी मिल रही है और सर्विस क्षेत्र में हमारे नवयुवक विदेशों में काम करके देश का नाम कमा रहे हैं और विदेशी मुद्रा भारत भेज रहे हैं । पहिले हम मजदूर बनकर विदेश जाते थे और आज हम डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर विदेश जाते हैं । शिक्षा प्राप्ति की ओर जिस प्रकार का उत्साह देखा जा रहा है कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा संस्थान कम पड़ गए हैं । हमारे भारत में शिक्षा का अधिकार एवं निशुल्क शिक्षा का अधिकार का कानून बनाने पर हमें विश्व में प्रशंसा मिल रही है । इस बजट में हमने 52.57 हजार करोड़ की राशि का प्रावधान किया है जो एक रिकार्ड है ।

देश में बच्चों के विकास हेतु सरकार ने बुनियादी सुविधाएं दिलवाई है और इस बजट में आंगनवाड़ी में कार्यरत सहायकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन को दुगना किया है विधव की पेंशन राशि को प्राप्त करने की आयु को 65 से 60 किया है । स्वास्थ्य क्षेत्र में 20 प्रतिशत की वृद्धि की है परंतु जहांपर जनसंख्या घनत्व कम है वहां पर स्वास्थ्य की सेवा ग्रामीण लोग वंचित है । इसलिए स्वास्थ्य सेवा को जनसंख्या का आधार न बनाकर दूरी का आधार बनाया जाए ।

देश के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पानी की बहुत कमी है जिसके कारण उनके खेतों को पानी नहीं मिलने से फसल पर बुरा असर होता है और दूसरी ओर चारे की समस्या से पशुपालन पर बुरा असर होता है । मेरे संसदीय क्षेत्र में लिफ्ट परियोजना स्वीकृत हो गई है । इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाना चाहिए और नर्मदा परियोजना का लाभ राजस्थान के मरू भूमि पर दिलाने हेतु जोर दिया जाए ।

अंत में मैं माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था के विकास को गति प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत से यह बजट तैयार किया है और इसका तहेदिन से समर्थन करता हूं ।

***श्री श्रीपाद येसो नाईक (उत्तर गोवा):** माननीय वित्त मंत्रीजी ने वर्ष 2011-12 का बजट देशवासियों के सामने पेश किया । अपेक्षा थी कि देश में हुए भ्रष्टाचार के मामलों में बढ़ोत्तरी के कारण त्रस्त हुई देश की जनता को और बढ़ती हुई महंगाई कारण त्रस्त जनता को कुछ ना कुछ राहत मिलेगी । लेकिन डायरेक्ट टैक्स के अधीन 20 हजार का टैक्स स्लैब (1,60,000 से 1,80,000) तक बढ़ाके सिर्फ 20,000/- की पूरी साल के लिए राहत दिलाई है । और दूसरा आंगनवाड़ी कर्मियों का मानधन रूपये 1500 से 3000 तक बढ़ाया इसके सिवाय आम आदमी की घोर निराशा की गई है ।

आने वाला बजट कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने वाला होगा ऐसी चर्चा थी लेकिन बढ़ावा देने के बजाय कृषि क्षेत्र का पैरा घटाया गया है यह दुर्भाग्य की बात है । कृषि हमारी रीढ़ की हड्डी है । कृषि उत्पादन बढ़ गया तो देश का आम आदमी ठीक तरह से जीवनयापन कर सकेगा । सरकार ने किसानों के ऋण पर ब्याज यदि कम करते तो किसान के पैर पर खड़े हो सकते थे । मगर सरकार ने आलिशान कारों के ऊपर ब्याज कम कर दिया ताकि अमीर लोगों को और अमीर बनाने का प्रयास किया है ।

मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूं कि महंगाई कम करने के लिए इस बजट में आपने क्या व्यवस्था की है ? महंगाई से आज आम आदमी त्रस्त है । किसान हर दिन आत्महत्या करने लगा है। आखिर यहां का अन्नदाता किसान ऐसी आत्महत्याएं करने लगा तो आम आदमी जियेगा किस के आधार पर ? आज धान, सब्जियों की, दालों की कीमतें बढ़ी है । लेकिन यह पैसा किसानों को नहीं मिलता । बिचौलिया और साठेबाज ही उसका फायदा उठा रहे हैं । सरकार इनके ऊपर कुछ कारवाई नहीं करती । लोग कहते हैं कि साठेबाज और सरकार की साठगांठ है ।

आज देश ऐसे विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है कि आगे अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है । सरकार में भ्रष्टाचार की परिसिमा हुई है । एक के बाद दूसरा स्कैंडल उसमें 2जी स्पैक्ट्रम घोटाला है। 1,76,000 करोड़ का जो स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा है । कॉमन वेल्थ गेम के नाम पर हजारों करोड़ का घोटाला हमने देखा है । आदर्श घोटाले जैसे अनेक घोटाले हर स्तर पर होते जा रहे हैं । जब सरकार के ही मंत्री, सांसद घोटाले करने लगे तो साधारण आदमी क्यों नहीं करेगा भ्रष्टाचार ?

आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान को छू रहे हैं । 60 करोड़ लोगों को दोनों वक्त की रोटी तक नहीं मिल रही है । उत्पादन बढ़ाने की कोशिश नहीं हो रही है । सरकार किसानों को अच्छे

---

* Speech was laid on the Table

बीज नहीं दे पा रही है । उपजाऊ जमीन के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही । किसान खाद की कमी से परेशान है । दूसरी ओर गोदाम की पर्याप्त व्यवस्था ना होने के कारण देश का कई लाखों टन अनाज बाहर सड़ रहा है । आखिर इस के लिए सरकार की ही जिम्मेदारी है । देश का किसान आज संकट में है । कहीं ज्यादा बारिश, कहीं कम बारिश से फसल बर्बाद हो जाती है । कर्ज अदा नहीं कर पाता है । सरकार ने इस बजट में ऋण का ब्याज कम करना चाहिए था। ज्यादा ब्याज के कारण किसान और त्रस्त हो रहा है । अतः मेरी प्रार्थना है कि किसान का ब्याज दर 7 प्रतिशत से 4 प्रतिशत कर उन्हें मदद दी जाए ।

सरकार ने बहुत योजनाएं देश में चलाई है, लेकिन इनकी अमलबजावनी ठीक तरह से नहीं हो पा रही है । 40 प्रतिशत से ज्यादा बजट का पैसा खर्च नहीं हो रहा है । उसमें भी भ्रष्टाचार है । इस योजनाओं को चलाने के लिए आम आदमी को बैंक कर्ज देने में असमर्थता दिखाते हैं । पीएमआरवाई एसजीआर द्वारा और कई योजना बैंक के कारण सफल नहीं हो पाती है ।

देश में अनाज का उत्पादन बढ़ा है लेकिन हजारों लाखों टन अनाज मैनेजमेंट के अभाव से गोदामों में और बाहर सड़ रहा है । सड़ा हुआ अनाज गरीबी तक सरकार क्यों पहुंचाने में असमर्थ है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुई है । लोगों को सार्वनजिक वितरण प्रणाली का अनाज वक्त पर नहीं मिल रहा है । अतः मेरा आग्रह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया जाए ताकि गरीबों को ठीक तरह से अनाज मिले ।

यूपीए सरकार ने देश को गहरे संकटों में डाल दिया है । भ्रष्टाचार चरमसीमा पर है। मंहगाई ने आम आदमी की रीढ़ तोड़ दी है, किसानों की आत्महत्याएं हर दिन हो रही है, कानून व्यवस्था चरमरा रही है, लुटेरों ने हडकंप मचाया है, दिन-दहाड़े महिलाओं की हत्याएं हो रही है । साठेबाज इस गरम माहौल में अपनी रोटियां सेंक रहा है । किसान, आम आदमी भगवान भरोसे जी रहा है । इन परिस्थितियों से देश को ऊपर उठाने के लिए, देश को खड़ा करने का प्रयास यूपीए सरकार करे यही हमारी मांग है ।

[*]**SHRI IJYARAJ SINGH (KOTA):** I would like to complement the finance minister on having presented an excellent budget. The macroeconomic situation under which the budget has been presented is not an easy one.

We are facing the issue of inflation, which is worldwide, though admittedly the degrees vary. This is coupled with the fact that a number of nations in the world are still tackling the economic slowdown or are just emerging from it. Fiscal stimulus packages have been used by many countries to battle the economic slowdown. However, care needs to be taken to ensure that demand is not stimulated to such a degree that demand outstrips supply, and create inflationary pressures.

What is very welcome is the increased focus on infrastructure. The outlay on infrastructure has been increased by 23% in 2011-12 to Rs.214 crore. To increase the inflow of funds which can be used for infrastructure development, SEBI approved mutual funds can now receive investments from foreign institutional investors. In addition, the ceiling on FII investments into infrastructure bonds has been increased to $40 billion. FII's can also invest into unlisted bonds with a minimum lock in period of 3 years. In addition, notified infrastructure dedicated debt funds will now attract a withholding tax of 5% as opposed to the current 20%. The income tax deduction on the investment in infrastructure bond continues, in order to encourage these kinds of investments.

One of India's most valuable assets is its human resource. This can be a source of great advantage to us in the coming years. We have a large percentage of our population in the youth bracket, but they need to be well educated, and have vocational skills. It is with this in mind that there is a big increase in the allocation for education, especially primary education. The allocation for Sarva Shiksha Abhiyan has been increased by 40%. The allocation for secondary and higher education has been increased by 24%. Scholarships to those belonging the SC/ST category has been increased and would benefit about 40 lakh students.

---

[*] Speech was laid on the Table

The budget has attempted to increase the efficiency of the segments which are of primary importance for an agrarian economy like India's. Agriculture contributes about 24% of India's GDP, and India is the 2nd largest food producer in the world. There are increased incentives for investment in godowns, silos, cold chains and refrigerated warehouses. Infrastructure status has been granted to post harvest storage to enable foreign and increased investment in this sector. Machinery and equipment used in cold storage, mandis and warehouses has been extended excise duty exemptions. Due to increased demand for food grain and fruit and vegetables, their effective storage is vital. This would also encourage the food processing industry which depends a lot on the ability to store perishable produce (such as fruits and vegetables) which often end up getting spoiled and rotting in the absence of proper and adequate storage. Another step in this direction is the proposed setting up 15 food parks.

To improve the efficiency of farming, steps have been taken to encourage the procurement of agriculture machinery and micro irrigation, by reducing customs duty from 5 to 2.5%, and from 7.5 to 5% respectively. Micro irrigation methods like drip irrigation and sprinkler systems would be very beneficial where there is need to use water resources effectively in rain-fed and water scarce regions.

The finance minister has also announced that farmers repaying loans on time will get a discount or incentive of 3%, making their effective rate of interest 4%. This will be of benefit to countless number of farmers. The finance minister has also attempted to improve agricultural credit further, by infusing Rs.3000 crore into NABARD.

To further aid development, the allocation to Bharat Nirman, which includes Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna, Accelerated Irrigation benefit Programme, Rajiv Gandhi Vidyutikaran Yojna, Indira Awas Yojana, National Rural Drinking Water Yojna and Rural Telephony, has been allocated 58,000 crore, which is an increase of 10,000 crore.

The wage rates under MNREGA has been indexed to the Consumer Price Index for Agriculture Labour, which will benefit thousands of rural inhabitants. We have all experienced and seen that subsidies for LPG, Kerosene and fertilizers do not reach where they should, despite the best intentions of the government. Therefore, the stated intent of the Government to move towards a system of direct transfer of cash to those targeted for the subsidies by March 2012, in a phased manner, is most welcome and laudable. This will also free up resources for use elsewhere by their more efficient use.

Healthcare allocation has been increased by 20%, which is a very positive step. Rashtriya Swasthya Bima Yojana, which benefits poor and marginal workers, has been extended to MNREGA workers, in addition to others

To enable the common man to have more money left in his pocket in these times when inflation is a worry, the Finance Minister has raised the no tax bracket to Rs.1,80,000. There have been cuts in excise duty on several items to benefit the common man.

The age for qualifying as a Senior citizen has been lowered from 65 to 60, and the exemption limit raised from 2,40,000 to 2,50,000. For citizens over the age of 80, the tax exemption limit has been raised to 5,00,000. All these measures will help our elderly citizens live better and more honourably.

However, service tax has been imposed on hospitals having more than 25 beds and being centrally air conditioned. This will hurt the common man, and effect the smallest hospitals, as a hospital of 25 beds is not very large and in certain weather conditions, air conditioning is a necessity. The service tax component will be passed on the patients already affected by inflation. In addition, service tax has been imposed on hotels having a room rate of more than Rs.1000. This will hurt the tourism industry, which has suffered due to the economic downturn. Tourists from the US and Europe have dropped in numbers, and are now price sensitive. Major tourist destinations like Rajasthan and Kerala will be particularly effected.

One of the very positive steps has been to increase the salaries being paid to Anganbadi workers. This has been doubled for all categories, and will greatly benefit the workers who generally come from a very impoverished background.

I once again congratulate the finance minister on a presenting a good budget.

Finally, I commend the budget.

*__श्री रघुवीर सिंह मीणा (उदयपुर):__ मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 2011-12 के बजट का समर्थन करता हूं । यह गर्व की बात हे कि भारत आज दुनिया में चीन के बाद सबसे तेज गति से विकास की ओर बढ़ने वाला देश है । जब दुनिया के बहुत सारे देश, खासकर विकसित देश, पिछले 2-3 वर्षों में, मंदी के दौर से गुजर रहे थे, भारत की प्रगति सराहनीय रही है ।

2011-12 में विकास की दर का लक्ष्य 9% का रखा गया है जोकि निश्चित रूप से हमारी पहुंच में है । कृषि विकास दर 2010-11 में 5.4% रही है जो कि अच्छे मानसून व सरकार के प्रयासों का नतीजा है । अर्थव्यवस्था के बाकी क्षेत्रों की भी विकास दर अपेक्षाओं के अनुसार हो रही है ।

कृषि विकास को महत्व

3. मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बार आपने अपने बजट भाषण में कृषि विकास पर फोकस किया है एवं विस्तृत रूप में सरकार की प्राथमिकताओं को सुनिश्चित किया है । आपने बजट में एक स्पष्ट संदेश (message) दिया है कि भारत जैसे देश के लिए दालों एवं तिलहनों में आत्मनिर्भरता उतनी ही आवश्यक है जितना कि गेहूं व चावल में । पहली बार मोटे अनाज (coarse cereals) जैसे बाजरा, मक्का, ज्वार को पोषक (nutiritional) अनाज का दर्जा देकर इसके प्रसंस्करण (processing) को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है । इससे छोटे व सीमांत किसान, खासकर आदिवासी क्षेत्रों के किसानों एवं वर्षा आधारित (rainfed area) खेती करने वाले किसानों को लाभ होगा ।

4. कई वर्षों से हम सुन रहे हैं कि दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता है जिससे कि देश में खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित किया जा सके । स्वामिनाथन साहब की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने भी इसकी सिफारिश की थी । इस बजट में इसकी घोषणा हुई है कि देश के पूर्वी राज्यों - बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आसाम, छत्तीसगढ़, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसकी शुरूआत करनी है । असल में देश के इन राज्यों में अच्छा व पर्याप्त पानी है, अच्छी भूमि है, परंतु कृषि उत्पादकता बहुत कम है जिसको एक दिशा देकर आसानी से बढ़ाया जा सकता है । इसलिए वित्त मंत्री जी का यह एक सराहनीय कदम है । इसके अतिरिक्त पशु चारे का उत्पादन,

* Speech was laid on the Table

भण्डारण क्षमता बढ़ाने और कृषि ऋण की मात्रा को 3.75 लाख करोड़ से 4.75 लाख करोड़ का करना, विशेष कदम है ।

5. वित्त मंत्री जी ने टिकाऊ खेती (sustainable agriculture) का भी प्रावधान रखा है । इस बारे में मेरा एक सुझाव है कि आदिवासी क्षेत्रों में जहां अब तक रासायनिक खाद (chemical furtilizer) और कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल न के बराबर है वहां एक योजनाबद्ध तरीके से जैविक (organic) फसलों को पैदा करने के आवश्यक सहायता, वित्तीय और तकनीकी सहायता (financial and technical) केन्द्र सरकार की विशेष योजना द्वारा उपलब्ध कराना चाहिए ।

6. दूसरा सुझाव है कि जैव उर्वरक (bio-furtilizer) व कम्पोस्ट खाद का उत्पादन एक संगठित तरीके से करवाना चाहिए जिससे इसकी गुणवत्ता एवं विपणन सुनिश्चित होगी । किसानों को सस्ती खाद मिलेगी, उनको पशुधन से गोबर प्राप्त होता है उसकी अच्छी कीमत मिलेगी जोकि आज आधे से ज्यादा मिट्टी हो जाता है । हम सब जानते हैं कि इसके इस्तेमाल से जमीन की सेहत व गुणवत्ता बनी रहेगी एवं इसकी ज्यादा पानी प्रतिधारण क्षमता (water retention capacity) होने से कम पानी में ज्यादा उत्पादकता प्राप्त की जा सकेगी । इन फायदों को देखते हुए देश में जैव उर्वरक (bio-furtilizer) का संगठित तरीके से उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है कि इसके उत्पादनकर्ताओं को रासायनिक खाद (chemical furtilizer) की तर्ज पर सब्सिडी उपलब्ध कराएं तथा उसके लिए एक उचित विपणन तंत्र (marketing network) को बढ़ावा दें । चूंकि आदिवासी समाज पशुधन व जंगलों पर आधारित है इस तरह की व्यवस्था से उनको भी फायदा होगा ।

7. टिकाऊ खेती (sustainable agruculture) के परिप्रेक्ष्य में जल संरक्षण एवं इसके उचित उपयोग का बहुत महत्व है । यद्यपि देश में फव्वारा व बूंद-बूंद सिंचाई (sprinkler and drip irrigation) को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, लेकिन इसकी प्रगति धीमी है । अभी तक देश में केवल 25 लाख हेक्टेयर में यह व्यवस्था हो पाई है । हमें अगले 2-3 वर्षों में कम से कम 150 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखना चाहिए । इससे न केवल पानी की बचत होती है बल्कि उत्पादकता में 25 से 30% वृद्धि भी होती है । भविष्य में भूमि की उर्वरकता बनी रहती है । लेकिन इसमें शुरूआती खर्चा ज्यादा आता है जोकि छोटे व सीमांत किसानों के बस की बात नहीं है । इसलिए सरकार को इसके लिए 90% सब्सिडी देनी चाहिए ।

8. इसके अतिरिक्त देश में कृषि के उपकरण (tractors, thrashers, cultivators) आज भी काफी महंगे हैं एवं आम किसान की पहुंच से बाहर है । इन पर ऋण मिलता है लेकिन ब्याज दर ज्यादा है । जिस तरह से अल्प अवधि के लिए फसल ऋण (crop loan) पर 4% ब्याज कर दिया है, इसी तरह से इन पर ब्याज दर कम करने की आवश्यकता है । यह इसलिए भी जरूरी हो गया है कि मनरेगा (MNAREGA) में गरीब मजदूरों को रोजगार मिलने से कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त मजदूरों की उपलब्धता नहीं है एवं मजदूरी लागत बढ़ने से किसान की उत्पादन लागत भी बढ़ गई है। समय पर कृषि कार्य (जुताई, बुआई, कटाई) नहीं होने से उत्पादकता भी कम हो जाती है । इसलिए ऐसी स्थिति में कृषि का मशीनीकरण आवश्यक हो गया है जिसके लिए हमें ब्याज दर में ही कमी करने की जरूरत नहीं है बल्कि कृषि उपकरणों का देश में बड़ स्तर पर उत्पादन हो, इसको भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है ।

9. इसमें कोई संशय नहीं है कि आने वाले वर्षों में देश में खाद्यान्नों की मांग, उत्पादन से ज्यादा होने वाली है । कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा गैर कृषि कार्यों के लिए जा रहा है जोकि देश में बढ़ते विकास का परिणाम भी है । प्रश्न यह है कि इस घाटे की पूर्ति कैसे करें । देश में राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी (National Remote Sensing Agency - NRSA) के अनुसार करीब 55 मिलियन हैक्टेयर (550 लाख हैक्टेयर) भूमि उसर या degraded है हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि कम से कम 15 मिलियन हैक्टेयर जमीन को हम अगले 3-4 वर्षों में कृषि योग्य बना सके । इसके लिए एक विशेष कार्यक्रम (land development) शुरू होना चाहिए जिसकी नजदीकी से निगरानी (monitoring) होनी चाहिए । मैं जानता हूं कि आज भी देश में बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं, भूमि विकास के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन इस विकसित भूमि से उत्पादन बढ़ा है इसके प्रमाण बहुत कम है । इसलिए मैंने नजदीकी निगरानी का सुझाव दिया है ।

चिकित्सा सुविधा का अधिकार

10. बजट 2011-12 के परिप्रेक्ष्य में एक और बात रखना चाहूंगा, जोकि आदरणीय वित्त मंत्री जी एवं स्वास्थ्य मंत्री जी से संबंधित है । जिस तरह से हमारी सरकार ने रोजगार के अधिकार एवं शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया है और खाद्य सुरक्षा के अधिकार पर अभी विचार हो रहा है, उसी तरह से चिकित्सा सुविधा के अधिकार, विशेषकर गरीब तबकों के लिए, की भी अत्यंत आवश्यकता है । उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में करीब एक लाख करोड़ रूपयों की दवाओं का

उत्पादन होता है और करीब 50,000 करोड़ रूपये का हम निर्यात (export) भी करते हैं । लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक भारत में अभी भी करीब 65% जनसंख्या को आधुनिक दवा नहीं मिल पाती है एवं इसमें गरीब लोग सबसे ज्यादा है । इसके कई कारण हैं, दवा नहीं है, दवा की दुकान नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है एवं दवा की कीमत ज्यादा है ।

11. एक अनुमान के अनुसार, यद्यपि अमेरिका में 38% डॉक्टर भारतीय है, हमारे देश में अभी करीब 7 लाख डॉक्टरों की कमी है । यह कमी 2020 तक और बढ़ेगी । 2020 तक 19 लाख डॉक्टर, 37 लाख नर्स तथा 82 लाख पैरा मेडिकल स्टाफ कुल मांग की तुलना में कम रहेंगे । यह एक गंभीर स्थिति है । आज भारत में हर वर्ष करीब 33-34,000 डॉक्टर बनते हैं । नर्स भी हर वर्ष मांग की तुलना में बहुत कम बनती है । क्या उपाय किए जाएं, हमको प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है ।

12. गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह से उपलब्ध कराएं यह सुनिश्चित करने की जरूरत है । आज स्वास्थ्य पर करीब 80% खर्चा व्यक्ति अपनी जेब से करता है, राज्य एवं केन्द्र सरकार दोनों मिल कर करीब 15% खर्चा करते हैं, बाकी बीमा स्कीमों के मार्फत होता है । आज, औसत तौर पर दवा पर प्रति व्यक्ति खर्चा करीब 300 रू0 प्रति वर्ष होता है । कुल स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्चा, जो अस्पताल में भर्ती होने पर होता है वह करीब 1500 रू0 है । इस आधार पर सरकार यदि बीपीएल (BPL) परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देने का निर्णय लेती है तो कुल वार्षिक खर्चा एक अनुमान के अनुसार 9000 करोड़ रूपये से लेकर 29000 करोड़ रूपये आता है ।

13. इस बारे में मैं एक उदाहरण, राजस्थान का देना चाहूंगा । वहां पर एसएमएस व अन्य बड़े अस्पतालों में Life Line Stores के मार्फत liquid injectable और intra-venous fluids (ग्लूकोज की बोतलें) बाजार भाव से 20 से 70% कम कीमत पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं । इस दिशा में "मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोश" योजना के तहत BPL परिवारों को जनवरी, 2009 से मुफ्त इलाज व दवाईयां उपलब्ध कराई जा रही है । यदि कोई दवा या किसी बीमारी विशेष का इलाज सरकारी दुकान या अस्पताल में उपलब्ध नहीं है तो उन्हें निर्धारित अस्पतालों से यह सुविधा दी जाती है । इस योजना के तहत पिछले एक वर्ष में करीब 66 लाख मरीजों का मुफ्त इलाज हुआ एवं राज्य बजट से करीब 65 करोड़ रूपया खर्च किया गया ।

14. इसको देखते हुए मेरा सुझाव यह है कि केन्द्र सरकार बीपीएल (BPL) परिवारों के लिए स्वास्थ्य गारंटी योजना (Health Guarantee Scheme) के तहत राज्य सरकारों को 70% हिस्सा देने का प्रावधान करे । राज्य सरकारों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए 30% व्यय वे स्वयं करे । इसमें जो भी दवाईयां चाहिए वे राज्य सरकार अपने स्तर पर एक निविदा समिति (Tender Committee) के द्वारा दवाईयां जानी-मानी कंपनियों से खरीदे । राजस्थान का अनुभव बताता है कि निविदा प्रणाली (tender system) से बाजार भाव के 10-20% पर ही दवाईयां खरीदी जा सकती है। मतलब, 10 रूपये की दवा 2 रूपये में खरीदी जा सकती है । इससे रोगियों पर कम भार तो पड़ेगा ही साथ ही सरकार कम पैसे में ज्यादा लोगों का इलाज कराने में सक्षम होगी ।

15. मेरा यह मानना है कि गरीब को स्वास्थ्य गारंटी (Health Guarantee) देने के लिए 9000 करोड़ रूपये या 29000 करोड़ रूपये बहुत ज्यादा राशि नहीं है । और यदि व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो ज्यादा कमाता है एवं इससे उसकी पारिवारिक आय बढ़ने के अतिरिक्त हमारी सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर (GDP Growth Rate) भी बढ़ेगी ।

16. मैं अपेक्षा करता हूं कि आप मेरे द्वारा दिए गए सुझावों पर गौर करेंगे । आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं ।

17. अंत में मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं ।

*SHRI M. ANANDAN (VILUPPURAM): I would like to lay my views on the general budget 2011-12 on behalf of AIADMK Party.

As per the implementation of Special Component Plan (SC) and Tribal Sub Plan (TSP) initiated in 1980 and 1974 to bring SCs & STs into mainstream focusing on their socio and economic development, it has been decided to allocate budget for the same according to their population percentage. But the allocation has been always very low from the required (16.2% for SCs and 8.2% for STs). In the present Union Budget also the allocation under SCP is 8.98% and TSP is 5.11%. For the development of SCs and STs Government should have allocated Rs.55,121 crores and Rs.25,430 crores respectively. But it has allocated Rs.30,551 for SCs and Rs.17,371 crore for STs. Out of 104 departments only 24 departments have made allocation under SCP and 26 departments have made allocations under TSP. It is a sorry affair according to the framed policy this allocation is very low. The number of departments like industries, mines, coal, steel, atomic energy etc. are being left out.

In the present budget the allocation to Indira Awas Yojana have been reduced from Rs.6000 crores to 3530 crores. The Ministry of Youth Affairs has reduced its budget on SCP by 32%. I appeal to the Hon'ble Minister to ensure the following.

1. allocation under SCP and TSP should be as per the population percentage of SCs and STs.
2. all departments like Energy, Power, Roads and Bridges, Coal, Petroleum, Mines, Coal, Industry etc., should allocate SCP and TSP
3. all departments must have separate cell on SCP and TSP which are proactive in ensuring effective implementation of the programme.
4. clear schemes and programmes which have utility value for the SCs and STs need to be innovated for SCP and TSP.

---

* Speech was laid on the Table

***डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम):** यूपीए-2 के हमारे विद्वान और आदरणीय वित्त मंत्री जी के इस बजट में सरकार ने अपनी वित्तीय व्यवस्थापन को बेहद सफल दिखाया है और ग्लोबल मंदी होते हुए भी जीडीपी को 9 प्रतिशत रख के अपनी पीठ खुद ही थपथपाई है । मगर अगर सही मायने में देखा जाए तो ये सिर्फ भ्रामक स्थिति है । सही मायने में देखों तो प्रणालीगत भारतीय अर्थतंत्र का ढांचा ही ऐसा है, जिसकी वजह से हमारा अर्थतंत्र एक आर्थिक सभ्यता की मजबूत बुनियाद पे खड़ा है । मैं मानता हूं कि यही भारतीय वित्तीय व्यवस्था सदियों से चली आती है और जो मजबूत नींव पर खड़ी है । वही शक्ति के तहत हम ग्लोबल रीसेसशन दौर में अपने आपको बचा सके हैं ।

ये सरकार जीडीपी 9 प्रतिशत हासिल करने का दावा कर रही है मगर वास्तविकता ये है कि जिस "आम आदमी" की दुहाई देके ये सरकार सत्ता में आई है । आज वो आदमी बेबस और महंगाई के चक्कर में फंसा हुआ है । जहां 9 प्रतिशत जीडीपी के बिगुल बजाए जाते हैं वहां वास्तविक स्थिति ये है कि बीपीएल की संख्या तेजी से बढ़ रही है । कमनसीब बात ये है कि ये सरकार बीपीएल धारकों की सही सूची भी नहीं बता सकती है । मेरा स्पष्ट मानना है कि यूपीए सरकार के 9 प्रतिशत जीडीपी के खोखले दावे के बावजूद गरीबों और अमीरों के बीच की खाई तेजी से बढ़ रही है । ये व्यवस्था में कुछ गिने चुने "खास लोगों" को ही फायदा पहुंचा है और "आम आदमी" और गरीब होता जा रहा है ।

जबसे ये सरकार सत्ता में आई है तब से महंगाई तेजी से बढ़ रही है । यूपीए-2 के दो साल के कार्यकाल में ये ही गलत नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है । इस बजट में महंगाई कम करने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है ।

जब महंगाई और डबल डीजीट ईन्फेशन को काबू में रखने को यूनियन सरकार विफल रही है तब एक आशा की किरण है कि महंगाई को काबू में रखने के लिए आदरणीय श्री नरेन्द्रभाई मोदी के नेतृत्व में गठन की गई समिति ने कुछ ठोस उपाय प्रस्तुत किया है, जैसे कि :

- वायदा के व्यापार पर बैन लगाना
- एफसीआई का पुनर्गठन और डी सैन्ट्रलाइजेशन
- खेत में पैदा फसलें और रिटेल मार्केट की कीमतों की दूरी को कम करना

---

* Speech was laid on the Table

- कानून को सख्त करते रीटेल मार्केट के दामों को स्थिर रखना
- लंबी दूरी की, ठोस कृषि नीति बनाना
- रीटेल कोमोडिटी एक्ट-10 ए को और चुस्त बनाना औरउसके लिए स्पेशीयल एवं फास्ट कोर्ट बनाना
- पीबीएम एक्ट में संशोधन करके डीटेइनमेंट अवधि को 6 मास से बढ़ाना

बढ़ती हुई महंगाई और अन्य दामों की वृद्धि को रोकने के लिए ये कमिटी ने प्रस्तुत किए विकल्पों के साथ और अन्य ठोस कदम उठाने की मैं प्रार्थना करता हूं । इस बजट में असंगतताएं एवं त्रुटियां है, जैसे कि

- रोकाणकारों के लिए कोई प्रावधान नहीं है ।
- कृषि क्षेत्र में समतोल और लचीली नीति होनी चाहिए ।
- लंबी दूरी की डेवलप्मेंट पोलिसी बनानी चाहिए ।
- अनुसूचित जाति और जनजातियों की पोप्युलेशन करीब 25 प्रतिशत से भी ज्यादा है, मगर उनके लिए अब के सभी बजटों में .1 से .2 प्रतिशत ही आबंटन किया जाता है । एससी/एसटी के नाम पर दुहाई देने वाली ये खोखली राजनीति का त्याग कर सही आबंटन करना चाहिए । मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इन वर्गों के लिए बजट में 25 प्रतिशत प्रावधान किया जाना चाहिए ।
- सर्विस टैक्स में हैल्थकेयर सैक्टर पर भारी बोझ लादा गया है । मैं मानता हूं कि ये आम आदमी के आरोग्य प्रति असंवेदनशील रवैया है । उसे शीघ्र ही वापस लिया जाना चाहिए और सर्विस टैक्स के दायरे को नेशनलाइज करना चाहिए ।
- सर्विस टैक्स पेमेंट में ढील पर पैनल्टी रू. 2000 से बढ़ाकर रू. 20,000 की गई है। उसे भी रेशनालाईस करना चाहिए ।
- गारमेंट इंडस्ट्री पर 10 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है । मैं अहमदाबाद (गुजरात) मतक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं । जैसे अनेक प्रदेशों में ये बढ़ावा की तहत वस्त्र उद्योग मुश्किल में आ पड़ा है, मैं उसे शीघ्र ही वापस लेने का निवेदन करता हूं ।

- सहकारी क्षेत्र पर इन्कम टैक्स लेना, सहकारी मूवमेंट को नकारात्मक गति देता है । मैं उसे वापस लेने की प्रार्थना करता हूं ।

माननीय वित्त मंत्री ने यह बजट में राष्ट्र की गंभीर समस्याओं जैसे की भ्रष्टाचार, कालाधन, बेरोजगारी क्षेत्रों में कोई ठोस सुझाव एवं उपाय नहीं किए हैं । इनके लिए स्पष्ट नीति और प्रावधानों की जरूरत है ।

* SHRI KHAGEN DAS (TRIPURA WEST): While participating in the discussion, at the outset I would like to say that I strongly oppose the Budget for the year 2011-12. The Union budget for 2011 has singularly failed to protect the interest of common man. The budget is very disappointing particularly for North East special category states. It has failed to address the burning issues the nation is grappling with today like unabated inflation, corruption and black money stashed in foreign bank and unemployment. The Union Budget for 2011-12 is taking the country to a path of unbridled liberalization and open market economy in total disregard to the interest of the common man. The budget will only protect and benefit the Indian corporate and foreign Multi National Companies.

5. In the Budget speech, the Finance Minister has claimed the allocation for special assistance has been almost doubled to Rs. 8,000 crore for 2011-12 in order to boost development in the North Eastern Region and Special Category States. Though the BE 2010-11 for special assistance was Rs. 4500 cr, it was actually increased to Rs 11,657 cr in RE 2010-11 for special category states. Thus, the provision foe special assistance has actually come down from Rs. 11,657 cr in RE 2010-11 to 8,000 cr for BE 2011-12. Moreover, additional money as reflected in RE to the tune of Rs. 7,157 cr has been distributed to selected states in a non transparent manner, which is highly discriminatory. I can say Tripura did not get any single penny. The reduced allocation of Rs. 8,000 cr for BE 2011-12 is highly inadequate to take care the developmental needs of the region. This is insufficient particularly in keeping in view the shortfall on committed liabilities like salary, pension etc created by 13th Finance Commission. The Non Plan salary and pension expenditure of Tripura for the current financial year (2010-11) as per R.E. is about Rs.2,034.06 crore and Rs. 661.51 crore respectively whereas the assessment of 13 Finance Commission for these were only Rs. 1,505.05 crore and^ Rs.455.21 crore respectively indicating a shortfall of about Rs. 735.31 cr on salary and pension[1]

---

* Speech was Laid on the Table

alone and the state is struggling to raise resource for plan even upto the last year's level ie Rs.1 1860 cr. The position of other North East states is no better.

To address problems related to Left Wing Extremism affected districts, an Integrated Action Plan (IAP) for 60 selected tribal and backward districts has been launched in December 2010. The scheme is being implemented with 100 per cent block grant of Rs.25 crore and Rs. 30 crore per district during the years 2010-11 and 2011-12, respectively. But no fund has been kept for those districts which are suffering from other forms of extremism. Tripura, though a small special category state, has been forced to spend large part of its budget on maintenance of Law and order. Police constitute 25% of total employee strength which is a heavy burden on a small State. Yearly increase in salary expenditure is about Rs. 50 crore which is quite substantial. Between 2000-01 and 2009-10, the expenditure of Home(Police) Department has gone up by about Rs. 338 cr yearly. The government of India should shoulder part of this burden by yearly grant for maintenance of Law and Order.

For MGNREGA, the allocation for this scheme has actually been reduced from 40,100 cr this year to 40,000 cr for 11-12. On the other hand, the wage has been increased and cost of construction materials have gone up, on the other allocation of MGNREGA has been reduced. Even with allocation of Rs. 40,100 crore the actual mandays of work created was much less than 100. Now, with reduced allocation, it will be impossible for the government to guarantee 100 mandays of work to each card holder.

For Bharat Nirman which consist of PMGSY, AIBP, RGGVY (Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana), I AY, National Rural Drinking water Programme and Rural Telephony, allocation has been increased by only 10,000 cr. As the large chunk of additionality will go in Rural Telephony, the provision for 2011-12 is quite inadequate.

The allocation for IAY has been reduced from Rs. 9333.50 cr. in RE 2010-11 to Rs. 8,996.00 crore in BE 2011-12. The housing for poor in rural areas does not appear a priority for the central government.

The allocation of PMGSY has been reduced from Rs. 21,110 cr in RE 2010-11 to Rs. 17,789.00 crore for BE 2011-12. With reduced allocation how does the government expect to provide road connectivity to rural areas particularly those in inaccessible and difficult areas of North East?

Provision for SGSY (Swarnajayanti Gran? Swarozgar Yojana) has been reduced from Rs. 301.00 cr in BE & RE 2010-11 to Rs. 292.40 cr for BE 2011-12. The reduction in allocation indicates lack of commitment of the government for creating self employment of poor particularly SHGs.

No measures have been indicated in the budget to deal with unprecedented price rise in the country particularly food inflation. The base rate of central excise duty has been increased from 4% to 5% which will add to inflationary pressure on essential commodities.

No concrete measures to deal with corruption in public life except formation of GOM (Group of Ministers). Five fold strategy mentioned in budget are nothing but existing mechanisms which have proved to be totally ineffective. Similarly, no measure has been announced to bring back money in foreign banks and measures to deal with black money except formation of a task force.

The Central Government is still pursuing the policy of disinvestment in public sector undertakings and a target of 40,000 cr has been kept for 2011-12. The disinvestment policy will adversely affect the functioning of these undertakings and limit further employment in public sectors.

There is proposal to increase the income tax exemption limit to 1.80 lakh from 1.60 lakh , but the exemption limit for woman remains at Rs. 1.90 lakh. The women have been given a raw deal in this matter.

The Budget for 2011-12 on the whole does not hold much promise for the poor. It also lacks focus on the special requirement of the North East of the country.

*SHRI SUKHDEV SINGH (FATEHGARH SAHIB): I thank to the Hon'ble FM, the biggest point that he made in budget was improving the governance. Hon'ble committed to strengthening all the flagship programmes from Agriculture, Education and healthcare infrastructure.

I would like to complement to Hon'ble FM for increasing the salaries of the Anganwari Workers, which was I think milestone decision taken by the Hon'ble FM. It also part of appreciations that Hon'ble FM tried to keep balance between the Urban and Rural and he has tried to please most of us in the interest of the country.

I come from the state of Punjab, the state totally based on the agriculture, the agriculture is the backbone of the state. The state is totally dependent on agriculture. So there are some points which I would like to highlights especially for Agriculture Sector of the state of Punjab:-

I represent a side of the country where more than 70% people of my entire constituency is rural and dependent directly or indirectly on agriculture. I want to make a request to the Hon'ble FM that Crop Insurance Facilities also provided to the farmers of state of Punjab. If any provision for Crop Insurance for state of Punjab in this budget, I shall be thankful on the behalf of more than two crore farmers of state of Punjab.

I am thankful on the behalf of more than two crore farmers of state of Punjab due to 4% rate of interest for farmers in place of 7% in last years but Hon'ble FM the agriculture sector especially small farmers needs more subsidies for their survival because agriculture is not profitable profession this is like a service to the nation country without any profitable motive.

I am thankful on behalf of farmers of the country regarding agro food processing for giving to more Mega Park in the country but I request to the Hon'ble FM on the behalf of the farmers of Punjab for consideration and providing Mega Park in state of Punjab.

---

* Speech was laid on the Table

I thankful to the Hon'ble FM on the behalf of the BPL families of Punjab regarding FM and Govt. giving the direct cash transfer subsidies schemes for BPL families. I request to the Hon'ble FM that BPL list revised once a every year the person cross the barrier due to more income they deleted from the list and the person involved in financial crisis they shall putted in the BPL list.

I made a request to the Hon'ble FM on the behalf of the SCs/STs and downtrodden people especially for the women to provide the more funds for their upliftment e.g. education, health and recognition.

I made the request to the Hon'ble FM the more funds provided for education to the ignored classes and rural areas especially for state of Punjab, because education in rural area of the Punjab totally collapsed.

Lastly, I thankful to the Hon'ble Speaker Madam for giving me a chance to express my views on the General Budget presented by the Hon'ble FM for 2010-2011.

***श्री प्रेमदास (इटावा):** वित्त मंत्री जी के द्वारा रखे गए बजट 2011-2012 में किसानों के लिए सुविधा उपलब्ध कराए जाने के रूप में प्रचारित किया जा रहा है लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है । देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा उद्योगों के लिए बड़े पैमाने पर हो रहे भूमि अधिग्रहण के कारण कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल लगातार घट रहा है और उ.प्र. सहित कई राज्यों में किसानों को दिए जा रहे भूमि के कोड़ियों के दाम के कारण असंतोष निर्माण हो रहा है । अंग्रेजों के द्वारा 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून में विसंगतियों के कारण किसानों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है वह विद्रोह की स्थिति में आ गए हैं । इसे देखकर किसान हितैषी नए भूमि अधिग्रहण कानून बनाए जाने की आवश्यकता है ।

सरकार ने कृषि क्षेत्र में 375000 करोड़ रू0 के पिछले वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष 475000 करोड़ रू0 कृषि ऋण के लिए उपलब्ध कराए लेकिन छोटा किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए साहूकारों पर आश्रित है । उसे बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाता है। मेरे क्षेत्र में ऐसे कई मामले आए हैं फिर इतनी बड़ी राशि के प्रावधान करने का क्या फायदा । किसानों को अच्छे बीज खाद एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के मद में अधिक राशि खर्च करने की आवश्यकता है लेकिन सरकार किसानों का कर्ज लेकर खेती कराने पर अमादा दिखाई देती है । देश के किसान को समृद्ध होने के लिए उसे कर्ज से अधिक सिंचाई और अच्छे बीज की आवश्यकता है लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है । केन्द्र सरकार के द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र में ध्यान देने की जरूरत है । देश दूर दराज क्षेत्रों से मरीज इलाज कराने आए हैं । उनको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है । अगर किसी मरीज को गंभीर बीमारी है तो उसे आपरेशन की तारीख 8 माह एवं साल भर तक दे दी जाती है । सरकार ने देश में पांच बड़े अस्पताल खोलने संबंधी चर्चा हुई थी लेकिन उस तरह भी कोई ध्यान नहीं दिया गया अगर एम्स की तर्ज पर पांच बड़े अस्पताल खुल जाते हैं तो देश की जनता को बहुत राहत मिलेगी । देश में सरकारी बड़े अस्पतालों की आवश्यकता है ।

देश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए सरकार बेरोजगार छात्र एवं छात्राओं की तरफ ध्यान देने योग्य कोई भी बात नहीं की गई है । सरकार को देश के छात्र छात्राओं की तरफ ध्याना देना चाहिए ।

---

* Speech was laid on the Table

देश में बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए सरकार का ध्यान देश की गरीब जनता की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । अगर सरकार ने खाद्यान्न पदार्थों के बढ़ते दामों की कीमतों में कमी नहीं की तो देश की जनता त्राहिमाम करने लगेगी जिससे कि मेरा सरकार से आग्रह है कि बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए सरकार के द्वारा आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है जिससे कि गरीब जनता को राहत की सांस मिल सके ।

*श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया): माननीय वित्त मंत्री जी ने जो 2011-12 का जो बजट पेश किया है वे देश की वास्तविक अर्थव्यवस्था से काफी दूर है । उसमें आम आदमी नजर नहीं आ रहा है । उद्योग जगत को सुविधाएं दी है । कृषि को बजट में कृषि के महत्व के हिसाब से कम आवंटन किया है जिससे देश में खाद्यान्न उत्पादन पर बहुत असर पड़ेगा । सरकार काले धन और महंगाई पर बातें ही कर रही है अमल में कुछ नहीं कर रही है ।

बजट के शुरू में बुनकरों के संबंध में देश में कृषि के बाद हथकरघा क्षेत्र में 65 लोगों को रोजगार मिला हुआ है और इसमें 61 प्रतिशत महिलाएं है जो अपनी पारंपरिक कला को बचाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं और कई आत्म हत्या कर रहे हैं । सरकार ने अनेकों योजनाएं चलाई रखी है परंतु उनका कोई असर नहीं हो रहा है । एक टाईम में भारत का बना कपड़ा का काफी मान एवं सम्मान था जिन्हें आज के आर्थिक स्थिति के कमजोर बुनकरों के पूर्वज बनाया करते थे । बनारसी साड़ी का आज अता पता नहीं है । जो धन बुनकरों के कल्याण के लिए आवंटित किया है वह भी कहा जा रहा है पता नहीं है क्योंकि उनका कोई कल्याण तो हो ही नहीं रहा ।

इस बजट में पूर्वांचल के विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया है । भारत अनेक क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है, फिर भी हमारी आबादी के कई ऐसे हिस्से ऐसे है जिन तक विकास का लाभ अभी तक नहीं पहुंचा है । यह बात उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जिनके क्षेत्र विकसित क्षेत्रों की गति के साथ तालमेल नहीं रख पाए हैं । इन क्षेत्रों के पिछड़ेपन के पीछे अनेक कारण हैं इनमें सड़क, संचार, स्कूल और स्वास्थ्य देखभाल जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव शामिल है । महात्मा गांधी जी का स्वप्न था जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक पूरे भारत का संतुलित विकास नहीं हो सकता है ।

उत्तर प्रदेश के कई जिले पिछड़े हैं उनके लिए इस बजट में किसी पैकेज दिए जाने का जिक्र नहीं है । देश में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर कर देश का संतुलित विकास होना चाहिए । इसके लिए सरकार प्रयासरत भी है परंतु अभी तक हो रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अत्यंत पिछड़ेपन से ग्रामीण लोगों का शहरों की तरफ पलायन हो रहा है जिससे लगता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश यानि पूर्वांचल का विकास यथोचित ढंग से नहीं हो हुआ है । अभी तक पूर्वांचल के 29 जिलों में विकास के बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं हुआ है । जिसके कारण पूर्वी क्षेत्र के कुछ जिलों में नेपाल की

* Speech was laid on the Table

नदियां हर साल बाढ़ का कहर ढाती हे और पूर्वी क्षेत्र के कुछ जिलों में सिंचाई के अभाव में ये जिले हर साल सूखे की चपेट में आ जाते हैं जिसके कारण पूर्वांचल में भूखमरी, मलेरिया एवं दिमागी बुखार से हजारों की संख्या में लोग मौत के शिकार हो जाते हैं ।

कई परिस्थितियों ने पूर्वांचल में कई समस्याएं खड़ी कर दी गई है जिसके कारण पूर्वांचल के 29 जिलों को आर्थिक पैकेज दिए जाने की अत्यंत आवश्यकता है । पूर्वांचल का कुम्हार जिसको प्लास्टिक ने मार दिया है । बनारस के आस पास का सिल्क कारीगर भी आज खली बैठा है जिसने पूरी दुनिया में भारत को इज्जत और सम्मान दिलवाया था उसको कच्चा माल सस्ता नहीं मिला रहा है जिसके कारण वह कपड़ा बनाने में असमर्थ है । मछुआरे भी तालाब की कमी एवं नदियों में बढ़ रहे प्रदूषण से मछलियां नहीं पकड़ पा रहे हैं वे भी बेरोजगार हो गया है । पूर्वांचल में लोगों को अपना जीवन चलाने के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कई लोग तो पूर्वांचल में पैदा होने पर अपने आपको बदकिस्मती की श्रेणी में ला रहे हैं और भगवान को दोषी मान रहे हैं ।

मेरे संसदीय क्षेत्र देवरिया के अंतर्गत जो छोटे शहर है वहां ग्रामीण बैंकों की शाखाएं नहीं है। पूर्वांचल में विकास न होने से कई अनुसूचित बैंकों ने अपनी शाखाएं बंद कर दी है और ग्रामीण बैंक बंद होते जा रहे हैं और इन अनुसूचित बैंकों में म्यूचल फंड जैसी योजना को नहीं चला रखा है । कइ जगहों पर भूमि का जलस्तर 50 फुट से ज्यादा चला गया है । पूर्वांचल का युवा वर्ग अपने आपको उपेक्षित महसूस कर रहा है क्योंकि पढ़-लिखकर उसको अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है ।

मेरा संसदीय क्षेत्र देवरिया शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक विकास क्षेत्र में अभी तक पिछड़ा है एवं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गरीब लोगों की संख्या भी ज्यादा है परंतु देवरिया को पिछड़े जिलों में शामिल नहीं किया है इसकी जांच की जाए और देवरिया को पिछड़ा जिला घोषित किया जाए । देश में सरकार ने अत्यंत पिछड़े इलाकों के विकास के लिए क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए 2007 में 259 जिलों में पिछड़ा क्षेत्र विकास अनुदान योजना चलाई है । इस अनुदान से स्थानीय स्तर पर क्षमता पैदा करना और इन पिछड़े क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना था परंतु योजना आयोग ने समीक्षा के बाद पाया है कि ये योजना भी कारगर नहीं है । जहां तक क्षेत्रीय विकास एवं क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की बात है उसमें पंचायतें एक अहम भूमिका निभा

सकती है । परंतु वहां पर भ्रष्ट आचरण एवं पक्षपात ने क्षेत्रीय संतुलन के उद्देश्य प्राप्ति में कठिनाई पैदा कर रही है ।

देश के कर्ज व्यवस्था पर ध्यान दे तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है । आज देश के हर नागरिक चाहे वह बच्चा क्यों न हो उस पर 29 हजार 800 रूपया का कर्जा है और विदेशी कर्जा 1177 रूपये का है । देश में आज 25 लाख करोड़ रूपया का कर्जा है और इसका ब्याज हम बजट के खर्चा अगर एक रूपया है तो हम 19 पैसे ब्याज के रूप में कर रहे हैं । इस कर्जे से सरकार ने अब तक क्या किया है लगता है कि इन कर्जों का नाजायज उपयोग किया जा रहा है और इस कज के उपयोग करने जो मशीनरी है वह भी अयोग्य एवं अकुशल है । अगर इस कर्ज का उपयोग सही ढंग से किया जाए तो प्रत्येक बेरोजगार को नौकरी मिल सकती है । इस बात का संकेत यही है कि देश में प्रबंध व्यवस्था सही नहीं है एवं वित्त मंत्री जी इस प्रबंध व्यवस्था के मालिक है तो दोष मालिक का ही तो होगा ।

देखा यह जाता है कि सरकारी योजनाओं का फायदा गरीब किसान नहीं उठा पाते हैं । उसका फायदा अमीर किसान ही उठा रहे हैं । देश में छोटे किसान की मासिक आय केवल 1578 रूपया है और बड़े किसान की आय 8321 करोड़ मासिक है । छोटे एवं बड़े किसान की आय में इतना अंतर । आज देश में दो हैक्टेयर खेत में काम करने वाले किसान 70 प्रतिशत है इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि केन्द्रीय योजनाओं से छोटे किसान को भी मिले ।

सूखे से निपटने के लिए बिजली के माध्यम से काफी राहत के काम किए जा सकते हैं । ट्यूब वेल इत्यादि बिजली सेचलाकर खेतों को पानी पहुंचाया जा सकता है । आज उत्तर प्रदेश में जो बिजली की हालत है वे केन्द्र सरकार ने की हुई है । उत्तर प्रदेश के लिए बिजली की मांग एवं आपूर्ति में 3000 मेगावाट का अंतर है । जितनी हमारी बिजली की मांग है उससे बहुत ही कम बिजली दी जा रही है । केन्द्र सरकार से हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बिजली की मांग की है उसकी आपूर्ति की जाए । केन्द्र सरकार बिजली उत्पादन करने में हमेशा पीछे रहती है । अगर सूखे से प्रभावित खेतों में सिंचाई नहीं हुई तो उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है अपितु केन्द्र सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है । बारिश होने के लिए कई जगहों पर मेढक मेढकी का विवाह हो रहा है । महिलाएं खेतों में बैलों के स्थान पर स्वयं अपने कंधों पर हल चला रही है कई

तरह के टोटके हो रहे है कई मुख्यमंत्री एवं कई मंत्रीगण बारिश करवाने के लिए मन्दिरों में जा रहे हैं । नई सरकार के आते ही मानसून हमसे रूठ गया है ।

देश में 2007-08 में 109 चीनी मिले बंद पड़ी थी । जो 2009-10 में यह बढ़कर 172 हो गई एवं जून 2010 की स्थिति के अनुसार 23 प्राईवेट एवं 139 कापरेटिव चीनी मिले बीमार पड़ी है। यानि 162 मिले बीमार है अगर बंद चीनी मिलों की संख्या बीमार पड़ी चीनी मिलों की संख्या मिला दी जाए तो इनकी संख्या 334 हो जाएगी । देश की 334 चीनी मिले बंद पड़ी हो और बीमार हो तो इसका मतलब है कि देश में इनको पर्याप्त मात्रा में गन्ना नहीं मिल रहा है या इनकी उत्पादन लागत पूरी नहीं होने से यह घाटे में है या आधुनिक तकनीकी से काम करने की स्थिति में है जिसके कारण एक ओर तो किसानों को गन्ना को बेचने में दिक्कत आएगी उसके आय स्त्रोत घटेगें। दूसरी ओर बेरोजगारी और चीनी के उत्पादन कम होगा । देश के कृषि मंत्री चीनी मिलों के मामले में एक निपुण व्यक्ति है निपुणता के बाद भी देश की चीनी मिलों का यह हाल है तो आगे राम जाने क्या होगा ।

देश में कृषि के प्रति किसानों का रूझान कम हो रहा है । देश में 40 प्रतिशत से ज्यादा किसान आज खेतीबाड़ी में कोई रूचि नहीं ले रहे क्योंकि किसानों को अपनी उत्पादन की लागत भी नहीं मिल रही है और किसानों के कल्याण की योजनाएं छोटे किसानों तक पहुंच नहीं रही है । उसका फायदा कुछ ही बड़े किसान उठा रहे हैं और कई राज्यों में आत्महत्या खाद्यान्न उत्पादन करने वाला किसान कर रहा है ।

मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत देवरिया एवं कुशीनगर के राष्ट्रीय राजमार्ग दुरस्त नहीं है । देश की सड़क सुरक्षा व्यवस्था अत्यंक खराब है, वाहन शराब पीकर चलाए जाते हैं । देश में 2008 के साल में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 37,096 दुर्घटनाएं हुई और इसमें 42,670 लोगों की मौत हुई और खेद की बात है एक साल बीत जाने के बाद भी सरकार के पास 2009 में इन सड़कों पर कितनी मौते हुई है के आंकड़े सरकार के पास नहीं है । हिट एवं रन मामलों की सूचनाएं सरकार एकत्र नहीं करती है ।

देश में विदेशी व्यापार घाटा बढ़ रहा है जिसका मतलब है कि विश्व में हम नीचे जा रहे हैं । निर्यात से ज्यादा हम आयात कर रहे हैं और पेट्रोलियम पदार्थों का आयात बड़े पैमाने पर किया जाता है जबकि भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के विकल्प उत्पादन किए जाने की काफी संभावनाएं हैं ।

परंतु हम नहीं कर पा रहे हैं जबकि विश्व का छोटा ब्राजील देश एक-तिहाई विकल्प पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन कर रहा है ।

मेरे संसदीय क्षेत्र में उद्योगों की कमी है और बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है । देश में रोजगार सृजन के, निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा कमाने में एवं क्षेत्रीय विकास के संतुलित विकास में लघु, कुटीर, कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । परंतु औद्योगिक नीतियों में बात तो छोटे उद्योगों के विकास की जाती है परंतु बढ़ावा बड़ी-बड़ी कंपनियों को दिया जाता है । 2009 में देश में 261 लाख सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्योग इकाईयां थी एवं कृषि, ग्रामीण, कुटीर एवं लघु उद्योग के 1553 लाख पंजीकृत इकाईयां थी । इन उद्योगों में 51.77 लाख ग्रामीण कार्यरत थे एवं जिसमें 7.36 प्रतिशत महिलाएं थीं । खेद की बात हे कि ईमानदारी से इन छोटे-छोटे उद्योगों का विकास नहीं हो पा रहा है और न ही समुचित मात्रा में उन्हें ऋण मिल पा रहा है । जिससे छोटे-छोटे उद्योगपतियों के बीच कोई उत्साह नहीं है और देश में बेरोजगारी तेजी के साथ बढ़ रही है ।

इस बजट ने इधर दिया उधर से लिया वाले सिद्धांत अपनाए हैं । प्रत्यक्ष करों में बढ़ोत्तरी की तो अप्रत्यक्ष में बढ़ोत्तरी की । वेट घटाया तो मेट बढ़ाया । जब तक देश में बुनियादी ढांचा ठीक नहीं होगा तब विकास की कल्पना बेकार है । देश की सड़कें ठीक नहीं है, सिंचाई के साधन देश के आधे भाग में है, बेरोजगारी फैल रही है, बेरोजगार आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं । खाद्यान्न का उत्पादन कम हो रहा है, 20 करोड़ एवं उससे ज्यादा वाली लागत परियोजनाएं देश में अपने निर्धारित समय पर पूरी नहीं हो रही है । देश में 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार 1005 परियोजनाएं में से 478 परियोजनाएं देरी से चल रही है जिससे उनकी उत्पादन लागत देरी के कारण बढ़ रही है जो सुविधाएं जनता को आज मिल जानी चाहिए वे नहीं मिल पाई है इसके लिए सरकार ने किसी भी अधिकारी को आज तक जिम्मेदार नहीं ठहराया है । सरकारको इसके लिए जिम्मेदारी निश्चित करके सजा दी जानी चाहिए ।

इस बजट का हमारी वास्तविक अर्थव्यवस्था से कोई लेना-देना नहीं है । यह हमारे देश की आर्थिक विकास की गति भी नहीं देगी और गत ही करेगी । इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं ।

*श्री लक्ष्मण टुडु (मयूरभंज): 2011-12 के बजट देश में व्याप्त महंगाई को रोकने में असफल रहेगा और आम आदमी की समस्याओं का कोई निराकरण नहीं करता है । इस बजट में आदिवासियों के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है जबकि देश में आदिवासियों की जनसंख्या 9 प्रतिशत के बराबर है और बजट का 9 प्रतिशत हिस्सा भी आदिवासियों के लिए नहीं है । 64 साल की आजादी के बाद भी आज जंगलों में आदिवासी नारकीय जीवन बिता रहे हैं और बुनियादी सेवा से पूरी तरह से वंचित है। वन कानूनों के कारण उनको विकास जैसी बुनियादी सेवाएं सड़क, चिकित्सा एवं शिक्षा से वे मुहताज है ।

देश में आदिवासी क्षेत्र से संबंधित कई योजनाएं कई दशकों से क्लीरेयंस कारण से लंबित है जिसके कारण आदिवासी क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्र अभी तक सिंचाई सुविधा से वंचित है । और राष्ट्र का खाद्यान्न उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता है । आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा के कार्य में कई खामियां हैं और अनावश्यक देरी हो रही है । सिंचाई योजना में देरी से क्रियान्वयन एवं इन सिंचाई योजना में जनजाति क्षेत्र की उपेक्षा पर चर्चा होने से वास्तविक तस्वीर देश के सामने आएगी । केन्द्र सरकार राज्य सरकार को दोषी बताती है और राज्य सरकार केन्द्र सरकार को दोषी बताती है इससे देरी कहां पर हो रही है इससे पता चल जाएगा ।

मेरे संसदीय क्षेत्र मयूरभंज में सिमलीपाल एक रमणीय जगह है जो पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है परंतु इस रमणीय स्थान पर पहुंचने के साधन नहीं है । अगर इस पर्यटन स्थल तक पहुंचने के लिए आने जाने के अच्छे साधन हो तो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है । पर्यटन के बढ़ने से यहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा । यहां पर नेशनल पार्क भी है । देवकुंड, खिचिंग एवं लूलंग आदि भी पर्यटन स्थल है जो पर्यटन स्थल के रूप में उन्नयन किए जा सकते हैं। इस पर्यटन स्थन पर आकर्षित करने के लिए रासगोविन्दपुर एयर स्टेप पर छोटे हवाई जहाजों की सेवा शुरू की जा सकती है ।

गरीब लोगों को आवंटित खाद्यान्न को खुले बाजार में बेचा जा रहा है । सरकार के पास ऐसा कोई आकलन नहीं है जिससे पता लगाया जा सके कि कितना खाद्यान्न काला बाजार में जा रहा है लेकिन देश में 42 प्रतिशत राशन खुले बाजार में चला जाता है। सर्वाच्च न्यायालय ने भी कहा है कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए जारी खाद्यान्न केवल काला बाजार में जाता है परंतु सरकार

* Speech was laid on the Table

ने इस संबंध में कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की है । यह काम भ्रष्ट अधिकारियों से मिलीभगत से हो रहा है । देश में कई आधुनिक तकनीकी का उपयोग हो रहा है क्यों नहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाए जिससे हम एक ओर तो गरीबों को उनका खाद्यान्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत दिलवा सकते हैं और इस प्रणाली में से भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं ।

मेरे संसदीय क्षेत्र मयूरभंज उड़ीसा का सबसे बड़ा जिला है जहां पर आदिवासी की जनसंख्या बहुत ज्यादा है पर सरकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं आदिवासी गांव तक नहीं पहुंच रही है । समेकित बाल विकास योजना से यहां के बच्चों को विशेष फायदा नहीं हुआ है । सदन के माध्यम से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में चल रही स्वास्थ्य संबंधी एवं बाल विकास योजनाओं की समीक्षा की जाए ।

भारत अनेक क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है, फिर भी हमारी आबादी के कई ऐसे हिस्से ऐसे है जिन तक विकास का लाभ अभी तक नहीं पहुंचा है । मेरा संसदीय क्षेत्र मयूरभंज ऐसे जिलों में है । यह बात उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जिनके क्षेत्र विकसित क्षेत्रों की गति के साथ तालमेल नहीं रख पाए है । इन क्षेत्रों के पिछड़ेपन के पीछे अनेक कारण है । इनमें सड़क, संचार, स्कूल और स्वास्थ्य देखभाल जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव शामिल है । महात्मा गांधी जी का स्वप्न था जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक पूरे भारत का संतुलित विकास नहीं हो सकता है । मेरे संसदीय क्षेत्र मयूरभंज में ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा करके उसमें सुधार किया जाए ।

मेरे संसदीय क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 स्थित है जिसे चार लेन बनाने की स्वीकृति मिल चुकी है पर अभी तक कार्य शुरू नहीं किया गया है । इसे जल्द से जल्द शुरू किया जाए । यह कार्य नहीं होने से यातायात जाम होता है और भीषण दुर्घटनाएं हो रही है ।

आज देश के 90 प्रतिशत कोयला खदानों, 72 प्रतिशत जंगल और 80 प्रतिशत खनिज उत्पाद क्षेत्रों की कोख में भारत की कुल आबादी का 10 प्रतिशत से ज्यादा आदिवासी बसे हुए हैं और अपनी आंखों से प्रकृति के साथ खिलवाड़ का खेल देख रहे हैं । देश के 15 प्रतिशत भूभाग पर आदिवासी प्रकृति के साथ मिलकर देश में पर्यावरण को कायम रखे हुए हैं । देश में आदिवासी के विकास का नाटक प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ चला था जब 43 योजनाएं चलाई गई थी जो

बूरी तरह से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही । एक तरह से यह योजनाएं नहीं थी यह तो केवल उप-योजनाएं थी जो कई दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ दी गई थी । आज भी शहरों की बुनियादी सुविधाएं एवे औद्योगिकीकरण के संसाधनों को इन आदिवासी क्षेत्रों से जुटाया जाता है । इन आदिवासियों में से 85 प्रतिशत आदिवासी गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं । यह आदिवासी आज अपने को राष्ट्र की मुख्य धारा में अलग-थलग महसूस कर रहे हैं । 2001 की जनगणना के अनुसार कुल आदिवासी की आबादी का 93 प्रतिशत बंधुआ मजदूर है । सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि आदिवासियों के विकास के लिए अलग से प्रयास किए जाएं और जोर दिया जाए ।

आज के युग में बिजली का बहुत महत्व है । मेरे संसदीय क्षेत्र में अभी तक ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंची है । इन गांवों का विद्युतीकरण किया जाए जिससे लोगों को बिजली के अभाव में हो रही असुविधा से मुक्ति मिल सके एवं बिजली की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए नए बिजली प्लांटें लगाए जाए ।

मेरे संसदीय क्षेत्र के केशोपुर में एवं इसके आस पास सिल्वर कापर के अपार भंडार है । इसका एक सर्वेक्षण किया गया है । परंतु कुछ कारणों से सर्वेक्षण कार्य पूरा नहीं किया गया है । इसका पुनः सर्वेक्षण किया जाए और खनन कार्य के साथ यहां पर सिल्वर एवं कापर आधारित उद्योग लगाए जाए । मेरे संसदीय क्षेत्र में चाईना कले जैसे काओलाईन पदार्थ है । अगर इसके उत्खलन कार्य के साथ काओलाईन आधारित उद्योग को बढ़ावा दिया जाए तो यहां पर व्याप्त बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है । इस क्षेत्र में बिजली की कमी है और सौर प्लांट स्थापित किया जाए तो बिजली की कमी की समस्या का निराकरण हो सकता है ।

शिक्षा के क्षेत्र में मेरे संसदीय क्षेत्र में संतोषजनक काम नहीं हो रहा है और साक्षरता दर अभी तक 50 प्रतिशत से अधिक है । मेरे आदिवासी बहूल्य संसदीय क्षेत्र में केन्द्रीय विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाना अति आवश्यक है ।

सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारी आदिवासी क्षेत्र में काम नहीं करना चाहते हैं जिसके कारण आदिवासी के शिक्षा एवं स्वास्थ्य कार्य पर बुरा असर पड़ रहा है । जहां तक शिक्षा के विकास की बात है आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी वर्ग के पढ़े-लिखे लोगों को नौकरी देकर शिक्षा का काम किया जा सकता है वह स्थानीय भाषा को अच्छी तरह से जानते हैं । आदिवासी क्षेत्रों में काम करने के लिए जोखिम भत्ता, आवास एवं अन्य अनुदान इत्यादि पर भी विचार किया जाना चाहिए । निजी क्षेत्र

के लोग कई कारणों से आदिवासी क्षेत्रों में पूंजी नहीं लगाना चाहते । इसके लिए पहले सरकार को आगे आना होगा । आदिवासी क्षेत्र में जो उद्योग चलते हैं वहां सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत उस उद्योग के आस पास लोगों को कल्याण संबंधी कार्य करने का प्रावधान है परंतु भारत ने कानून ऐसे बना रखे हैं कि यह उद्योग पर निर्भर करता है वह सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत स्थानीय लोगों के कल्याण संबंधी काम करे या न करे ।

इस बजट में गरीब, किसान, एवं आदिवासी एवं महिला वर्ग को कोई फायदा नहीं हो रहा है इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं ।

*श्री यशवंत लागुरी (क्योंझर): देश के संतुलित विकास में यह आने वाले वित्तीय वर्ष किसी प्रकार से सहायक नहीं है । यह एक घुमावदार बजट है जो एक हाथ से दे रहा है दूसरे हाथ से ले रहा है । ऊपर से देखने में बजट अच्छा सा लगता है परंतु अंदर केवल गरीब को और गरीब कर रहा है और अमीरों को और अमीर कर रहा है । विश्व में कुछ ही देश हैं जो 10 लाख करोड़ का बजट बनाते हैं पर भारत 12 लाख 57 हजार 729 करोड़ रूपये का बजट है जिसमें 9 लाख के करीब आय से मिलेगा इससे यह बजट में 3 लाख करोड़ का घाटा है जो देश में महंगाई को बढ़ाएगा जबकि पहले देश का आम आदमी महंगाई से चूर-चूर हो गया है इसलिए मैं इस बजट के विरोध में खड़ा हुआ हूं ।

मेरा संसदीय क्षेत्र क्योझर एक आदिवासी बहूल्य क्षेत्र है । इस बजट में एक सरकारी आंकड़ों के आधार पर 9 प्रतिशत से भी अनुसूचित जनजाति के लोग एवं अधिकतर जंगलों में रहते हैं उन्हें Depressed class कहकर भी पुकारा जाता है । पिछले साल उनके लिए 185 करोड़ की व्यवस्था जो इस साल बढ़ाकर 244 करोड़ किया है जो उनके विकास के लिए बहुत ही कम है । इस बजट में आदिवासी के साथ न्याय नहीं हुआ है । आदिवासी हर दृष्टि से कमजोर है और देश की आधुनिक सुविधा से वंचित है । उनके लिए जो कानून बनाए हैं उनको इस तरह से अपनाया जा रहा है कि उनको लाभ के स्थान पर घाटा हो रहा है ।

बजट में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई स्कीम नहीं चलाई है जिससे देश में भ्रष्टाचार की बीमारी और फैलेगी । मेरे संसदीय क्षेत्र क्योझर में सार्वजनिक वितरण योजना एवं केन्द्र प्रयोजित योजनाएं भ्रष्टाचार के चलते ज्यादा कारगर नहीं हुई है । आज देश में कई विशेषज्ञों ने अवलोकन किया है कि देश में ऐसी धारणा है कि नौकरशाही में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है और सरकार स्वयं मानती है कि यह भयावह समस्या है जिसका समाज पर व्यापक दुष्प्रभाव पड़ता है परंतु भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने के कार्य में सरकार मंजूरी नहीं देती है और कई बार बड़े गंभीर अपराध पर केवल मामूली दंड देती है जिसके कारण भ्रष्टाचार भष्मासुर की तरह बढ़ता ही जा रहा है । कभी-कभी सरकार भ्रष्टाचारी अधिकारी को दूसरी जगह पर ट्रांस्फर कर पोस्टिंग कर देती है परंतु यह अधिकारी भ्रष्ट आचरण अपनाए बिना बाज नहीं आते क्योंकि चोर चोरी से जाए हैराफेरी से नहीं ।

---

* Speech was laid on the Table

मेरे संसदीय क्षेत्र क्योझर एक सूखा प्रवण क्षेत्र है जहां पर अधिकांश खेती पर सिंचाई की सुविधा नहीं है और एआईबीपी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है । देश में कई इलाके सिंचाई के अभाव में खेती बाडी पर बुरा असर कर रहे हैं । नदियों से सिंचाई व्यवस्था की जा सकती है । दूसरी ओर देश में नदियों में प्रदूषित समस्या बढ़ रही है जबकि इस पर भारत सरकार करोड़ों रूपया कई वर्षों से पानी की तरह बहा रही है जबकि आज प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के शहरों से सीवर का पानी एवं गन्दगी 382540 लाख लीटर रोजाना निकलकर नदियों में बह रहा है जबकि भारत में केवल 117870 लीटर रोजाना इस सीवर के पानी एवं गन्दगी को समाप्त करने की क्षमता है । 270000 लीटर सीवर का पानी या गन्दगी नदियों में मिल रही है । यह तो भला हो राम का कि इस गन्दगी को नदियां अपने बहाव में बहा ले जाती है अन्यथा बड़ी भयानक स्थिति होगी । विदेशों में सीवर के पानी एवं गन्दगी को समाप्त करने की अच्छी व्यवस्था है परंतु भारत में प्रदूषण को रोकने के अच्छे इंतजाम नहीं है ।

देश में बजट में कई बातें कही जाती है परंतु उस पर पालन सहीं ढंग से नहीं हो पाता है जिससे देश कल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा पैसे का दुरूपयोग हो रहा है । देश में सरकार कानून बना देती है और कई दिशानिर्देश जारी कर देती है परंतु उनका पालन हो रहा है या नहीं इस बात की सरकार चिंता नहीं करती है । कृषि क्षेत्र को कुल ऋण का 18 प्रतिशत दिए जाने का प्रावधान तो बना दिया परंतु इसको लागू नहीं किया गया है । आज बैंक कृषि की बजाय उद्योगपतियों को ज्यादा ऋण दिया जाना पसंद करते हैं क्योंकि भ्रष्ट लोगों का यह कमाई का जरिया है । 18 प्रतिशत का लक्ष्य अभी तक नहीं पहुंचा है जिसके कारण आज का किसान साहूकारों की शरण में रहकर शोषित होता रहता है और किसानों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है । देश के वित्त मंत्री किसानों की बजाय उद्योगपतियों के समूहों से ज्यादा समय बिताने में लगाते हैं । किसानों के हित की बजाय कारपोरेट जगह के लोगों का ज्यादा ध्यान रखते हैं । मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी गत तीन वर्षों के दौरान बड़े घरानों को कितना ऋण दिया गया है और उनकी अदायगी कितनी हो गई और कितनी धनराशि समय पर अदायगी नहीं दी गई । एक बात और जो उद्योग मध्यम किस्म के हैं जहां पर लोगों को अधिक रोजगार मिलता है वहां पर बैंकों द्वारा ऋण की मात्रा कम होती जा रही है ।

मेरे संसदीय क्षेत्र क्योझर में कच्चा माल एवं खनिज पदार्थ प्रचूर मात्रा में है जो विदेशों में भेजे जा रहे हैं । अगर उनका उपयोग उद्योग स्थापित करके देश में किया जाए तो रोजगार में वृद्धि होगी और घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा । परंतु वित्त का अभाव के कारण ऐसा नहीं हो रहा है । मैं इस क्षेत्र में सरकारी स्टलील प्लांट लगाने की मांग कर रहा हूं परंतु आज तक कार्यवाही नहीं हुई है । विदेश में रहने वाले लोग भारतीय मूल के लोग भारत में निवेश करना चाहते हैं इसके लिए सरकार ने जो नियम बनाए हैं वह इतने कठिन है जिनके कारण अपने देश के प्रति हमदर्दी रखने वाले यह भारतीय मूल के लोग सरकार के कामकाज के कारण भारत में निवेश करने में असमर्थ है। कितने भारतीय मूल के लोगों ने भारत में निवेश किया है इसके आंकड़े सरकार के पास नहीं है । यह रूकावटे कुछ औद्योगिक घरानों के दबाव में हो रही है क्योंकि वह नहीं चाहते है कि विदेशों से भारत में निवेश हो क्योंकि इससे उनको कम्पटीशेसन करना पड़ेगा और भारत के आद्योगिक घराने प्रतियोगिता के खेल में काबिले योग्य नहीं है क्योंकि उनके बढ़ने का एकमात्र रास्ता सरकारी संरक्षण है जो उपभोक्ता को मिलना चाहिए परंतु हमारे देश में यह संरक्षण बड़े औद्योगिक घराने को मिलता है । 2008-09 में 7,314 करोड़ रूपये का निवेश हुआ था जो घटकर 2009-10 में 1,691 करोड़ रह गया है यानि एक साल में यह निवेश की मात्रा 5700 करोड़ के लगभग कम हुई । इस निवेश में भारत में रोजगार और उत्पादन बढ़ने के आसार होते हैं परंतु सरकार की गलत नीतियों से इस निवेश से होने वाली रोजगार और उत्पादन वृद्धि को प्राप्त करने में असमर्थ है ।

मेरे संसदीय क्षेत्र क्योझर में रोजगार के अभाव में शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं यह बजट बेरोजगारी को दूर करने में सहायक नहीं है । बेरोजगारी की अनदेशी की गई है । देश में बेरोजगारी आज से दस वर्ष पूर्व 2.2 प्रतिशत की दर से बढ़ रही थी जो 2004-05 में यह बढ़कर 2.3 प्रतिशत हो गया है और आज 5 प्रतिशत से भी ज्यादा की दर से बढ़ रही है एवं 2005 से 2008 के बीच दो तीन राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र में बेरोजगारी वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ रही है जबकि इन सार्वजनिक क्षेत्रों में खरबों अरबों रूपयों के मूल्य का निवेश हो रखा है एवं सात से दस राज्यों में निजी क्षेत्रों में भी बेरोजगारी तेजी के साथ बढ़ रही है जिन राज्यों में बेरोजगारी बढ़ी है वहां केन्द्र सरकार ने उद्योग को लगाने के लिए प्रयास नहीं किए हैं जिसके कारण इन राज्यों के लोग अन्य राज्यों में रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं ।

जुलाई 2010 तक जनजातीय भूमि अन्य संक्रमण के 4.77 लाख मामले पंजीकृत किए गए जिसमें 8.10 लाख एक भूमि कवर हुई है । खेद के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि 3.78 लाख मामलों का जिसके अंतर्गत 7.86 लाख कवर है उनका निर्णय न्यायालय को करना पड़ा है जो काम सरकार को करना चाहिए था उसे न्यायालय को करना पड़ा । और न्यायालय ने हस्तक्षेप करके 2.09 लाख मामले का निर्णय जनजातियों के पक्ष में दिया जिसमें 4.06 लाख एकड़ भूमि कवर थी । जिसका सीधा मतलब है कि यह सरकार जनजाति विरोधी है और जनजातियों को अपने हक के लिए न्यायालय की शरण लेनी पड़ी ।

कोयला खानों एवं अन्य खनन कार्यों में सुरक्षा निर्देशों की खुली अवहेलना हो रही है जिससे आए दिन खनन कार्यों में घातक दुर्घटनाए हो रहे हैं और गरीब मजदूरों की मौत हो रही है । 2008 में 145 घातक घटनाएं खानों में हुई है और इन दुर्घटनाओं में 179 मजदूर मारे गए । 2010 में मारे गए मजदूरों की संख्या 175 थी । दूसरी तरफ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत खान सुरक्षा महानिदेशालय का कहना है कि सुरक्षा मानदंडों के नियमों की उल्लंघन की कोई विशिष्ट जानकारी उनको नहीं है जबकि भारत सरकार खानों की सुरक्षा का जिम्मा खान सुरक्षा महानिदेशालय को देती है और इसके कार्यालय पर करोड़ों रूपया हर साल खर्चा हो रहा है । इस तरह के महानिदेशालय की क्या जरूरत है अगर खानों में असुरक्षा बढ़ रही हो ।

देश में अवैध खनन के मामले बढ़ रहे हैं । 2006 में 36,677 अवैध खनन के मामले थे जो बढ़कर 2008 में 43,560 हो गए हैं । राज्य सरकारों ने 1,47,922 वाहन जब्त किए जो अवैध खनन के कार्यों में लगे हुए थे एवं केवल 4,827 मामलों की एफआईआर दर्ज की गई । 39,483.96 लाख रूपये जुर्माने के तौर पर प्राप्त किए है इससे पता लगता है कि देश में अवैध खनन कार्य बड़ी मात्रा में हो रहे हैं और अवैध खनन के कानूनों की धज्जियां उड़ रही है ।

मेरे संसदीय क्षेत्र क्योझर में सिंचाई एवं पेयजल के स्त्रोत में कई पारंपरिक जल स्त्रोत है जिस पर सरकार कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है । देश में औसत वार्षिक जल उपलब्धता लगभग 1869 बिलियन घन मीटर है और उसमें से हम केवल 1123 बिलियन घन मीटर का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि हमारे कई पुराने डैम एवं जलाशय जर्जर हालत में है । सरकार ने ग्यारहवीं योजना में 10,000 करोड़ धनराशि का प्रावधान किया है परंतु उस पर केवल अभी तक केवल 25 प्रतिशत भी

खर्च नहीं हुआ है जिससे यह पता लगता है कि हमारे डैम एवं जलाशय के मरम्मत कार्य सही ढंग से नहीं हो रहा है जिसके कारण जल संरक्षण की समस्या बढ़ती जा रही है ।

मेरे संसदीय क्षेत्र क्योंझर में आदिवासी लोगों को केन्द्र की खाद्यान्न योजनाओं से यथोचित लाभ नहीं मिल रहा है । केन्द्र सरकार ने गरीबों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरभ की थी परंतु आज लगभग 358 करोड़ रूपये का खाद्यान्न कल्याणकारी योजनाओं एवं राशन की दुकानों पर दिए जाने की बजाय खुले बाजार में चला जाता है। इस तरह से गरीबों का राशन यह माफिया लोग डकार जाते हैं । 2008-09 में केन्द्र सरकार ने 49000 करोड़ रूपये की खाद्यान्न सब्सिडी प्रदान की है । भ्रष्टाचार की शुरूआत राशन की दुकान आवंटित होने से शुरू हो जाती है । एक अनुमान है कि हर साल राशन दुकानदार राशन का खाद्यान्न काले बाजार में बेचकर 10 करोड़ कमाते हैं और इसकी कोई शिकायत करते हैं तो शिकायतों पर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है ।

यह बजट बढ़ती महंगाई को रोक नहीं पाएगा, गरीबी एवं आम आदमी के हितों पर चोट करता है । इसलिए इस बजट का विरोध करता हूं ।

***श्री दत्ता मेघे (वर्धा):** सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जहां भारत के गरीब लोगों को राहत देने की कोशिश की है वहां उन्होंने ऊंचे वर्ग के लोगों को अपनी आय में से कुछ और सरकार को देने के लिए प्रेरित किया है । एक तरफ उन्होंने जहां देश के किसानों के लिए खजाना ही खोल दिया है वहां आम आदमी को आय कर में छूट देने की घोषणा करते हुए गरीब आदमी के लिए बनने वाले मकानों को भी दिल खोलकर सरकारी राहत देने की कोशिश की है । उन्होंने व्यक्तिगत आयकर की सीमा 1 लाख 60 हजार रूपये से बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार रूपये कर दी है और 80 साल से अधिक उम्र के वृद्ध आदमियों के लिए यह सीमा 5 लाख रूपये करने की घोषणा की है । इसी तरह से बड़े बुजुर्गों के लिए पेंशन 200 रूपयों से बढ़ाकर 500 रूपये कर दी है । ये सब स्वागत योग्य कदम है । सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्त मंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से भविष्य के भारत का ध्यान रखा है और ग्रामीण व कृषि क्षेत्र से लेकर नई पीढ़ी के लिए शिक्षा का समुचित प्रबंध करने की कोशिश की है ।

भारत निर्माण योजनाएं

मैं सरकार का ध्यान भारत निर्माण योजनाओं की तरफ दिलाना चाहता हूं । यह अच्छी बात है कि इस वर्ष 2011-12 के लिए भारत निर्माण को कुल मिलाकर 58,000 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं । यह मौजूदा वर्ष से 10,000 करोड़ रूपये अधिक है । केन्द्र सरकार द्वारा योजना के तहत जो लक्ष्य दिल्ली में निर्धारित किए जाते हैं, राज्यों तक पहुंचते वे सिकुड़कर एक-चौथाई से भी कम रह जाते हैं । भारत निर्माण के तहत पांच साल पहले यानी 2005-06 से 2008-09 तक एक करोड़ हेक्टेयर खेतों को सिंचित करने का लक्ष्य रखा था, परंतु योजना कार्यकाल पूरा होने के बाद भी लक्ष्य की परिधि में रखे किसानों के अधिकतर खेत पानी केलिए तरसते रहे हैं । कोई भी राज्य सरकार लक्ष्य प्राप्त करना तो दूर, इसके आसपास तक फटकने में भी सफल नहीं रही । 2008-09 में योजना के 9878.26 हजार हेक्टेयर सिंचाई के लक्ष्य के विपरीत 1196.777 हेक्टेयर का लक्ष्य ही प्राप्त हो सका । मेरा निवेदन यह है कि नरेगा, मध्यान्ह भोजन, सर्वशिक्षा अभियान, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन समेत ऐसी कई योजनाओं का मकसद न सिर्फ शोषित-वंचित लोगों का उत्थान करना है बल्कि मौजूदा क्षेत्रीय व सामाजिक असंतुलन को खत्म कर इसमें एकरूपता

* Speech was laid on the Table

लाना भी है । आज आवश्यकता इस बात की है हमारी सरकार सामाजिक विकास को सबसे ज्यादा तरजीह दे । हमारे विदर्भ क्षेत्र में सिंचाई की स्थिति अत्यंत दयनीय है ।

प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना

इस योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन सड़कों की हालत अत्यंत खराब है । उनकी देखरेख करने का कोई समुचित प्रबंध नहीं है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तो सड़कों की हालत बहुत ही खराब है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ।

शिक्षा संबंधी सुधारों की आवश्यकता

यह खुशी की बात है कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में मौजूदा वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक धन की व्यवस्था की है । वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा है कि माध्यमिक शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो, उच्च शिक्षा क्षेत्र में हमारे विद्वानों का प्रतिशत बढ़ और कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, इसके लिए प्रयास किए गए हैं । हमारे देश में ऐसे भी बच्चे हैं जो प्राइमरी, मिडिल या दसवीं के बाद आगे नहीं पढ़ पाते हैं। हमारे देश में ऐसे भी स्कूल हैं जो छप्परों में चल रहे हैं । इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है ।

सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि जिन राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं खोला गया है उन राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएंगे । मेरा निवेदन यह है कि राज्यों के जो अपने विश्वविद्यालय हैं उनके शिक्षा के स्तर में सुधार लाया जाना चाहिए और उनको केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के स्तर का बनाया जाना चाहिए ।

बेरोजगारी की समस्या

मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि 2025 तक हमारे देश में 70 प्रतिशत से अधिक भारतीय कामकाजी आयु के हो जाएंगे । इस दृष्टि से यह अत्यंत आवश्यक है कि हमें इन नवजवानों के लिए रोजगार के अवसर देने होंगे । अभी भी अनेक सरकारी कार्यालयों में नई भर्ती पर प्रतिबंध लगा हुआ है । कई कार्यालयों में ठेके पर कर्मचारियों को रखा जाता है और कुछ समय के बाद उनको बेरोजगार छोड़ दिया जाता है । यह प्रथा उचित नहीं है ।

स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं

वित्त मंत्री महोदय ने स्वास्थ्य के लिए 2011-12 में आयोजना व्यय को 20 प्रतिशत तक बढ़ाकर 26,760 करोड़ रूपये करने का प्रस्ताव किया है । मैं सरकार का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज की समुचित व्यवस्था न होने के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अनेक बार मृत्यु भी हो जाती है ।

हमारे देश में डाक्टरों का प्रतिशत हमारी आबादी का बहुत कम है । इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि मेडिकल कालेजों की संख्या बढ़ाया जाए और जो डाक्टर गांवों में और दूरदराज के क्षेत्रों में काम करते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए और उनको विशेष पदोन्नति भी दी जानी चाहिए ।

बिजली उत्पादन में वृद्धि

महोदय, मैं सरकार का ध्यान बिजली उत्पादन की तरफ दिलाना चाहता हूं । हमारे विदर्भ क्षेत्र में स्थिति यह है कि घंटों तक बिजली नहीं आती है और लोडशेडिंग किया जाता है । पर्याप्त मात्रा में बिजली न मिलने के कारण खेती पर बहुत बुरा असर पड़ता है ।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बजट आम लोगों के हित में है । इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है । इस बजट में किसानों को लाभ पहुंचाया गया है । महिलाओं और वरिष्ठ नागरिको के लिए आयकर में छूट की सीमा बढ़ाई गई है । मैं समझता हूं कि यह बजट आर्थिक वृद्धि की चुनौतियों का मुकाबला करेगा । वित्त मंत्री जी ने यह एक अत्यंत सराहनीय कार्य किया है।

*SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): I would like to request the Hon'ble Finance Minister to withdraw the concession given for import of bamboo sticks. Import duty is reduced from 30% to 10%.

This will have an adverse effect on the producers whose number in their lakhs for whom this is the only livelihood. Most of them are from are from Tripura and North Eastern States. In fact more relief should be given to these workers and provide them further incentives. Bamboo must be brought within the ambit of the agriculture domain. This will enable more bamboo industry to come up. Dumping from China and Vietnam must be checked.

Thank you and I support the budget proposals.

* Speech was laid on the Table

*__श्री राकेश सचान (फतेहपुर):__ मैं वित्त मंत्री द्वारा 2011-12 का बजट जो सदन में पेश किया गया है उसमें बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । बजट में वित्त मंत्री द्वारा भ्रष्टाचार व काले धन के मुद्दों से निपटने के लिए सरकार कोई ठोस उपाय नहीं ढूंढ सकी है । विदश में जमा कालाधन वापस लाने के लिए कोई ठोस उपाय फार्मूला नहीं खोज सकी है । 75 लाख करोड़ डॉलर काला धन अगर सरकार हिन्दुस्तान ले आए तो देश का संपूर्ण विकास हो सकता है । इस दिशा में सरकार को कोई ठोस कदम देशहित में उठाना चाहिए ।

लंबे समय से इस देश का किसान एवं कृषि क्षेत्र उपेक्षित है । इसको सुधारने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की है । देश की 60 प्रतिशत भूमि सिंचित नहीं है । उसे सिंचित करने का कोई उपाय नहीं किया गया है । ना ही कोई बजट का आवंटन किया गया है । नहरों में टेल तक पानी नहीं जा रहा है । हमारे निर्वाचन क्षेत्र में किसान सिंचाई न हो पाने से भुखमरी के कगार पर है । हमारा क्षेत्र जनपद फतेहपुर उ0प्र0 गंगा एवं यमुना नदी के बीच का क्षेत्र है। अगर सरकार यमुना व गंगा में बांध बनवाने की सरकार व्यवस्था इस बजट में कर दें तो फतेहपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद के किसानों का भला हो सकता है, क्योंकि राम गंगा व निचली राम गंगा नहरों का पानी टेल तक 20 वर्षों से नहीं गया है । उन्हीं नहरों में गंगा नदी व यमुना नदी का पानी लिफ्ट कर के उन्हीं नहरों में डाल दिया जाए तो सिंचाई हो सकती है और नलकूप में अधिक धन आवंटन का प्रावधान इस बजट में किया जाए ।

आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज तक इस देश की कृषि नीति नहीं बनाई गई जो एक दुर्भाग्यपूर्ण है । इस देश के किसानों का आज भी वह अपनी जमीन का असली मालिक नहीं । सरकार जब चाहे उसकी जमीन अधिग्रहित कर उसे कौड़ियों के दानों में हथिया लेती हैं । वह बेचारा कुछ नहीं कर सकता है। अंग्रेजों के द्वारा बताए गए इस काले कानून को विधेयक लाकर संशोधन होना चाहिए । जमीन का मालिकाना हक किसान को मिलना चाहिए । वित्त मंत्री द्वारा किसानों को ब्याज की दर में छूट की गई है कि जो किसान समय से किस्त देकर समय सीमा में कर्ज अदा करेगा उसे 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर छूट मिले । गणित की आप अभी तक इस देश में सर्वे कराकर इस सदन को अवगत कराए कि पूर्व में देश के कितने किसान हैं जो कर्ज समय से चुकाते हैं तो पता चलेगा । 1 प्रतिशत से ज्यादा संख्या किसानों की नहीं है जो समय से कर्ज

* Speech was laid on the Table

चुकाते हैं इसलिए मैं मांग करता हूं कि वित्त मंत्री जी ने जो समय सीमा बांधी उसे खत्म करे तभी किसानों को लाभ मिलेगा ।

हरित क्रांति लाने के लिए जो आवंटन किया गया है वह कम है । दलहन-तिलहन सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए भी बजट में धन का कम आवंटन किया गया है । इस बजट में धन का आवंटन बढ़ाया जाना चाहिए ।

सात हजार करोड़ किसानों को फर्टिलाइजर में धन आवंटन किया गया है लेकिन फर्टिलाइजर कहां से लायेंगे सदन को अवगत करायें ।

सबसे अधिक निराशाजनक बात है कि सरकारी खर्चों में कमी लाने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं । राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के आसार बिल्कुल नहीं है क्योंकि कोई ठोस कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की गई है ।

बेलगाम महंगाई को देखते हुए आयकर में दी गई छूट एक तरह से न के बराबर है ।

महंगाई रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए जिससे नतीजे मिलने में काफी समय लगेगा । मध्य एशिया में अगर पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े तो महंगाई और बढ़ेगी । इस बजट से केन्द्र सरकार के प्रति आम आदमी की नाराजगी दूर होने की संभावनाएं शून्य हैं ।

आम बजट 2011-12 में सेवा कर से संबंधित नए प्रावधान से होटल में न सिर्फ खाना खाना महंगा हो जाएगा बल्कि ठहरने और जीवन बीमा प्रीमियम जमा करने में जेब ढीली करनी पड़ेगी ।

इस बजट में महंगे इलाज से कराह रहे लोगों का दर्द और बढ़ जाएगा । किसी भी तरह की बीमारी से पैथालॉजी में जांच कराने पांच फीसदी सेवा कर देना होगा । मैं वित्त मंत्री से मांग करता हूं कि इस देश के गरीब आदमी आम आदमी को मुफ्त इलाज हेतु इस सदन में एक विधेयक लाए और देश के हर व्यक्ति को मुफ्त इलाज की व्यवस्था कराने की घोषणा सरकार करे । फतेहपुर दो महानगरों के बीच में है यहां पर एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के स्तर का अस्पताल खोला जाए जिससे इस क्षेत्र के लोगों को अपना इलाज कराने के लिए न भटकना पड़े ।

शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों का ध्यान नहीं रखा गया है । 20 प्रतिशत हिस्सेदारी न होने से अल्पसंख्यक वर्ग में नाराजगी है । उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र

फतेहपुर में कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है, इसे खोलने की मैं मांग करता हूं । इसे इस वर्ष के बजट में धन का आवंटन किया जाए ।

बीपीएल का सर्वे 2002 में कराया गया था जबकि 9 वर्षों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ गई है । पुनः सर्वे कराके नए बीपीएल कार्ड बनाए जाए जिससे गांवों में रहने वाले गरीब लोगों को सरकारी सहायता का लाभ मिल सके ।

इस बजट में वित्त मंत्री जी ने रेशम पर छूट दी है लेकिन देश का 80 प्रतिशत आबादी गांव में रहती है जो सूती एवं खादी पहनती है । उसमें छूट दी जानी चाहिए , वह नहीं दी गई, जो दी जानी चाहिए ।

आज देश में पढ़े-लिखे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन बेरोजगारों को रोजगार मिले उसका कोई भी उपाय इस बजट में नहीं किया गया है । जबकि इस देश में लगभग 40 करोड़ लोग पढ़े-लिखे बेरोजगार है । उनको काम दो या बेरोजगारी भत्ता कि व्यवस्था इस बजट में होनी चाहिए ।

अतः मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सांसद विकास निधि जो दो करोड़ रूपये है, उसे बढ़ाकर कम से कम 10 करोड़ की जाए जिससे क्षेत्र का विकास हो सके । पिछले बजट में मैं आपको व प्रधानमंत्री जी को इस सदन के लगभग 200 संसद सदस्यों के हस्ताक्षर कराकर एक पत्र भी आपको दिया था कि क्षेत्रीय सांसद विकास निधि बढ़ाए जाने से इससे देश में पेयजल की समस्या को देखते हुए प्रत्येक लोक सभा क्षेत्र में प्रति सदस्य को 1000 हैंडपंप देने की मांग भी की गई थी लेकिन आप द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किया गया है । मैं वित्त मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस बार आप जब रिप्लाई दें तो अवश्यक इसमें सदन को अवगत कराए । अंत में मैं अपनी बात का समर्थन करते हुए समाप्त करता हूं ।

*श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सर्वप्रथम मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा वर्ष 2011-12 का केन्द्रीय बजट पेश करने के लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूं क्योंकि बजट पेश होने के बाद बदहाल बाजार की अवस्था में सुधार आये। परन्तु, आज आजादी के 63 वर्षों के बाद भी देश की आर्थिक तस्वीर कुछ स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं होती। आज जितने भी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को बनाया गया है उनकक कार्यान्वयन के मापदण्ड में कई विसंगतियां व्याप्त हैं। आज देश भीषण महंगाई और भ्रष्टाचार के दंश से व्यथित है। कुछ करोड़ की संख्या में सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग का गठन हो जाता है, कुछ विशेष लोगों के लिए रियायत दर पर खानपान व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाती है। परन्तु, आज देश के करोड़ों बीपीएल और एपीएल परिवारों की भूख और फरियाद को देखने वाला और सुनने वालों की संख्या में काफी कमी है।

खाद्य मुद्रास्फीति फरवरी 2010 में 20.2 प्रतिशत पर पहुंच गयी थी और पुनः यह दर दिसम्बर, 2010 से फरवरी, 2011 तक करीब 18 प्रतिशत, जबकि सरकारी आंकड़े 9.3 प्रतिशत बताये जाते हैं। आज हम कृषि प्रधान देश में कृषि के क्षेत्र में जो विकास करना चाहते हों, वह नहीं कर पाये। आज देश का सामान्य किसान बदहाली की जिंदगी जी रहा है, वहीं शहरों के फार्म हाउस के किसानों की फसल इतनी अच्छी होती है कि वह रातोंरात धनवान हो जाते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना होगा।

अभी हाल में आर बी आई गवर्नर ने मनरेगा के श्रमिकों का पारिश्रमिक भुगतान बैंकों के माध्यम से करने की विवशता दिखाई है क्योंकि हमारे देश के कुल गांवों की संख्या के अनुपात में बैंकों की संख्या काफी कम है। देश के बैंकों में डकैती, चोरी और अपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है, परन्तु इसे रोकने हेतु सरकार के द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये जाते हैं। इससे भी दुखद स्थिति देश में जाली मुद्राओं के विचलन का है।

आज जिस रफ्तार से देश में काले धन का प्रचलन और देश का पैसा विदेशों में जमा है, उसके लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं है। आज देश में जिस प्रकार महंगाई दर बढ़ी है, उसके अनुपात में आयकर में सामान्य श्रेणी के लिए छूट सीमा 1,60000 से बढ़ाकर 1,80000 रूपया किया गया है, वह उचित नहीं है। आज के परिवेश में यह छूट सीमा 2,50000 रूपया होना चाहिए। कृषकों के उपज के लिए बाजार व्यवस्था प्रत्येक पंचायतों में बैंकों की स्थापना और झारखंड के कृषक, जो अभी हाल में अकाल से जूझ रहे हैं, उनके फसलों के क्षतिपूर्ति के लिए विशेष/अतिरिक्त निधी का आबंटन करने की आवश्यकता है। अभी एन.एच के उन्नयन एवं विकास के लिए मंत्रालय द्वारा 21 करोड़ की मांग की गई

* Speech was laid on the Table

थी, लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा आधे से भी कम राशि उपलब्ध कराई गई है। आज झारखंड में बीपीएल सूची की स्वीकृति नहीं हुई है। अतः सरकार से मेरा आग्रह है कि जनहित में विचार किया जाये और इन समस्याओं के निष्पादन के लिए सरकार एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर इसके अनुपालन हेतु त्वरित कार्रवाई करे।

*__श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा):__ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार, श्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इस बजट में कहीं पर यह उल्लेख नहीं है । महंगाई को कैसे काबू में किया जाए और कहीं पर यह भी वर्णन नहीं किया गया है कि गरीबी उन्मूलन कैसे होगा और नए जॉब एवेन्यू कैसे क्रिएट होगा । यह बिल्कुल बजट में नहीं कहा गया है ।

बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि बजट में बिहार के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रोपोजल नहीं है जबकि बिहार में कृषि आधारित आर्थिक व्यवस्था है और जो कृषि यंत्रों पर मूल्य को घटाने का प्रोपोजल है, वो बहुत ही तुच्छ है । बजट में जो पूर्वांचल के राज्यों के लिए बजट में कृषि क्षेत्र में मदद के लिए जो राशि देने का प्रोपोजल है, वो समुद्र में से एक बूंद पानी निकालने जैसा है तथा समझिए कि ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है । महंगाई का एक बड़ा कारण है भ्रष्टाचार और काला धन ।

लेकिन बजट में कहीं पर यह चर्चा नहीं है कि भ्रष्टाचार को कैसे टैकल किया जाएगा तथा विदेश स्थित बैंक में से भारतीय काला धन को कैसे वापिस लाया जाएगा ? यह बात बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है ।

महंगाई का एक बड़ा कारण बीपीएल को अनाज वितरण तथा अन्य लाभ नहीं मिलने से होता है । बिहार में बीपीएल की संख्या लगभग डेढ़ करोड़ है जबकि केन्द्र सरकार केवल 65 लाख बीपीएल को सहायता पहुंचाती है ।

पिछड़ा क्षेत्र का विकास नहीं होने से भी महंगाई बढ़ती है । बिहार में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत राज्य सरकार की मांग प्रतिवर्ष 4000 करोड़ रूपये अगले पंचवर्षीय योजनाओं में, को इस बजट में ठुकरा दिया है तथा बिहार ऐसे राज्य में जहां विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की जरूरत थी, पूरी तरह से इस बजट में नेगलेक्ट किया गया है । यह क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ाता है और यही चीज महंगाई बढ़ाने का एक बड़ा कारण है ।

खाद्य पदार्थों की महंगाई रोकने के लिए गरीबों को खाद्य सुरक्षा बिल के तहत कितना कैश राज सहायता दिया जाएगा, इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट किया गया है ।

महंगाई बढ़ने का एक बड़ा कारण लोगों का अशिक्षित होना भी है । सर्व शिक्षा अभियान के तहत 21,000 करोड़ रूपये का बिहार को आवंटन बहुत ही तुच्छ है ।

---

* Speech was laid on the Table

अंत मं मैं यही कहूंगा कि जब तक गरीबों, बीपीएल के लिए सही योजना नहीं बनेगी तब तक देश का सही विकास नहीं होगा, यह लोग राष्ट्रीय मुख्यधारा मं नहीं आ पाएंगे । इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

MADAM SPEAKER: Hon. Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam Speaker, eleven days ago I had the privilege of presenting the General Budget for the year 2011-12 to this august House. Since then this has been debated and discussed both within the House and outside the House. I had the privilege of listening to some of the hon. Members who have made their very valuable contributions while participating in the Budget discussions. As many as 45 hon. Members spoke on the floor of the House and almost an equal number, 44 hon. Members, laid their written speeches on the Table of the House as they could not get time to make their observations. I am deeply indebted to them for making their observations.

As I was following the debate inside the House and also some of the comments made in the Media, in the Television Channels, it appeared that there are two trends in these discussions. First, there is a viable rise in the expectations of our people, farmers, small business entrepreneurs, youth and the vulnerable sections of our society. More is expected from policy makers of the Government. This can happen only when they see some of their concerns are being addressed and then they will expect other issues also to be addressed adequately. I consider this as a recognition of the fact that Government is acting. It encourages me to take courage in both hands and to address some of the issues which require to be addressed.

The second thought which comes to my mind is that emphasis is being laid on the concerns of our rural and urban poor, agriculture, importance of better education and health. As per constitutional scheme of things most of these happen to be within the domain of the State Governments. But that does not mean that as Union Finance Minister I have no role to play there. I am to play a very important and a vital role as Union Finance Minister to ensure the right macro economic environment for sustaining high broad based growth, control inflation and ensure inclusive growth. If we could achieve broad based growth, then it will generate wealth; it will ensure more resources to the private sector, to the public sector, to

the Central agencies and to the State agencies. If the devolution through the Thirteenth Finance Commission has increased substantially to be transferred to the States, it has been possible because of high tax GDP ratio, because of generation of wealth and because of higher output from the factories and fields. Therefore, keeping that objective in view I would like to address the concerns which the hon. Members have raised during the course of the discussion and which have been commented outside.

Let me first deal with inflation. There is no doubt that inflation is the most important issue which needs to be addressed adequately. In my own Budget speech, I mentioned in the later part of paragraph 4 as:

> "We also have to improve the supply response of agriculture to the expanding domestic demand. Determined measures on both these issues will help address the structural concerns on inflation management."

Inflation happens mainly due to two constraints. They are demand constraints and supply constraints. If there is too much money to chase too few goods, it leads to the classical concept of inflation. If there is lack of supply of essential goods, it leads to inflation. If there is a lack of proper coordination between the various agents acting in the field, it leads to supply constraints. We started the year 2010 when the rate of inflation was already as high as 20.2 per cent. When I am speaking before this august House, and through them to the nation, it has come down to 9.3 per cent but, I say, I underline, that it is not acceptable. This figure is equally unacceptable.

Now, let us analyse as to how it happens. In the initial part of the year, cereals inflation became the major concern, namely, prices of wheat, prices of rice, prices of pulse and prices of sugar. In the second half of the year, suddenly we found that there was a spurt in the prices of vegetables, eggs, milk and certain other commodities. These commodities including the poultry products contribute nearly 9.5 per cent of the total 14.34 per cent which is the weightage of the food prices in the wholesale price index. Therefore, we have to address that.

What has been the impact after the steps taken? I am not going to elaborate on the steps taken. To improve the supply, we kept the import door open. For the medium term, we took certain steps to improve the production of those commodities which are in short supply. To ensure the availability of goods at a moderate price at least to a section of the people - I am not going into the debate right now, that part will come a little later - or to the families living below the poverty line, as per the present calculation of more than 6.5 crore families, through the Public Distribution System, a Committee was appointed under the Chairmanship of Chief Minister of Gujarat. Recently, he has submitted the Report on how to revamp the Public Distribution System because when we were looking at these aspects, it came to our notice that in large parts of the country, the Public Distribution System was not in a place to pick it up.

I will give two classical examples. Pulses were imported and provided at subsidized rate of Rs. 10 per kilo. But it was not possible to reach a large number of BPL families because of the non-existence of effective Public Distribution System. Where it was there it reached; where it was not there it did not reach. Oil was imported and it was decided that a subsidy of Rs. 15 per litre would be provided. But unfortunately it could not be effectively distributed all over the country, even to the limited number of families belonging to the BPL as per the old statistics. That brought to our attention the serious constraints on the distribution side and how we shall have to address this issue. Therefore, the Prime Minister decided to address this issue by constituting a Group consisting of Chief Ministers of certain States and certain experts, including the Minister of Agriculture, to look into this aspect. Shri Modi has submitted his Report. There are many suggestions which can be implemented.

In respect of inflation, I would like to draw the attention of the hon. Members to certain facts. Of course, I am not taking any plea. This is not an excuse that as there is inflation in other countries, so there should be high inflation in India also. That is not my plea. But the fact of the matter is that the inflationary pressure is visible all over the world. It is not confined merely to our country. I

have some latest inflationary figures of other countries. These figures are up to January. The inflation was 14.7 per cent in Argentina; 9.8 per cent in Bangladesh; 9.21 per cent in Brazil; 11.7 per cent in China; 17.3 per cent in Egypt; 15.6 per cent in Indonesia; 18.9 per cent in Iran; 20.4 per cent in Pakistan; 30.1 per cent in Ukraine; 9.1 per cent in Uruguay; and 33.8 per cent in Venezuela. It is because there is an apprehension – which is not merely an apprehension, because it got reflected in the ground reality also – that the surplus liquidity is being converted into commodity. It is happening in the case of oil; it is happening in the case of food grains; and it is happening in the case of certain other essential commodities. These are the economic factors. We might try to wish them away, but they cannot be wished away because of global linkages.

Again I am saying that, that does not give me an excuse not to address the issue. The issue has to be addressed squarely. How am I addressing these issues? I have taken positive steps in the Budget. I have taken initiatives in the agricultural sector. These initiatives are for strengthening the storage and cold chains; focus on fiscal consolidation; supportive monetary policy towards fiscal action; and controlling core inflation.

Therefore, when I talk of 60,000 pulse villages, it is not merely a rhetoric that it just to identify with the 60th year of the Republic. The Special Package Programme for 60,000 villages has paid dividend this year itself. This year itself the pulse production has increased by almost two million tonnes. When I talk of 25,000 oil farm farmers, it is not merely a rhetoric or just a tokenism. It will give me three lakh tonnes of palm oil after five years.

One of the major objectives is to bring back the economy to the higher growth trajectory. Somebody has expressed doubt as to how we will be able to do it and how we can achieve that. I have achieved it. We have been able to do it. Please remember, when I presented the interim Budget in February, 2009, I did not have the mandate. It was just on the eve of elections. We recognized the fact that there was a major financial crisis. The major international financial crisis was at its peak. We began the year 2008-09 with the GDP growth of almost nine per cent in

the first quarter. In the last quarter, we were alarmed to notice that it is coming down as low as 5.8 per cent. Therefore, it was the responsibility of the Government to take the risk like many other countries. We had huge fiscal expansion and we wanted to sustain the growth by generating demand domestically as the external-demand generation was not possible at that point of time. It was possible for us and we are able to arrest the further deceleration of growth and the year ended with 7.6 per cent. Next year, it was eight per cent; the year which was coming to an end is 8.6 per cent. Therefore, if I project that my GDP growth will be nine per cent, the figure is credible. After all, test of a pudding is in eating.

Madam Speaker I would just like to give you a comparative picture of the last six years and the previous six years. In 1989-90, it was 6.4 per cent; in 1990-91, it was 6.3 per cent; in 2000-01, it was 4.4 per cent; in 2001-02, it was 5.8 per cent; in 2002-03, it was 3.8 per cent; in 2003-04, it was 8.5 per cent. The average is 5.8 per cent. Similarly, in 2004-05, it was 7.5 per cent; in 2005-06, it was 9.5 per cent; in 2006-07, it was 9.6 per cent; in 2007-08, it was 9.3 per cent; and in 2008-09, which was extremely a bad year as there was international financial crisis, it was 6.8 per cent; in 2009-10, it was eight per cent and in 2010-11, it was 8.6 per cent. So, the last six years period average is 5.8 per cent and the current six years average is 8.5 per cent. We can and we shall do.

Madam Speaker, to me growth is just not merely a statistical satisfaction. To me growth means empowerment to the Government. If I have high growth, I will have the capacity to take the risk of going to the extent of loan waiver of Rs. 65,000 crore to give benefit to the four crore farmers. If I have higher growth and, high employment generation, it would be possible for me to transfer more resources to the States. I had the privilege of being the Minister of Finance in early 1980s. I used to have a picture. State after State Finance Ministers and Chief Ministers were coming to me to increase the ways and means of advances and to allow overdraft from the Reserve Bank of India. Today, when I am talking to you, hon. Members, except three States for which I have appointed a Committee to

look into their special problems, 25 States, out of the 28 States, are having cash surplus to the extent of Rs. 1 lakh crore throughout the year. No Finance Minister or Chief Minister of any State used to come and tell me to allow him to have an overdraft. It is because we have been able to transfer more resources. All those figures are there in the budgetary document. I need not elaborate on it, but these are there. Therefore, if we have higher growth, it is possible to generate more employment. I will come to the figure a little later.

Now, another doubt has been raised about fiscal deficit. I am oblique and sometimes not so oblique. A suggestion has been made that perhaps I have fudged the figures.

I have taken into account the prevailing situation. I do not know what would happen tomorrow. When we formulate the Budget, we formulate the Budget considering the situation prevailing at that point of time and we can foresee what is going to happen. If somebody tells me why I have taken only Rs.20,000 crore as oil subsidy, first of all, I would like to most respectfully remind the House that in previous years, oil subsidy was never put in the Budget at the BE stage. It was provided through the Bonds. Bonds were taken out of the fiscal deficit computation. That is not sound economy. I did not believe in that. I wanted to make it transparent. I am giving direct subsidy, not through the Bonds. I am showing it in computing the fiscal deficit. Anybody may say: What is the relevance of the figure of just Rs.20,000 crore when the oil prices are going high? I know the world oil prices are going high. I know the uncertainty in Africa and the Arab world. I know it is going to affect the oil supply in the medium and long-terms or even in the short-term. But, at the same time, another picture comes to my mind – not in the remote past but in 2008. We assumed office in May, 2004. From June onwards, I noticed that there was an upward movement of the international oil prices starting from $ 36 per barrel, about which my good friends Shri Jaswant Singh and Shri Yaswant Sinha had the advantage; they did not have to bother about! But, after that, it continuously moved up. We did not know where it would settle – whether at $ 60 or $ 70 or $ 80 per barrel. When the international

financial crisis came, in June, it reached as high as $ 125 per barrel. In August, it reached as high as $ 147 per barrel. I am talking of 2008. Then, in January, it came down softly to $ 50 per barrel. Oil is slippery! Again, it is moving up. I know my requirement. Out of 100 plus million tonnes every year, we have to import it. Our domestic production is a little less than one-third of it – 33 or 32 million tonnes. Therefore, it may offset. But normal prudence says that it can be adjusted.

Complaints have been made saying how could I show my BE figure of 2011-12 less than the RE figure of 2010-11. First, there should be comparison between the comparables. BE should be compared to BE. RE should not be compared to BE because RE includes the additional amount which we give, which you are going to approve after my speech – the third batch of Supplementary Demands. When we find that the resources come, extra additional resources come, we deploy those additional resources.

Therefore, many of the items in 2010-11 are there. I can mention some of these items for the hon. Members' consideration. But, before that, I would like to clarify one more point which Dr. Joshi elaborated on. It was said: "Well, you have been able to reduce the fiscal deficit from 5.6 per cent to 5.1 per cent of unexpected bonanza. छप्पर फाड़कर रिसोर्सेज़ आया, छप्पर फाड़कर आया। Yes, छप्पर फाड़कर आया। I do not know whether I am telling correct Hindi.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ (VIDISHA): It is correct.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Please correct me. Yes, it came. In my own Budget projection, I showed Rs.35,000 crore. I got Rs. 1,06,000 crore. But at least you must appreciate that I use these resources to reduce the deficit. Yes, I do admit that I do not believe in that phraseThose who want to live in the fiscal prudence, they are less imaginative and those who want to live in the borrowed resources, they are more imaginative, I do not believe that belief and in that philosophy. I believe that we should live in the fiscal prudence. I have to resort to fiscal expansion to overcome the crisis of deterioration of GDP growth.

But the moment to stabilise, I, on the floor of this House while presenting the full Budget of 2009-10 after receiving the mandate from the people, mentioned that I would like to come back to the path of fiscal consolidation and I gave the road map. I gave the three years' road map. I gave that it would be 5.5 per cent in 2010-11 and it would be 4.8 per cent in 2011-12 and thereafter it will proceed and these road maps have also been indicated by the Thirteenth Finance Commission.

Therefore, taking advantage of that, I have also expanded. If you please remember, in the first batch of supplementary I up fronted the developmental expenditure. I have given substantial quantum of money for the developmental expenditure. I can give you just a few examples: Pradhan Mantri Grameen Sadak Yojana, Rs.10,000 crore, Rs.4,000 crore for implementation to the Right to Education, Rs.4,279 crore as Central Assistance of Special Category States, Rs.2,212 crore under the National Agricultural Insurance Scheme.

Some of the Revised Estimates of the year are just temporary. Two eminent Finance Ministers, my predecessors, Shri Jaswant Singh and Shri Yashwant Sinha are sitting in front of me. They know that sometimes an emergency situation comes and we have to make some adjustments. This year I had to do. I had to provide a short-term credit of Rs.5,000 crore to FCI and I know I will get it back next year. To overcome the temporary crisis I had to resort to it. But if somebody comes to the conclusion, as I had to give it in 2010-11, I shall have to repeat in 2011-12, it is not correct.

The third thing which we have done and I think I have done correctly. You have noticed in the Budget every year, those who are diligence prudence of the Budget Document, that some expenditure we show in the revenue account, and particularly, those which you transfer to the States as capital grants – transferring it as capital grants but showing it as revenue. I discontinued this practice and I have taken into account on the capital side and not on the revenue side.

There have been recommendations of expert bodies on earlier occasions and I have implemented it, for instance, re-capitalisation of the public sector banks. Last year I gave Rs.14,157 crore; this year we are giving Rs.9,000 crore because

we do not want our public sector banks sick. They must maintain their CRAR at the credible limit, at least, at eight per cent. Not only that, we have increased the equity of a particular public sector bank. I have increased it to 58 per cent. Therefore, these expenditures are essentially developmental expenditure.

So, I do not believe that I have done anything wrong, which should not be done in projecting the fiscal deficit 5.1 and if you look at the track record, I am quite confident that we will be able to convince you that in every year we have been able to maintain this fiscal deficit as we have done in past.

Madam Speaker, while talking on the social security plan expenditure, we have emphasised on social security; we have emphasised on infrastructure. 23 per cent of the total developmental outlay of this year has been spent on social security; 48 per cent of the total plan has been invested in the infrastructure sector. It is because these are the requirements to ensure that we could achieve the higher growth trajectory.

A large number of comments have been made on agriculture. Yes, I do believe that agriculture is an important aspect and this aspect we cannot ignore. I would like to deal with three topics connected with agriculture: agriculture, agricultural credit, and agricultural Minimum Support Price. My basic objective in agriculture is to encourage production, to reduce wastage, to expand capacity to process, and to expand the capacities of storing in cold chains. I said it earlier; and I have repeated it. I do believe nobody can feed one billion plus people except India. I have great confidence on the Indian farmers; and they will do it. This year also, I can tell you that. I will just make two comparisons. We had severe drought in the year 2009. Everybody on the floor of this House – Lalu *ji* was there – said there will be serious food riot because there was a huge drought. We discussed it twice, three. Yes, drought was there, but we did not succumb to it, thanks to the farmers of Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, Andhra Pradesh and a couple of other areas. And I must thank the State Governments also. They took the prompt action; provided additional electricity; provided diesel; and standing crop was not allowed to be destroyed. We provided monetary support

and in that way we could reduce the adverse impact of that drought. Yes, agricultural growth came down, but it was not negative. It was a positive growth of 0.2 per cent in 2009-10 compared to the similar type of drought in 2002-03 when the agricultural growth was minus 7.2 per cent. Therefore do not think that we are neglecting agriculture.

Yes, we ought to give more money to the farmers. And I do still believe that despite tremendous pressures, taking the risk of having higher food inflation, we did not hesitate to increase the support price to the farmers because if we do not provide them what they require, they will not be able to produce more.

Just I will give you some information in respect of Minimum Support Price for some important items, not for all. For paddy, in 1999-00, it was Rs. 490 per quintal. In 2003-04, in four years, it increased by just sixty rupees from Rs. 490 per quintal to Rs. 550 per quintal. During the UPA regime, it increased from Rs. 550 to Rs. 1000. It increased by Rs. 450 per quintal in five years.

In the case of wheat, it increased by Rs. 50, from Rs. 580 to Rs. 630. During the UPA regime, it increased by Rs. 480, from Rs. 640 to Rs. 1120 in five years. There are series of items.

In the case of sugarcane, it increased from Rs. 56.10 to Rs. 73.10 per quintal, which means, Rs.16.90 per quintal had increased. But during the UPA regime, it increased by Rs. 64.92 per quintal, from Rs. 74.50 to Rs. 139.12 per quintal. There is no disincentive and we shall have to carry on this.

Now, another aspect is of the credit. In the morning it was being discussed. I understand the apprehensions and concerns of the hon. Members. When they feel that not enough is being done, I always agree that whatever is being done is less than what it should be done and what is our requirement.

I do not dispute that there is a gap; between our aspirations and actual achievements; between our requirement and performance. But that does not mean that we are not performing. If I have increased the agricultural credit to the small farmers at the interest rate of 7 per cent, from Rs. 86,000 crore in 2003-04 to Rs. 4,75,000 crore, in 2011-12, it is negligence to the farmers! You may say, you

do it with Rs. 6,00,000 crore, I can understand that but please do not say that we are neglecting the farmers. We are doing what is possible. I have brought down the interest rate from three consecutive years. We served the farmers by interest subvention from 7 per cent to 4 per cent because it was the demand of the farmers.

After the first interaction, which we have with the various stakeholders' pre-Budget consultation, they have chosen deliberately to interact with the farmers, with the agriculturists. It was an overwhelming demand.

Some of the hon. Members who are off-season and out of season, pointed out that stop agricultural products from forward trading. Yes, it may have some advantage from the consumers' side but all the farmers' organisations are against it. They demanded that Indian farmers should have the advantage of world market. Why should they be bounded to a particular system? We could not go to that extent. We shall have to strike a balance between Producers' interests and the consumers' interests and exactly we are trying to do that.

Lot of criticism has been made that storage capacity is not being created. Yes, it is true that what we have required it has not yet been done. But it would be wrong to say that no decision has been taken. On January 1, 2011, I know the food grains' stock reached to 470 lakh tonnes that means 47 million tonnes, which means 2.7 times more than 174 lakh metric tonnes.

The storage capacity is being attempted to be created. Now process to create new storage capacity of 150 lakh metric tonnes through private entrepreneurs and warehousing corporations has already been done. Decision to create 20 lakh metric tonnes of storage capacity under the Public Entrepreneurs Guarantee Scheme through modern silos has already been taken. We will be able to add about 2.6 lakh tonnes of capacity by March this year, best on existing sanctions; the addition will reach 40 lakh tonnes by March, 2012. During 2010-11, another 25 lakh metric tonnes of storage capacity has been created.

13.00 hrs.

About cold chain, 24 cold storage projects have already been sanctioned with a capacity of 1.4 lakh metric tonnes under the National Horticulture Mission; 107 cold storage projects with a capacity of 50.9 lakh metric tonnes have been approved by the National Horticulture Mission.

In short, during 2010-11, the National Horticulture Mission has approved 24 cold storage projects with a capacity of 1.36 lakh metric tonnes; 200 projects are in the pipeline, which will take off in 2011.

Under the Rural Godown Scheme, 1,968 godowns with a capacity of 24 lakh metric tonnes have been completed during this year itself. I have also extended the policy support to these activities.

To attract investment in this sector, the capital investment in the creation of modern storage capacity will be eligible for viability gap funding scheme of the Finance Ministry. It is also proposed to recognize cold chains and post-harvest storage as the infrastructure sub-sector, and they will get all these benefits.

Madam Speaker, I will not like to take much more time but I would like to bring to the notice one basic infrastructure development. All along we used to complaint, and it was rightly so, that there is inadequacy of power. Without power we cannot have the desired level of growth. Therefore, emphasis was given. We have added a capacity of 32,762 MW and 10,460 MW during this year itself in the current Plan, which is higher than the capacity added in any of the previous years. We hope to add 15,000 MW by the end of the current financial year, and I congratulate my colleague, the Power Minister because more than often I used to criticize him that his projects are going slow, and he has correctly responded to that. … (*Interruptions*) No, I have given credit to all. … (*Interruption*) Please do not disturb me. This is not the way. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please allow him to speak.

… (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Dr. Joshi, while he was making his observations, mentioned first about employment. … (*Interruptions*) Do not plead for yourselves. Let others speak for you; not yourself speak for you. Please do not mind it. … (*Interruptions*)

Dr. Joshi spoke of employment. He was speaking that it is jobless growth; it is jobless growth and it is not employment-oriented. Yes, it has not created employment fast enough, much more is to be done but it has not retarded.

During the UPA period, from 31st March 2005 to 31st March 2008, the total number of persons engaged in the organized sector increased from two crore sixty-four lakhs to two crore seventy-five lakhs – 11 lakhs more employment had been created. … (*Interruptions*) In the rural sector, in the four years, we had given employment to fifteen crore twenty-six lakh households. If you consider … (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): What about job loss? … (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): How many have lost employment? … (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: If you consider that only the jobs of clerks are the creation of employment; and those who are getting jobs by hard work are not employment generation, I am afraid, I disagree with you. I have the latest Labour Bureau figures with me. Based on the quick surveys over the last four quarters -- from September, 2010 over September, 2009 -- the overall employment has increased by 12.96 lakh, mostly in IT, BPO sector followed by textile, metal, automobile, gems and jewelleries. It is not a jobless growth.

Therefore, Madam Speaker, my approach has always been to ensure that there is inclusive growth. Keeping that objective in view, I have increased substantial allocations to rural sectors, rural infrastructures and social sectors. It is because the new paradigm of our developmental strategy is to empower people, empowerment not by slogans but empowerment by entitlement, entitlement by legal enactment. We have done it in the case of Right to Information; we have

done it in the case of Rural Employment Guarantee; we have done it in Right to Education; and we are going to do it in Right to Food.

Madam Speaker, there has been a discussion on the black money. A large number of Members have expressed their anxiety, their concern – and rightly so – about black money. Newspaper headlines are also there; I am not going to comment on it. What I am going to tell is that we have done. First of all, I would like to make it quite clear that there is no quantum specified by anybody as to what the quantum of black money is. Various figures are being floated. I have two figures with me. One figure was provided through the interim recommendations of the BJP Taskforce of 2009; and they have estimated the amount of black money to be between 500 billion dollars to 1,400 billion dollars. The range is very high – between Rs.500 billion dollars and 1,400 billion dollars. And, it is obvious because you quantify it. Another figure, which is available to us, has come from the Global Financial Integrity, which Dr. Joshi was quoting on that day and I corrected him that it is not for two-three years; it is from 1948 to 2008, over a period of 60 years. By juxtaposing the exchange fluctuations, it comes to about 462 billion US dollars.

Therefore, the first thing, which I have decided to do is to appoint a Group to quantify the black money, which is being generated… (*Interruptions*) As soon as the Report is available, I would share it with you.

Now, the question is: any amount of anxiety is not going to bring money. We live in a society, which is governed by the rule of law; and we shall have to proceed as per the law. Simply, if you want to hang somebody, do not blame me. I give my personal experiences. In my younger days being overwhelmed with these types of sentiments, I conducted some raids on a very important family. It was not a fruitless raid. One ton primary gold with Swiss marks was discovered. Later on, with the change of Government, I was accused of causing Emergency excesses; and I was put in the dock before the Shah Commission.

I was put on the dock of Shah Commission. Those are documents of 1975 and 1976. Go through the proceedings of 1977, 1978 and 1979 of this House.

Therefore, please do not indulge in this rhetoric. The point is, how to deal with the black money? It is a serious issue. We shall have to first go with the legal framework, and we have done it. Do not forget that before the Pittsburgh Summit, the world leaders were totally indifferent to this aspect of the issue. First Pittsburgh Summit followed by Seoul Summit, it has been decided… (*Interruptions*) Please do not disturb me. If you have your own view, you hold it. Do not disturb me. Thereafter, the world community impressed upon those countries which were reluctant to share banking information. The atmosphere was created.

As a result of that, we have been able to enter into two types of legal agreements. Under Double Taxation Avoidance Agreement, the exchange of information regarding bank deposit, tax evasion, will have to be given. Out of 65 countries, we have been able to complete the Double Taxation Avoidance Agreement with 23 countries, including Switzerland. But simply, we have become entitled through agreement does not mean that money will come from tomorrow. When their legal ratification process will be completed, we will get the information. I have signed the agreement with my counterpart in Swiss Government in August. They are still taking time for ratification, and when it will be ratified, from 1st of April this year we will get the information.

Somebody was jokingly saying why agreement with Bermuda, Isle of Man, St. Kitts and Cameron Island. These are the entities where the tax havens have been created. Therefore, we shall have to enter into agreement with those countries. They are not sovereign jurisdictions. They are tax havens. It cannot be Double Taxation Avoidance Agreement (DTTA) with them. I shall have to enter into Tax Exchange Information Agreement with them and we have entered into ten such Tax Exchange Information Agreements.

Now, what have we done up to now? Has there been any progress or a little progress? Yes, there has been some progress, not much as envisioned. But there is some progress. You know in the Income Tax Act, there is a regular provision of search and seizure. This year when we intensified search and seizure,

we have got undisclosed income of Rs.25,000 crore in the last 24 months. Out of that, Rs.7,000 crore of additional taxes have been realized. We have been able to get through direct ways of international taxation, an additional amount of Rs.34,601 crore.

Also, there is a new mechanism. Everyday when new technology is coming, those who are indulging in financial crime, they are also resorting to those technologies. Through the transfer pricing mechanism, we have been able to detect about Rs.33,784 crore. In other words, this much amount of money has been prevented from siphoning out of our country. Here we shall have to keep in mind, and surely my distinguished predecessor will not mind.… (*Interruptions*) Just let me complete. I am completing.

श्री शरद यादव : आपने ब्लैक मनी वगैरह पकड़ी, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि कोर्ट ने कहा तो हसन अली जेल के अंदर हो गया, लेकिन वह इतने लम्बे समय तक बाहर रहा। हमें अपने सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। सदन भी यही निवेदन करना चाहता है कि आप इन सारी चीजों के लिए सिस्टम को कैसे ठीक करेंगे।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I agree with you; there are no two opinions or dispute about the fact that we must improve our system. I was going to say that, but somebody shouted at me. In order to have the expertise and develop the expertise in transfer pricing mechanism, in between I have got 36 persons specially trained for the purpose. India's activities against money laundering and black-marketing are being well recognised. We have become the 34th member of the world body. India is the Vice-Chair of one of the important international organisations which is dealing with money laundering and black-money. But I must agree and say that a lot of improvement has to take place. We have done it earlier. Sometimes we have to face the political flak because of what I have just mentioned. I do not mind it. But the fact of the matter is that always we shall have to keep in mind that we ought to proceed within the framework of the law. We cannot by-pass that.

Madam Speaker, I think I have taken a little longer time than I intended to. … (*Interruptions*) My friends are a little bit disturbed. Please do not disturb me.… (*Interruptions*)

Hon. Members cutting across party lines from both the Houses have been demanding increase in the allocation under the MPLADS.… (*Interruptions*) Do not thump the desks right now, listen to me. We have considered the matter and I am happy to announce an increase in the allocation under the Scheme from Rs.2 crore to Rs.5 crore. … (*Interruptions*) It will result in an additional allocation of Rs.2370 crore per year.

Here, I shall have to add one more word of caution. Just yesterday I have received a report from the CAG which has dealt with this subject. They have made certain recommendations. Surely, Dr. Joshi's PAC will examine them and give me the report, so that I can improve my guidelines of MPLADS in consultation with the Chairmen of MPLADS Committees of the two Houses, so that it can be made more effective. It will be effective from the 1st of April this year.

Please remember one more point. As election is going on, Code of Conduct is in operation. I checked up from the Chief Election Commissioner whether I am entitled to make this announcement. He said, 'yes, I can do it; but please tell your colleagues coming from the election-going States that they can use this money or even make commitment not now, but from end-May'. So, they will be able to do it from end-May.

I shall have to make another suggestion. Investment in education and health sector is a very important point..… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Let us have order in the House.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Investment in education and health sector has a high priority in our policy framework. There is a need to further accelerate the creation of infrastructure in this domain. I am happy to announce that henceforth capital stock in educational institutions and hospitals will be treated as infrastructure sub-sector. Accordingly, capital investment for these sub-sectors

will be eligible for the viability gap funding scheme of the Ministry of Finance. Detailed guidelines in this matter will be announced shortly.

In my Budget Speech, I had proposed the creation of a Women Self-Help Group Development Fund with a corpus of Rs. 500 crore. The proposed Fund will operate through NABARD and will be exclusively utilised for providing refinance loans given to the women self-help groups on soft terms, and the other details of the scheme will be worked out.

As I had mentioned about the inclusive growth, regarding the fish farmers and fishermen, the UPA is sensitive to the problems being faced by the fishermen. To meet their credit needs, I am happy to announce the extension of the existing Interest Subvention Scheme of providing short-term credit loans to farmers at seven per cent interest, with additional interest subvention for timely repayment. That means three per cent, if they make payment up to the loan of rupees three lakh, would be provided to them. This would benefit over 20 lakh fish farmers and fishermen engaged in the fishing operations in the country. The details of the scheme will be worked out.

Madam Speaker, I spoke little longer than I intended to have. I am deeply grateful to the hon. Members, the Leader of the Opposition and Advani*ji* for the indulgence which they have shown to me.

MADAM SPEAKER: I shall now put the Supplementary Demands for Grants (General) for 2010-2011 to the vote of the House.

The question is:

"That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2011, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 5, 7,9, 11 to 23, 26, 29 to 33, 35, 40 to 43, 45 to 51, 53 to 55, 57 to 62, 64, 65, 67 to 74, 77, 79 to 81, 83 to 88, 90, 92 to 98, 100 and 103 to 105."

13.24 hrs.

APPROPRIATION BILL, 2011*

MADAM SPEAKER: Item No. 27 – Hon. Minister of Finance.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2010-11.

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2010-11. "

The motion was adopted.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, I introduce** the Bill.

MADAM SPEAKER: Item no. 28 – Hon. Minister of Finance.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, I beg to move**:

> "That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the consolidated Fund of India for the services of the financial year 2010-2011, be taken into consideration."

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the consolidated Fund of India for the services of the financial year 2010-2011, be taken into consideration."

The motion was adopted.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 11.03.2011

** Introduced and moved with the Recommendation of the President

MADAM SPEAKER: The House will not take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the long Title were added to the Bill.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MADAM SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

MADAM SPEAKER: Hon. Members, as a special case, all matters of 'Zero Hour' shall be taken up after the lunch break.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.30 pm.

13.26 hrs

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till thirty minutes past Fourteen of the Clock.

14.33 hrs

The Lok Sabha reassembled after lunch at Thirty three minuts past Fourteenth of the clock

(Mr. Deputy Speaker in the chair)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Matters of Urgent public importance.

श्री जयंत चौधरी (मथुरा): उपाध्यक्ष महोदय, 21वीं सदी में हमारे देश में जाति के आधार पर अगर किसी एक वर्ग का शोषण हो, तो इस बात को प्रगतिशील और सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता है। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति में विशेष ऊर्जा और शक्ति होती है, लेकिन सामाजिक कुरीतियों के कारण ऊर्जावान नौजवानों को अपने हुनर को प्रदर्शित करने का कभी मौका ही नहीं मिलता है। हमारे देश में सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के लिए आरक्षण प्रणाली चल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि आरक्षण से विचारों में संकीर्णता उत्पन्न हुई। कुछ लोगों का मानना है कि इससे सामाजिक विषमताएं समाप्त नहीं हो रही हैं। मेरा मानना है कि आरक्षण प्रणाली से बहुत लोगों को फायदा पहुंचा है, लेकिन आज भी ऐसे कई वर्ग के लोग हैं, जिनकी गिनती नहीं हो रही है। हमने देश में देखा है कि विभिन्न वर्ग के लोगों ने सड़कों पर आ कर अपना विरोध व्यक्त किया है। गूजर समाज के लोगों ने जायज मांग को लेकर अपनी बात रखी। आज भी असलियत की अगर हम बात करें, तो वे अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप संक्षेप में अपनी कहिए।

श्री जयंत चौधरी : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैंने अभी शुरूआत ही की है। मेरे संसदीय क्षेत्र में धन्गर समाज के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं, लेकिन उन्हें प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता है, लेकिन आज मैं सदन में जाट समाज की बात करना चाहता हूं।

मैं इसलिए यह बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं उस जाति से हूं लेकिन राष्ट्र को हानि तब पहुंचती है अगर किसी एक वर्ग को उनके अधिकार से वंचित रखा जाए। आज हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रदेशों में जाट समाज को प्रदेश में आरक्षण मिल रहा है। आज उनकी मांग है कि केन्द्रीय सेवाओं में उनको नौकरियां मिले। केन्द्र स्तर पर शिक्षा संस्थानों में उनकी गिनती हो। उनकी इस मांग के पीछे एक तर्क है, एक लम्बा इतिहास है, एक भावना है। भावना उस नौजवान की है जो गांवों में रहता है, खेत में अपनी जवानी काटता है और सरहदों पर अपनी कुर्बानी देता है। क्या उनका हक नहीं बनता? विचित्र स्थिति यह है कि दिल्ली प्रदेश में 1999 में आरक्षण मिला, यू.पी. में 2000 में मिला, राजस्थान में भी 1999 में मिला और दो जिलों को छोड़कर राजस्थान में जाट समाज के नौजवानों को दिल्ली में केन्द्र सेवाओं में भी आरक्षण

मिलता है और प्रदेश में भी मिलता है। क्या कारण है कि अन्य प्रदेशों में, जैसे आप उदाहरण यू.पी. का लें कि जहां अगर कोई जाट समाज का नौजवान लखनऊ जाएगा तो उसकी गिनती पिछड़े में होगी लेकिन दिल्ली पहुंचते-पहुंचते वह पिछड़ा नहीं रहता। इसमें न्याय नहीं है। मैं आज सदन के माध्यम से मांग करना चाहता हूं और हम सब जो सदन के सदस्य हैं, हम समाज से हो सकते हैं लेकिन हम राष्ट्रीय हित की बात करते हैं। अपने समाज का प्रतिनिधित्व हम नही कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आज जो देश में एक माहौल बन रहा है और लोग जो आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार को सही वक्त पर सही फैसला लेना चाहिए। बहुत समय से इसमें विलम्ब हो रहा है। आयोग में यह मामला विचाराधीन है। सरकार को आगे आकर स्पष्ट तरीके से अपना रुख स्पष्ट कर देना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि हम आपकी पैरवी करेंगे। यदि सरकार इस तरह का कोई भी संदेश देती है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि समाज के जितने नौजवान हैं, उनके अंदर उम्मीद की एक नयी लहर दौड़ेगी और जिस नौजवान ने आईआईटी, आईएएस में जाने का सपना देखा है, उसे लगेगा कि इस देश की नीति न्यायोचित है।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): महोदय, यहां बहुत ही महत्वपूर्ण बात की चर्चा की गई है। जहां तक जाट समाज आरक्षण और इस प्रश्न का सवाल है, मैं बताना चाहता हूं कि 29 नवंबर को सोशल जस्टिस एंड एम्पलाएमेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने, नेपोलियन जी के प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया था कि उन्हें 5 अप्रैल, 2010 को मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा जाटों को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण हेतु सिफारिश का लिखा हुआ पत्र प्राप्त हुआ था। उन्होंने उस पत्र को जुलाई, 2010 को कार्रवाई के लिए नेशनल कमीशन फार बैकवर्ड क्लासिस के पास भेजा था। मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि जो नेशनल कमीशन फार बैकवर्ड क्लासिस के अंडर पेंडिंग है, उस विचाराधीन सिफारिश पर जल्द ही कार्यवाही होनी चाहिए।

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thousands of peasants from across the country have marched to the Parliament House today under the banner of All India Kisan Sabha to highlight the agrarian crisis and to press the demands of the peasantry of the country.

The crisis in agriculture is being accentuated. The suicide-committing by the farmers is continuing unabated. A number of proposals have been made in the Budget 2011-12 like reduction of subsidy on fertilizer by Rs.5,000 crore, reduction of allocation to agriculture and capital formation in agriculture is stagnating for the last several years. All these anti-farmer measures of UPA-II Government will further accentuate the crisis in agriculture.

There is a proposal to reduce the import duty on raw silk from 30 per cent to five per cent. This will adversely affect the large number of sericulture cultivators because the raw silk will be imported at a cheaper price and our farmers will not get the right price. This will harm the interests of thousands and thousands of our farmers.

A Bill to amend the antique, age-old law, a law of the British period, Land Acquisition Act of 1894 – to which Shri Sharad Ji referred to and raised two days back – is still pending. Along with that Bill, there is another Bill which is also pending before the House, the Rehabilitation and Resettlement Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please be brief.

SHRI BASU DEB ACHARIA : This is the problem of the peasantry of our country. Let me highlight the problems and issues. I will take only 2-3 minutes.

Thousands and thousands of acres of land is being acquired. The Railways have enacted a Special Land Acquisition Act. This is 100 per cent draconian where there is no provision for public hearing and there is no provision for raising objections by the land owners. The Railways are applying that Act to acquire thousands and thousands of acres of agricultural lands in Uttar Pradesh and Bihar for construction of railway projects.

So, there is a need to bring forward these two Bills, in order to amend the age-old Act which was passed during the British period and which is still continuing. There is no provision for rehabilitation and resettlement of land losers. So, these two Bills should be brought forward before this House.

There is also a proposal to decontrol the price of fertilizer. If the price of fertilizer is decontrolled, then the price of fertilizer will reach a level where a majority of the farmers will not be able to purchase fertilizer, thereby production will be hampered. UPA-I Government had constituted a commission, Commission of Farmers, under the Chairmanship of eminent Agricultural Scientist, Dr. Swaminathan. That Committee had submitted its report in 2007, but not a single pro-farmer recommendation of that Committee has so far been implemented. That Committee recommended for remunerative price for agricultural produce. There is

a need for remunerative price; C+50 is the recommendation of that Commission. That has not been implemented by the UPA-II Government.

As the agrarian crisis is being accentuated, more than two lakh farmers have committed suicide; that means, one farmer is committing suicide in 30 minutes, today also. This Government had failed to address the problems being faced by the farmers of our country.

I demand that in order to address the problems of the farmers, whatever anti-farmer measures have been taken by this Government and whatever anti-farmer proposals are there in the Budget for 2011-12, should be withdrawn forthwith.

Land Acquisition Bill along with Rehabilitation and Resettlement Bill should be brought before the House so that proper rehabilitation and resettlement is provided to the land losers. In order to save the farmers of this country, the old British period draconian law of 1894 should be scrapped and a new Bill should be brought and passed by this House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shrimati Susmita Bauri, Sk. Saidul Haque, Shri P.K. Biju and A. Sampath would like to associate with the matter raised by Shri Basu Deb Acharia.

14.45½ hrs

SUBMISSION S BY MEMBERS

(i) RE: Need to adhere to the modalities set out by the Sarkaria Commission for releasing funds to State Government.

श्री शरद यादव (मधेपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, अभी प्रणव बाबू का बजट पर जवाब हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश में केन्द्र और राज्यों के जो संबंध हैं, उनमें बहुत गहरा तनाव पैदा हो गया है। पहले राजस्व का बंटवारा फाइनैन्स कमीशन के द्वारा गाडगिल फार्मूले के तहत होता था, जो 60/40 परसैन्ट था। आप जहां से आते हैं, उसके अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, बिहार और झारखंड आदि राज्य हैं, जो विशेषकर यूपीए सरकार के विरोधी राज्य हैं, इन राज्यों का शेयर निरंतर घट रहा है। इस बार के शेयर के अनुसार 68 परसैन्ट भारत सरकार के पास है और राज्य सरकारों को 32 परसैन्ट दिया गया है। यदि यह आठ परसैन्ट भी मिल गया होता तो गरीब सूबों का बहुत बड़ा हित होता। यह बड़ी भारी एनॉमोली है, जिस पर विस्तार से बोलने का आवश्यकता है। लेकिन जीरो ऑवर है, आप मुझे विस्तार से बोलने का वक्त नहीं देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने संकेत दे दिया है, लोग समझ जायेंगे।

श्री शरद यादव : मैं संकेत में ही बोल रहा हूं। मैं निवेदन करूंगा कि यहां लगातार, अनवरत, निरंतर केन्द्रीय योजनाएं बढ़ रही हैं। यानी एक तरह से केन्द्रीयकरण हो रहा है और हिंदुस्तान के इतिहास में 62 वर्ष के दौरान कभी कोई मुख्य मंत्री केन्द्र सरकार की ज्यादतियों से तंग आकर भूख हड़ताल पर बैठ जाए, यह कभी नहीं हुआ। ...(व्यवधान) श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश आज ही भूख हड़ताल पर बैठ गये हैं। बिहार सरकार की तरफ से बिहार चौपट और बर्बाद है, जब से बिहार का बंटवारा हुआ है, तब से बिहार की कमर टूट गई है। ...(व्यवधान)

श्री वी.नारायणसामी: आधा घंटे में उठ गया।...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह (सतना): लेकिन बैठने के लिए तो मजबूर होना पड़ा।

श्री शरद यादव : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि स्वामी जी केन्द्र सरकार लगातार, निरंतर राज्यों का पूरा टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज आदि वसूल करती है। जबकि एक नीति बनी हुई है कि यह शेयर 40/60 परसैन्ट होना चाहिए। इस बार इसे आप 25 परसैन्ट कर रहे थे, वह तो फाइनैन्स कमीशन ने रोक दिया, अन्यथा आप 25 परसैन्ट करने वाले थे। आप बताइये उन्हें 32 परसैन्ट की जगह 40 परसैन्ट यानी आठ परसैन्ट शेयर और मिल गया होता तो उन सूबों का बजट और आवश्यकताएं पूरी हो जाती।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि इस देश में जो 60/40 का शेयर आईन और संविधान के द्वारा तय है। फाइनैन्स कमीशन ने इस बार इस इसे 32 परसैन्ट कराया है. यानी कि 25 परसैन्ट के स्थान पर इसे 32 परसैन्ट करके सात परसैन्ट बढ़वाया है, नहीं तो राज्यों की बहुत दुर्गति होती। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। मेरे पास समय कम है, लेकिन संक्षेप में मेरा यही कहना है कि केन्द्र और राज्यों के बीच राजस्व का जो बंटवारा है, यह देश में तनाव पैदा करेगा, संविधान को ध्वस्त करने और बिगाड़ने का काम करेगा। इसलिए मेरी सरकार से विनती है कि सरकार इस पर शीघ्र ही ध्यान दे।...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): ये सभी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप सभी लोग स्लिप्स भेज दें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने बता दिया, आप सभी लोग एसोसिएट कर लीजिए। आपका समर्थन हो गया।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री महेन्द्र सिंह पी.चौहान, श्री गणेश सिंह, शेख सैदुल हक, श्री सैय्यद शाहनवाज हुसैन, श्री मंगनीलाल मंडल, श्री भर्तृहरि महताब, श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय, श्री अशोक अर्गल तथा श्री वीरेन्द्र कुमार को इस विषय से सम्बद्ध किया जाता है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती जयाप्रदा जी, आप बोलिये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य किसी की बात रिकार्ड पर नहीं जायेगी, सिर्फ जयाप्रदा जी की बात रिकार्ड पर जायेगी।

...(व्यवधान)

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर) : महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।...(व्यवधान)

श्री वी.नारायणसामी: आप लोग मेहरबानी करके मुझे सुनिए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने बता दिया है कि मैं मंत्री महोदय को इस बारे में बता दूंगा। ये उस पर नहीं बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्रीमती जयाप्रदा : हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और उनके खिलाफ हिंसा में चिंताजनक वृद्धि हुई है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : किसी की भी बात रिकॉर्ड में नहीं जायेगी।

...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, आप उनकी बात सुन लीजिये।

...(व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY : Sir, the senior Member, Shri Sharad Yadavji has raised a very important issue regarding Centre and State funding. I will convey the sentiments of the hon. Members to the hon. Finance Minister....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ये फिर कह रहे हैं, इन्होंने बता दिया है, इन्होंने हाउस में बोल दिया है। श्रीमती जयाप्रदा जी बोलिये।

...(व्यवधान)

श्रीमती जयाप्रदा : महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग शांत रहिये। ठीक है, आप लोग बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्रीमती जयाप्रदा : महोदय, मैं इस सदन की दृष्टि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आकर्षित करवाना चाहती हूं। आप देख रहे हैं, हम लोग हर रोज अखबार देखते हैं तो हमें बहुत ही अचम्भा होता है, उसमें बहुत ही दर्दनाक खबरें रहती हैं। देश में महिलाओं के उत्पीड़न और उनके खिलाफ हिंसा और अपराधों में वृद्धि बहुत ही चिंताजनक है, देश में महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। हम लोग बार-बार अखबारों में देख रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था के लिए जितना जरूरी था, वह उतनी सुरक्षा महिलाओं को नहीं दे पा रही है। मैं इस बात पर बहुत चिंतित हूं। मैं आपको बताना चाहती हूं, खासतौर से मैं आपका ध्यान राजधानी दिल्ली की ओर लेकर जाना चाहती हूं। अभी-अभी राधिका की हत्या हुई है और वह लड़की...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह : इसके बारे में शाहनवाज़ जी बोल चुके हैं।...(व्यवधान)

---

* Not recorded

श्रीमती जयाप्रदा : कृपया मुझे बोलने दीजिए। एक महिला के नाते मुझे बोलने का अवसर मिला है।...(व्यवधान) मैं राधिका के बारे में बताना चाहती हूं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग शांत रहिये।

...(व्यवधान)

श्रीमती जयाप्रदा : दिल्ली में और वह भी महिला दिवस पर उस लड़की की हत्या की गयी और 38 घंटे से ऊपर हो गये हैं, लेकिन पुलिस उसके मां-बाप के घर तक नहीं पहुंच पायी और जिसने जुर्म किया है, जो दोषी है, उसे पकड़ने के लिए अभी भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है।

महोदय, मैं एक महिला होने के नाते यह बताना चाहती हूं कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के बहुत हादसे हुए हैं। आन्ध्र प्रदेश में भी इस तरह के हादसे हो रहे हैं, मुम्बई में भी हो रहे हैं, उड़ीसा में भी हो रहे हैं, सारे देश में इस तरह का माहौल है। अगर बच्चे को स्कूल भेजना हो, कॉलेज भेजना हो तो उनके मां-बाप के अंदर इतना डर है कि वे सोचते हैं कि उनके बच्चे वापस ठीक से घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाये रखिये।

श्रीमती जयाप्रदा : यह दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए यह हमेशा सुर्खियों में रहती है। मैं यह बताना चाहती हूं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2009 में देश के 35 मुख्य शहरों में दर्ज बलात्कार के मामलों में दिल्ली का हिस्सा एक चौथाई है। महिलाओं के अपहरण के जो मामले दर्ज हुए हैं, उसमें दिल्ली का हिस्सा 40 प्रतिशत है। देश में कुल मिलाकर इनकी जो सारी हत्याओं के मामले रिकॉर्ड किये गये हैं, उनमें 14 प्रतिशत मामले दिल्ली से हैं, अब यह प्रतिशत 14 से बढ़कर 18 हो गया है।

महोदय, इस मामले में दिल्ली में छेड़छाड़ के जो केस पंजीकृत हुए हैं, वे तीन हजार के ऊपर हैं। मैं आपसे यह बात बताना चाहती हूं कि उन मां-बाप के लिए जो बच्चे, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, मैं यह नहीं बताना चाहती हूं कि लड़की दलित है या राजभर है या अन्य किसी जाति की है, लेकिन एक ही जात होती है कि वह महिला है। मैं चाहती हूं कि महिला को इस समाज में सबला नहीं मानते हैं, अबला मानते हैं। ऐसी ही भरी सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो सब देखते रह गये।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप संक्षेप में बोलिए।

श्रीमती जयाप्रदा : महोदय, कृपया मुझे अपनी बात बोलने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात बता दी है। यह बहुत है। कृपया कुछ संक्षेप में कीजिए।

श्रीमती जयाप्रदा : महोदया, मैं कम्पलीट कर लेती हूं। लेकिन कोई उन्हें बचाने के लिए नहीं आया।

उपाध्यक्ष महोदय : यह जीरो ऑवर है, इसमें बहुत लोगों को बोलना होता है। अन्य लोगों को बहुत से विषय रखने हैं।

श्रीमती मीना सिंह (आरा): महोदय, उन्हें बोलने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वे तो बोल ही रही हैं। हम कहां मना कर रहे हैं?

श्रीमती जयाप्रदा : महोदय, सीता मैय्या को भी अग्नि से पार होकर पवित्र होकर आना पड़ा। यह असमाज है, असमाज में महिलाओं के लिए चाहे उत्तर प्रदेश की शीलू हो, अगर उसने बलात्कार के लिए मना कर दिया तो उसके नाक, कान काटकर फेंक दिये। आज राधिका का हुआ है। मैं पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर केन्द्र सरकार पुलिस व्यवस्था और मौजूदा कानून व्यवस्था में कब तक बदलाव लाएगी? ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. बलीराम (लालगंज): उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि नाक-कान काट दिया गया है। यह सब गलत सूचना है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। आप बैठ जाइए। टोका-टोकी नहीं करें।

...(व्यवधान)

श्री राकेश सचान (फतेहपुर): यह सही सूचना है। यह मेरे क्षेत्र में उड़दौली की घटना है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठिये।

...(व्यवधान)

श्रीमती जयाप्रदा : महोदय, कोई व्यक्ति किसी भी पद पर हो, चाहे वह विधायक ही हो, उनको माफ नहीं किया जाना चाहिए। आखिर महिलाओं से अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए, समय बर्बाद न कीजिए। बहुत से लोगों का नाम है।

श्रीमती जयाप्रदा : महिलाओं के साथ ही नहीं, बल्कि बालिकाओं की भी हत्याएँ हो रही हैं और उन पर बलात्कार हो रहे हैं। क्या कोई सामने आ रहा है, कोई उनको आश्वासन दे रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्रीमती जयाप्रदा : पुलिस एक्ट में इसको रिवाइव करना चाहिए लेकिन पुराने उसी एक्ट पर पुलिस की व्यवस्था चल रही है। उस कानून में हम बदलाव नहीं ला पा रहे हैं। जितने कानून आ रहे हैं, उतनी ही ज्यादा हिंसा बढ़ रही है। आज महिलाएँ अगर देश की राजधानी में सुरक्षित नहीं हैं तो गाँवों में, गलियों में बच्चों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था कौन करवाएगा? अगर हम लोग इस व्यवस्था में सुधार नहीं ला सकते तो कानून की व्यवस्था कहाँ से लाएँगे? आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि इस रिवाइवल के लिए,

कानून व्यवस्था के लिए, हमारी पुलिस व्यवस्था के लिए, इनको रिवाइव करने के लिए हमें नया बिल लाना होगा और सदन में खूब डिसकशन होगा। हमें आश्वासन इसीलिए देना चाहिए कि राधिका और शीलू जैसी लड़कियों के बचाव के लिए देश में एक संदेश जाना चाहिए ताकि इस सदन से न्याय मिले। इस सदन के कानून को हम डेमोक्रासी मानते हैं और इस डैमोक्रेसी को दिन-दहाड़े खत्म नहीं होना चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामसुब्बू के अलावा किसी की बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।

(Interruptions)....[*]

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ramasubbu, your matter is the same you can associate with her.

… (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी बोल रहे हैं, आप कृपा करके बैठ जाइए।

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, the hon. Ministers are expected to respond to the issues raised by the hon. Members during the `Zero Hour'. Yesterday I conveyed it to the hon. Home Minister. If the House wants we are ready for a discussion. Let them give a notice, we will discuss the issue.… (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें।

…(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ramasubbu, your matter is the same as that of her. You can associate yourself with that. Please do not repeat it.

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, it is a bit different. Our Government is committed to provide equal rights for women in all spheres. However, the crime against women is increasing over the years. There are reports of large numbers of incidents of ragging, chain snatching, rape, molestation, dowry deaths apart from ill-treatment by their husbands or relatives from various parts of the country. more particularly the national Capital, Delhi which is most vulnerable to women's safety and the crimes are increasing each passing day. Moreover, there are reports of honour killings as well. To tackle the

[*] Not recorded

increasing crime against women, various steps have been taken and one among many such steps is the increasing the representation of women in police at all levels.

15.00 hrs.

As per the report, women in police force across the country are just over 60,000 in number which is roughly five to six per cent of the total police force. Hence, the Governments at the State and the Central should take efforts to increase the percentage so that crimes against women can be controlled effectively.

The Union Government has issued advisory to all the States and Union Territories to raise the ratio of women in police force to 33 per cent to control the crimes against women. It is not fulfilled so far.

Therefore, I urge upon the Ministry Home Affairs to take necessary steps to control the increasing incidents of crime against women and to issue necessary direction to the State Governments to increase the women representation in police forces.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, जिसे मैं कई दिनों से उठाना चाह रहा था।

महोदय, वर्ष 1984 में एनटीपीसी का थर्मल पावर प्लांट भागलपुर के कहलगांव में लगा था। उस वक्त वहां के लोगों से 3293 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। 4246 लोगों को सरकार ने कहा कि हम नौकरी देंगे। लेकिन भू-विस्थापितों को आज तक कोई सुविधा नहीं मिली है। वहां जब कहा गया था कि रोजगार उपलब्ध करवाएंगे, उस श्रेणी में 188 और फिर 112 लोगों को ही नौकरी मिली, बाकी लोग वहां बेरोजगार बैठे हैं। सरकार ने 101 लोगों के लिए रोजगार का यहां एनाउंस किया, लेकिन कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। आज भी 4246 लोग वहां परेशान घूम रहे हैं। वहां से इन्दिरा आवास के लोगों को हटाया गया, जिनकी संख्या दो सौ से ज्यादा है। उन लोगों को आज तक न्याय नहीं मिला है। वे भी दर-दर भटक रहे हैं।

महोदय, देश के अंदर जब भी कोई संस्थान लगता है तो इस बात की गारंटी दी जाती है कि जिनकी जमीन छीनी जाएगी, उन्हें रोजगार दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सरकार से क्या चाहते हैं?

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह गरीबों का मामला है और आप तो उनका दर्द समझते हैं।

महोदय, यह मामला भागलपुर का है और वहीं के हमारे मित्र सांसद श्री निशिकांत दुबे जी का भी मामला है। गरीबों की जमीन ली जा रही है। वहां बिजली बन रही है, जो दिल्ली और पंजाब जा रही है। लेकिन वहां चारों तरफ अंधेरा है। चिराग तले अंधेरा है। कहलगांव के भू-विस्थापितों के द्वारा कई बार आंदोलन किया गया। गोली भी चली, जिसमें पिछले साल तीन लोग मारे गए, लेकिन एनटीपीसी जागती नहीं है, ऊर्जा मंत्रालय जागा नहीं। बाद में एनटीपीसी ने मंत्री जी के क्षेत्र शोलापुर में जमीन एक्वायर की तो उन लोगों को तो रोजगार और मुआवजा मिल गया, लेकिन भागलपुर के कहलगांव के लोगों को आज तक रोजगार और मुआवजा नहीं मिला है।

महोदय, यदि नंदीग्राम और सिंगुर में किसान आंदोलन करता है तो देश जागता है, क्या भागलपुर में कहलगांव के लोगों को भी नंदीग्राम और सिंगुर के रास्ते जाना होगा, यदि सरकार न्याय नहीं देगी। यह सवाल केवल मेरे क्षेत्र का नहीं है, यह गोड्डा का है। जहां-जहां भी संस्थान बनता है, गरीब की जमीन लेते हैं। उसके लिए सरकार को अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। गरीब की जमीन छीन लेते हैं। वहां धुआं निकलने से लोगों को बीमारी हो रही है। वहां के धुएं से खेती बर्बाद हो रही है। लेकिन जिन लोगों की जमीन थी, उनके चारों तरफ अंधेरा है। हमने मांग की और सरकार ने घोषणा की थी कि पांच किलोमीटर क्षेत्र में बिजली देंगे, वह भी नहीं दी गई है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं और सरकार को जगाना चाहता हूं, सरकार मजबूर न करे, हम वहां से सांसद हैं, निशीकांत दुबे जी बगल के क्षेत्र से सांसद हैं। हम वहां जाते हैं तो भू-विस्थापित हम लोगों को घेर लेते हैं। गलती सरकार करे और घेराव हमारा होता है। सरकार को हम जगाना चाहते हैं और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिन लोगों की जमीन गई, अविलम्ब उनको मुआवजा दिया जाए, उन्हें नौकरी दी जाए। उनके साथ सरकार न्याय करे।

आपके माध्यम से हम मंत्री जी से चाहेंगे कि वे सरकार की तरफ से रिस्पॉण्ड करे, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर भागलपुर और कहलगांव की जनता बुरी तरह से नाराज हैं। सरकार को जगाने के लिए आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार संवेदनशील रहे, उन्हें यह रिस्पॉण्ड करना चाहिए कि जिन लोगों की जमीन ली गई है, उन लोगों को न्याय नहीं मिला है, उन लोगों को आज के रेट पर जमीन का मुआवजा दिया जाए और नौकरी दी जाए...(व्यवधान)सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए, यह गंभीर मुद्दा है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री निशिकांत दुबे जी और श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी भी अपने आपको इस मामले से सम्बद्ध करते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कह दी है, वे ध्यान देंगे। अब आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY: How can I respond to this now? … (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाएं।

SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): Mr. Deputy-Speaker, thank you for calling my name.

I would like to invite the attention of this august House regarding the sad state of the passport offices in our nation. The Government of India has decided to wind up the operation of 37 passport offices and instead decided to start 77 Sewa Kendras under the pretext of Public-Private Participation. They are privatising the whole passport issuing process.

With your permission, I would like to invite the attention of the Government towards one thing. From the Bengaluru office of the Sewa Kendra, two passports were issued for the same person. A person from Thiruvananthapuram District of Kerala has received two passports under different numbers from the Bengaluru Sewa Kendra.

Another important thing is that, with the same photograph two passports were issued – one in the name of a male and another in the name of a female. This is just like giving one passport free for another passport. … (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: What is your demand?

SHRI A. SAMPATH : This is a severe threat to the national security. The security of our nation will be in peril.

The number of applicants is increasing year after year. At the same time, the number of officers and employees in the passport offices have come down. I understand that more than 539 posts are to be filled up. … (*Interruptions*)

If you permit me I will lay on the Table all the paper clippings. Yesterday and day-before-yesterday the newspapers have reported as to what is happening in the Passport Sewa Kendras.

My request is that do not privatise the passport issuing powers and do not hand over the powers to the private sector. It is concerned with the integrity, security, and sovereignty of our nation. This is a very important matter. … (*Interruptions*)

I beg your protection. This has to be replied by the hon. Minister. Thank you.

श्री गणेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। दुनिया के महान संगीतक उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खां मध्य प्रदेश के, जो मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत मैहर नामक स्थान है, जहां मां शारदा की पवित्र पीठ है, उसे अपनी साधना स्थली बना कर पूरे जीवन नये-नये वाद्यवृन्द की खोज करके उन्होंने लगभग 150 रागनियों का समावेश किया था। मैहर बैंड के नाम से उन्होंने एक ऐसी राग एवं साज तैयार की थी, जिसमें विदेशी धुनों का भी समावेश था। वह नल तरंग विश्व में अनोखी साबित हुई, जिसे बाबा ने देश के सभी संगीत घरानों में प्रस्तुत करके सबको मोहित किया था। आज वह संगीत महाविद्यालय मैहर में एक धरोहर के रूप में कलाकार उसकी प्रस्तुति करते हैं। बाबा के पंडित रविशंकर जी, अन्नपूर्णा देवी, उस्ताद अली अकबर खां साहब जैसे सैंकड़ों महान शिष्य उनके संगीत को सीख कर दुनिया में अपना नाम रोशन कर चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, बाबा का संगीत हमारे देश की एक धरोहर है, जिसे बचाए रखना जरूरी है। मध्य प्रदेश का संस्कृति मंत्रालय हर वर्ष 18 व 19 फरवरी को राष्ट्रीय संगीत समारोह आयोजित करता है, परन्तु बाबा अलाउद्दीन जी, जिन्हें अभी तक भारत रत्न नहीं दिया गया है, जबकि उनके शिष्यों को मिल चुका है। इसलिए मांग है कि उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया जाए तथा मैहर बैंड को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करते हुए हर वर्ष फरवरी माह में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन कराने हेतु भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय मध्य प्रदेश को आर्थिक सहायता प्रदान करे।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए समय देने हेतु मैं आपका धन्यवाद करते हुए दिनांक 30 जनवरी, 2011 की एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। मैं राजस्थान से आता हूं।.....* राजस्थान के गृह मंत्री 30-01-2011 को जैट एयरवेज से दिल्ली से जयपुर की यात्रा कर रहे थे और हवाई अड्डे पर उनके पास 15 जिन्दा कारतूस पकड़े गए। वे 0.32 बोर के थे। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि यह 30 जनवरी 2011 की घटना है, वे जैट एयरवेज से यात्रा कर रहे थे और हवाई अड्डे पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा पकड़े गए और फिर उन्हें उसी फ्लाइट से जाने दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं...(व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY: Hon. Speaker will write to the Minister. Let her get a reply. Then, only it can be raised. … (*Interruptions*)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : स्वामी जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। आप कृपया सुन तो लीजिए। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। आप मेरी बात तो सुन लीजिए। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में ही पूछ रहा हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि क्या हवाई अड्डे पर यदि आम आदमी 15 जिन्दा कारतूसों के साथ पकड़ा जाता, तो क्या उसी जहाज से उसे जयपुर जाने दिया जाता, मैं यह सवाल आपके माध्यम से सरकार से करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए? एयरपोर्ट वाले पानी की बोतल भी नहीं ले जाने देते और 15 जिन्दा कारतूस मिले फिर भी उन्हें कैसे छोड़ दिया गया? इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए। जनता आपसे जानना चाहती है कि क्या सरकार आम आदमी और खास आदमी के लिए कानून में अन्तर करती है? यह सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। इसलिए इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए और इसका जवाब दिया जाना चाहिए।

श्री महेश जोशी (जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत दोषारोपण है। इस प्रकार से बिना सुबूत के माननीय सदस्य को इस प्रकार से किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। ...(व्यवधान)

...(व्यवधान) * *

उपाध्यक्ष महोदय : आप दोनों बैठिए। किसी भी माननीय सदस्य का भाषण अब रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। प्लीज आप बैठिए। आपस में टोका-टोकी नहीं कीजिए। बैठ जाइए। किसी का भी भाषण रिकॉर्ड पर नहीं जा रहा है।

...(व्यवधान) * *

---

* Not recorded as ordered by the Chair
** Not recorded

श्री वीरेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, समाज के हिसाब से अंतिम पंक्ति का जो अंतिम व्यक्ति होता है, उस अंतिम व्यक्ति की बात मैं आपके माध्यम से सदन में उठाना चाहता हूं। बाल्मीकि समाज सबसे पिछड़ा समाज होता है। आर्थिक दृष्टि से काफी गरीब समाज होता है। हमारे हिन्दू समाज की जो स्थिति है, इसमें पहले चार वर्ण होते थे, 117 गोत्र होते थे और 36 जातियां होती थीं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कहानी मत बताइए। आप अपने विषय पर बोलिए। कहानी तो बहुत लोग जानते हैं।

श्री वीरेन्द्र कुमार : अभी वर्तमान में 6500 जातियां और अनेक प्रजातियां हैं। उनकी पीड़ा को समझने के थोड़े से शब्दों में मुझे इतिहास बताना पड़ेगा और थोड़ सा मुझे सुनना पड़ेगा, तभी मैं अपनी बात स्पष्ट कर पाऊंगा। मध्य युग में जब विदेशी आक्रमकारी हमारे देश में आए थे। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आपने जो विषय जीरो आवर में बोलने के लिए दिया है, उस पर बोलिए।

श्री वीरेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। हमें आप बोलने तो दीजिए।

महोदय, मध्य युग में जब विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे यहां लोगों पर आक्रमण कर के उनका जबर्दस्ती धर्म परिवर्तन कराना प्रारम्भ किया और लोगों का स्वाभिमान भंग करना प्रारम्भ किया, तो उस समय बाल्मीकि समाज ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने सफाई का कार्य करना पसन्द किया। इसे ही उन्होंने अपने जीवन-यापन का साधन बना लिया, लेकिन उनके जीवन-यापन का यह जो साधन है, वह आज खतरे में है।

मैं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले 15 वर्षों से सरकारी विभागों में और गैर-सररकारी विभागों में सफाई कर्मचारियों के पदों का सृजन नहीं किया गया है, जबकि देश के प्रत्येक उद्योग में, कारखाने में, अस्पतालों में, रेलवे में, सरकारी कार्यालयों और गैर-सरकारी कार्यालयों में, यहां तक कि देश के सभी गांवों और कस्बों में, नगरपालिकाओं में, शहरों और सभी स्थानों पर सफाई का कार्य बाल्मीकि समाज के लोग ही करते आए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं, वह बोलिए।

श्री वीरेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूं। ...(व्यवधान)

बाल्मीकि समाज के लोगों के साथ बाहर भी अन्याय हो रहा है और इस सदन में भी अगर बाल्मीकि समाज के लोगों की बात को नहीं रखा जायेगा, नहीं सुना जायेगा तो उनकी पीड़ा कौन दूर करेगा?

उपाध्यक्ष महोदय : आप कितनी देर तक बोलेंगे, बताइये?

श्री वीरेन्द्र कुमार : मैं संक्षेप में ही कह रहा हूं। अभी तो मैंने आधा मिनट भी लिया।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब सभी स्थानों पर ये सारे के सारे सफाई के कार्य ठेके पर दिये जाने लगे हैं। अगर हम बाहर की बात छोड़ दें तो यहां पर भी जो विभिन्न स्थानों पर सफाई का काम दिया जा रहा है, वह भी ठेके पर दिया जा रहा है। उसमें जो लोग सफाई का काम कर रहे हैं, उसमें बाल्मीकि समाज के लोग भी हैं और दूसरे समाज के लोग भी इस काम को कर रहे हैं। वर्तमान में इस ठेके के काम को बड़े पूंजीपतियों द्वारा कराया जा रहा है, जहां बाल्मीकि समाज के लोगों को स्थान नहीं दिया जाता है और अगर दिया भी जाता है तो उनको मात्र दो या ढाई हजार रुपये मजदूरी देकर प्रतिमाह उनसे काम करवाया जाता है।

इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि बाल्मीकि समाज को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से समृद्ध करने के लिए पूर्व के समान सभी विभागों में सफाई कर्मचारियों के पदों का सृजन करके बाल्मीकि समाज के लोगों को उसमें प्राथमिकता से भर्ती किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अशोक अर्गल को भी इसके साथ सम्बद्ध किया जाये।

श्री महेश्वर हज़ारी (समस्तीपुर): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, पैट्रोलियम मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति की बेरोजगारी दूर करने के लिए डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी जाती है, लेकिन पूरे भारत में दलित और आदिवासियों को जो डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी गई है, उसमें पूरे भारत में 90 परसेंट डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप अफसरशाही के कारण बन्द पड़ी हुई है। बड़ी मुश्किल से गरीब वर्ग के लोगों को वह डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप आबंटित होती है, लेकिन अफसरशाही के चलते सारे के सारे पम्प बन्द कर दिये गये हैं।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि दलित और आदिवासी लोगों के जितने पैट्रोल पम्प हैं, पूरे भारतवर्ष में उसकी जांच कराई जाये कि किस कारण से उनको बन्द किया गया है और जो अफसर, जो पदाधिकारी बिना मतलब तांक-झांक करके, उन पर दबाव देकर, परेशान करके उनको जो बन्द किया गया है, उसमें भी कार्रवाई की जाये।

मैं इसका ज्वलन्त उदाहरण देना चाहता हूं। बिहार राज्य में नालन्दा जिले में हिल्सा में एक भारत गैस एजेंसी है, उसके डीलर की हमने स्वयं जब फोन से बात की तो एक अफसर ने कहा के एक दूसरे आदमी को उसमें पार्टनरशिप में लिया जाये और पार्टनरशिप में रख कर उसको दे दिया जाये। जब पदाधिकारी किसी डीलर को कह दे कि पार्टनरशिप में रखकर उसको चलाया जाये तो यह दलित और आदिवासियों पर अत्याचार है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि जो डीलर सलैक्शन बोर्ड था, वह डीलर सलैक्शन बोर्ड जो पिछली मोरारजी भाई की सरकार थी, उसमें वह डीलर सलैक्शन बोर्ड खत्म कर दिया गया। उस डीलर सलैक्शन बोर्ड को पुनः बनाया जाये और जो हमारे आदरणीय माननीय सांसदगण हैं, उनकी उसमें संलिप्तता हो, उसमें उन्हें सदस्य नियुक्त किया जाये, तभी जाकर अफसरशाही कम होगी।

हमारे प्रजातंत्र में जो जनता सांसदों को जिताकर भेजती है, उन सांसदों की उसमें कोई सहभागिता नहीं है, इसलिए सांसदों की उसमें सहभागिता होनी चाहिए, तब डीलरशिप का एपाइंटमेंट होना चाहिए। सलैक्शन बोर्ड में सांसदों का नाम रहना चाहिए और सांसदों को उसमें अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए और उसी के अनुसार डीलर्स की सलैक्शन बोर्ड द्वारा नियुक्ति की जाये, जिससे अफसरों पर उसका प्रभाव पड़े और अफसरों पर कमांड रहे ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब इनकी बात रिकार्ड पर नहीं जायेगी।

*(Interruptions)....**

* Not recorded

SHRI P. VISWANATHAN (KANCHEEPURAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to raise this important matter relating to Overtime Allowance payable to the Operations and Maintenance Staff working in the Atomic Reactor Power Plant at the Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam, in my constituency of Kancheepuram.

These staff form the backbone of the operations and maintenance of the Reactor Plant, the Reprocessing Plant and other core activities of this Centre which are being manned on round the clock shift basis.

Continuous availability of manpower to monitor the critical plant activities is extremely crucial. An employee cannot leave his work place, even after his normal duty hour is over, until a reliever arrives to take over from him. If the reliever does not turn up for any reason, the existing person has to continue the shift and man the Plant. For the extra work performed, he is being paid Overtime Allowance at a rate that prevailed over fifteen years back - in 1995… (*Interruptions*)

I would, therefore, urge upon the Government to consider and resolve this 15-year-old pending matter and increase the Overtime Allowance accordingly.

The hon. Minister should intervene in this matter as soon as possible.

15.20 hrs

SUBMISSION BY MEMBERS Contd.

(ii) RE: Need to review the Land Acquisition Act, 1894 to protect the interest of land outees due to setting up of SEZ in the industrial, mining and coal sector.

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोल इंडिया द्वारा किसानों की भूमि का जो अधिग्रहण किया जा रहा है, उसके बारे में कहना चाहता हूं। पावर प्लांट के लिए और रेल के लिए जो भूमि अधिगृहीत की जाती है, उसके बारे में हाउस में बताया गया है। देश में आजादी के बाद आज तक ब्रिटिशकालीन कानून चल रहे हैं। वर्ष 1894 का जो भूमि अधिग्रहण कानून बना है, उसके अंतर्गत किसानों की भूमि अधिगृहीत की जाती है, उसमें अतिशय अल्प दाम उसे दिया जाता है। इसमें 20 हजार रूपए प्रति एकड़ के हिसाब से चंद्रपुर, यवतमाल और नागपुर क्षेत्र में किसानों को भूमि का दाम दिया जा रहा है। कोल इंडिया की डब्ल्यू शैल ईकाई जितनी भूमि अधिगृहीत कर रही है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि मेरे जिले चंद्रपुर में करीब-करीब बीस हजार हेक्टेयर जमीन अभी तक ली है। अभी 33 हजार हेक्टेयर लैंड उन्हें अभी और लेनी है। नागपुर और यवतमाल में भी इतनी ही लैंड लेनी है। पूरे देश के आठ राज्यों में कोयले का उत्खनन होता है और उसके लिए भूमि अधिगृहीत की जाती है। उसके लिए बहुत कम दाम दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक एकड़ भूमि में पांच करोड़ का कोयला निकलता है और वहां पर किसानों के हाथ में बीस से चालीस हजार रूपए मिलते हैं। सरकार ने अभी तक जो भूमि अधिग्रहण कानून, 1894 का लागू कर रखा है, उसमें अमेंडमेंट लाने के लिए सरकार बार-बार घोषणा करती है। यहां पर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि सिंगूर, नंदीग्राम, मेरठ और आगरा में कई बार किसानों ने आंदोलन किए हैं और महाराष्ट्र में भी आंदोलन चल रहे हैं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सरकार से क्या चाहते हैं?

श्री हंसराज गं. अहीर : मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि पुलिस के माध्यम से आंदोलन के किसानों को गोलियां मारी जा रही है और पुलिस की मदद से भूमि अधिग्रहण किया जाता है। उद्योगों के लिए, कोल माइंस के लिए, सेज के लिए, पावर प्लांट के लिए और रेल के लिए जो भूमि अधिग्रहण होता है, उसमें किसानों को उनकी मर्जी का दाम मिलना चाहिए। यहां किसानों से कुछ पूछा नहीं जाता, उनसे निगोसिएशन नहीं किया जाता है और कानून की अंतः आड़ में इन किसानों की भूमि जब्त कर ली जाती है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं? जो नहीं हो रहा है, वह बोल ही रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री हंसराज गं. अहीर : सरकार ने दो सत्र पहले भी यह कहा था कि भूमि अधिग्रहण कानून में अमेंडमेंट लाने के लिए बिल लाएंगे। मैं आज फिर मंत्री जी से कहूंगा, हमारे पूर्व के सदस्यों ने भी यहां इस विषय को रखा है। ...(व्यवधान) मैं विनती करूंगा कि लोकसभा के इसी सत्र में भूमि अधिग्रहण अमेंडमेंट लाया जाए। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक ही बात को दोहरा रहे हैं। कितनी बार उसी को दोहरायेंगे?

...(व्यवधान)

श्री हंसराज गं. अहीर : यह विषय गंभीर है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपकी बात सुन रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र (सीधी): यह बहुत गंभीर मामला है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बार-बार क्यों खड़े होते हैं? वह अपनी बात कहेंगे।

...(व्यवधान)

श्री हंसराज गं. अहीर : देश में हजारों किसान लूटे जा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमेंडमेंट लाना चाहिए, सिर्फ घोषणा करने से काम नहीं चलेगा। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सत्र में बिल लाया जाए और अमेंडमेंट हो और किसानों के साथ न्याय हो। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री हंसराज गं. अहीर : किसानों के साथ जो लूट हो रही है, छल हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसे रोकना चाहिए। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री हंसराज गं. अहीर : बिल लाने के लिए आप घोषणा करिए कि इस सत्र में बिल आएगा। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र अपने आपको श्री हंसराज गं. अहीर के साथ संबंद्ध करते हैं।

...(व्यवधान)

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to draw the attention of the House towards the introduction of new courses in a highly sensitive subject such as 'Nuclear Science and Technology' which raises grave security concerns. … (*Interruptions*) Many institutes have started offering Diploma and Masters Degree courses in nuclear technology in addition to the existing ones in Government Institutes. But this sudden proliferation raises questions on regulation. Can any institute start a course as specialized as nuclear science, given the sensitivity of the security issues involved? … (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप दोनों लोग बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र : यह बहुत गंभीर मामला है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री हंसराज गं. अहीर : मंत्री जी बिल लाने की बात कह रहे हैं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ इनकी बात रिकार्ड में जाएगी।

(Interruptions) ...[*]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Deputy-Speaker, Sir, as far as Land Acquisition Act is concerned, this is an old Act. There is a demand from hon. Members of Parliament to bring an amendment to this Act. The Government is also in the process of finalizing the Land Acquisition (Amendment) Bill. So, it is in the process.

---

[*] Not recorded

SHRI P.K. BIJU : Sir, I am raising the subject regarding the starting of Nuclear Science and Technology courses throughout the country even without any permission from regulatory agencies like UGC and other agencies. The private players are starting courses on Nuclear Science and Technology in the country and they are giving Masters and Diploma Degrees in the country.

It is granted that UGC recgonised universities are free to start their own courses, but, whether a mere approval from the UGC would be enough in setting up a laboratory that uses radioactive material?

Approval from the respective regulators is still needed for certain courses. For instance, all engineering courses have to be cleared by the All India Council for Technical Education (AICTE) and when it comes to nuclear technology the need for regulation is more important.

In India, the Governments and the Department of Atomic Energy (DAE) are the nodal agency for all things relating to nuclear. Apart from the issue of who will regulate these courses, there is also the question of whether it is necessary to have specialised Bachelor's level courses in nuclear science considering the fact that there is nothing different (in a nuclear course) apart from the basics in mechanical engineering that one needs to learn before understanding the issues involved in radiation.

It is clearly a smart marketing exercise aimed at tapping the growing market. It would also be interesting to know whether there have been any common guidelines of safety moulded for setting up of laboratories for these courses. Against these backdrops, I would urge the Ministry to set up a committee to further probe into this matter of high safety and security concerns. Thank you.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, sericulture is one of the areas which has been engaging thousands of workers in order to have their livelihood. This Government, in its Budget proposals, has proposed to reduce the import duty on raw silk. Ostensibly, it may appear that it will be intending for the benefit of silk weavers in the country, but this may adversely affect the silk cocoon growers, seed preparers, reelers and matka spinners because of a sharp fall

in the price of indigenous silk, which in turn will affect the price of silk cocoons. This would ultimately lead to mass scale uprooting of the food plants, that is called Mulberry, because this sector would be no more profitable. For procuring indigenous silk one has to be dependent…

MR. DEPUTY-SPEAKER: What is your demand?

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Sir, silk industry will be solely dependent upon the imported silk. The Chinese silk yarn has already been flooding the indigenous market. That is why, I would request the Government to ponder over these import duties so that our indigenous silk weavers could be saved from being deprived of having their livelihood. It is apprehended that the price of imported silk by the exporters to India will also increase exponentially as because at that point of time the weavers would have no other way to go than to depend on the imported silk. So, to save the Indian silk market, I would propose to the Government to again consider the import duty of silk so that a balance could be made between the importer and indigenous weaver.

…(व्यवधान)

प्रो. रंजन प्रसाद यादव (पाटलिपुत्र): उपाध्यक्ष महोदय, साढ़े तीन बजे से प्राइवेट मैम्बर्स बिजनस है। वह कब होगा?

उपाध्यक्ष महोदय : प्राइवेट मैम्बर्स बिजनस शुरू होने में अभी थोड़ा समय है।

…(व्यवधान)

श्री अशोक अर्गल : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर मध्य रेलवे की एक गुना-इटावा रेल परियोजना स्वीकृत हुई थी। यह परियोजना 25 साल पहले तात्कालिक रेल मंत्री माननीय माधवराव सिंधिया जी ने शुरू की थी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि यह परियोजना आज तक पूरी नहीं हुई। माननीय सिंधिया जी ने यह परियोजना ग्वालियर तक शुरू कर दी, उसके बाद यह ग्वालियर से भिंड तक पहुंच गई।

लेकिन भिंड से इटावा तक मात्र 18 किलोमीटर का मार्ग है, जो सात-आठ साल में भी पूरा नहीं हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, देश कहां से कहां पहुंच गया? आज ओएनजीसी कितनी गहराई से तेल निकालते हैं। दिल्ली में मेट्रो ने पिछले दस साल मे कितना विकास किया है, लेकिन मात्र 18 किलोमीटर का मार्ग अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस विलंब के कारण रेलवे को जितना नुकसान हुआ है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वे अधिकारी जो लाखों रुपये वेतन लेते हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं

चाहता हूं कि जिन लोगों के कारण इस परियोजना में विलंब हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस रेल परियोजना के लिए जल्द से जल्द समय सीमा तय की जाये और जो अधिकारी दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष जी, यदि यह रायबरेली या अमेठी होता, तो सरकार इसमें विलंब नही लगाती । यह बड़े दुख की बात है।...(व्यवधान) जब सिंधिया जी थे, तब उन्होंने ग्वालियर की चिन्ता की। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अशोक अर्गल जी, साढ़े तीन से ऊपर समय हो गया है इसलिए अब आप समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री अशोक अर्गल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इस परियोजना को शीघ्र पूरा कराया जाये। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI V. NARAYANASAMY: Hon. Deputy-Speaker, Sir, there are five or six more Members who have to make their submissions during the 'Zero Hour'. If the House agrees, we can extend the time by 15 minutes; thereafter we will take up the Private Members' Business.

उपाध्यक्ष महोदय : अगर हाउस की सहमति हो, तो जीरो ऑवर का समय 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाये।

...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): ठीक है, आप इसे जल्दी-जल्दी खत्म कराइये, क्योंकि साढ़े तीन बजे से प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस शुरू होना है, इसलिए सभी माननीय सदस्य बैठे हैं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? हमने समय बढ़ाया है फिर भी आप सब बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल हेतु निम्न विषय पर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति प्रदान की, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। देश में 52 प्रतिशत पिछड़े वर्ग की आबादी है। पिछड़े वर्ग के विकास संबंधी कार्यों को करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में 15 आदमियों का एक ही यूनिट काम कर रहा है। इन 15 आदमियों से देश के पिछड़े समाज का विकास होना असंभव है। देश में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय काम कर रहा है। एसटी के विकास के लिए जनजाति मामले संबंधी मंत्रालय काम कर रहा है एवं एससी के लिए सामाजिक न्याय एवं आधिकाता मंत्रालय में एक बड़ा तंत्र है। पिछड़े वर्ग के विकास के लिए जो भी

कार्य हो रहे हैं, वे अपूर्ण हो रहे हैं। उनके विकास के लिए संसद द्वारा बने कानूनों का भी पालन नहीं हो पा रहा है। हमारी मांग है कि पिछड़े वर्ग के विकास के लिए पिछड़ा वर्ग कार्य संबंधी एक मंत्रालय का गठन किया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं सदन का ध्यान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एसपीक्यूईएम, यानी स्पेशल प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसाज, की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के 5445 मदरसों के 14028 शिक्षकों को, जो पिछले दो साल से कार्यरत् हैं, उनका वर्ष 2009-10 तथा वर्ष 2010-11 की मानदेय धनराशि अभी तक अवमुक्त नहीं की गयी है। इसके कारण मदरसा आधुनिक शिक्षकों के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। उनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। टीचर्स एसोसियेशन ने कई बार सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया, लेकिन सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है

टीचर्स एसोसिएशन द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2011 को दिल्ली में जन्तर-मन्तर पर धरना-प्रदर्शन आयोजित किया था, जिसमें हजारों की संख्या में मदरसा टीचर्स मौजूद थे, जिसमें उनकी मांगों के सहयोग के लिए मैं भी उपस्थित था, चौधरी लाल सिंह जी भी वहां मौजूद थे, अन्य कई सांसद भी वहां गए थे, इसमें उनकी प्रमुख मांग थी कि मदरसा आधुनिक शिक्षा योजना को स्थायी किया जाए। आधुनिक शिक्षा योजना का बजट बढ़ाया जाए। योजना में कार्यरत उत्तर प्रदेश के 5445 मदरसों के 14025 शिक्षकों का वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2010-11, दो वर्षों का बकाया मानदेय भुगतान धनराशि उत्तर प्रदेश को दी जाए। योजना में एम.ए., बी.ए. एवं बी.एड. योग्यताधारी शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया जाए। योजना में कार्यरत शिक्षकों की सेवा नियमावली बनाई जाए तथा योजना में आधुनिक शिक्षकों को प्रतिमाह मानदेय भुगतान की व्यवस्था की जाए। अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द मदरसा शिक्षकों की मांगों को पूरा करने की कृपा करें ताकि वे अपनी जरूरी मांगों की पूर्ति के लिए आन्दोलन करने के बजाय अपना समय बच्चों को शिक्षित कर देश निर्माण में अपना योगदान दे सकें।

श्री राकेश सचान (फतेहपुर): महोदय, आपने मुझे बहुत विषय को सदन में उठाने का अवसर दिया है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप थोड़ा जल्दी-जल्दी बोलिए और जल्दी अपनी बात खत्म कीजिए, समय कम है। धन्यवाद वगैरह मत दीजिए, सीधे अपनी बात कहिए।

श्री राकेश सचान : महोदय, बीती रात 10 तारीख को मेरे निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के फतेहपुर एक आरोपी को ढूंढ़ने के लिए पुलिस ग्राम चक गाजीपुर में, जो थाना गाजीपुर के अंतर्गत आता है, में गयी। जब

आरोपी अपने घर में नहीं मिला, तो ... * जिसका घर बगल में है, किसी ने पुलिस को बता दिया कि आरोपी ... * उनके घर में है। पुलिस वालों ने रात में जब उनके घर की कुण्डी खटखटाई और दरवाजा नहीं खोला गया, तो उन लोगों ने घर की कुण्डी बाहर से बंद कर दी।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप किसी का नाम मत बोलिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नाम प्रोसीडिंग्स से डिलीट कर दीजिए।

श्री राकेश सचान : घर की कुण्डी बाहर से बंद करके छप्पर में आग लगा दी। इससे उनके पूरे घर में आग लग गयी, वह स्वयं खत्म हो गए, उनकी पत्नी अस्पताल में भर्ती हैं और उनका लड़का आज हैलट अस्पताल में भर्ती है। मैं कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गयी है और जिस तरीके से मृतक और मृतक की पत्नी घायल हैं, इसलिए मैं मांग करता हूं कि मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और जो अधिकारी उसमें दोषी हैं - सीओ एवं क्षेत्रीय चौकी इंचार्ज के ऊपर मुकदमा कायम करके जेल भेजा जाए। संसदीय कार्यमंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं मांग करता हूं कि इस पूरी घटना की सीबीसीआईडी जांच कराने की भी यहां पर घोषणा की जाए। ...(व्यवधान)

श्री नीरज शेखर (बलिया): महोदय, उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है।...(व्यवधान)

श्री राकेश सचान : महोदय, जिस तरीके से यह घटना हुई है...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कितने लोग एक साथ बोलेंगे? आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय : किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

कुमारी सरोज पाण्डेय ।

...(व्यवधान) *

कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग): धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि चण्डीगढ़ में जो बूथ आवंटन हुआ, उसमें जो अनियमितताएं हुई हैं,...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप लोग बैठ जाइए। आप लोग बोल चुके हैं, आप लोग बैठ जाइए।

---

* Not recorded

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ कुमारी सरोज पाण्डेय जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी। आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान) *

कुमारी सरोज पाण्डेय : मैं चण्डीगढ़ में बूथ आवंटन में की गयी अनियमितताओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सदन की कार्यवाही चलने दीजिए, आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपस में बात बाहर जाकर कीजिए। यहां शांत रहिए। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

कुमारी सरोज पाण्डेय : मुख्य शिकायत यह है कि वहां अपात्रों को बूथ आवंटन किया गया। चण्डीगढ़ में जो अपात्रों को बूथ का आवंटन किया गया, वह कई लोगों की आकांक्षाओं पर तुषारापात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि चण्डीगढ़ में लोग इस विषय को लेकर आक्रोशित हैं, सड़कों पर उतर पड़े हैं और वहां के स्थानीय प्रशासक ने इस विषय को लेकर एक जांच का आदेश दिया, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और समाचार पत्रों में उपलब्ध है।

वह रिपोर्ट समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें घोटाले और अनियमितताओं के आरोपों को सही पाया गया है और स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय राजनीतिज्ञों की संलिप्तता को पाया गया है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से मांग करना चाहती हूं कि इस विषय पर बारीकी से जांच हो या सीबीआई को यह केस सौंपा जाए ताकि इसकी निष्पक्षता में कोई संदेह न रहे। जो स्थानीय राजनीतिज्ञ हैं, वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके जांच को रोक रहे हैं इसलिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): उपाध्यक्ष जी, हाल में राष्ट्रीय पिछड़ा जाति आयोग द्वारा झारखंड में ओबीसी के अंतर्गत आने वाली जातियों का सर्वेक्षण कराया गया, जिसमें कई पिछड़ी जातियों को केन्द्र सरकार की जातियों की सूची में से निकाल दिया गया है। इस सम्बन्ध में 18 अगस्त, 2010 को भारत का राजपत्र प्रकाशित हुआ, तो उसमें भी इन जातियों को हटाने का गजट प्रकाशित हो गया। अब केन्द्र सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर इन जातियों को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जबकि झारखंड सरकार के गजट में इन जातियों का नाम आज भी दर्ज है। इस सम्बन्ध में 11.5.2010 को झारखंड सरकार के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचना भी जारी की गई है। आज की

* Not recorded

तारीख में ये पिछड़ी जातियां केन्द्र की ओबीसी की लिस्ट में नहीं आएंगी। इन जातियों के नाम इस प्रकार हैं - अगड़िया, बेलदार, भर, भास्कर, भट्ट, भाट, चीक मुस्लिम, धनकर, कलवार, कलाल, इराक्यूई, कउरा, कवार, केवट, केउट, कुमारभाग पहदिया, परया, सुढ़ी, हलवाई, रोमियार, पंसारी, मोदी, कसेरा, केशरवानी, ठठेरा, पटवा, सिंदुरिया, बनिया, माहुरी-वैश्य, अवध बनिया, अग्रहरि-वैश्य।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह पर केन्द्रीय मंत्री बैठे हुए हैं जो स्वयं झारखंड से आते हैं। आज की तारीख में वहां की जनता में काफी आक्रोश है, क्योंकि जब बिहार से झारखंड अलग राज्य बना तो ये जातियां ओबीसी लिस्ट में थीं और अब इन्हें अलग कर दिया गया है। हमारी केन्द्र सरकार से मांग है कि इन जातियों को ओबीसी की लिस्ट में पूर्व की तरह यथावत रखा जाए, जिससे उन्हें भी केन्द्र सरकार की नौकरियों और अन्य योजनाओं में आरक्षण का लाभ मिल सके।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): उपाध्यक्ष जी, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा यहां उठाना चाहता हूं। जो सांसद शून्य काल में अपनी बात कहते हैं, कुछेक का तो सरकार की तरफ से जवाब आ जाता है, क्योंकि अन्य सदस्य भी उनका समर्थन करते हैं और सरकार से जवाब की मांग करते हैं, लेकिन जिन सांसदों के लोक महत्व के विषय पर अन्य सांसदों द्वारा मांग नहीं की जाती, उसका जवाब नहीं आता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अर्जेंट मैटर्स जो सांसद उठाते हैं, सभी का जवाब आना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: आप जो कहना चाहते हैं, वह मंत्री जी से कहें और केवल विषय पर बोलें।

चौधरी लाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारे कस्टोडियन हैं। मेरा यह कहना है कि अगर कोई माननीय सदस्य जोर देकर अपनी बात शून्य काल में उठाता है तो उसका जवाब मिल जाता है, बाकी का नहीं मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय: शून्य काल में जवाब देना या न देना सरकार के ऊपर निर्भर है। अब आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान) मेरी विनती है कि आप इस विषय पर हस्तक्षेप करें।.

..(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का भाषण अब रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान) *

डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग(अनंतनाग): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कल एक इम्पोर्टेन्ड नेशनल इंग्लिश डेली में फ्रंट पेज पर

* Not recorded

हेडलाइन थी कि जो सब्जियां और मेवे, हमें पहले लगता था कि ये हाइजीनिक हैं और हम इन्हें कन्ज्यूम करते हैं, हेडलाइन में लिखा है और बहुत अलार्मिंग है, मुझे उम्मीद है कि सरकार न सिर्फ रिस्पोन्ड करेगी, बल्कि एक्शन लेगी। उसमें लिखा है कि उनमें काकटेल टाक्सिक मैटीरियल का इस्तेमाल होता है, जिससे न केवल कैंसर, बल्कि लीवर डिसीज़, हार्ट डिसीज़ तथा बहुत ही अन्य खतरनाक बीमारियां लग सकती हैं। अब कोर्ट ने कहा है कि इसे चैक करना चाहिए और मोनिटर होना चाहिए कि ये सब्जियां और फ्रूट मार्केट में आते हैं, उनमें इतना टाक्सिक मैटीरियल है, जैसा मैंने कहा कि उससे कैंसर जैसी बीमारियां आदमी को लग सकती हैं। जो ड्रिंकिंग वाटर कन्ज्यूम होता है, उसके लिए भी लिखा है कि उसमें इतने टाक्सिक्स होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं कि रैट पायज़न के साथ उसे कम्पेयर किया गया है।

मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि ऐसे जो महत्वपूर्ण इश्यूज़ हैं, उन पर न सिर्फ रिस्पोन्ड करे, बल्कि हमें बताया जाए कि इस पर इमीजिएट क्या एक्शन लिया गया है।

MR.DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up Private Members' Business. Item No. 31 – Shri Ratan Singh.

15.47 hrs.

MOTION RE: FOURTEENTH AND FIFTEENTH REPORTS OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

श्री रतन सिंह (भरतपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा क्रमशः 3 और 9 मार्च, 2011 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 14वें और 15वें प्रतिवेदनों से सहमत है।"

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the House do agree with the Fourteenth and Fifteenth Reports of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on 3rd and 9th March, 2011, respectively."

The motion was adopted.

15.47½ hrs

PRIVATE MEMBERS' BILLS – INTRODUCED

(i) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2010 * (Amendment of article 51A)

कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

कुमारी सरोज पाण्डेय : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

15.48 hrs

(ii) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2010 * (Amendment of articles 84 and 173)

कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

कुमारी सरोज पाण्डेय : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

---

* Published in the Gazette of India Extraordinory, Part-II, Section-2 dated 11.3.2011

MR. DEPUTY-SPEAKER: Item No.34, Shrimati Supriya Sule – Not present.

Item No.35, Shri D.V. Sadananda Gowda – Not present

15.48½ hrs

(iii) Sculpture, Artists and Artisans of Rural Areas Welfare Bill, 2010 *

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों के मूर्तिकारों, कलाकारों और कारीगरों के कल्याण के लिए तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the welfare of sculptors, artists and artisans in rural areas and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री हंसराज गं. अहीर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

15.49 hrs

(iv) Constitution (Scheduled Tribes) Order, (Amendment) Bill, 2010*

(Amendment of the Scheduled)

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संशोधन (अनुसूचित जनजातियां) आदेश 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950."

The motion was adopted.

श्री हंसराज गं. अहीर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India Extraordinory, Part-II, Section-2 dated 11.3.2011

15.49½ hrs.

(v) Mahatma Gandhi National Rural Employment Garantee (Amendment) Bill, 2010*

(Amendment of Section 2 etc.)

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005."

The motion was adopted.

श्री हंसराज गं. अहीर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

15.50 hrs

(vi) The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2010 *

(Amendment of the Schedule)

श्री हंसराज गं. अहीर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संशोधन (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950."

The motion was adopted

श्री हंसराज गं. अहीर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India Extraordinory, Part-II, Section-2 dated 11.3.2011

15.50½ hrs.

(vii) Empowerment of Women Bill, 2010 *

कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि महिलाओं को सभी क्षेत्रों में अधिकारिता देने और उससे ससंक्त विषयों का उपबंध रने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for empowerment of women in all fields and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

कुमारी सरोज पाण्डेय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

15.51 hrs

(viii) National Agriculture Produce Price Commission Bill, 2011 *

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि किसानों को उनकी कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कानूनी स्वायत्त आयोग की स्थापना करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a statutory autonomous Commission for the purpose of ensuring minimum support prices to farmers for their agricultural produce and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री राजू शेट्टी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India Extraordinory, Part-II, Section-2 dated 11.3.2011

15.51 ½ hrs

(ix) REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 2011 *

(Amendment of section 7, etc.)

SHRI L. RAJAGOPAL (VIJAYAWADA): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951."

The motion was adopted.

SHRI L. RAJAGOPAL : I introduce the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Item No.43, Shri Adhir Ranjan Chowdhury – Not present.

15.52 hrs

(x)CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2011 *
(Amendment of articles 124 and 216)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India Extraordinory, Part-II, Section-2 dated 11.3.2011

15.52 ½ hrs

(xi) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2011 * (Insertion of new article 330A, etc.)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India Extraordinory, Part-II, Section-2 dated 11.3.2011

15.56 hrs.

ILLEGAL IMMIGRANTS AND OVERSTAYING FOREIGN NATIONALS (IDENTIFICATION AND DEPORTATION) BILL, 2009 -Contd.

SHRI BAIJAYANT PANDA (KENDRAPARA): Mr. Deputy-Speaker, I had just begun speaking on this issue last time. I had briefly made the point that many people consider our country as a developed country – in fact when President Obama was speaking here to us Parliamentarians, he said the same thing – the fact remains that we are a developing country and we have limited resources and we have constraints in meeting the needs of our own citizens. This should not be taken to mean that we are small hearted in any way. When it comes to difficulties faced by other countries, India has always reached out. When there was a tsunami that affected south-east Asia, India was one of the first countries to reach out and help the citizens of the south-east Asian countries. When there was an earthquake in Pakistan, India was one of the first countries to reach out and offer help to the citizens of our neighbouring country.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): Today there has been an earthquake in Japan which has caused severe damage. More than forty lakh houses have been damaged. A tsunami was also there.

SHRI BAIJAYANT PANDA : I take the point that the hon. Minister is making in that it is not just the developing countries and not just our neighbours whom we have helped. We must also remember that in 2005 when hurricane Katrina hit the southern coast of the United States, again India was one of the first countries to reach out and offer financial help which was also accepted.

The point I am making is that India is a country that has a large heart and India and has offered succour and help to citizens of countries far and wide in our neighbourhood and across the world in helping them during their times of distress.

But we must not forget that in our country of 1.2 billion people, we still have hundreds of millions of our own citizens who are deprived of the basic necessities. Our resources are constrained in the sense that we are not at the stroke of a pen able to take care of the difficulties of all our citizens.

We have of course been developing as a country and as an economy. Compared to what we were twenty years ago, our economy has developed a lot and we are considered as an emerging super power in the world. But our first priority must remain to take care of the needs of our own citizens, which is why the Bill that I have proposed seeks to take further measures to ensure that we manage illegal immigration into our country with a great focus, greater effort and greater consciousness.

16.00 hrs.

Sir, when I speak about the needs of our own country's citizens, depending upon the measure that we use, we have either 20 per cent to 25 per cent of our population live below the poverty line or, depending on certain other measures, up to 800 million of our citizens live on a basic income of hardly Rs. 20 per day. We can use any measure of poverty. Some of the international measures of poverty are earning capability per person of one dollar per day or earning capability per person of two dollars per day. We use these measures and we also use other measures, such as calorific intake available to citizens, whether they take adequate food or not. By any of those measures, India contains the largest number of poor people in the world.

16.01 hrs (Shri Inder Singh Namdhari *in the Chair*)

In this context, if we have to see the strains that illegal immigration puts on our country's resources, then some of these facts are startling. When we try to find out the details of how many illegal immigrants are there in this country, one of the startling facts is that there are no clear numbers; there are only estimates available.

Let me cite some of the estimates that are available. According to some estimates, there are between 20 million and 25 million illegal immigrants in this country, who should not have been here in the first place. That is not an insignificant number. If we look at 20 million or 25 million people, who are illegal residents of this country, who have come here from other countries, then we have many States in our country which do not have that much population. We have many developing States in our country where even if the population is more than 25 million, we have equal number or more number of people that do not get the full benefits of being an Indian citizen.

Some more statistics are highly illuminative. In 2009, these issues were raised in the Parliament. In reply to a question raised in the Rajya Sabha, statistics were given with respect to just one sub-section of illegal immigrants, which are those illegal immigrants who have come from Bangladesh and this should serve to be quite illuminating. In 2005, 485,640 Bangladeshis came to India with valid travel documents and out of those, 12,338 stayed behind illegally. This is just a sub-section of people who have come here with valid documents but have decided to stay on. But if you look at only that sub-section, the trend is quite alarming. This is as per the Government statistics. These statistics have been furnished by the Central Government to Parliament, to the other House, Rajya Sabha, only two years ago. If you look at that number, the number of Bangladeshis, who came to this country in 2007 as opposed to 2005 increased to 5,00,234. These are legal visitors with proper documents, but out of that number, 25,712 then became undocumented and untraceable, who stayed behind without proper papers. If you look at the trend, the number of document legal travellers from only this one country, who came to India went up marginally from 4,85,000 in 2005 to 5,00,000 in 2007, but from that, the number, who stayed behind illegally, has doubled. So, in 2005, you have 2.5 per cent of these legal travellers who then decided to stay on illegally whereas in 2007, that number has doubled when you had five per cent of these legal travellers who decided to stay back in the country illegally. That five per cent is not a small number as it comes to 25,000 people. This is only that small

sub-section of legal travellers out of whom a percentage stayed behind illegally in this country and that too, legal travellers from only one country, Bangladesh.

If you extrapolate from this, then you can come up to some staggering numbers of illegal immigrants visiting this country from various other countries; staying on in this country; and not just those who come here legally and stay on, but those who are smuggled across and those who are victimised even as part of human trafficking network. We all know that the poor citizens of the sub-continent -- India, Nepal, Bangladesh, Pakistan -- are exploited; are duped; and are bought and sold like cattle in human trafficking rings. Some of them just come for work, but many, particularly, young adults or even those who are not yet adults are exploited and sold into prostitution and many other such deplorable activities.

The fact is that India is not doing much about this. The fact is that India has been held to shame in front of the rest of the world with regard to human trafficking. Just the other day we were discussing in this august House that repeatedly international organisations -- who monitor human trafficking -- rate India's efforts as sub-optimal or as sub-par. The United Nations or other multilateral organisations hold India's efforts as very poor. Countries like the United States of America have put India on a tier-II watch-list for human trafficking. These are all inter-connected issues.

Illegal immigrants into our country strains our own resources; deprives our own citizens of basic necessities, which we must provide them; and at the same time, we are playing into the hands of law breakers who run human trafficking networks. I do not want to give the impression that India is a country that has a closed mindset. In the 21st century, as we emerge as an economic superpower on the world stage, we need to have a broad and modern view of legal immigration. Actually, we need to attract certain kinds of talent as our country develops parts of its economy, which are world-class whether it is IT; medical facilities; software services; and so many other services, and we are lacking behind there.

We are blocking the type of immigrants that we require to have in this country. We are not allowing scholars from other countries to come here for Phd.

studies; we are not allowing world-renowned professors from other countries -- many of them nobel laureates -- to come here and teach in our universities; and we are not allowing high-level professionals to come and contribute to India's economy. Actually, we are doing it, but we are putting a great deal of red tape and a great deal of hurdle in their way, and we are prepared to turn a blind eye to millions and millions of illegal immigrants who either are just smuggled across the border or come legally and then stay on illegally where they have become as much of a drain to the economy as a contributor.

The Bill that I have proposed intends to address these issues. We must make many changes to our law in welcoming highly qualified immigrants. The other developed countries have gone through the same phase that we are going through, and they have provided the laws to attract high quality immigrants who contribute to the nation in terms of research; in terms of development; and in terms of investment. We must have investment visas that allow qualified individuals from other countries to come and invest in our country; we must have visas for higher studies; we must have visas for R&D; and we must provide residential facilities to those qualified individuals from countries that we are prepared to accept them from to have those facilities. This is where our laws are stuck in the 19th century, and yet as I said, millions of immigrants are coming into this country without any proper documentation and without that degree of contribution to our tax system; to our social services; and to all these other aspects of our economy.

The Bill that I have proposed requires that a Commission be setup at both national and State-levels.

Sir, the proposal is for either a serving, or more likely a retired Judge of the Supreme Court at the national level and the High Court at the State level for the memberships to be formed. Unless this happens, we are not going to be able to take any steps to deal with the scourge of illegal immigration in our country.

The fact remains that we simply treat this with a blind eye. I can tell you one of the greatest gaps in our dealing with this issue is that we do not empower our Coast Guards. We spend lakhs of crores of rupees on our Defence, and even

on the Coast Guards, we have started spending some money. The Coast Guards spends enormous resources in patrolling certain parts of the country, the coastal parts of the country like Maharashtra and Karnataka are patrolled extensively. But I can tell you from my own experience that my State, which has one of the largest coastlines in the country, nearly 500 kilometres, although it has seen some stepped up action by the Coast Guards in recent years, the fact is it is grossly inadequate. This is a subject that has been raised by me; this is a subject that has been raised by many of my colleagues from Orissa that we do not have adequate Coast Guards patrolling. Some small improvement has happened in recent times where a small number of helicopters are doing patrolling, but that is not enough. We need a greatly increased Coast Guards presence on the Eastern Coast of India because large numbers of immigrants use this unprotected Coast of ours to enter the country.

This has been discussed; we have had commitment from the Government; we have had commitments from the Home Ministry, to step up these activities, but they have just not been happening. I would like to take this opportunity to bring this to the attention of the Government that we need to make substantially more investment in resources for the Coast Guards if we are to protect our coastline from illegal immigration.

Sir, the Bill that I have proposed would provide that on a regular basis. The Government deals with this problem. Government, by itself, has many distractions. There are many issues that it has to deal with on a weekly basis, on a daily basis; it does not stay focussed on the issue of illegal immigration. Only on the odd occasion when such issues are taken up in Parliament, we get certain assurances, but really no steps are taken by the Government to fulfil.

If you look at the number of people that have been deported from India, again, the numbers are not increasing. Although the number of illegal immigrants is increasing, the numbers of those people who are being caught and deported are actually decreasing. You can clearly tell from this that the Government is simply not focussed on this. I do not want to sound prejudiced against any particular

country. I will again cite Bangladesh. The reason is the largest number of data that is available has to do with citizens of that country. I do not have prejudice against any particular country. In any case, our focus has to be that our first priority is to provide our services to our citizens. People from other countries are welcome here as long as they come through documented procedures, as long as they come with proper travel documents.

But just to use the statistics that are available, I have just told you that the number of illegal immigrants or those who come with documented papers but stay on from Bangladesh has doubled in the last two or three years. Yet, the numbers who are being detected and deported are decreasing. Let me give you the statistics. In 2006, the number of Bangladeshis who were deported was 13,692 whereas in 2008, it was 12,625. So, the number of legal visitors is increasing; out of them, the number who is remaining here illegally is doubling, but the numbers who are being detected and actually deported is actually decreasing. This is a clear evidence that the Government is simply not focussed.

Sir, the Commissions that I have suggested at State and national levels would have to do this on a regular full-time basis. Of course, being from Orissa, I have proposed Bhubaneswar as one of the headquarters, but that is not the main issue. The main issue is that the country as a whole has this problem. We have a particular problem because we have a long coastline, and we have a great number of illegal immigrants. But the entire country faces this problem. Whether the headquarters of the Commission are at Bhubaneswar, Patna, Mumbai, Bengaluru or Delhi is not the issue. The issue is we must start taking steps; we must start taking steps to implement the law of the land.

I am not asking for anything out of the way. I am not even asking for new laws to deal with illegal immigration. I am asking for the provisioning of Commissions by people of eminence, retired judges, or even serving judges, to only implement the law as it stands today. This issue has been debated not just in Parliament, not just in media, not just throughout the country, but it has also been dealt with by the courts.

We are aware that certain of our Northeastern States have seen this problem on an enormous scale over the past few decades. There have been allegations that the entire demographics of some of our Northeastern States is changing. We have enough of a challenge within our country dealing with changing demographics. We have enough of a challenge within our country to ensure that any Indian has freedom of movement from any part of India to another part of India. We have enough challenge in ensuring that any Indian should be able to make a livelihood in any part of India. On top of this we do not need to add additional challenges of our demographics being changed by non-citizens of this country coming and changing our demographics.

These issues have been taken up at the highest judicial levels of this country. There have been laws passed. Some of these laws have been not upheld by the Supreme Court. I would like to cite some of these things. In 1983, the Government enacted the Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Act to facilitate setting up of tribunals, to determine if a person is illegal or not. This Act overrode the Passport Entry into India Act, 1920, and Immigrations Expulsion from Assam Act, 1950, and the Passport Act, 1967.

The contentious provision of the 1983 Act was the condition that the onus of proving the citizenship credentials of a person in question lies with the complainant and the police and not on the accused, which is not the case with the 1946 Foreigners Act. This has been heard in the Supreme Court. The Supreme Court has held the 1983 Act as *ultra vires* of the Constitution and has overthrown it. In overthrowing the 1983 Act the Supreme Court decided that all cases will be decided in the manner provided by the Foreigners Act 1946 and the Foreigners Tribunals Act, 1964, and accordingly, 32 foreigners tribunals are functioning in Assam.

Assam is not the only part of the country that has this problem. We cannot turn a blind eye to the fact that the Supreme Court has ruled unconstitutional certain aspects of new laws which were attempted within the last two or three decades which did not solve the problem. The fact is, we have laws in place. The

1946 Foreigners Act the Supreme Court found adequate. And it does put the onus on the alleged people to prove their citizenship. Anybody who is a citizen of India should not have any problem in proving that.

If 32 tribunals can be functioning in Assam, there is no problem why five of them cannot function throughout the country or 30 of them cannot function throughout the country, one in each State. The fact is, we need to take steps to check illegal immigration and infiltration. We need to take steps to check those legal visitors who come here with proper papers and then stay on illegally.

Some steps have been taken. Before concluding I want to acknowledge that. For example, I mentioned that some enhancement of resources of Coastguard has happened but it has not happened uniformly, as I said. Some parts of the country are being patrolled, my part of the country is not being patrolled. Similarly, some resources have been provided to the Border Security Force. There has been some investment in equipping them with modern and sophisticated equipment, reduction in the gaps between border outposts. Now, there are more outposts because the gaps between outposts are less.

But a lot more needs to be done. Patrolling needs to be intensified by the BSF as well as by the Coastguard. There has to be a comprehensive programme of construction of border roads, border fencing, flood-lighting, and many other such steps.

I know that many of my colleagues are waiting to speak on this subject as well as on many other subjects. I do not want to take up too much time but I want to conclude by saying that we have enough of a problem with a large population; we have enough of a problem with constraints of resources that we should not be turning a blind eye to adding to these problems with illegal immigrants coming into the country. It is high time that we took notice of this. We keep taking notice of this every time there is a hue and cry. But it is high time that we put a mechanism in place which will deal with this on a day-to-day basis so that the Government does not lose focus and move on to other issues and once or twice a year be hauled up on this issue.

It is high time that we pass such a Bill and put such Commissions in place with eminent people who can deal with this problem on an on-going basis.

All I am asking for is implementation of the existing laws and to create new laws to allow immigrants in qualified categories in highly technical and in higher education categories. I am not asking for any fundamental change of the law; I am only asking for the law to be implemented for which we need these Commissions to be in place.

With that, I move this Bill.

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

> "That the Bill to provide for identification of illegal immigrants and those foreign nationals who are overstaying in the country or have gone missing after the expiry of their visas and for their deportation to the countries of their origin and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

16.22 hrs

PRIVATE MEMBER'S BILLS- INTRODUCED-Contd…

(xii) NATIONAL COMMISSION FOR YOUTH BILL, 2011 *

MR. CHAIRMAN : Before I call the next hon. Member to speak on this Bill, there is one Bill left to be introduced. So, if the House agrees, I call Shri Adhir Chowdhury to introduce his Bill.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the setting up of a National Commission for Youth for their overall development and for matters connected therewith.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the setting up of a National Commission for Youth for their overall development and for matters connected therewith."

SHRI ADHIR CHOWDHURY : I introduce the Bill.

———————

MR. CHAIRMAN: I have one request to make to the hon. Members. To maintain the sanctity of the Private Members' Business, I would request all of you to be present. Otherwise, the sanctity will be lost.

Shri Shailendra Kumar.

---

* Published in the Gazette of India Extraordinory, Part-II, Section-2 dated 11.3.2011

16.22 ½ hrs

ILLEGAL IMMIGRANTS AND OVERSTAYING FOREIGN NATIONALS (IDENTIFICATION AND DEPORTATION) BILL, 2009 - contd.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूं और भाई अर्जुन मेघवाल जी को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे पहले बोलने का समय दिया। श्री वैजयंत पांडा जी द्वारा अवैध आप्रवासी और स्वीकृत अवधि से अधिक समय तक ठहरे हुए विदेशी राष्ट्रिक (पहचान और विवासन) विधेयक, 2009 पर बोलने का अवसर दिया।

सभापति महोदय, मैं पांडा जी की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी, सब बातें विस्तार से कही हैं। यह बात सत्य है कि हमारे देश में बहुत समय से बाहर रहने वाले आप्रवासी यहां आते हैं, जिनका वीज़ा होता है, वीज़ा समाप्त होने के बाद भी वे यहां रुक जाते हैं। यहां आने के बाद वे लापता भी हो जाते हैं। वे यहां अधिक समय से ठहरे हुए होते हैं, इससे भारत की राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को भी खतरा है। इससे हमारी आंतरिक सुरक्षा भी प्रभावित होती है। खासकर देखा जाए तो हमारे देश में बंग्लादेश के बहुत सारे लोग यहां पर हैं, जिनकी अभी तक हम लोग कोई व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। अगर आंकड़े देखे जाएं तो मेरे ख्याल से भारत में लगभग दो करोड़ अवैध प्रवासी इस वक्त रह रहे हैं, जो चिन्ता का विषय है। जो दक्षिण-भारतीय हैं, वे श्रीलंका से आए हैं। पंजाबी बताने वाले बहुत से लोग हैं, जो पाकिस्तान से आए हैं और जो अपने को बंगाली बताते हैं, वे बंग्लादेश से आए हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसे कायदे से हमारी जो इंटेलीजेंस है, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्हें चाहिए कि इसकी जनगणना कर लें और देखें कि बहुत से लोग कब आए हैं, किस स्थिति में हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि यह बड़ी चिन्ता का विषय है, यहां रहने के बाद वे राशन कार्ड और मतदाता पहचान-पत्र भी बनवा लेते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा कर यहां पर आराम से भारतीय, एक तरीके से शरणार्थी बन कर यहां रह रहे हैं। गवर्नमेंट को इसके बारे में नहीं पता है। हमारी सरकार ने, बहुत सी इंटेलीजेंस एजेंसियां हैं, उन्होंने इस पर कदम उठाया है। मेरे ख्याल से लगभग 13,000 लोगों को वापस भेजने का काम भी किया है, जो एक चिन्ता का विषय है। मैं चाहूंगा कि हमारे जो विदेश मंत्रालय और अन्य एजेंसियां हैं, ये वहां के तमाम देश के जो लोग हैं, उनके दूतावासों, विदेश मंत्रियों से वार्ता करके इन लोगों को वापस भेजने की व्यवस्था करें।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जो खुद को शरणार्थी कह रहे हैं, उनके बारे में भी सरकार चिन्तित थी, यही कारण है कि आज इस विधेयक को यहां पर लाया गया है। सन् 2009 में

देश में रहने वाले विदेशियों की संख्या के आंकड़े जो बताते हैं, वे 65,000 के करीब और सन् 2008 में 11,000 थे। उस समय 53 लाख विदेशी भारत आए, जिसमें 65,000 अवैध तरीके से रुक गए।

सभापति जी, जिनमें से सुरक्षा एजेंसियों ने केवल 7426 विदेशियों को गिरफ्तार किया था और केवल 13 हजार को वापस भेजा गया है। यह चिन्ता का विषय है कि इस तरह से इतने लोग यहां अवैध तरीके से रह रहे हैं, यह ठीक नहीं है। यह सवाल हमारे देश की आन्तरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। देश में तमाम ऐसी आतंकवादी घटनाएं भी होती रहती हैं। इनमें ऐसे तमाम तरह के लोग, जो घुसपैठ कर के आ जाते हैं और यहां रह रहे हैं, वे शामिल पाए जाते हैं। इसलिए इन सभी की जनगणना होनी चाहिए, ताकि सुरक्षा एजेंसियां उन्हें समय-समय पर जाकर देखें कि उनकी गतिविधियां क्या हैं।

महोदय, यहां तक देखा गया है कि जो बंगला देश के लोग हैं, वे यहां आए हैं। अफगानिस्तान से बहुत से लोग आए हुए हैं, जो अवैध तरीके से रह रहे हैं और वे तमाम अपराधों में लिप्त रहते हैं। वे पकड़े भी गए हैं। उनके वीजा भी समाप्त हो गए हैं और फिर भी यहां पड़े हैं। जिनके वीजा समाप्त हो गए हैं, तो उन्हें वापस जाना चाहिए। इस विषय पर विदेश मंत्रालय, उन देशों के दूतावासों से बात करे, उन देशों के विदेश मंत्रियों से बात करे। मैं अभी रिपोर्ट देख रहा था, जिसमें मैंने पढ़ा कि विदेश राज्य मंत्री, श्रीमती परनीत कौर ने संसद में बयान दिया कि अमेरिका में जो हमारे 1500 छात्र पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी छुट्टियों में एक संकट पैदा हो जाता है, क्योंकि रेडियो यांत्रिक तंत्र के द्वारा उनकी विजिलेंस की जाती है और जब उनका वीजा समाप्त हो जाता है, तो अमेरिका की कोशिश रहती है कि वे वापस अपने देश जाएं। जो लोग पढ़ने जाते हैं, उनके लिए वहां अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। इस प्रकार के बहुत लोग हैं, जिन्हें समस्याएं झेलनी पड़ती हैं।

महोदय, अभी हमारे श्री पांडा जी ने जैसा कहा हमारे बहुत से मछुआरे ऐसे हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं, जो अनजाने में बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं और पकड़े जाते हैं, उन्हें भी अपने देश में लाने की व्यवस्था की जाए। अभी हमारी विपक्ष की नेता ने, सोमालिया के डाकुओं द्वारा जो हमारे भारतीय पकड़े गए हैं, उन्हें भी छुड़ाने और देश लाने की बात कही था। सदन उनके लिए चिन्तित था। इस प्रकार की तमाम बातें हैं। यदि बाहर का नागरिक यहां आता है, तो जब तक उसके पास वीजा है, तब तक वह यहां रह सके, यहां घूम सके, पर्यटक के रूप में घूम सके और देश को देख सके, लेकिन वीजा समाप्त होने के बाद उसे जाना चाहिए। हमारे लोग बाहर जाते हैं और वीजा समाप्त होने के बाद उन्हें सख्ती से और कड़ाई से देश भेज दिया जाता है और जो नहीं आ पाते हैं, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। वे वहां इतनी फ्रीडम में नहीं रह पाते हैं। इसलिए कम से कम दूसरे देशों से सीख लेकर हमें अपने देश में भी ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे कि वीजा समाप्त होने के बाद, भारत आए हुए विदेशी वापस अपने देश में जा सकें।

महोदय, पांडा जी ने जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि यह बहुत अच्छा विधेयक है। यह हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ विधेयक है। मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए, अपना बात समाप्त करता हूं।

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, श्री वैजयंत पांडा द्वारा लाए गए विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपको पता है कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां हम लोग खुद ही इस समस्या से जूझ रहे हैं और किस कॉंटैक्ट में समस्या से जूझ रहे हैं, यह भी आप जानते हैं। हम मालिक हैं, झारखंड के लोग मालिक हैं, आप भी उसी राज्य से आते हैं। हम इस देश की 50 प्रतिशत से ज्यादा माइंस, मिनरल्स, कोल और अन्य चीजें पैदा करते हैं। हमारे ही ऊपर पूरा देश आधारित है, फिर चाहे रेलवे चल रही है या मुम्बई चल रही है या दिल्ली चल रही है। यदि हम अपना उत्पादन बन्द कर दें, तो यह देश ठप्प हो जाएगा। मैं इस सदन में बड़ी गम्भीरता से ये बातें कह रहा हूं, लेकिन जो मुम्बई के अन्दर हो रहा है, आपने देखा होगा कि हमारे ही लोगों को बिहारी कह कर और मारकर भगा दिया जाता है। हम लोग ही गरीब हैं, हम लोग ही परेशान हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण रोजगार है। इसका मतलब यह नहीं है कि मुम्बई के लोग बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के खिलाफ हैं या हिन्दी भाषी लोगों के खिलाफ हैं। उसका कारण यह है कि उनमें समझदारी का अभाव है। जिन लोगों को वे बिहारी समझ रहे हैं और समझ रहे हैं कि वे लोग हमारे लेबर का काम छीन रहे हैं, गार्ड का काम छीन रहे हैं, ड्राइवर और कंडक्टर हो रहे हैं और खलासी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। वे बेसिकली इन्फिल्ट्रेटर हैं। उनकी भाषा एक है, उनकी जुबान एक है, उनका चेहरा एक है और यह दिल्ली के अंदर भी हो रहा है। दिल्ली के माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश अग्रवाल जी यहां उपस्थित हैं, वे मेरी इस बात की गवाही देंगे कि दिल्ली में भी ऐसा ही हो रहा है। घरों में काम करने वाले जो लोग हैं, वे इसी प्रकार के लोग हैं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): सभापति महोदय, मुझे तो इस बात की खुशी है कि माननीय दुबे जी ने मुम्बई के बारे में यह बात कहा तो सही।

श्री निशिकांत दुबे : महोदय, हमारी 15 हजार किलोमीटर की सीमा है। 7500 किलोमीटर की कोस्टल सीमा है और इस इन्फिल्ट्रेशन के कारण लोग कहते हैं कि हम वोट बैंक की पॉलीटिक्स के कारण बोलना नहीं चाहते, इस देश को बंटने मत दीजिए। कहा जाता है कि ''जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे'' पहले यह जमीन है, जननी है, भारत है, उसके बाद हम सब हैं। वोट बैंक की पोलिटिक्स के आधार पर इस देश का बंटवारा हो चुका है और इस इन्फिल्ट्रेशन के आधार पर श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या हो चुकी है। पंजाब में किन लोगों ने आतंकवाद को भड़काया, यह किसी से छुपा नहीं है। हमारे दूसरे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की हत्या हो चुकी है, मुम्बई में अटैक हो चुका है और हमारे प्लेन का हाईजैक हो चुका है, कंधार जैसा मामला हो चुका है।

यदि आप इतिहास में जाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि जम्मू-कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है, वह भी उसी इन्फिल्ट्रेशन के कारण हो रहा है। नागा एक्टिविटी यदि बढ़ रही है, उल्फा की

एक्टिविटी यदि बढ़ रही है, नक्सलवाद यदि इस देश में बढ़ रहा है तो यह सब घुसपैठ के कारण हो रहा है या वैसे देश, जो इस देश को तोड़ देना चाहते हैं, उन देशों के कारण हो रहा है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करेंगे क्या? यदि वोट नहीं मिलेगा तो इस देश को बचाने की बात नहीं करेंगे क्या?

हमारी गरीबी बढ़ रही है। यदि तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट देखेंगे तो पहले हमारी गरीबी 27 प्रतिशत थी, वह अब 37 परसेंट हो गई है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, 120 करोड़ लोगों को आप पानी क्या पिलाएंगे। पानी के लिए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि 2020 के बाद यदि सबसे ज्यादा भारत में कहीं लड़ाई होनी है तो वह पानी की लड़ाई होनी है, लेकिन हम पानी की चिन्ता नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं। मेरा यह कहना है कि हम इस बिल का समर्थन करते हुए इन बातों को यदि देखने का प्रयास करें तो हमारे लिए वह बढ़िया होगा।

कुछ फैक्ट्स हैं और मैं इसलिए यह बात कहता हूं कि हमेशा कहा जाता है, Our mistakes increase our experience and our experience always decreases our mistakes. एक बार हम गलती कर चुके हैं, दोबारा इस देश को गलती करने से रोकिये। घुसपैठ के कारण क्या हो रहा है, इसके कुछ आंकड़े माननीय विजयन्त पाण्डा जी ने दिये हैं। मैं कुछ और आंकड़े देना चाहता हूं और कुछ बयान हैं, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। शेख मुजीबुर्रहमान ने अपनी किताब में लिखा है कि पूर्वी पाकिस्तान के पास पर्याप्त जनसंख्या है, वहीं असम के पास पर्याप्त मात्रा में वन सम्पदा है। असम में कोयले व तेल के भंडार हैं, इस कारण असम को पूर्वी पाकिस्तान का भाग होना ही चाहिए, तभी पूर्वी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है। यह उन्होंने लिखा है। उसके आगे जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी पुस्तक मिथ्स ऑफ इंडिपेंडेंट में लिखा है कि यद्यपि यह सबसे महत्वपूर्ण विवाद है, परन्तु यह गलत होगा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य मात्र कश्मीर ही विवाद का मुद्दा है। कश्मीर के जितना ही महत्वपूर्ण विवाद पूर्वी पाकिस्तान की भारतीय सीमा से लगते हुए कुछ जिले और असम के बारे में भी है। पाकिस्तान का इन पर दावा बनता है। ढेरों उदाहरण ऐसे हैं, जो यह दिखाते हैं कि वे अपनी चीजों में सफल हो रहे हैं। हमारे यहां जो वोट बैंक की पोलिटिक्स हो रही है, वह इन बातों को सफल बनाने के लिए एग्रेसिव है।

अभी माननीय विजयन्त पाण्डा जी ने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जिक्र से पहले मैं आपको कहूं कि ऐसा कारण कैसे हुआ कि आई.एम.डी.टी. एक्ट को सुप्रीम कोर्ट को खत्म करना पड़ा। आई.एम.डी.टी. एक्ट कैसे इस पार्लियामेंट ने अलग से बना लिया, इस संविधान की धारणा को कैसे खत्म कर लिया। मौ. करीम छागला, वैलनोन लॉयर थे, ज्यूरिस्ट थे, मैं उनका बयान कोट करना चाहता हूं, जब यह कानून बना था तो उन्होंने इसके बारे में क्या कहा था। यह आपको पता है कि वे मुम्बई उच्च

न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, यहां के शिक्षा मंत्री रहे। उन्होंने कहा कि हमारे पास अपना संविधान है, हमारे पास नागरिकता कानून है, सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे निर्णय हैं, जो यह दर्शाते हैं कि कौन नागरिक है और कौन विदेशी। वर्ष निर्धारण करने में अनावश्यक इस विषय को इतना उलझा कर रख दिया है कि कोई भी व्यक्ति, जो इस देश का नागरिक नहीं है और यदि वह विदेशी है तो इसका क्या महत्व है कि वह भारत में कब आया है। भारत में प्रवेश करने का वर्ष उस व्यक्ति के वैधानिक स्तर को परिवर्तित नहीं कर सकता। विदेशी लोगों के नाम राज्यों की मतदाता सूची में नहीं हो सकते। उनको मतदान करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि उनके नाम मतदाता सूची में हैं तो उनके नाम उनमें से निकाल देने चाहिए और इस बात की पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि दोबारा वे नाम न आ जायें। यह करीम छागला साहब ने कहा है और क्या हुआ है? आपको पता है कि इसी पार्लियामेंट में एक विदेशी मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट बन चुका है और सुप्रीम कोर्ट के कारण उसकी सदस्यता खत्म हुई है। वह एक-दो बार नहीं बना है, तीन बार सांसद बना है तो आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? ...(व्यवधान) उनका नाम सब को पता है। यहां नाम नहीं लेना चाहिए।...(व्यवधान)

राजेश्वर जी कहते हैं, जो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे और जो आईबी के आफीसर रहे हैं, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के सीमा क्षेत्र का एक अध्ययन बता रहा है कि बीस से चालीस पर्सेंट गांव सीमावर्ती क्षेत्र में घुसपैठियों के कारण घुसपैठ से प्रभावित हो रहे हैं। इसमें जाति का सवाल नहीं है, रिलीजन का सवाल नहीं है। इस देश में अलग-अलग कारण हैं, जो इन चीजों को बढ़ाता है। कोई कास्ट के आधार पर किसी को मदद करने की कोशिश करता है, कोई रिलीजन के आधार किसी को मदद करने की कोशिश करता है, कोई भाषा के आधार पर किसी को मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस देश को तोड़ने के लिए वही सारी चीजें, जैसे सोवियत यूनियन टूट गया, जैसे तिमोर टूट गया, वही सिचुएशन इस देश की बन रही है। सभापति महोदय, हमारे और आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इस देश को हम कैसे बचायें? असम के पूर्व राज्यपाल श्री एस. के. सिन्हा थे, मैं कुछ कोट कर रहा हूं, वह कहते हैं कि राष्ट्रपति को भेजी रिपोर्ट में घुसपैठ के कारण असम में असमिया लोगों के अल्पमत में होने का खुलासा किया गया है। जब वह असम के गवर्नर थे, तब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसके बाद श्री अजय सिंह गवर्नर बने थे, उन्होंने कहा था कि हर दिन बांग्लादेश में असम की सीमा पर कम से कम 15 हजार लोग घुसपैठ कर रहे हैं। ये कोई पालिटिकल लोग नहीं हैं। मैं जिन बातों को कह रहा हूं, इनका पालिटिक्स से लेना-देना नहीं है। उससे आगे बढ़कर सीपीआई के श्री इंद्रजीत गुप्ता जी, जब होम मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने इसी संसद में 6 मई, 1997 को कहा था कि भारत में डेढ़ करोड़ घुसपैठिए हैं। इंद्रजीत गुप्ता साहब ने ऐज होम मिनिस्टर 6 मई, 1997 को सदन में कहा था। पूर्व गृह राज्यमंत्री

श्रीप्रकाश जायसवाल साहब, जो अब कोयला मंत्री हैं, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था कि डेढ़ से दो करोड़ अवैध घुसपैठिए यहां रह रहे हैं। इसमें पार्टी का सवाल नहीं है। इतनी सारी चीजें मौजूद हैं और उनको न रोकने के कारण आज क्या हो रहा है? पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव होने वाले हैं, अधीर साहब यहां बैठे हुए हैं, वहां 292 विधानमसभा सीटों में से 52 पूर्ण रूप से और 100 अन्य विधानसभा सीटें घुसपैठियों से प्रभावित हैं। यह आईबी की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। असम में भी चुनाव हो रहे हैं, वहां 126 विधानसभा क्षेत्रों में 46 क्षेत्रों में ये निर्णायक भूमिका में हैं। हम जिस राज्य से आते हैं, यदि उसका पाकुर जिला, साहेबगंज जिला, गोड्डा जिला यानी पूरे संथाल परगना को आप देखेंगे तो उसकी डेमोग्राफी पूरी तरह से बदली है। पाकुर जिला एक रिलीजन विशेष का जिला बनता जा रहा है, साहेबगंज एक रिलीजन विशेष का जिला बनता जा रहा है। उसकी आग गोड्डा में आ रही है, देवघर में आ रही है, दुमका आ रही है, जामतारा में आ रही है, वही आग दिल्ली में आ रही है, वही आग गुजरात में जा रही है, अहमदाबाद में जा रही है, सूरत में जा रही है। इस पार्लियामेंट में अटैक हुआ, तो वह कौन लोग थे? यदि नेपाल से एक प्लेन का हाईजैकिंग हो गया तो वह कौन लोग थे? पूरी सीमा खुली हुयी थी, नक्सलवाद जिससे हम और आप प्रभावित हैं, आप जहां से चुनकर आते हैं, ये नक्सलवादी कौन हैं? प्रचंड का बयान है कि जब वह अपना आंदोलन चला रहा था, तो पांच साल जब वह अंडरग्राउंड था, संथाल परगना में बिताया। ये कौन लोग हैं? परवेज बरूआ साहब कहां रह रहे है? कौन उसकी एक्टिविटी को कौन बढ़ा रहा है, लश्कर-ए-तोइबा के लोग कहां रह रहे हैं, कौन उसकी एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, कौन लोग अंदर आ रहे हैं, राजन देववर्मन कहां रह रहे हैं? नागा के जो हेड हैं, वह कहां रह रहे हैं? ये कौन लोग हैं? बर्मा बढ़ा रहा है, बांग्लादेश बढ़ा रहा है, पाकिस्तान बढ़ा रहा है, श्रीलंका से जो लिट्टे आया था, जिसके कारण माननीय राजीव गांधी की हत्या हो चुकी है, ये किस तरह के लोग हैं? केवल इसे रिलीजन से जोड़कर कि यदि भारतीय जनता पार्टी घुसपैठ की बात कर रही है, तो रिलीजन की बात कर रही है, यदि इस तरह की बात करेंगे तो यह देश कभी नहीं बन सकता है। इस देश को, इस पार्लियामेंट को यह समझने की आवश्यकता है और हमें देश बनाने की आवश्यकता है। वह क्या कर रहे हैं? वहां तस्करी हो रही है। मैं शिवरात्रि के दिन देवघर में था। आपको पता है कि मेरे चुनाव क्षेत्र में बासकीनाथ और बाबा वैद्यनाथ है, दो-दो ज्योतिर्लिंग हैं। मैं रात के ढाई बजे, चूंकि मुझे सुबह पार्लियामेंट आना था, मेरा प्लेन दुमका में था, तो मैंने ढाई बजे रात में कहा कि हम देवघर से बढ़ते हैं। देवघर से जब मैं दुमका की तरफ बढ़ रहा था, तो तीस किलोमीटर के रास्ते में देवघर से बासकीनाथ के बीच में, मैं गाड़ी बीस से पच्चीस किलोमीटर प्रतिघंटे से अधिक स्पीड से नहीं चला पा रहा था।

कारण क्या था? शिवरात्रि के दिन लोग रात के दो-ढाई बजे गाय और बैल लेकर जा रहे थे। बगल में जरमुंडी थाना है। मैं वहां गया और थाना प्रभारी को उठाया। मैं सांसद हूं और रात के दो बजे थाने में पहुंचा तो स्वाभाविक है कि वह भी दौड़ा-दौड़ा आया। उसने एसपी को फोन किया। वहां गाय और बैल की तस्करी हो रही थी। हम यहां एनीमल हस्बैंड्री की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं और वहां गाय, बैल कट रहे हैं, बंगलादेश जा रहे हैं, तस्करी हो रही है।

अभी सिल्क में ड्यूटी घटी है। यदि कहीं से चाइना सिल्क आ रहा है तो वह अरुणाचल प्रदेश, बंगलादेश, नार्थ ईस्ट के रास्ते से आ रहा है। यदि आप सिल्क में ड्यूटी घटाएंगे तो उस तरह की सिल्फ की तस्करी और ज्यादा होकर आएगी। इसी तरह हथियार आ रहे हैं। यदि राजस्थान का बार्डर देखेंगे तो एके-47 से लेकर एके-54 तक हथियारों की तस्करी हो रही है। जाली नोट कहां से आ रहे हैं? जाली नोट भी उसी रास्ते से आ रहे हैं। मादक एवं नशीले पदार्थ उसी रास्ते से आ रहे हैं। आप आईबी, रॉ या कोई भी रिपोर्ट देख लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी अनैतिक गतिविधियां होती हैं, यदि प्रॉस्टीट्यूशन की बात भी करें तो यह उसमें भी बढ़ावा दे रहा है। मैंने आपको 5-6 कारण गिनाए। आपको लगता है कि इस देश में घुसपैठियों के खिलाफ कानून नहीं बनना चाहिए। पूरा किशनगंज, अररिया, दार्जिलिंग, वैस्ट बंगाल, राजस्थान के बार्डर का एरिया देखिए, किसने जमीन खरीद ली, पता ही नहीं चलता। यदि आप जम्मू कश्मीर को देखेंगे, सारी गतिविधियों को नोट करेंगे, तो इन्हें रोकने का सवाल है। यदि नहीं रोका तो पूरा देश इसे मार्क करके इम्प्लॉयमैंट की बात करेगा। हम गरीबों की जितनी भी बात कर लें, जितनी भी सैंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ला दें, आज गरीब वही है, क्योंकि हम-आप जिस राज्य से आते हैं, वहां 70 प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं। 70 से 75 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे अपनी गुजर-बसर करते हैं। वे हमसे, आपसे लाल कार्ड के लिए प्रार्थना करते हैं। सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला की एक कविता है --

पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक
चल रहा लकुटिया टेक
मुट्ठीभर देने को, भूख मिटाने को
चाट रहे हैं झूठी पत्तल
कहीं सड़क पर खड़े हुए
झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए।

सवाल यह है कि गरीब आदमी की आत्मा हमें और आपको दोष देगी।

सभापति महोदय, मैं पांडा जी को धन्यवाद देता हूं कि वे बहुत अच्छा बिल लेकर आए हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि आप इन घुसपैठियों को भगाने की कोई व्यवस्था कीजिए। आप यूआईडी के माध्यम से उन्हें जो नागरिक बनाने की बात करते हैं, इसके लिए कानून में कोई न कोई संशोधन कीजिए। यदि यूआईडी हो जाएगा तो उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा, उन्हें बीपीएल कार्ड आदि सारी

सुविधाएं दे दी जाएंगी। आप इसे खत्म कीजिए और हमारे सुझावों को मानते हुए इस बिल को ऐक्सैप्ट कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

MR. CHAIRMAN : Shri Panda, have you given any suggestion that the names of those who have illegally infiltrated here should not be entered in the voters' list and that the guilty officials should be punished?

SHRI BAIJAYANT PANDA (KENDRAPARA): Sir, I have left it to the Commission which I have proposed and the rules are to be framed for the Commission and these are suggestions which ought to be incorporated in those rules.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, my esteemed colleague, Shri Baijayant Panda has introduced a Bill under the nomenclature 'The Illegal Immigrants and Overstaying Foreign Nationals (Identification and Deportation) Bill, 2009'.

Sir, the tone and tenor of this legislative document appear to be innocuous as it has not been proposed that the existing Act should be replaced or repealed or anything like that. Some provisions are sought to be inserted in the existing legislation so as to implement the essence of the Foreigners Act, 1946.

So, I think, it is a pertinent proposition in view of the fact that illegal immigration has become a matter of major concern for us. Further more, illegal immigration has already assumed a world-wide phenomenon. In the United States of America also illegal immigration has been rising alarmingly as per the estimates of the US Government. We are well aware that Hispanic population used to cross over to the United States of America over the years and are eating away the jobs of the native Americans. Reports have also come that illegal immigrants from India are also swarming into that country. Therefore, illegal immigration cannot be a matter of concern for India alone. It is a world-wide phenomenon.

There are two types of immigration. One is political and the other is economical. Some of the immigrants are called political immigrants because they immigrate to other countries due to political persecution or religious persecution that they face in their own countries. So, due to these reasons they are forced to flee their native countries and they take refuge or shelter in their adopted countries or host countries. This is one type of immigration.

The other type of immigration is due to economic reasons. The socio-economic factor of all the countries is not the same. Therefore, people from developing countries or poor countries emigrate to the other countries for well-being of their lives.

So, there are two factors. One is 'pull' factor and the other is 'push' factor. Some people think that their fortune could be changed by emigrating the native country and by establishing themselves in foreign land, I mean the land of

destination. The cost that they have to pay for this is that, they may not be eligible for exercising their franchise in the destination country; and they may be apprehended or arrested.

The other reason is the 'push' factor. Due to poverty and unemployment, people usually from poor countries cross the borders out of desperation, to eke out their livelihood. This kind of illegal immigration usually tends to flow from developing countries to developed countries. In the Indian sub-continent, as we know, India has been recognised as an emerging economy.

India is going to be an economic Super Power. That is why India plays the pull factor of the people of our neighbouring countries as they are allowed to eke out their livelihood by settling themselves in our country. There are other factors also, viz., religious persecution. Since our Independence, we have been facing the immigration problem due to the religious persecution being taken place, especially in Bangladesh and in Pakistan. When we attained Independence, the Hindu population in Pakistan was 20 per cent. Now, it has been reduced to 1.5 per cent Hindu population in Pakistan. That means due to religious persecution, a great chunk of Hindu population have been forced to flee their native country. Now, the question is how do we define those Hindus who have appeared as illegal immigrant in India. I would like to know whether they should be treated as refugees or they should be treated as illegal immigrants. Sir, we need to have a clear distinction in regard to refugee and illegal immigrant.

Sir, when Bangladesh was carved out to be a sovereign country, religious persecution also took place there. Lakhs of Hindu population were forced to flee into our country. Even *Chakmas* from Bangladesh also had the same fate and even the Burmese Muslims were forced to flee into Bangladesh by the persecution of Burmese Government. Therefore, we need to have a clear definition of who should be called a refugee and who should be called an illegal immigrant.

Sir, I do not know whether illegal immigration and infiltrators can be defined in the same way. I also beg to differ that all the terrorist problems in our country are borne out due to illegal immigration. I think this will be the over

simplification in view of the insurgency problem in our country. If you see the entire North Eastern Region, you will find that there is huge number of illegal immigration. It is also true that in West Bengal, there is huge number of illegal immigrants. But the fact is that West Bengal, Assam and Bangladesh at some point of time belong to undivided British India. The entire Assam region was sparsely populated. So, people from West Bengal, North India and from Bangladesh would have settled in Assam.

But the day the Independence was announced, the entire North-Eastern Region got geographically isolated. Those areas which were earlier known as the traditional areas of migrants, have become areas of illegal immigrants because before the partition, traditionally, people from West Bengal, Bangladesh and North India used to settle in Assam. At that time, it was called internal migration. But, in the wake of Independence, all of them became midnight children and illegal immigrants and the traditional migration got augmented by the flow of refugees and other illegal immigrants. Therefore, we should conceive a way so as to determine the illegal immigrants and refugees.

A number of estimates often emerged in the media or the other forum also in regard to the number of illegal immigrants. When Shri Indrajit Gupta was the Home Minister, he stated in Parliament that the number of illegal immigrants was 10 million. When Shri L.K. Advani was the Home Minister, he stated that the number of illegal immigrants was estimated at 15 million. The senior bureaucrat Shri P. Raman stated that the number of illegal immigrants went up to 20 million. According to the Law Commission, it is a common perception that in Assam, the number of illegal immigrants was 4.5 million and for West Bengal, it was 5.4 million. About 3,50,000 illegal immigrants are entering our country annually. It is a fact that if you want to hire the cheap labour, the Bangladeshi workers are available.… (*Interruptions*)

Sir, in the United States of America, H1B Work Visas are available for the people from other countries. It is a Work Visa. Like that, can we not give Work Visas for the nationals of the other countries so that the problem of illegal

immigrants could be dealt with? It has been referred to by even the initiator of the Bill Shri Baijayant Panda. So, this can be considered. By all indications, the Bill is simply seeking to implement the tone and tenor of the existing laws. I think I should support this legislation.

With these words, I conclude.

17.00 hrs

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): सभाति महोदय, मैं यहां से बोलने के लिए आपसे अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैंने बहुत गौर से पूरी बहस सुनी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्थिति बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि अब दो करोड़ का आंकड़ा आ चुका है। मैं अपने आप से पूछता हूं कि इतनी अलार्मिंग स्थिति में क्या अवैध आप्रवासी और स्वीकृत अवधि से अधिक समय तक ठहरे हुए विदेशी राष्ट्रीय (पहचान और विवासन) विधेयक, 2009 इसकी दवाई है। यह जो एक्ट आया है, दो करोड़ का आंकड़ा सामने आया है, मैं भी असम वकील के तौर पर हाई कोर्ट जाता था। वहां जो नदी है, तो लोग नदी के किनारे पचास-सौ किलोमीटर आ जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो एक्ट बन रहा है, इससे उस समस्या का 0.11 परसेंट निदान होने वाला नहीं है। इसका एक कारण है, जैसे हमारे यहां कोई शुभ कार्य आरम्भ होता है, तो गणेश जी की प्रतिमा लोग स्थापित करते हैं। इसी तरह हर एक्ट में ट्रिब्यूनल बनेगा और ट्रिब्यूनल में आटोमेटिकली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज विराजमान कर दो। इससे तो ट्रिब्यूनल के एक जज और चार सदस्यों की स्थापना हो रही है, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकेगा। मैं बहुत आदर से कहना चाहूंगा कि जनसंख्या के लिए प्लानिंग के बाद इसमें भी फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए। संसद में हर सैशन में पचास एक्ट आ रहे हैं।

दूसरी बात मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। सैक्शन-3, मैं एकदम लीगल आर्गुमेंट और लीगल बिल बात कह रहा हूं। मैं श्री वैजयंत पांडा जी का स्वागत कर रहा हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस स्थिति को आइडेंटीफाई किया है। जैसा इसमें लिखा है -

> "The Commission shall consist of a Chairperson who shall be a serving or a retired Supreme Court judge appointed by the President in consultation with the Chief Justice and four other members…"

I put a question to myself and to my friend. Will this mitigate or ameliorate or solve the problem of illegal immigrants? I submit with all respect, 'no'. इसका एग्जीक्यूटिव एक्शन होना चाहिए। मेरा कहना है कि इससे कोई काम बनने वाला नहीं है। आईपीसी एक्ट है कि चोरी करना खराब है, भ्रष्टाचार का भी एक्ट है, तो क्या ब्लैकमनी और क्रप्शन खत्म हो गई है।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): You tell Mr. Panda.

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): He is telling it to Mr. Panda only; he is not telling you.

SHRI V. NARAYANASAMY: Thank you.

श्री विजय बहादुर सिंह : महोदय, अगर आप इजाजत दें, तो मैं बहुत अच्छी बात सुनाना चाहता हूं। इंग्लैंड में लार्ड डैनिंग चीफ जस्टिस थे। यह बात यहां फिट हो रही है, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। एक जंगल में सियार ने मुकदमा दायर किया कि मुझे जंगल में बहुत परेशानी है, क्योंकि सब मुझे खाने का दौड़ते हैं इसलिए मेरा प्रोटोकाल, मेरा स्टेटस टाइगर, जो कि जंगल का राजा है, उसके बराबर कर दीजिए। उसने बहुत नामी-गिरामी वकील हम लोगों की तरह किया और वकील ने बहुत अच्छी बहस की, तो जज ने उसकी बात मान ली।

सभापति महोदय : आपने बहुत ढंग से नामी-गिरामी में अपने को जोड़ लिया।

श्री विजय बहादुर सिंह : महोदय, आपने सही पकड़ लिया, दूसरे लोग समझ नहीं पाए थे। उस सियार को आर्डर मिल गया कि दो महीने तक उसे वही प्रोटोकाल मिले, जो जंगल के राजा को मिलता है। सियार ने वह स्टे आर्डर अपनी पूंछ से बांध लिया और घूमने लगा। यह बात डैनिंग ने अपनी किताब में कोट किया है। उसके बाद उसकी आंटी फोक्स उससे मिली। सियार ने कहा कि मुझे आर्डर मिल गया है और दो महीने तक मुझे जंगल के राजा का प्रोटोकाल मिलेगा। लोमड़ी ने कहा कि इस आर्डर के चक्कर में मत पड़ो। मैं जहां से आई हूं, रस्ते में मैंने दो-चार जंगली कुत्ते देखें हैं, वे मुसीबत कर देंगे। लोमड़ी अभी सियार को समझा ही रही थी कि दो-तीन कुत्तों ने उसे दौड़ा दिया। लोमड़ी तो अपनी बिल में घुस गई और सियार कुत्तों को पूंछ से लगा हुआ आर्डर दिखा रहा था। सियार को भी समझ आ गया और वह भी अंदर घुस गया, लेकिन उसने अपनी पूंछ बाहर ही रहने दी।

कुत्ते जो काटने आ रहे हैं, वे स्टे ऑर्डर देख लें। कुत्तों ने न स्टे ऑर्डर देखा, उनको काट लिया, उनकी पूंछ भी कांट ली और स्टे ऑर्डर को चबा दिया। दूसरे दिन फिर अदालत बैठी। फिर उसी वकील ने कहा कि माई लॉर्ड, इन्होंने कंटेम्प्ट कर दिया क्योंकि आपके ऑर्डर की अवहेलना हुई। इस पर जज साहब बड़े

पशोपेश में पड़ गये और कहा कि देखिए, हम ऑर्डर देते हैं, कानून बनाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हमारा काम नहीं है।

इसलिए महोदय, मैं इस एक्ट से आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि आपने एक बहुत अच्छा प्रयास किया लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। यह उसी तरह से है कि टेनिस फील्ड में फुटबॉल खेलने की कोशिश हो रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी एक एग्जासटिव जैसे बीएसएफ इसकी एक ऑरगेनाइजेशन बने, उसमें पुलिस और उससे कनैक्टेड अधिकारी हों। उसमें हाइकोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज जिन्होंने 40 साल तक सिर्फ मुकदमा और किताबें देखी हैं, वे उसको कैसे कर पाएंगे? जिन बॉर्डर स्टेट से ज्यादा घुसपैठ हो चाहे यू.पी. हो या असम हो, उनमें उसका प्रभाव बढ़ाया जाए और ये टोटली इसमें इंवाल्व हो जाएं अन्यथा इस बिल से सिर्फ ध्यानाकर्षण की बात होती है।

हमारा जो विदेश मंत्रालय है, देश में यह फीलिंग हो रही है कि बहुत स्लो एक्शन हो रहा है। यह ग्लोबल समस्या है चाहे वह सोमालिया के लुटेरों की हों और चाहे ट्राई यूनिवर्सिटी में कॉलर लगाने की हो, इसको डिप्लोमैटिकली ब्राडकॉस्ट किया जाए। यूनाईटेड नेशंस के माध्यम से, सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से इललीगल इम्ब्रिड का मामला हो, अगर हम आतंकवादियों जैसा कि निशिकांत जी ने बहुत अच्छा इस पर कहा, ...(व्यवधान) इस चीज का आइडेंटिफिकेशन तो हो गया, इसको वोट की राजनीति से न जोड़ा जाए कि वह आ गये हैं तो हमें वोट मिलेगा। इसलिए हम नहीं बोलेंगे और यह नेशनल क्राइसिस है, इसमें दो राय नहीं है, पूरा हाउस इस प्वाइंट पर है। इस पर एक कमेटी बैठाकर, इसका आकलन करते हुए इस पर सुझाव दिया जाए और फिर इस पर एक्शन हो तो वह बेहतर होगा। मैं एक बार अपनी बात समाप्त करने से पहले जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, He has burnt mid-night oil. हम उनको धन्यवाद देते हैं लेकिन निराशा की बात यह है कि इससे काम चलने वाला नहीं है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I may be permitted to speak from here.

सभापति महोदय : इससे भी आगे आना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी.नारायणसामी) : इससे आगे कहीं वैल में मत आ जाना!..(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I have never been to the well of the House.

सभापति महोदय : आप अपनी बात आरम्भ करिए।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, the Bill which has been moved by my colleague, Shri Baijayant Panda and the manner in which he has put forth his view point today encompasses, especially, three aspects. One is, who is a citizen; second is, who is an immigrant; and third is what is illegality relating to citizenship and immigration.

So, when we discuss on this topic, specifically on these three aspects, one is reminded, as has been mentioned in the Bill, to the Constitution which, I think, our learned friend from the Bar, who is a Member here, Shri Vijay Bahadur Singh, must have referred relating to articles 5 to 10 depicting the citizenship of this country.

In the Foreigners Act of 1946, to which Mr. Panda has referred in the Bill, he clearly mentions that a person who migrates to India legally is entitled to a number of provisions, which is enshrined in the Constitutions. Legally, he is entitled to take advantage of the provisions that are enshrined in the Constitution.

To further his cause, he has also mentioned that India is becoming prosperous year after year, as in our country the GDP growth also, on an average, is hovering around 8 per cent. The number of rich people is growing. I think in today's newspaper, in the *Forbes* Magazine, how many billionaires have been listed, that list has come up. And the middle class is growing; income is also

growing. That also attracts many people to come here from outside the border of our country to live in peace and tranquillity and also earn their livelihood. Should we make some provisions in our Constitution, in our law so that we can invite talent, invite professionals, invite those technically skilled people to come here and also make our society prosper? That was one of his suggestions that though we have more than a billion of people in our country, we lack professionalism, we lack skill and there is a need that legally we can also invite those persons to come and earn their livelihood and also make our society prosper. But there will be two opinions always on this issue. Even the United States today has two opinions on that. Different provinces or States of the United States have different laws relating to immigration. Immigration is legal. To a great extent, it is legal; and it should be legalised. That is why, when some skilled personnel from our country go to the United States, go to England, go to France or go to Australia, or go to any other developed country, legally, they have to go through a specific channel. But still in their country, there is a different opinion that why these people are coming to our country; they are eating our jobs; that should be stopped. Elections are also fought on that issue. So, in our country, if we hold a different view to that, there is no quarrel on that. There should not be any quarrel on that. Everybody is entitled to hold his own view.

But my opinion is that any country can prosper if we invite talent, if we invite professionals. That is how this country at one point of time was inviting talent and professionals. That is the only gravitational force which makes a society prosper. That is how a society prospers, a country prospers. The history is .replete with instances that when a particular place or a particular country of the world is in a growth mode, is prosperous, people have a tendency to go there and live there. That is how in hoary past, a number of people had migrated into this country. That is how, during Chandragupta Maurya's time, after he established the empire, a number of people from different parts of the world had come here. That system continued attracting talents, attracting students, attracting engineers. That is how it continued for more than a thousand years. That was also one of the

reasons why it was attacked by Central Asian tribes. I think it was in 10th century AD; that is how India got disintegrated as an empire and fell to ruins. The maritime activities also fell to ruins.

But my point here is this. Australia, of course, is a country of migrants. So also is the United States. If you take 200 years of their history, that is also a country of migrants. Even today they attract talent. If today, the Middle East is growing, they are also attracting talents. So, India also should attract talented professionals. But here comes the problem. We need skilled manpower. I would like to mention one specific problem about Assam. We discussed this in our country for the last 25 years or 30 years to be specific. Why do the people from Bangladesh have a tendency to migrate to Assam? I am only focussing on Assam, in the sense that why the people from Bangladesh migrate to Assam. Shri Nishikant Babu mentioned about one of the speeches of Mujibur Rahman before 1971. That was not after 1971; that were before 1971, when it was East Pakistan. … (*Interruptions*)

SHRI NISHIKANT DUBEY : He wrote the book. … (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Yes, that is a compilation.

I would say why people of Bangladesh have a tendency to go to Assam. Is it just to change the demography of that State? Is it just to change the demography of the North-East? They very well know that it cannot be. The Guwahati High Court later on gave a judgment. I would be quoting that judgment later on. But my point here is that simple people of Bangladesh who have to toil everyday to earn their livelihood also go across the border, earn their livelihood and come back in the evening to their house. A lot of people used to migrate. The division on August 14th and 15th of 1947 is an unnatural division; not only in the Eastern sector but also in the Western sector. It is an unnatural division. I am not saying this. This had been said by Yogi Aurobindo in those days. On a specific message on the 15th August, 1947 he had said: "This unnatural divide will evaporate.". That was the prediction which, I think, in my lifetime would come true. … (*Interruptions*)

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH (HAMIRPUR, U.P.): Best of luck! … (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : You will be there also to share.

But that is an unnatural division. People, who used to work in the fields of Assam, earn their livelihood and come back. But because of this artificial boundary which had been carved out, a new nation has come into being for the last 64 years. We have to accept the reality. What should we do?

Before the Assam Accord, which was signed in 1985, was implemented or when the system of identification was put in place in 1983, an idea was floated. When it was under the President's Rule, Shri K. Ramamurthy, who was the Advisor to the Governor of Assam, had floated an idea that let us give them a 'working pass'. So, a card will be provided to these people; they will come, work here but they will not be entitled to the citizenship of this country. What is the issue today? I do not know if any Members from Assam would participate in the discussion on this Bill. I do not know if at all they will be participating in the future because election is knocking at the door, and already the dates have been declared.

But how to tackle this problem? There is a shortage of labour force in Assam. People from West Bengal will not go there to work. People from Manipur are not coming to Assam to work. People from Bihar are not going to work in the fields of Assam. Tea Estates are different. But in the paddy fields, the problem lies there where the people from Bangladesh go to Assam and work. … (*Interruptions*) So is the case in Meghalaya. … (*Interruptions*)

So is the case in Meghalaya. People from Bangladesh also come into Meghalaya. There is another type of ethnic problem, which is emanating in Meghalaya. I do not know if Members from Meghalaya would also be participating in this debate. People from Bangladesh come into Meghalaya, marry the tribal girls, beget children. They already have one family in Bangladesh and they have another family here in Meghalaya. I think the Government is aware of this situation.

MR. CHAIRMAN : Mahtabji, be a bit short in your speech because there are still three to four hon. Members, who want to speak on this Bill and I want that this should be concluded today; and the new Bill of Prof. Ranjan Prasad Yadav is taken up for discussion. That is why I am in a hurry.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I would try to wind up by making three to four suggestions.

In the world across, illegal immigrations do take place. Those who cross the United States-Mexico border, very strict actions are taken against them. People get shot. Although there is a fence all across the United States border yet people do cross the border. People also illegally migrate into Europe through Romania, Greece, Spain and even Italy and accidents do take place in the Mediterranean Sea and other routes. People do die.

I do not say only about the Indians, Asians and Africans also do have to lose their lives. Illegal immigrations also take place in the South-East Asian countries. In a very inhuman way, people have to cross from one country to another to earn their livelihood. So, from the humanitarian point of view, India as a country, should accept this reality and also accept them to earn their livelihood.

Mr. Chairman, Sir, we always say *Atithi Devo Bhava.* Who is 'Atithi'? I always interpret it in this way. A person, who does not give us the *tithi* (date) and arrives. He is 'a-tithi'. He never gives us the date and time as to when he is going to come. Without notice, who arrives in our house, in our place is 'a-tithi'. That is all. And, we have a tradition of providing him all respect, all provisions. That is the culture of our country. About a person, who comes here to earn his livelihood, the onus lies on us to give him that much of provision. But the issue that Mr. Panda raised is this. By doing such things, should we deny the provisions to our people for which we are indebted to, for which we are committed to legally. That is the question, which should be addressed. The Mover of this Bill has said that we need a Commission to identify and take decision instantaneously. That is the need of the hour.

सभापति महोदय : मेरी इच्छा नहीं होती है कि मैं महताब जी को कहूं कि आप बंद कीजिए, लेकिन मैं सोचता हूं कि वे आज किसी लॉजिकल एंड पर पहुंच जायें।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, I am just concluding.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): महोदय, मेरा नाम भी है।

सभापति महोदय : क्या यह संभव है कि आपका नाम न हो?

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : महोदय, क्यों?

सभापति महोदय : आपका नाम है ही।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : There are actually three 'Ds', which are required here – Detect, Delete and Deport. One has to detect; one has to delete; and one has to deport. These are the three 'Ds,', which one has to work on. In the Foreigners' Act, the onus lies with the person against whom a complaint is lodged and he has to prove that he is the citizen of India.

It was struck down by the Supreme Court. There, the person who is lodging a complaint has to prove that this fellow is not a citizen. There the problem lies. That is why, it was struck down by the Supreme Court. I would say to identify the person, as I mentioned, to detect a person, to delete his name, if it is there in the voters' list or any other list that is there, and also to deport, is one of the most difficult portions of identification and deletion. Deportation is one of the most difficult issues. Language is not the only identification criteria.

We have to find out by other means because in Orissa, because of the coastline, a number of people have come and settled. As that has been mentioned, in the ravines of Brahmaputra a lot of people have come and settled there, so also in the coastal Bheda area of Kendrapara and Bhadrak districts, a lot of illegal immigrants have come and settled. They have been there and that has become a political issue for a number of political parties.

I would conclude by saying this that the Government should first come out with a statement. How much illegal immigrants we have in this country? The last number that was told to this House was in 1997. But we should hear it from the

Government. Also, we would like to understand what steps they are going to take to delete and to deport all the illegal immigrants.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सभापति महोदय, इस विधेयक के समर्थन में और उसके विभिन्न पहलुओं पर हमारे साथियों ने अपने विचार रखे। मैं वैजयंत पांडा जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन और देश का ध्यान आकृष्ट किया है। निशिकांत जी ने विस्तार से इस पर चर्चा की। मैं भारत-नेपाल सीमा पर रहने वाला हूँ। भारत-नेपाल सीमा के साथ-साथ बिहार की बंग्लादेश के साथ भी सीमाएँ जुड़ती हैं। कटिहार से लेकर पूर्णिया, अररिया, किशनगंज की तरफ बंग्लादेश से भी काफी संख्या में लोग आते हैं और नेपाल के मार्फत अब खतरा ज्यादा बढ़ने लगा है। जो बात निशिकांत जी ने उठाई थी, इसका केवल एक पहलू नहीं है। हमारे देश में जो घुसपैठिये आते हैं, चाहे वे अवैध रूप से आएँ या वीज़ा लेकर रह आएँ, चाहे वे एनजीओ बनाकर काम करने वालों के साथ मिलकर काम में लग जाएँ, लेकिन वे अनेक रूप से छद्म रूप धारण करके भारतवर्ष के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को भी अस्त-व्यस्त कर रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। महताब जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ अतिथि की सेवा करने की बात कही गई है। वह तो है, लेकिन जब अतिथि को हम घर में रहने दें और वही हमें घर से बाहर निकाल दे तो उस अतिथि की हम क्या पूजा करेंगे? गणेश की मूर्ति बनाने चलें और वह राक्षस बन जाए, तो उस मूर्ति की पूजा करेंगे या उसको ले जाकर समुद्र में डुबा देंगे? आज यह स्थिति पैदा हो गई है।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मधुबनी जिला के कैसे-कैसे संबंध हैं । सरकार की तरफ से अतारांकित प्रश्न संख्या 2335, दिनांक 27.7.2009 में गृह मंत्री ने स्वीकार किया कि उपलब्ध जानकारी से संकेत मिलता है कि आतंकवादी तत्वों और बिहार के कुछ लोगों के बीच संपर्क है। अब यह बिहार में संपर्क है, यह कौन है? हमारे यहाँ का तो है नहीं। मैं सबसे ज्यादा सघन मुस्लिम आबादी से जीतकर आता हूँ लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जो भारतीय मुसलमान हैं, लगातार उनके पूर्वज बसे हुए हैं, उनमें से ये नहीं हैं। वहाँ एक भी राष्ट्रद्रोही नहीं हैं। लेकिन आखिर ये कौन हैं? उपलब्ध जानकारी से संकेत मिलता है कि आतंकवादी तत्वों और बिहार के कुछ लोगों के बीच संपर्क है। जब गृह मंत्री कहते हैं कि संपर्क है तो फिर उनको बाहर निकालने के लिए प्रयत्न क्यों नहीं किया गया? अभी एक प्रश्न निशिकांत जी उठा रहे थे।

भारत-नेपाल सीमा पर 4178 लोग वर्ष 2010 तक पकड़े गए थे। भारत बांग्लादेश की सीमा पर 19091 लोग पकड़े गए थे। तस्करी करने वाले नेपाल और बांग्ला देश की सीमा पर कुल मिलाकर 23229 पकड़े गए। उनको पकड़ने के बाद उन पर केस चल रहा है। लेकिन उसकी बज़ायाफ्ता छानबीन होनी चाहिए। वे क्यों आए थे? वे कौन हैं? क्या केवल तस्करी करते हैं या राष्ट्रद्रोही संगठनों से उनका संबंध है? पूरी छानबीन करने के बाद ही उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं सदन का एक पहलू

की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस हिन्दुस्तान मे विदेशी धन से जितने एनजीओज़ चल रहे हैं, जो कोई विदेश से आता है, वीज़ा से या अवैध रूप से आता है, उनका कहीं न कहीं इनसे संबंध है। तीन साल का आंकड़ा इस सदन में दिया गया, जिसमें हमें यह बताया गया कि कहां से कितना पैसा इस देश में एनजीओज़ के द्वारा खर्च किया जाता है, वह यदि आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। नेपाल और बांग्ला देश की सीमा वाले एरिया में 7854.75 करोड़ रूपए केवल शिक्षा के क्षेत्र मे खर्च किए गए। इसमें सरकार ने कहा कि प्राप्त हुई विभिन्न शिकायतों तथा की गई जांच के आधार पर 41 संगठनों को विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से निषेध किया गया। 35 संगठनों को पूर्वानुमति श्रेणी में रखा गया। 11 संगठनों के खातों को सील किया गया। ये कौन हैं? इसमें भी जो घुसपैठ करने वाले एनजीओज़ के साथ जुड़कर, राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल होते हैं। विदेशी धन से चलने वाले एनजीओज़ उन्हें बचाने का काम करते हैं। मैं आपके सामने यदि कहूं तो इस देश में इतना बड़ा मामला है, जो देखने के बाद आदमी का मन घबरा जाता है कि कितना इसमें गड़बड़ किया गया है। सरकार द्वारा विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले संगठनों पर कार्यवाही के संबंध में सरकार ने कहा कि कार्यवाही नहीं की है। सरकार ने कहा कि सीमा क्षेत्र का शत्रु द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, यह भी सरकार ने अतारंकित प्रश्न संख्या 849 दिनांक 24.11.2009 में स्वीकार किया है कि सीमा क्षेत्र को शत्रुओं की खुफिया एजेंसी द्वारा मधुबनी से लेकर बंगलादेश तक भारत-नेपाल सीमा तक, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। सरकार ने हमें उत्तर दिया है उसके आधार पर 28869 करोड़ रूपए भारत वर्ष में, तीन साल का आंकड़ा है, एनजीओ द्वारा लाया गया।

सभापति महोदय, मैं इस बात को इसलिए उठा रहा हूं कि एनजीओ विदेशों से धन लेते हैं, शिक्षा के मामले में ये पैसा खर्च करते हैं और कहते हैं कि हम शिक्षा में प्रयुक्त प्रयोजनार्थ राशि जो देश में खर्च हुई है, वह 7229 करोड़ रुपए है और जो भारत-नेपाल सीमा पर है, शिक्षा के प्रयोजन सहित भारत-नेपाल सीमावर्ती राज्यों के विदेशी अभिदाय की राशि 1104 करोड़ है और शिक्षा प्रयोजन सहित भारत-बंगलादेश सीमावर्ती राज्यों की विदेशी अभिदाय राशि 1874 करोड़ है। आखिर नेपाल सीमा पर, बंगलादेश की सीमा पर ये शिक्षण संस्थान चलाते हैं, वे कौन-सी शिक्षण संस्थाएं हैं? सौ एकड़, दो सौ एकड़ में कैम्पस बनाए गए हैं, जिनके अंडरग्राउंड में माल लदा हुआ ट्रक घुस जाता है, उसकी जांच नहीं कर सकते हैं, जांच करने की किसी की हिम्मत नहीं है। अगर इसे रोकना है, तो दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से रोक सकते हैं। अगर हमारे ह्रदय के अंदर अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता, संस्कृति, धर्म, समाज सभी से प्रेम है और इनके प्रति समर्पण भाव है, तो हम इसे रोक सकते हैं। अगर देश के अंदर ही कोई जयचंद पैदा होगा, देश के अंदर ही विदेशी ताकतों को बुलाने वाला होगा, तो कभी भारत वर्ष को इससे मुक्ति नहीं दिला सकते हैं। भारत को अगर मुक्ति दिलानी है, तो समर्पण भावना चाहिए, संकल्प चाहिए, कटिबद्धता चाहिए,

दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। यह कह कर चलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सीमा में चाहे वैध हो, अवैध हो, घुसपैठिया हो, वीजा सहित रुके हों, उनको खोज कर निकाला जाए। जैसे चूहे को निकाला जाता है, वैसे उनको निकालिए। सरकार उस पर कार्यवाही करे। उन्हें खदेड़ कर बाहर करिए और इस देश को बचाइए। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। आयोग के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यवाही पर जो विजय बहादुर जी कह रहे थे, उससे यह होगा, केवल आयोग से समस्या का निदान नहीं होगा।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): सभापति महोदय, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैंने पांडा साहब का बिल पढ़ा तो मुझे लगा कि एक साधारण सा बिल है, जिसमें वे यह कहना चाहते हैं कि जो लोग बाहर से यहां आते हैं, वे कुछ ओवर स्टे करते हैं और उस बहाने कुछ लोग यहां रह जाते हैं या कुछ लोग इल्लिगल इमीग्रेंट्स हैं, जो बगैर किसी वीज़ा या पासपोर्ट के दाखिल हो जाते हैं।

सभापति महोदय, मैंने जिस समय माननीय सदस्यों के भाषण सुनने शुरु करे तो मुझे लगा कि ये तो हालात शायद ऐसे हो रहे हैं कि हिन्दुस्तान की सरकार कहीं है ही नहीं। हमारे पास कोई चारा नहीं है, सारा खेल बिगड़ जाएगा। सारे हिन्दुस्तान की आजादी एक मिनट में खत्म जाएगी। आज कोई समस्या है, उसे इतनी गहराई में ले जाने की जरूरत नहीं है, इतनी गहराई में ले गए। मुझे थोड़ी-सी शांति मिली, जब मैंने मेहताब जी और चौधरी साहब जी की बात सुनी। हर चीज के कुछ पहलू होते हैं, कुछ अच्छे भी हैं और कुछ खराब भी हैं, लेकिन हम जो सोचते और करते हैं, उसका नतीजा सिर्फ यहीं खत्म होने वाला नहीं है। हमारे भी बहुत सारे भाई दुनिया के दूसरे हिस्सों में रहते हैं, जो उस सरकार द्वारा वहां पर उस बात से पीड़ित हो सकते हैं। अगर हम कोई कानून बनाते हैं, मैं उस कानून के साथ सौ फीसदी सहमत हूं और मैं आपकी मंशा से भी सहमत हूं। आप जो कहते हैं कि यह पता लगना चाहिए कि कौन लोग यहां आ रहे हैं और क्यों स्टे कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ अन्य पहलू भी हैं। हिन्दुस्तान हमेशा मानवता, गरीबों और फ्री ट्रेवल की वकालत करता रहा है। पासपोर्ट और वीज़ा अब लागू हुआ है। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो आपके नेता आजादी मिलने के बाद दुनिया में सार्क के बारे में लेक्चर देते रहे कि हमारे जो कॉंटीनेंट हैं, उसके अंदर जितने हमारे आसपास के देश हैं, इसमें कई बार फ्री ट्रेवल की भी वकालत हुई। जैसे यूरोप में है, एक वीज़ा होता है, उसके द्वारा आप नौ, दस या बारह देश ट्रेवल कर सकते हैं। आज हम किस से घबड़ा रहे हैं, माफ करना, मुझे मंशा पर शक है, इसलिए मैंने निशिकांत जी को टोका था। उन्होंने मुंबई के बारे में चुभती हुई बात कही कि हम अपने ही देश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें मारा जाता है, जलाया जाता है। हमारे स्कूटर और टैक्सियां जला दी जाती हैं कि तुम अपने प्रदेश के अंदर जाओ। वे यहां ये सब बातें कह रहे थे, तभी मैंने खड़े होकर उन्हें टोका कि मुझे खुशी हुई कि आपने यहां पर मुंबई का जिक्र किया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि आज हम टूरिज़म को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हम लोगों को डरा नहीं रहे। आप यहां आएंगे, अगर एक घंटे की भी देरी हो गई तो हम तुम्हें अंदर बंद कर देंगे, फिर तुम दस साल के लिए गए। हम अमेरिका जाते हुए डरते हैं, क्योंकि वहां पर कई बार हमारे नेताओं के साथ बदसलूकी हुई। हमें बुरा लगता है, इसलिए वहां जाने का मन नहीं करता। ऐसे देश में हमें नहीं जाना, जहां इस तरह के हालात पैदा किए जाते हैं या हमारे साथ बदसलूकी की जाती है या जो भी उनका इंतजाम है, वह हमारे ऊपर लागू किया जाता है। हम क्या कर रहे हैं? यह बिलकुल सही कायदा है कि हर आदमी रोटी कमाने के लिए कहीं न कहीं जाता है, कोई रास्ता एवं घर ढूंढता है। आसपास बहुत सारे गरीब देश हैं, जिनके लोग यहां आते हैं और बहुत सस्ते में मजदूरी या अन्य कोई काम करते हैं। उन्हें हम अपने घर में नौकर तो रख सकते हैं, लेकिन हम उन्हें बराबर का दर्जा नहीं दे सकते, यह बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने कई बार नारे सुने और कई लोगों को देखा कि बंग्लादेशी के नाम पर उन्होंने कई कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार किए।

सर, माफ करना, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने हिन्दुस्तान के हर नागरिक को वोटर कार्ड दे दिया? आप किसी गरीब बस्ती के अंदर जाइए, मैं शर्तिया लिख कर देता हूं कि अगर आप उससे कह दें कि अपना आइडेंटीफिकेशन दिखा दे। आप अपने देश में रहने वालों को पूरे आइडेंटीफिकेशन, आई-कार्ड नहीं दे पाए तो यह कसूर आपका है या किसी अन्य का है?

और उसके नाम पर आप उनके साथ ज्यादती करें, यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आज वक्त है कि खुले दिल से जीना सीखें। हिन्दुस्तान का कुछ नहीं बिगड़ता। हां, मैं मानता हूं कि टैररिज्म के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं, सख्त से सख्त बोला जाए और जितनी आवाज उठाई जाए, वह कम है। मैं यह भी जानता हूं कि आप लोगों को कैटेगरी में बांट दें कि कौन किस कैटेगरी का आदमी है, जिसे हम पकड़ना चाहते हैं। सबसे बड़ी ''ए'' कैटेगरी हो सकती है। इम्पौर्टेंट कैटेगरी टैररिज्म की है, टैररिस्ट्स की है। आप जो चाहे करें, लेकिन आप इसके नाम पर किसी गरीब आदमी को, जो आपके देश में रोटी कमा रहा है, उसे आप मारने लगेंगे या उसके खिलाफ बोलने लगेंगे, तो मैं शायद उस राय से बिलकुल सहमत नहीं हूं। हमारे बहुत सारे हिन्दुस्तानी हैं, जो अफ्रीका गए हैं, यूरोप गए हैं और अमरीका गए हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ? ...(व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे : हमारे देश के जो लोग और छात्र ऑस्ट्रेलिया गए हैं, वे लीगली गए हैं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : श्रीमान् बहुत सारे वैसे भी गए हैं। बहुत सारे ओवर स्टे भी कर रहे हैं। माफ करना, जो आप करेंगे, वही वे भी आपके लोगों के साथ करेंगे। आप जो इतनी जोर-जोर से बोल रहे थे, उसका असर और जगह भी पड़ेगा। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसीलिए मैं भी सोच रहा था कि श्री जय प्रकाश अग्रवाल भी बहुत जोर-जोर से बोल रहे हैं, तो वे श्री निशिकांत दुबे जी की बात का जवाब दे रहे हैं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : सभापति जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे बेटे भी वहां हैं, हमारे बच्चे भी वहां हैं। वे वहां नौकरी ढूंढ़ने जाते हैं और वहां वे ओवर स्टे कर रहे हैं। अपने मां-बाप के साथ ठहर रहे हैं, अपने भाई के साथ ठहर रहे हैं। उनका वीजा खत्म हो गया और जब उन्हें तंग किया जा रहा था, तब आपको बहुत तकलीफ हो रही थी और आज जब दूसरे के बेटे हमारे यहां नौकरी करने आए हुए हैं या पैसा कमा रहे हैं और गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास बहुत बड़ी ताकत नहीं है, उनके पास बहुत बड़ा मकान नहीं है और उनके पास साधन नहीं हैं, उन्हें इस्लाम के नाम पर मत तंग करो, यह ठीक नहीं है। आप कैटेगरी बनाओ। आप सोच लो। जहां देश की एकता और अखडता को खतरा हो, वहां तक मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं। आप एक कानून लाएं, उसे लागू किया जाए, मैं उससे सहमत हो सकता हूं, लेकिन इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे, उस नतीजे से भी डर कर हमें रहना चाहिए। हमारे शब्दों का इस्तेमाल और हमारी बातों का इस्तेमाल उन पर न पड़े जो विदेशों में रहते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं।

सभापति जी, मैं श्री पांडा द्वारा प्रस्तुत विधेयक के एक हिस्से तक सहमत हूं। आपने कई बातें बहुत अच्छी कही हैं। आपने कोस्ट लाइन के बारे में कहा, इंटैलीजेंस के बारे में कहा, मैं उन चीजों से सहमत हूं, लेकिन मैं श्री निशिकांत दुबे जी की बहुत सारी बातों से सहमत नहीं हूं। मैं हुक्मदेव नारायण यादव जी की बहुत सारी बातों से सहमत नहीं हूं। इतना तेज मत जाओ। आपने वैसे ही बहुत विष घोल रखा है। इसे इतना ज्यादा मत करो कि स्थिति और बिगड़ जाए। मैं, पांडा साहब आपके विधेयक का थोड़-बहुत समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि यह अच्छी नीयत से लाया गया विधेयक है।

सभापति महोदय : श्री निशिकांत दुबे, यहां से वहां चले गए। इसलिए थोड़ा हो रहा है, नहीं तो पूरा समर्थन कर देते।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति जी, मैं बहुत संक्षिप्त में बोलना चाहता हूं। श्री वैजयंत पांडा साहब ने जो बिल पेश किया है, मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं राजस्थान से आता हूं। आपने वर्ष 1962, वर्ष 1965 और वर्ष 1971 का युद्ध देखा। राजस्थान की जो सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, उस पर जो लोग रहते हैं, वे अधिकांशतः मेघवाल, सिंधी मुसलमान और भील हैं। उन्हें खाने के लिए ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन एनीमल हस्बैंड्री जो वहां की रीढ़ है जैसे गाय है, बकरी है या अन्य पशु हैं,

उनके साथ, यानी प्रकृति के साथ तालमेल करते थे, जिससे उनकी हैल्थ ठीक थी। जब वर्ष 1962, 1965 या वर्ष 1971 के आक्रमण हुए, तब पाकिस्तान को लगा कि राजस्थान के साथ जो हमारी सीमा है, इसके लोग सेना के साथ मिलकर मुकाबला करते हैं, ये इतने हैल्दी कैसे हैं, जबकि वहां पर प्राकृतिक संसाधन बहुत कम हैं? उन्होंने एक अलग तरीके से हमारी सीमा पर घुसपैठ कर के, संस्कृति को बिगाड़ने का प्रयास किया। उन्हें सबसे पहले लालच दिया गया कि आप तो बहुत कम संसाधनों से रहते हो, इससे क्या बनता है, आप मर जाओगे। इसलिए उन्होंने सीमा के लोगों को अफीम की चोरी, कपड़े की तस्करी और जाली नोटों की तस्करी सिखाई। हमारा राजस्थान की सीमा का मामला था।

जो हम कल्चरली रिच हैं, वह बिगड़ गया। वहां लोग अफीम भी खाने लग गये, लोग लालच में भी आ गये और जो अवैध रूप से घुसपैठिये घुसे थे, वे आई.डी. वोटर कार्ड लेकर नागरिक भी बनने जा रहे हैं। अभी जो जयप्रकाश जी कह रहे थे, वे कुछ हद तक सही हो सकते हैं। अभी विजयन्त पाण्डा साहब कह रहे थे कि अतिथि देवा भवः, यह बात भी ठीक है, लेकिन मैं राजस्थान से आता हूं। मेरे बहुत से साथी, हमारे बहुत से राजस्थान के लोग असम में रहते हैं, जब वे वापस आकर हमें बताते हैं कि हमारा असम में हाल क्या हो गया है कि मूल असमी यह सोच रहा है कि हम अल्पमत में आ गये हैं और हमारी सभ्यता को चोट पहुंच रही है, कहीं ऐसा नहीं हो कि भविष्य में लोगों को लगे कि असमी साहित्य भी कभी था क्या। अगर किसी सभ्यता और संस्कृति पर चोट पड़ेगी तो यही होगा। तभी जाकर हाई कोर्ट, गोहाटी को इंटरवीन करना पड़ा और हाई कोर्ट ने ऐसे ही इण्टरवीन नहीं किया। जब उनको लगा कि यहां पर गलत हो रहा है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयते, यह अपने शास्त्रों में भी कहा गया है, अगर कोई कमाने आ रहा है, भुखमरा है, यहां रोजी-रोटी मिल रही है और इस देश को अपना देश मान रहा है तो हिन्दुस्तान के लोग उसको कभी भी घुसपैठिया नहीं मानते हैं। घुसपैठिया उसको मानते हैं, जो कमाने के नाम पर आ रहा है और यहां की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने आ रहा है, यहां की एकता और अखण्डता को नष्ट करने आ रहा है और यहां की आन्तरिक सुरक्षा को ठेंगा बता रहा है, उसी को यहां पर हम घुसपैठिया मान रहे हैं।

इसलिए विजयन्त पाण्डा जी ने जो बिल पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और आपने मुझे बोलने की इजाजत दी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): I rise to participate in the discussion and consideration of the Illegal Immigration and Overstaying Foreign Nationals (Identification and Deportation) Bill, 2009 introduced by our hon. Colleague Shri Baijayant Panda.

Sir, we can look at this particular Bill in two parts – one is about illegal immigrants with no proper documents for travel and other things, and another one is overstaying foreign nationals who perhaps have the travel documents to come into our country. This particular Bill rather has given us a chance to discuss some very important illegal and migration issues. I being a man from one of the North Eastern States, I wish to say the following things.

In this era of globalization and liberalization, to speak about one's identity and culture may sound conservative and retrogressive. It is not merely a matter of identity and culture, it also is a question of political and economic survival of the natives. Even in a global village or a cosmopolitan environment, everyone must have the right to preserve and promote his or her identity and culture, but exactly not at the cost of others. As a matter of fact, huge influx of illegal immigrants affects not only the culture and identity of the natives, but also greatly affects the economics and politics of the country.

There is no dearth of problems in the border States of the country – be it Jammu and Kashmir, Punjab, Gujarat, Orissa, for that matter in all coastal areas, and particularly in Bengal and North Eastern States. Our focus is always on terrorism, insurgency, under-development and, of course, corruption.

Let us see the situation in the North Eastern Region from where I come. Apart from the above-mentioned major issues of insurgency and the under-development, there is another problem looming large in the entire Region, that is, the problem of demographic infiltration across the border. In fact, illegal immigrants from Bangladesh and Myanmar have been a major issue in States like Assam, Manipur, Meghalaya and Tripura. Floods of migrants have come and settled in various parts of these States.

Tripuris in Tripura are now a minority community in their homeland because of the ever-increasing influx of population from Bangladesh. Earlier, Tripuris were the majority community in Tripura. But now they are reduced to a minority community in their own homeland. Moreover, their cultural identity has been greatly influenced by the aliens and foreign intruders.

Please take the example of Assam. Foreigners' issue has been a vexed issue in the State for the last many years. Assam Gana Parishad is the product of the anti-foreigners movement of Assam students. Despite the Assam Accord and the Immigration Law, the problem of foreigners in Assam still continues. Thousands of migrants are still pouring into this State from Bangladesh. The most difficult duty of the State Government is to identify the foreigners and deport them. These migrants do speak the same language. They have the same religion. They can very easily mix with the natives. Thus their population increases alarmingly and there is a big change in the demographics.

Manipuris in the State of Manipur are under a constant threat from the waves of foreigners coming in from Myanmar. Floods of people from the neighbouring countries have entered Manipur and settled there. Such influx is going on every now and then because the border is porous. Still the intrusion is continuing. Here also the major problem is that the intruders have similar physical appearance and speak the same language. They have their arable lands on either side of the borders. Their children are married to one another. They go farming from this side to that side. So, this is a real human problem. They also speak, very interestingly, Kuki, Mejo, the same dialects. This is one problem. Consequently, a dramatic metamorphosis takes place and the identity of their culture is threatened. One day, the position of natives of Manipur may become like that of Tripuris in the State of Tripura. In order to check infiltration from the neighbouring countries, proper border fencing must be done.

MR. CHAIRMAN : Meinyaji, please wait.

Since the time allotted for consideration of this Bill is over, if the House agrees, we can extend the time till the completion of discussion on the Bill.

SOME HON. MEMBERS: We agree.

MR. CHAIRMAN: Okay. Meinyaji, please continue.

DR. THOKCHOM MEINYA : In order to check infiltration from the neighbouring countries, proper border fencing and regular full guard is necessary. It is learnt that some fencing work has been started at the Indo-Myanmar border. I know border fencing at the Indo-Bangladesh border is taken up in full swing. It is very good. Fencing our border will definitely check illegal migration in the North-East. Fencing plus strict and proper security patrolling will certainly solve the menace of illegal migration.

We do understand many things about other border States like Gujarat, Rajasthan, Punjab, Jammu & Kashmir, Orissa and others. But I strongly feel that proper border fencing and vigilant border patrolling by our security personnel will definitely and drastically curb the problem of illegal migration across the border.

As I have said in the beginning, we can take up this particular Bill in two parts, one exclusively for illegal immigrants and another exclusively for overstaying foreign nationals.

With these words, I thank you for having allowed me to participate in the debate.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MULLAPALLY RAMACHANDRAN): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for having given this opportunity. At the outset, let me thank the hon. Member Shri Baijayant Panda for having moved this Bill – the Illegal Immigrants and Overstaying Foreign Nationals (Identification and Deportation) Bill, 2009. Altogether ten Members have participated in this discussion. I express my thanks to the hon. Members who have actively participated in this discussion for their valuable observations and suggestions.

I have been listening with rapt attention to the views expressed by Mr. Baijayant Panda and other Members. The Bill is to provide for identification of illegal immigrants and those foreign nationals who are overstaying in the country or have gone missing after the expiry of their visas, and for their deportation to the countries of their origin.

Sir, by this Bill, the hon. Member seeks to establish a National Commission and State Commissions for identification and deportation of illegal immigrants and foreign nationals. The functions of the Commission, according to the mover are, to identify illegal immigrants or foreign nationals and determine their nationality, to prescribe the guidelines for State Commissions for identifying the illegal immigrants or foreign nationals and their nationality, to hear any complaint or appeal against the findings of any State Commission, to recommend to appropriate Government for deportation of illegal immigrants and foreign nationals, to facilitate speedy hearing of cases against illegal immigrants, and to take such measures as may be necessary for this purpose.

It is a fact that there are innumerable illegal immigrants in our country, as stated by the hon. Member, as is there in the Statement of Objects and Reasons. It is also a fact that the presence of the illegal immigrants creates a variety of problems in our country. They are mostly coming from neighbouring countries and the figures will show that the influx is mainly from Bangladesh.

Considering the large influx of illegal immigration from Bangladesh through the long porous border and further, in view of the geographical proximity,

family ties and ethnic similarities, coupled with better economic opportunities in India, a special procedure has been laid under the existing Act for identification and deportation of Bangladeshi immigrants.

This provides for verification of claims of alleged illegal Bangladeshis to be persons of India, from the concerned State, within a period of 30 days and if it is not done, then deportation is effected through BSF, using 'push back' mode. These instructions are being reviewed and modified under delegated powers.

As far as illegal immigration from other countries is concerned, the State Government, after nationality verification is done by the Ministry of External Affairs, issues appropriate travel documents, and thereafter, deports the person. I would like to mention that we have adequate and appropriate legislation by way of Foreigners Act, 1946 to deal with such illegal immigrants and other related issues.

The 1946 Act defines 'foreigners' as persons who are not citizens of India. It gives wide powers to the Government of India to make orders relating to every aspect of illegal immigration and overstay of foreigners. The Foreigners Act, 1946 provides for detection, identification and deportation of illegal immigrants and foreigners overstaying in India. The authority under the Act of 1946 Act is given to the District Magistrate and Commissioner or Superintendent of Police.

Besides, it also stipulates certain obligations on the masters of vessels, pilots of aircrafts, owners of hotels, and premises frequented by foreigners to furnish information about foreign nationals. The effectiveness of the procedure laid down in the Foreigners' Tribunal Order of 1964 passed under the said Act is also worth mentioning. I reiterate the fact that illegal immigration is a serious issue which needs to be addressed very effectively; and it is to be tackled in a pragmatic manner. But I must also state that the existing Acts, rules, orders made thereunder, especially the Foreigners Act, 1946 are adequate to deal with the problem of detection, identification and deportation of illegal immigrants.

The Private Member's Bill proposes to set up a National and State Commissions, without providing for ground level mechanism for detection and identification of illegal immigrants. If the exercise is to be carried out by the

District Police, there will be no change from the existing arrangement. Currently, the SP of the District has been made responsible for detection, identification and deportation of such persons.

18.00 hrs.

Adding additional layer of State Commission through Civil Court process will only delay the final identification and thereafter deportation.

सभापति महोदय : इससे पहले बिल का समय बढ़ाया गया था, क्योंकि उसके लिए दो घंटे एलॉटेड थे। हम हाउस से और समय बढ़ाने की अनुमति चाहते हैं। अगर आप सब सहमत हों, तो 15 मिनट का समय और बढ़ा दिया जाता है।

कई माननीय सदस्य : ठीक है।

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: The current system of identification is quasi-judicial summary proceeding. Changing this to regular Civil Court proceedings will only delay identification.

The Bill provides for appeal in the National Commission against the orders of State Commissions. This will further delay the process of identification and deportation through another layer of proceedings. This will only help illegal immigrants to stay longer in the country.

Once the Commission starts functioning like Civil Courts, it is possible that those identified as illegal immigrants may agitate through further process of legal mechanism in the High Courts or the Supreme Court to get the orders of the State or National Commission reviewed or quashed. This will further add to delay in processing of the case, which will be advantageous to illegal immigrants alone.

Even after the findings of the Commissions that the person is an illegal immigrant, he or she cannot be deported until respective Mission issues 'Travel Document' after due nationality verification.

Sir, the Bill projects a non-recurring expenditure of Rs.50 crore and an estimated amount of Rs.200 crore as recurring expenditure. From the experience of Foreigners Tribunals in the State of Assam, it may be stated that the financial implications may be far more than these projected amounts. Apart from adding a

layer of process in identification and thereby causing delay, the proposed Commissions will not lead to any value addition. Therefore, these expenses from the Consolidated Fund of India cannot be justified.

The hon. Supreme Court of India in its order dated 12.07.2005 in writ petition Sonowal Vs. Union of India and another has said that the Foreigners Act, 1946 confers wide ranging powers to deal with the foreigners or with respect to any particular foreigner or any prescribed class or description of foreigners for prohibiting, regulating or restricting their or his entry into India or continued presence including arrest, detection and confinement.

The Apex Court has also noted in this judgement that the most important provision of the Foreigners Act is Section 9, which casts the burden of proof that the person is not a foreigner of a particular class or description, as the case may be, upon such person. The hon. Court has also observed that the IMDT Act, 1983 proved advantageous for such illegal immigrants as the proceedings initiated against them almost entirely ended in their favour enabling them to have a document having legal sanctity to the effect that they are not illegal immigrants.

The proposed Bill is also likely to lead to similar kinds of judicial process as was under the IMDT Act and delay the process of identification, detection and deportation of illegally staying foreign nationals in the country.

In view of the above reasons, with all humility at my command, I oppose the Private Member's Bill and fervently appeal to the hon. Member, Shri Panda to kindly withdraw this Bill.

SHRI BAIJAYANT PANDA (KENDRAPARA): Thank you, Sir. Very briefly I would just like to make two or three comments. In response to Jai Prakash ji's very eloquent appeal for us to have big heart, I would like to say that is how I started my speech also that in India we not only have a history, we have a current experience that we have a big heart. We have been helping countries around our neighbourhood. We have been helping developed countries when they have crisis.

But we do have a problem where our own citizens do not get the full benefits of being Indian citizens. That should be our first priority.

I would also like to tell Jai Prakash ji that the intent of this proposed Bill is to de-politicise the issue.

We have seen in today's discussion also that there are hints that political mileage can be taken out of this issue. The idea is to take it out of political debate and put it in a Commission where you have judicial people looking after the process so that we do not criticise the issue. All I was saying is that we should implement the law of the land.

In response to the hon. Minister's reply, I would like to point out two things. I agree with some of the statistics he has pointed out but two things I do not agree with. The hon. Minister pointed out that today there are adequate measures in place for detecting illegal immigration. I humbly and respectfully disagree. I have given the statistics that the trend of people overstaying and the trend of people coming into the country is increasing and the number of deportations is decreasing. That issue has not been addressed. If we had adequate measures in place, at least, the Ministry would have been able to tell us how many illegal immigrants there are today in the country. Nobody is able to tell us. These estimates of two crore illegal immigrants are estimates by some surveys. We need adequate measures. There is one estimate made by some media organisation that if we continue at the current rate at which we are deporting illegal immigrants, it will take us thousand years to deport all the existing illegal immigrants. Not to mention all the more illegal immigrants that are taking place.

I will end by just point out one more infirmity. The hon. Minister pointed out that we have adequate Acts and rules in place. I agree with this. I do not agree that Acts and rules need to change. I am not suggesting that we have new criteria. I am not suggesting that we have any harsher rules than what we have today. All I am saying is that we need a mechanism because by Executive action and by giving the job to the Superintendent of Police, by giving the job to the District Magistrate, it is not practically possible. Our SPs and DMs are busy with

innumerable schemes which they have to implement. My proposal was that there should be some mechanism which will take up this job on a full time basis. I do not want to take the time of the House. I just wanted to point out that this is a subject that deserves greater attention.

I do want to compliment some steps that have been taken. You have pointed out on the BSF, strengthening of the border fencing, the reduction of the gap between outposts, etc. Keeping in line with the traditions of our august House, I will be agreeable to withdraw the Bill.

I beg to move for leave to withdraw the Bill to provide for identification of illegal immigrants and those foreign nationals who are overstaying in the country or have gone missing after the expiry of their visas and for their deportation to the countries of their origin and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. CHAIRMAN : The question is:

> "That leave be granted to withdraw the Bill to provide for identification of illegal immigrants and those foreign nationals who are overstaying in the country or have gone missing after the expiry of their visas and for their deportation to the countries of their origin and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI BAIJAYANT PANDA : I withdraw the Bill.

16.08 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2009
(Insertion of New articles 275A and 371J)

MR. CHAIRMAN: Item no. 47 - Prof. Ranjan Prasad Yadav .

प्रो. रंजन प्रसाद यादव (पाटलिपुत्र): धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे उपाध्यक्ष मत बनाइए, चेयरमैन ही रहने दीजिए।

प्रो. रंजन प्रसाद यादव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, भारतवर्ष में बिहार का स्थान प्रत्येक परिप्रेक्ष्य से बहुत गरिमापूर्ण और महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतवर्ष में इसका स्थान 12वां और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है। यहां मैं एक तथ्य की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बिहार की कुल जनसंख्या का लगभग 58 प्रतिशत हिस्सा 25 प्रतिशत से कम उम्र का है। यह तथ्य इसलिए महत्वपूर्ण है कि राज्य भविष्य इन्हीं 58 प्रतिशत लोगों के कन्धों पर है, जो आगे चलकर आर्थिक विकास की जिम्मेदारी संभालेंगे।

महोदय, मुझे सदन को यह याद कराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि बिहार का एक गौरवशाली अतीत और सुनहरा इतिहास रहा है। भारत का इतिहास अगर देखा जाए, तो भारत के स्वर्णिम युग और बिहार के स्वर्णिम युग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है।

बिहार के तो कण-कण में इतिहास बसा हुआ है। बिहार की भूमि भी ही है, जहां महात्मा गांधी ने उस राजनैतिक हथियार को आजमाया, जिसकी वजह से तत्कालीन भारत में जो ग्रेट ब्रिटेन की हुकूमत थी, मजबूर होकर उन्हें यहां से जाना पड़ा। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे गौरवशाली राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं।

एक समय था जब इस प्रदेश का शासन एक मिसाल के रूप में देखा जाता था। लेकिन धीरे-धीरे यह प्रांत अन्य प्रांतों से पिछड़ने लगा। हालांकि यह प्रांत प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था और उद्योगों के मामले में अग्रणी था। आर्थिक और मानव विकास के इंडैक्स थे, उसमें यह प्रांत पिछड़ता गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि 90 के दशके से, इस शताब्दी के शुरूआत तक यह प्रांत रसातल में चला गया। खनिज संसाधनों से परिपूर्ण, उपजाऊ मिट्टी की घनी और मानव संसाधन के मामले में विश्व में अपना डंका बजाने

वाला प्रांत विकास की दौड़ में पीछे रह गया। सिर्फ एक आदमी के स्वार्थ और परिवारवाद की वजह से पूरा बिहार राज्य लाए गए आर्थिक सुधारों का फायदा नहीं उठा सका। जब देश के बाकी प्रांत आर्थिक और औद्योगिक विकास के रास्ते पर जा रहे थे, तो बिहार जातिवाद, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के दलदल में फंसा हुआ था। आरजेडी के राज का जब से खात्मा हुआ, तो जनता ने राहत की सांस ली है।

महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब 11 अगस्त, 2000 को बिहार पुनर्गठन विधेयक पर राज्य सभा में चर्चा हो रही थी, बतौर मैं उस समय राज्य सभा का सदस्य था। मैंने केन्द्र सरकार को सावधान किया था कि विभाजन के बाद यदि राज्य को होने वाले नुकसान की उचित भरपाई नहीं की गई तो आपके सामने काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।

महोदय, विभाजन के परिणामस्वरूप बिहार के जिन 18 जिलों को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया था, वे सारे जिले खनिज सम्पदा से भरपूर थे। आप स्वयं भी उसी प्रांत से आते हैं और आपको जानकारी है कि पलामू, राजमहल, लोहरदग्गा, गोड्डा, सिंहभूम, जमशेदपुर, चतरा, खूंटी, गिरिडीह, धनबाद और हजारीबाग आदि जिलों में देश में सबसे ज्यादा आयरन ओर, कॉपर, लाइमस्टोन, बॉकसाइट, ग्रेफाइट, माइका, दुनिया का बेहतर कोयला और इस साइंस के युग में युरेनियम हो, वह पाया जाता है। न केवल खनिज सम्पदा इन 18 जिलों में थी, बल्कि बड़े उद्योग, टाटा, टिस्को, टैल्को, बोकारो आदि बड़े-बड़े स्टील प्लांट थे। लेकिन यह दुर्भाग्य रहा कि एक व्यक्ति ने सत्ता में बने रहने के लिए बिहार के 54 जिलों का बंटवारा किया और इन 18 जिलों को अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण हुआ।

सभापति महोदय, मैं चूंकि ज्योलॉजी का प्रोफेसर भी हूं, उस नाते मैं बताना चाहता हूं कि जिन 38 जिलों का बिहार रह गया, उस नए बिहार में लगभग 20 जिले ऐसे हैं, जो फ्लड-प्रोन एरिया हैं। इन एरिया में नेपाल से महानंदा, कोसी, बागमती बड़ी-बड़ी नदियां आती हैं। ये नदियां प्रति वर्ष इन जिलों में एक फीट से लेकर पांच फीट तक बाढ़ लेकर आती हैं। जिसके कारण हजारों-लाखों मकान ढह जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि 2008 में जो बाढ़ आई थी, तो क्या हालत बिहार की हुई थी।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य बहुत शुद्ध मन से बोल रहे हैं। आपका भाषण आगे जारी रहेगा।

The House stands adjourned to meet again at 11 a.m. on Monday, the 14th March, 2011.

18.15 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, March 14, 2011/Phalguna 23, 1932 (Saka).